मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण

2022-2023

मध्यप्रदेश

आर्थिक सर्वेक्षण

2022-23

प्राक्कथन

इस वर्ष के 'मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण – 2022-23' को इसके पूर्ववर्ती संस्करणों से और अधिक उन्नत स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मध्यप्रदेश के विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश की ओर की जा रही यात्रा एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विगत वर्षों में नवीन ऊंचाइयों पर पहुँचाने के क्रम में विकसित हुई आधारभूत प्रणालियों एवं नीति तथा डेटा आधारित निर्णय पद्धति के आलोक में इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण का स्वरूप वृहद हो एवं जनोपयोगी हो इस हेतु तथा इसे प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, समिति को अन्य विशेषज्ञों से भी चर्चा करने का अधिकार दिया गया। यह प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के समेकित प्रयासों एवं विशेषज्ञ समिति के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है।

राज्य इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है कि किस प्रकार जनसामान्य, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों, रिसर्च स्कॉलर्स, औद्योगिक समूहों, विश्वविद्यालयीन विमर्श समूहों, मीडिया संस्थानों एवं नवाचारों के प्रेरकों इत्यादि समस्त प्रयोगकर्ताओं को प्रमाणिक एवं रियल टाइम डेटा की निर्बाध उपलब्धता रहे। राज्य द्वारा यह भी अनुभव किया जा रहा है कि बिना प्रमाणिक सांख्यिकीय आंकड़ों के आधुनिक दौर में किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। आंकड़ों की विश्वसनीयता और सुगम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा आंकड़ों की परिवर्धनीयता एवं उपलब्धता के रोडमैप को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की। उस समिति के निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया हैं। आयोग का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों एवं संस्थानों को सुगम और प्रमाणिक आंकड़ों की उपलब्धता कराना है। इसी अनुक्रम में आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय के प्रकाशनों को आधुनिकीकृत किए जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। नवीन कलेवर का यह आर्थिक सर्वेक्षण इस दिशा में पहला कदम है। यह प्रयास भी किया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण बहुआयामी रूप से जनसामान्य के लिए अत्यंत उपयोगी हो। यह ध्यान रखा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण समाज के सभी वर्गों के उपयोग में आ सके। भविष्य में इसे और बहुआयामी बनाने का प्रयास किया जाएगा और इस हेतु सुझावों की विनम्र अपेक्षा है। इस प्रकाशन की ई-प्रति को जनसामान्य के लिए ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इसका अधिकाधिक उपयोग हो सके।

आशा है कि यह सर्वेक्षण राज्य की वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों एवं नए क्षेत्रों में किए गए अभिनव प्रयासों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा।

दिनांक 26-02-2023

अभिषेक सिंह

(अभिषेक सिंह, आई.ए.एस.)

आयुक्त

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

आभारोक्ति

‘मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण-2022-23’ को तैयार करने की प्रक्रिया एवं इसका प्रकाशन मध्यप्रदेश में आंतरिक समन्वय एवं समावेशन का अप्रतिम उदाहरण है। यह आर्थिक समीक्षा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विकसित मध्यप्रदेश के दर्शन एवं अंतर्दृष्टि से प्रभावित है। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस द्वारा सर्वेक्षण की समय समय पर की गई समीक्षा तथा विभिन्न विभागों को प्रेरित कर आंकड़ों की शीघ्र पुष्टि सुनिश्चित किए जाने हेतु हृदयतल से आभार है। आर्थिक समीक्षा के निर्माण के क्रम में प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, आर्थिक सर्वेक्षण निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, आर्थिक सर्वेक्षण समिति के सदस्य राज्य सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, आई.आई.एम. इंदौर के प्रोफेसर दीपक सेठिया सहित समिति के अन्य सभी सदस्यों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, सतत् समीक्षा एवं टिप्पणियों के माध्यम से सम्पूर्ण लेख एवं विभिन्न अध्यायों को नवीनता से परिभाषित करने, विषय केंद्रित एवं उपयुक्त बनाए रखने में दिए गए योगदान हेतु आभार है। आर्थिक सर्वेक्षण निर्माण समिति के अन्य सदस्यों श्री प्रतीक हजेला, सीईओ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, श्री मुकेश चंद्र गुप्ता, प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सुझावों के लिए उनका आभार है। प्रदेश के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री स्वतंत्र कुमार सिंह एवं ओएसडी श्री राजीव जैन का अपने शोध दल के साथ आर्थिक सर्वेक्षण के प्रकाशन की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग हेतु आभार है। श्री लोकेश शर्मा, ओएसडी, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा अपने शोधार्थियों के दल के साथ भाग लिया उसके लिए उनका आभार है। प्रकाशन की प्रक्रिया में किए गए समन्वय हेतु संचालक डॉ. व्ही. एस. धपानी एवं दल द्वारा किए गए सहयोग हेतु आभार है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग तथा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के स्टाफ, कंसलटेंट्स, एड्वाइजर्स जिन्होंने इस सर्वेक्षण के विभिन्न अध्यायों को आकार देने एवं आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत कर इस पूरे प्रकाशन को तैयार करने में जो योगदान दिया है उसका बहुत-बहुत आभार है। मध्यप्रदेश माध्यम की टीम का डिजाइनिंग एवं प्रिंटिंग कर प्रति उपलब्ध कराने हेतु आभार है।

अभिषेक सिंह

दिनांक 26-02-2023

(अभिषेक सिंह, आई.ए.एस.)

आयुक्त

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

अनुक्रमणिका

i	**तालिकाओं की सूची**	
ii	**चित्रों की सूची**	
iii	**संक्षेपाक्षर**	
अध्याय 1	**आर्थिक स्थिति- एक समीक्षा**	**1**
1.1	आर्थिक उत्पादन	3
1.2	लोक वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र	4
1.3	कृषि एवं खाद्य प्रबंधन	5
1.4	उद्योग, ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्र	7
1.5	सेवा एवं सामाजिक क्षेत्र	8
1.6	सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय :	11
अध्याय 2	**सार्वजनिक वित्त**	**13**
2.1	प्राप्तियां	16
2.2	राज्य का अपना कर राजस्व	17
2.3	राज्य का गैर-कर राजस्व	19
2.4	केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	20
2.5	व्यय	20
2.6	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	22
2.7	राजकोषीय अनुशासन	23
अध्याय 3	**बैंकिंग और वित्तीय संस्थान**	**25**
3.1	आर्थिक विकास के लिए ऋण विस्तार	28
3.2	बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन	33
3.3	समान विकास के लिए वित्तीय समावेशन	35
3.4	रोजगार के लिए वित्तीय सहायता	38
अध्याय 4	**कृषि और ग्रामीण विकास**	**41**
4.1	कृषि	44
4.2	उद्यानिकी	51

4.3	कृषि विपणन	55
4.4.	भंडारण सुविधा	56
4.5	खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली	57
4.6	पशुधन एवं डेयरी विकास	59
4.7	मत्स्य पालन से विकास	62
4.8	ग्रामीण विकास	65
अध्याय 5	**उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना**	**75**
5.1	उद्योग	78
5.2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	81
5.3.	पारंपरिक उद्योग	84
5.4	पर्यटन	86
5.5	अधोसंरचना	89
अध्याय 6	**व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी**	**101**
6.1	व्यापार संवर्धन	103
6.2	निवेश संवर्धन	107
6.3	कनेक्टिविटी	109
6.4	लॉजिस्टिक्स	112
अध्याय 7	**नगरीय विकास**	**117**
7.1	नगरीय परिदृश्य	120
7.2.	नगरीय विकास के लिए योजनाएं	122
अध्याय 8	**सामाजिक एवं आर्थिक विकास**	**133**
8.1	सामाजिक क्षेत्र	136
8.2	महिलाओं सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव	137
8.3	बच्चों का विकास एवं संरक्षण	145
8.4	युवा और सामाजिक बदलाव	147
8.5	रोजगार एवं श्रम	148
8.6	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण	150

8.7	मध्यप्रदेश में हुए बदलाव को परिलक्षित करते संकेतांक	150
अध्याय 9	**स्वास्थ्य**	**155**
9.1	स्वास्थ्य अधोसंरचना	158
9.2	आयुष्मान भारत	159
9.3	सार्वजानिक एवं निजी सहभागिता	160
9.4	प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम	162
9.5	आयुष - प्रमुख उपलब्धियां	171
अध्याय 10	**शिक्षा एवं कौशल विकास**	**173**
10.1	स्कूल शिक्षा	175
10.2	पिछले वित्तीय वर्ष में प्रमुख पहल	176
10.3	विभाग की अन्य प्रमुख योजनाएँ	178
10.4	उच्च शिक्षा	180
10.5	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	186
अध्याय 11	**प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन**	**191**
11.1	वन	193
11.2	जल संसाधन	200
11.3	खनिज	211
अध्याय 12	**सामाजिक समावेशन-अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास**	**219**
12.1	अनुसूचित जनजाति कल्याण	221
12.2	अनुसूचित जाति विकास	228
अध्याय 13	**सुशासन**	**233**
13.1	सुशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य	235
13.2	सुशासन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ	240
13.3	सुशासन हेतु संस्थागत प्रयास	241
13.4	सुशासन के लिए क्षमता संवर्धन	244

अध्याय 14	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**	**247**
14.1	नीतिगत रूपरेखा	250
14.2	मध्यप्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बजट आवंटन	251
14.3	मध्यप्रदेश में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र	252
14.4	विज्ञान लोकप्रियकरण के प्रयास	257
14.5	विशिष्ट एवं नवीन पहल	257
अध्याय 15	**सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था एवं आध्यात्मिक परिवेश का विस्तार**	**271**
15.1	सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए संस्कृति एक प्रमुख इंजन	274
15.2	मध्यप्रदेश का आध्यात्मिक विकासात्मक दर्शन	275

तालिकाओं की सूची

तालिका क्र. 2.1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक	15
तालिका क्र. 2.2 : राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां	16
तालिका क्र. 2.3 : राजस्व प्राप्तियों की संरचना	18
तालिका क्र. 2.4 : कर राजस्व	19
तालिका क्र. 2.5 : राज्य का गैर-कर राजस्व	20
तालिका क्र. 2.6 : मध्यप्रदेश बजट का आकार (वर्ष 2000-01 से वर्ष 2022-23)	20
तालिका क्र. 2.7 : राजस्व और पूंजीगत व्यय	21
तालिका क्र. 2.8 : मध्यप्रदेश में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	22
तालिका क्र. 2.9: ऋण जीएसडीपी अनुपात	24
तालिका 3.1 : वार्षिक क्रेडिट योजना (ए.सी.पी.) में ऋण विस्तार	28
तालिका 3.2 : बैंक-वार ए.सी.पी. प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2022-23	29
तालिका 3.3 : शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ऋण वृद्धि की तुलना देश के साथ	30
तालिका 3.4 : संभाग वार कृषि-फसल जी.वी.ए. और कृषि-फसल ऋण अनुपात (2019-20)	30
तालिका 3.5 : राज्य और राष्ट्रीय बैंकिंग अनुपात की तुलना	31
तालिका 3.6-क : जिलावार ऋण जमा अनुपात विश्लेषण	32
तालिका 3.6-ख : सी.डी. अनुपात में जिलेवार वृद्धि	33
तालिका 3.7 : जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की समेकित वित्तीय स्थिति	33
तालिका 3.8 : बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए.)	34
तालिका 3.9 : एन.पी.ए. की क्षेत्र-वार स्थिति (2021-2022)	35
तालिका 3.10: राज्य के बैंकिंग नेटवर्क में शाखाओं का विस्तार (संख्या)	36
तालिका 3.11: जी.एस.एस. की स्थिति	39
तालिका 4.1: विभिन्न योजनाओं के तहत बजट	47
तालिका 4.2: प्रमुख फूलों और औषधीय पौधों का क्षेत्र और उत्पादन	53
तालिका 4.3: भंडारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति (लाख रुपये में)	56
तालिका 4.4: संग्रहीत मात्रा और अर्जित राशि	56
तालिका 4.5: गेहूं का उपार्जन	58
तालिका 4.6: धान का उपार्जन	58
तालिका 4.7: सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम	62
तालिका 4.8 : व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	70
तालिका 4.9: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम)	71
तालिका 4.10: तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एल.डब्ल्यू.एम)	71

तालिका 4.11 - लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय प्रगति	71
तालिका 4.12: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	73
तालिका : 5.1 प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि द्वारा जोड़ा गया सकल वर्धित मूल्य	79
तालिका 5.2: एमएसएमई विभाग की योजना आवंटन पर विवरण	83
तालिका 5.3: उद्यम पोर्टल में एमएसएमई पंजीकरण का विवरण	83
तालिका 5.4: पर्यटन विभाग का बजट व्यय	87
तालिका 5.5 : सामान्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आमद	87
तालिका 5.6 : धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की आमद	88
तालिका 5.7 : विभिन्न अधोसंरचना क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन	90
तालिका 5.9: नवकरणीय विद्युत की अनुमानित संभाव्यता की स्त्रोतवार रैंकिंग	92
तालिका 5.10 : श्रेणीवार उपभोक्ता गणना	93
तालिका 5.11: उपभोक्ता खंडों द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा	94
तालिका 5.12 : जिले-वार प्रमुख नहरें	95
तालिका 5.13 : रवर्षवार सिंचाई क्षमता और उपयोग	96
तालिका 5.14 : कमांड विकास विवरण	97
तालिका 5.15 : नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सिंचाई क्षेत्र	97
तालिका 6.1: मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 निर्यात	106
तालिका 6.2: संभावित निवेश और रोजगार गतिविधि	108
तालिका 6.3: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	109
तालिका 6.4: मध्यप्रदेश में सड़क वर्गीकरण द्वारा सड़क लंबाई नेटवर्क	110
तालिका 6.5: राज्यवार रेलवे मार्ग की लंबाई	110
तालिका 6.6: लीड्स रैंकिंग प्रदर्शन विवरण	114
तालिका 7.1— मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना में नगरीय निकाय की पात्रता	123
तालिका 7.2— राष्ट्रीय शहरी रोजगार आजीविका मिशन (एनयूएलएम) की प्रगति	129
तालिका क्रमांक – 8.1 : सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन (राशि रुपये करोड़ में)	136
तालिका क्रमांक – 8.2: कमजोर वर्गों के लिए बजट आवंटन (राशि रुपये करोड़ मे)	137
तालिका क्रमांक - 8.3 : मध्यप्रदेश के कुल बजट मे जेंडर बजट का प्रतिशत (राशि रुपये करोड़ मे)	137
तालिका क्रमांक - 8.4 : एन.आर.एल.एम. बजट आवंटन एवं व्यय (राशि रुपये करोड़ मे)	139
तालिका 8.5 : सामुदायिक संस्थाओं के वर्षवार गठन की स्थिति	140
तालिका 8.6 : म. प्र. में महिला एस.एच.जी. को आर.एफ.सी.आई.एफ. और वी.आर.एफ. की स्थिति	140
तालिका 8.7 : पोषण के प्रमुख संकेतांकों पर प्रदेश की स्थिति	146

तालिका क्रमांक 9.1 : वित्त वर्षो का बजट	158
तालिका क्रमांक 9.2: असंचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम – कैंसर स्क्रीन केस विवरण	168
तालिका क्रमांक 9.3 : राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धि	170
तालिका 10. 1: समग्र शिक्षा वित्तीय प्रगति 2021-22	176
तालिका 10.2: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में नामांकन	176
तालिका 10. 3: मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थान	186
तालिका 11.1: मध्यप्रदेश में बाँस का वर्धमान निधि	195
तालिका 11.2: काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	197
तालिका 11.3: मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	197
तालिका 11.4: तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन	198
तालिका 11.5: मध्यप्रदेश में भूजल संसाधन का सारांश	203
तालिका 11.6: मध्यप्रदेश में मानसून वर्षा का सारांश	206
तालिका 11.7 मध्यप्रदेश के प्रमुख जलाशयों का सारांश	208
तालिका 11.8: प्रदेश के खनिज भंडार	213
तालिका 11.9: प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन (लाख टन में)	214
तालिका 11.10: प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य (रु. लाख में)	216
तालिका 11.11: योजनावार (सब स्कीम) प्रावधानों का विवरण (राशि करोड़ में)	216
तालिका 12.1: अनुसूचित जनजाति उप योजना का कुल बजट आवंटन	222
तालिका 12.2 : क्षेत्र-वार बजट आवंटन- अनुसूचित जनजाति विभाग	223
तालिका 14.1: विगत पांच वर्षों में मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप की प्रवृत्ति	254
तालिका 14.2: मध्यप्रदेश द्वारा फाइल किये गए आईपीआर की संख्या	255
तालिका 14.3: नामांकित पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या	256
तालिका 14.4: एमपी कोड पोर्टल की वर्तमान स्थिति	262
तालिका 14.5 : SISDP & Update के तहत कार्य की स्थिति	266
तालिका 15.1 धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग और संस्कृति विभाग का बजटीय आवंटन	275

चित्रों की सूची

चित्र 1.1 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	3
चित्र 1.2 प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	4
चित्र 2.1 : ऋण -जीएसडीपी का अनुपात	23
चित्र 3.1: ऋण विस्तार	28
चित्र 4.1: मध्यप्रदेश में प्रमुख कृषि-जलवायु क्षेत्र	44
चित्र 4.2: प्रमुख फसलों का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	45
चित्र 4.3: प्रमुख दालों का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	46
चित्र 4.4: प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	47
चित्र 4.5: प्रमुख मसालों का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन)	51
चित्र 4.6: प्रमुख सब्जियों का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन)	52
चित्र 4.7: प्रमुख फलों का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन)	53
चित्र 4.8: बजटीय आवंटन (राशि करोड़ रुपये में)	59
चित्र 4.9: दुग्ध उत्पादन	60
चित्र 4.10: अंडा उत्पादन	60
चित्र 4.11: मांस उत्पादन	61
चित्र 4.12 बजटीय आवंटन (राशि करोड़ रुपये में)	63
चित्र 4.13: मत्स्योत्पादन	63
चित्र 4.14: मत्स्यबीज उत्पादन (स्टे.फ्राय)	64
चित्र 4.15: कुल मानव दिवस मे अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं की भागीदारी	67
चित्र 4.16: पीएमएवाए–जी अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवासों की स्थिति	69
चित्र 4.17 पीएमएवाए–जी अंतर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष पूर्ण आवासों की स्थिति	69
चित्र 5.1 : कारखानों की संख्या और निश्चित पूंजी	79
चित्र 5.2: कारखानों में सकल उत्पादन और कुल मूल्य वर्धन (नेट वैल्यू एडैड)	80
चित्र 5.3: मध्यप्रदेश में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता (मेगावाट घंटे)	92
चित्र 5.4 मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता की प्रवृत्ति	93
चित्र 6.1: मध्यप्रदेश निर्यात	105
चित्र 6.2 : कुल निर्यात - भू-बध्द राज्य	107
चित्र 7.1– मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या	120
चित्र 7.2– वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश शासन से विभिन्न नगरीय निकायों को हस्तांतरित की गई राशि और नगरीय निकायों की जनसंख्या का विभाजन	121

चित्र 7.3— मध्यप्रदेश के जिलों में नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)	121
चित्र 7.4— ALPASS में अनुमोदित प्रमाण पत्र और राजस्व	125
चित्र 7.5— स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग	128
चित्र क्रमांक-8.1: कुल सृजित मानव दिवस में से महिलाओं द्वारा सृजित किये गए मानव दिवस	143
चित्र क्रमांक-8.2: मध्यप्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात	144
चित्र क्रमांक – 8.3: महिलाओं की सामाजिक स्थिति मे सकारात्मक बदलाव	145
चित्र क्रमांक – 8.4: बाल बजट आवंटन	145
चित्र क्रमांक – 8.5: मध्यप्रदेश के लिए रोजगार संबंधित औपचारिक आँकड़े	149
चित्र क्रमांक - 8.6: विगत 3 वर्षो का सतत् विकास लक्ष्य स्कोर	151
चित्र क्रमांक - 8.7 : सतत् विकास लक्ष्य - राज्य की स्तिथि में सकरात्मक बदलाव	152
चित्र क्रमांक 9.1: टेली कन्सल्टेशन प्रगति (6 माह की संचयी)	161
चित्र क्रमांक 9.2: संस्थागत जन्म	164
चित्र 10.1: विशेषज्ञता वार-विश्वविद्यालयों की संख्या	181
चित्र 11.1 वित्तीय वर्ष 2005-06, 2010-11, 2015-16 एवं 2020-21 के बजट लेख के आँकड़े	196
चित्र 11.2 मध्यप्रदेश एवं भारत में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट की तुलना	203
चित्र 11.3 भूजल विकास के आधार पर म.प्र. के विकासखंडों का वर्गीकरण	204
चित्र 11.4 मई माह में भूजल स्तर की गहराई (mbgl)	205
चित्र 11.5 नवम्बर माह में भूजल स्तर की गहराई (mbgl)	205
चित्र 11.6 मध्यप्रदेश के जिलों में मानसून वर्षा	206
चित्र 11.7 सामान्य वर्षा की तुलना में मानसून वर्षा, वर्ष 2020	207
चित्र 11.8 प्रदेश में वर्षा का सामान्य वर्षा से प्रस्थान (वर्ष 2020)	207
चित्र 11.9 FRL पर लाइव क्षमता (%) के रूप में स्टोरेज	209
चित्र 14.1: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बजट आवंटन की प्रवृति	251
चित्र 14.2: मध्यप्रदेश में अटल टिंकेरिंग लैब्स की संख्या	253
चित्र 14.3 : विगत 5 वर्षों में फाइल किये गए पेटेंट की प्रवृति	255
चित्र 14.4: विगत 5 वर्षों में दायर किये गए डिजाईन की प्रवृति	256
चित्र 14.5: ई-गिरदावरी परियोजना का प्रक्रिया प्रवाह	258
चित्र 14.6: आपदा चेतावनी प्रतिक्रिया प्रणाली का स्क्रीनशॉट	259
चित्र 14.7 : ड्रोन उपयोगकर्ता एवं अनुप्रयोग	260
चित्र 14.8: स्वचालित लेआउट प्रक्रिया अनुमोदन और जांच प्रणाली का स्क्रीनशॉट	268

संक्षेपाक्षर

3D/3डी	-	त्रि-आयामी / थ्री डायमेंशनल
A / ले.	-	लेखा
A.B.P. / ए.बी.पी.	-	एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (आकांक्षी विकास कार्यक्रम)
A.C.P. / ए.सी.पी.	-	वार्षिक क्रेडिट योजना
AB-DM / एबी-डीएम	-	आयुष्मान भारत – डिजिटल मिशन
ABPAS / एबीपीएएस	-	औटोमटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम
AB-PMJAY / एबी-पीएमजेएवाय	-	आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
Agri-tech / एग्री-टेक	-	कृषि प्रौद्योगिकी
AI / एआई	-	आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस
AIC / एआईसी	-	अटल इनक्यूबेशन केंद्र
AICTE / एआईसीटीई	-	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
AIGGPA / ए.आइ.जी.जी.पी.ए.	-	अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान
AIM / एआईएम	-	अटल इनोवेशन मिशन
AISHE / ए.आई.एस.एच.ई.	-	अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
ALPASS / अलपास	-	स्वचालित लेआउट प्रक्रिया अनुमोदन और जांच प्रणाली
AMRUT / अमृत	-	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
ANC / एएनसी	-	प्रसव पूर्व देखभाल
ANM / एएनएम	-	ऑग्जिलरी नर्स मिडवाइफरी
APL / एपीएल	-	गरीबी रेखा से ऊपर
ASHA / आशा	-	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
ASI / ए.एस.आई.	-	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
ATL / एटीएल	-	अटल टिंकरिंग लैब्स
AYUSH / आयुष	-	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी
BBMSY / बी.बी.एम.एस.वाई.	-	भगवान बिरसा मुद्रा स्वरोजगार योजना
BC/ बी.सी.	-	बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट
BCM / बीसीएम	-	बिलियन घन मीटर
BE / ब.अ.	-	बजट अनुमान
BEE / बीईई	-	ब्लॉक एक्सटेन्शन एजुकेटर
BHIM / भीम.	-	भारत इंटरफेस फॉर मनी
Biotech / बायोटेक	-	जैव प्रौद्योगिकी
BMC / बीएमसी	-	जैव विविधता प्रबंधन समिति

BPL / बीपीएल	-	गरीबी रेखा के नीचे
BSNL / बीएसएनएल	-	भारत संचार निगम लिमिटेड
CAGR / सी.ए.जी.आर.	-	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
CAGR / सीएजीआर	-	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
CB / सी.बी. / एस.सी.बी.	-	वाणिज्यिक बैंक / शेड्यूल कमर्शियल बैंक
CCIP / सीसीआईपी	-	निवेश संवर्धन पर कैबिनेट समिति
CD / सी.डी. अनुपात/सी.डी.आर.	-	क्रेडिट जमा अनुपात
CDF / सी.डी.एफ.	-	सहकारी विकास निधि
CDP / सीडीपी	-	क्लस्टर विकास कार्यक्रम
CGWB / सीजीडब्ल्यूबी	-	केंद्रीय भूजल बोर्ड
CHO / सीएचओ	-	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी
CII / सीआईआई	-	महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना / क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
CLP / सीएलपी	-	कॉमपेन्सेटरी लैन्ड पार्सल
CMYPDP / सी.एम.वाई.पी.डी.पी	-	मुख्यमंत्री युवा पेशेवर विकास कार्यक्रम
CoE / सीओई	-	उत्कृष्टता केंद्र
CPCT / सीपीसीटी	-	कंप्यूटर प्रोफीसियेंशी सर्टिफिकेशन टेस्ट
CRSIL / क्रिसिल	-	क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
CSC / सी.एस.सी	-	सामान्य सेवा केंद्र
CSO / सी.एस.ओ.	-	नागरिक समाज संगठन
CWC / सीडब्ल्यूसी	-	केंद्रीय जल आयोग
CWSN / सीडब्ल्यूएसएन	-	चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड
DAY-NULM /- डीएवाईएनयूएलएम	-	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
DBAAKY / डी.बी.ए. ए.के.वाई.	-	डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना
DBT / डीबीटी	-	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
DCCB / डी.सी.सी.बी.	-	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
DCCC / डी.सी.सी.सी.	-	जिला कमांड एंड कण्ट्रोल सेंटर
DeGS / डी.ई.जी.एस.	-	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी
DIET / डी.आई.ई.टी.	-	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों
DIPIP / डी.आई.पी.आई.पी.	-	उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग
DMIC / डी.एम.आई.सी.	-	दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा
DPIIT / डी.पी.आई.आई.टी.	-	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
DRTB / डी.आर.टी.बी.	-	ड्रग रेज़िस्टेन्ट ट्यूबरक्लोसिस

DSM / डी.एस.एम.	-	डिजिटल सरफेस मॉडल
DST / डी.एस.टी.	-	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
DTM / डी.टी.एम.	-	डिजिटल टेरेन मॉडल
DWRS / डी.डब्ल्यू.आर.एस.	-	आपदा चेतावनी प्रतिक्रिया प्रणाली
EC / ई.सी.	-	पर्यावरण मंजूरी
EDC / ई.डी.सी.	-	उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ
EDUSAT / ई.डी.यू.एस.टी.	-	शैक्षिक उपग्रह
EGOS / ई.जी.ओ.एस.	-	सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह
EHM / ई.एच.एम.	-	इलक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण
EMC / ई.एम.सी.	-	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर
EO / ई.ओ.	-	पृथ्वी अवलोकन (Earth Organization)
EPC / ई.पी.सी.	-	निर्यात संवर्धन परिषद
EPCO / E ई.पी.सी.ओ.	-	पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन
EPI / ई.पी.आई.	-	निर्यात तैयारी सूचकांक
ERP / ई.आर.पी	-	उद्यम संसाधन योजना
ESDM / ई.एस.डी.एम.	-	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण
FCM / एफ.सी.एम.	-	फ्रेरिक कार्बोक्सी माल्टोस
FDI / एफ.डी.आई.	-	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
FLCC / एफ.एल.सी.सी.	-	वि राजकोषीय उत्तरदयित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम
FRL / एफ.आर.एल.	-	पूर्ण जलाशय स्तर
FRU / एफ.आर.यू.	-	प्रथम रेफरल यूनिट
G2C / जी2सी	-	गवर्नमेंट टू कंजूमर
GEPNIC / जी.ई.पी.एन.आई.सी.	-	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम
GER / जी.ई.आर.	-	सकल नामांकन दर
GGI / जी.जी.आई	-	सुशासन सूचकांक
GIS / जी.आइ.एस	-	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GIS / जी.आई.एस.	-	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GNM / जी.एन.एम.	-	जनरल नर्सिंग एवं मिड्वाइफरी
GoI / जी.ओ.आई.	-	भारत सरकार
GoMP/ जी.ओ.एम.पी.	-	म. प्र. - मध्यप्रदेश शासन
GPS / जी.पी.एस.	-	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
GSDP / जी.एस.डी.पी.	-	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GSDP / जी.एस.डी.पी.	-	राज्य घरेलू उत्पाद

GSDP / जी.एस.डी.पी.	-	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GSS / जी.एस.एस.	-	सरकार प्रायोजित योजना
GST / जी.एस.टी.	-	वस्तु एवं सेवा कर
GVA / जी.वी.ए.	-	सकल वर्धित मूल्य
HBIG / एच.बी.आई.गी.	-	हेपटाइटिस बी इम्यूनो ग्लोबुलिन
HMIS / एच.एम.आईएस	-	हेल्थ मेनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम
HRMS / एच.आर.एम.एस	-	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
HT / एच.टी.	-	हाई टेंशन
HUDCO / हुडको	-	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
HWC / एच.डब्ल्यू.सी.	-	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर
ICCC / आई.सी.सी.सी.	-	एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र
ICD / आई.सी.डी.	-	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
ICRT / आई.सी.आर.टी.	-	जिम्मेदारपर्यटन के लिए राष्ट्रीय केंद्र
ICU / आई.सी.यू.	-	गहन चिकित्सा इकाई
IFA / आई.एफ.ए.	-	आयरन फोलिक एसिड
IGRS / आई.जी.आर.एस.	-	पंजीकरण और स्टाम्प महानिरीक्षक
IIRS / आई.आई.आर.एस.	-	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
IISER / आई.आई.एस.ई.आर.	-	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
IISF / आई.आई.एस.एफ.	-	भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
IIT / आई.आई.टी.	-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
IMC / आई.एम.सी.	-	इंदौर नगर निगम
IMR / आई.एम.आर.	-	शिशु मृत्यु दर
IMR / आई.एम.आर.	-	शिशु मृत्यु दर
INSAT / आई.एन.एस.ए.टी.	-	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
IoT / आई.ओ.टी.	-	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
IPDS / आई.पी.डी.एस.	-	एकीकृत विद्युत विकास योजना
IPPB / आई.पी.पी.बी.	-	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
IPR / आई.पी.आर.	-	बौद्धिक संपदा अधिकार
ISRO / इसरो	-	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
IT /आई.टी.	-	सूचना प्रौद्योगिकी
ITI / आई.टी.आई.	-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
ITCTA / आई.टी.सी.टी.ए.	-	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और यात्रा पुरस्कार
ITeS / आई.टी.ई.एस.	-	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं

IUCD / आई.यू.सी.डी.	-	अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण
IWMP / आई.डब्ल्यू.एम.पी.	-	एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम
IYCF / आई.वाई.सी.एफ.	-	इन्फैंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग
JSK / जे.एस.के.	-	जननी सुरक्षा योजना
JSSK / जे.एस.एस.के.	-	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
KW / के.डब्ल्यू.	-	किलो वाट
LaQshya / लक्ष्य.	-	लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवेन्ट इनिशयटिव
LMS / एल.एम.एस	-	लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम
LSK / एल.एस.के	-	लोक सेवा केंद्र
LT / एल.टी.	-	लो टेंशन
LUN / एलयूएन	-	लघु उद्योग निगम
LWM / एल.डब्ल्यू.एम	-	तरल अपशिष्ट प्रबंधन
MBGL / एमबीजीएल	-	भूजल स्तर से मीटर नीचे
MGNREGA / मनरेगा	-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ML / एमएल	-	मशीन लर्निंग
MMGVY / एम.एम.जी.वी.वाई.	-	मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विकास योजना
MMR / एम.एम.आर.	-	मातृ मृत्यु दरअनुपात
MMSY / एस.आर.एस.वाई.	-	संत रविदास स्वरोजगार योजना
MMUKY / एम.एम.यू.के.वाई.	-	मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
MNCFC / एमएनसीएफसी	-	महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र
MoHUA / एमओएचयूए	-	शहरी आवासन एवं कार्य मंत्रालय
MP SWAN / मप्र एसडब्ल्यूएएन	-	मध्यप्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
MPCST / एमपीसीएसटी	-	मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद
MPIDC / एमपीआईडीसी	-	मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम
MPMRCL / एमपीएमआरसीएल	-	मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
MPRCP / एम.पी.आर.सी.पी.	-	मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना
MPSDR / एम.पी.एस.डी.आर	-	मध्यप्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट
MPSEDC / एम.पी.एस.ई.डी.सी	-	मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
MP-SEIAA / एम.पी. एस.ई.आई.ए.ए.	-	म.प्र. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
MPSPPC / एम.पी.एस.पी.पी.सी	-	मध्यप्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग
MPSRTC / एम.पी.एस.आर.टी.सी.	-	राज्य सड़क परिवहन निगम
MPSSDI / एम.पी.एस.एस.डी.आई.	-	मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर

MPSTCB / एम.पी.एस.टी.सी.बी.	-	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक
MPUDC / एम.पी.यू.डी.सी.	-	मध्यप्रदेश नगरीय विकास कंपनी
MRF / एम.आर.एफ.	-	मटीरीअल रिकवरी फेसिलिटी
MSME / एम.एस.एम.ई.	-	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
MW/ मि.डब्ल्यू.	-	मेगा वाट
NABARD / नाबार्ड	-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NAS / एन.ए.एस.	-	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
NeGP / एन.ई.जी.पी	-	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान
NEP / एन.ई.पी.	-	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NFSCOB / एन.एफ.एस.सी.ओ.बी.	-	राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ
NIC / एन.आई.सी.	-	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
NMDC / एन.एम.डी.सी.	-	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
NMSH / एन.एम.एस.एच.	-	सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन
NPA / एन.पी.ए.	-	गैर-निष्पादित परिसंपत्ति
NPG / एन.पी.जी.	-	नेटवर्क योजना समूह
NVA / एन.वी.ए.	-	शुद्ध वर्धित मूल्य
NVDA / एन.वी.डी.ए.	-	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
ODF / ओ.डी.एफ.	-	खुले में शौच मुक्त (ओपन डेफेकेशन मुक्त)
ODOP / ओ.डी.ओ.पी.	-	एक जिला एक उत्पाद
PACS / पी.ए.सी.एस./ पैक्स	-	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
PCI / पी.सी.आई.	-	पेवमेंट कन्डिशन इंडेक्स
PEMT / पी.ई.एम.टी.	-	परियोजना ई-मिशन टीम
PESA / पेसा.	-	पंचायत का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार
PhD / पी.एच.डी.	-	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
PIB / पी.आई.बी.	-	प्रेस सूचना ब्यूरो
PMAY-U / पी.एम.ए.वाई-यू	-	प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी
PMEGP / पी.एम.ई.जी.पी.	-	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
PMJDY / पी.एम.जे.डी.वाई.	-	प्रधानमंत्री जन धन योजना
PMJJBY / पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	-	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
PMSBY / पी.एम.एस.बी.वाई.	-	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
PMU / पी.एम.यू.	-	परियोजना निगरानी इकाई
PoS / पी.ओ.एस.	-	पॉइंट ऑफ़ सेल
PSB / पी.एस.बी.	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

PSL / पी.एस.एल.	-	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण
PSU / पी.एस.यू.	-	लोक सेवा उपक्रम
PWD / पी.डब्ल्यू.डी.	-	लोक निर्माण विभाग
RBI / आर.बी.आई.	-	भारतीय रिजर्व बैंक
RDC / आर.डी.सी.	-	सड़क विकास निगम
RE / पु.अ.	-	पुनरीक्षित अनुमान
RERA / रेरा.	-	रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी
RIDF / आर.आई.डी.एफ.	-	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि
RIOP / आर.आई.ओ.पी	-	रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल
RMSA / आर.एम.एस.ए.	-	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
RNTU / आर.एन.टी.यू.	-	रबींद्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय
ROW / आर.ओ.डब्ल्यू.	-	राईट ऑफ़ वे
RRB / आर.आर.बी.	-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
RRDA / आर.आर.डी.ए.	-	ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
RS / आर.ए.स.	-	रिमोट सेंसिंग
RUSA / रूसा.	-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
S&T / एस.एंड.टी.	-	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
S.W.A.N / एस.डब्लू.ए.एन.	-	स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
SAR / एस.ए.आर.	-	सिंथेटिक एपर्चर रडार
SBM / एस.बी.एम.	-	स्वच्छ भारत मिशन
SC / एस.सी.	-	अनुसूचित जाति
SCCC / एस.सी.सी.सी.	-	राज्य कमांड और कण्ट्रोल सेंटर
SCD / एस.सी.डी.	-	एकल नागरिक डेटाबेस
SDC / एस.डी.सी	-	स्टेट डेटा सेंटर
SDC / एस.डी.सी.	-	राज्य डाटा सेंटर
SDERF / एस.डी.ई.आर.एफ.	-	राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल
SDSWAN / एस.डी. एस.डब्ल्यू.ए.एन.	-	सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
SDWAN / एस.डी.डब्ल्यू.ए.एन.	-	सॉफ्टवेयर परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क
SEAC / एस.ई.ए.सी.	-	राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
SEMT / एस.ई.एम.टी.	-	राज्य ई-मिशन टीम
SEZ / एस.ई.जेड.	-	विशेष आर्थिक क्षेत्र
SFB / एस.एफ.बी.	-	लघु वित्त बैंक

SHG / एस.एच.जी.	-	स्वयं सहायता समूह
SIRD / एस.आई.आर.डी.	-	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
SISDP / एस.आई.एस.डी.पी.	-	विकेंद्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता
SLA / एस.एल.ए.	-	राज्य स्तरीय एजेंसी
SLBC / एस.एल.बी.सी.	-	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
SPD / एस.पी.डी.	-	राज्य परियोजना विभाग
SPV / एस.पी.वी.	-	विशेष प्रयोजन वाहन
SRDH / एस.आर.डी.एच.	-	स्टेट रेजिडेंट डेटा हब
SSA / एस.एस.ए.	-	उप सेवा क्षेत्र
SSA / एस.एस.ए.	-	सर्व शिक्षा अभियान
ST / एसटी	-	अनुसूचित जनजाति
STCCS / एस.टी.सी.सी.एस.	-	अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना
STI / एस.टी.आई.	-	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार
SWM / एस.डब्ल्यू.एम	-	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
T&CP / टी.एंड.सी.पी.	-	टाउन एंड कंट्री प्लानिंग
TCU / टी.सी.य	-	प्रशिक्षण सहयोग इकाई
TCU / टी.सी.यू.	-	प्रशिक्षण सहयोग इकाई
Tech / टेक.	-	टेक्नोलॉजी
TMAKY / टी.एम.ए.के.वाई.	-	टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
TPS / टी.पी.सी.	-	व्यापार संवर्धन परिषद
TULIP / ट्यूलिप	-	शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम
UADD / यू.ए.डी.डी.	-	नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय
UAV / यू.ए.वी.	-	मानव रहित हवाई वाहन
UDHD / यू.डी.एच.डी.	-	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
UIDAI / यू.आई.डी.ए.आई.	-	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
ULB / यू.एल.बी.	-	नगरीय निकाय
UNESCAP / यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी.	-	एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग
UNESCAP / यू.डी.आई.एस.ई.	-	यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन
VBSR / वी.बी.एस.आर.	-	वल्लभ भवन सिचुएशन रूम
VLI / वी.एल.ई	-	वर्चुअल लर्निंग-आधारित ई-लर्निंग
WCR / डब्ल्यू.सी.आर.	-	पश्चिम मध्य रेलवे
WDF / डब्ल्यू.डी.एफ.	-	वाटरशेड विकास निधि
WRD / डब्ल्यू.आर.डी.	-	जल संसाधन विभाग

अध्याय 1

आर्थिक स्थिति- एक समीक्षा

अध्याय एक

आर्थिक स्थिति- एक समीक्षा

1.1 आर्थिक उत्पादन

वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 (त्वरित) की तुलना में प्रचलित भावों पर 16.43 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 7.06 प्रतिशत की वृद्धि रही है। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2021-22 (त्वरित) की तुलना में वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में 7.06 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान है जबकि वर्ष 2021-22 (त्वरित) में वर्ष 2020-21 (प्रावधिक) की तुलना में 10.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। प्रचलित एवं स्थिर भावों पर विगत वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को चित्र 1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 1.1 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

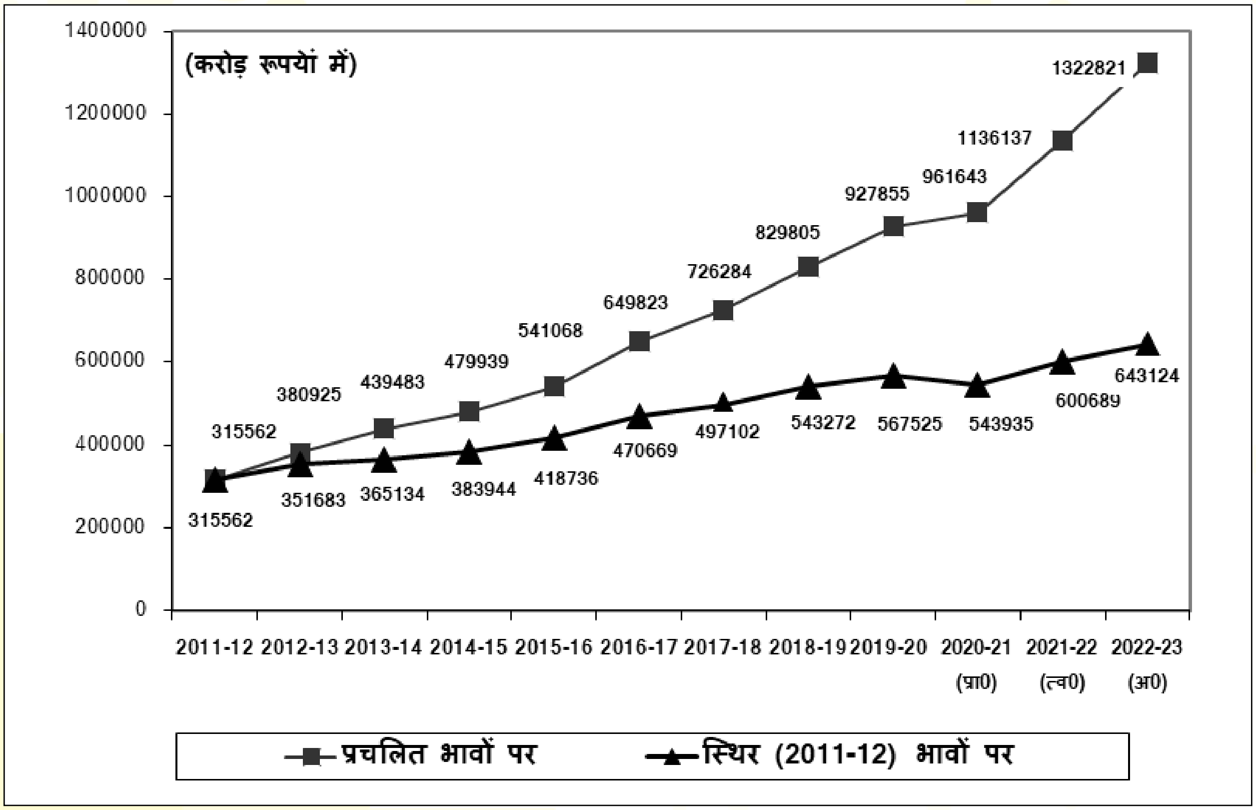

आधार वर्ष (2011-12) के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 3,15,562 करोड़ रुपये था। जो वर्ष 2021-22 (त्वरित) एवं 2022-23 (अग्रिम) में बढ़कर 6,00,689 करोड़ एवं 6,43,124 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जो आधार वर्ष से क्रमश: 90.36 एवं 103.80 प्रतिशत अधिक है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 अग्रिम के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 5.24 प्रतिशत, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 5.42 प्रतिशत की एवं 9.99 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही है।

स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 (त्वरित) में 61,534 रुपये थी, जो बढ़कर वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में रुपये 65,023 हो गई है, जो गतवर्ष की तुलना में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 में 121594 रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में 1,40,583 हो गई, जो 15.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर कीमतों पर, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर 65,023 रुपये हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 68.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

चित्र 1.2 प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

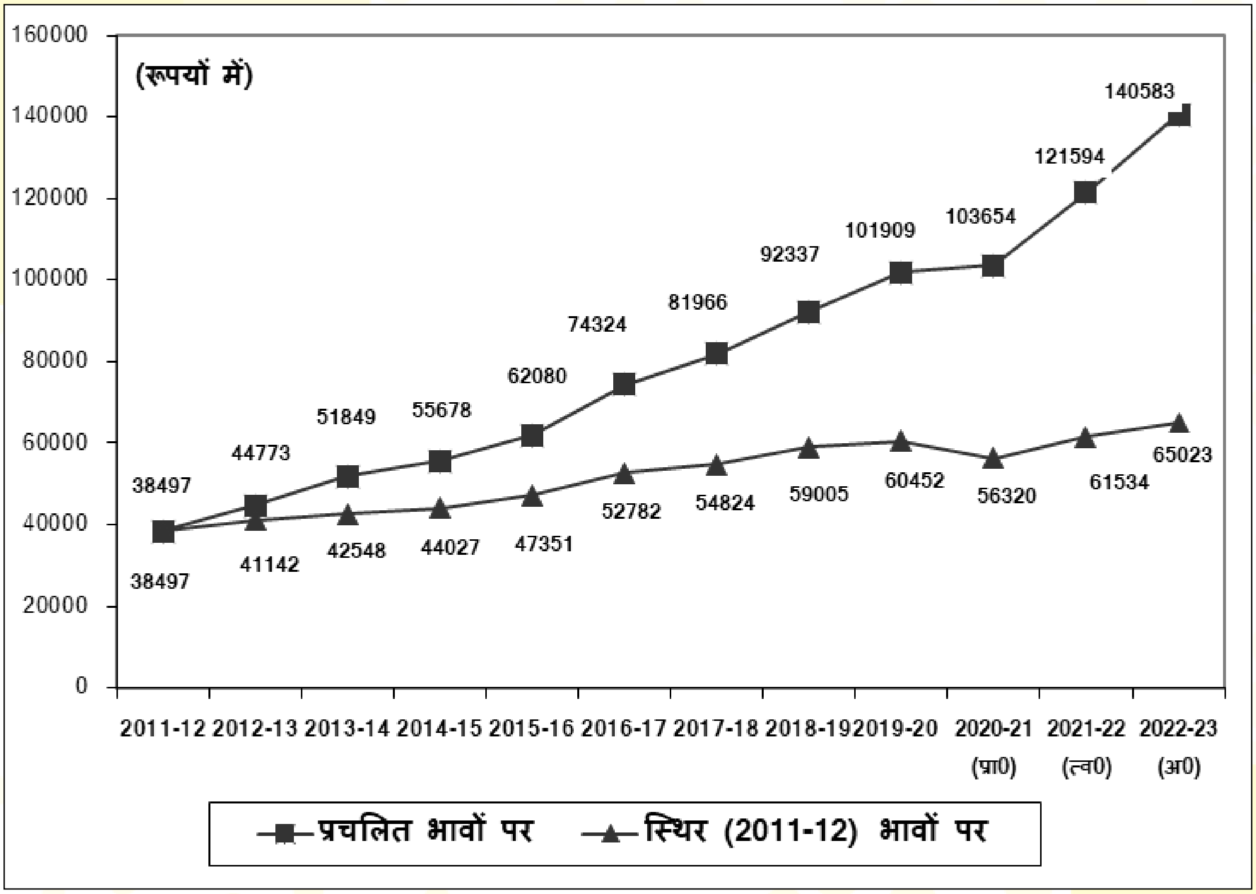

1.2 लोक वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र

लोक वित्त : वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्यप्रदेश राजस्व आधिक्य रहने के बाद वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान में रुपये 5,701.14 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) में राजस्व प्राप्तियां 1,95,179.69 करोड़ रुपये अनुमानित है जो गत वर्ष से 13.68 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा 23,246.29 करोड़ रुपये था। वर्ष 2022-23 में प्राथमिक घाटा 30,344.91 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय समेकन की दिशा में प्रयासों के कारण ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2005 में 39.5 प्रतिशत से घटकर 2020 में जीएसडीपी का 22.6 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए राज्य को गिरते राजस्व का सामना करते हुए खर्च करने की आवश्यकता थी। 31 मार्च, 2022 तक ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया। पोस्ट-कोविड आर्थिक पुनरुद्धार राजकोषीय समेकन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

बचत एवं विनियोजन : प्रदेश में कुल बैंकों की शाखाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है। बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ-साथ बैंकों के अग्रिम एवं जमा राशि में भी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के दौरान कुल जमा राशि में 13.56 प्रतिशत तथा अग्रिम ऋण राशि में 16.22 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई। सितम्बर, 2022 की स्थिति में प्रदेश में ऋण-जमा अनुपात 72.66 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय मानक 72.70 प्रतिशत के समान है। किन्तु गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रथम छः माही में शाखा जमा अनुपात में 2.48 प्रतिशत की वृद्धि आयी है। कुल अग्रिम से कृषि क्षेत्र में सीधे कृषि को दिये गये अग्रिम का अंश मार्च, 2019 से लगातार बढ़कर वृद्धि दर सितम्बर, 2021 में 15.65 प्रतिशत की रही। इसी अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये अग्रिम में 17.69 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है।

1.3 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

मध्यप्रदेश देश में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य ने 2013-14 में 174.8 लाख टन की तुलना में 2022-23 (अग्रिम अनुमान) में 352.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। इसी तरह इस अवधि में धान का उत्पादन 53.6 लाख से बढ़कर 131.8 लाख टन हो गया है। कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं यथा-रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, प्रमाणित बीजों का वितरण आदि के माध्यम से प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में 22.54 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया था जबकि वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर, 2022 तक 13.62 लाख मीट्रिक टन खरीफ फसल हेतु रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया है। वर्ष 2021-22 में पौध संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 221.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया है। खरीफ वर्ष 2021-22 में 22.73 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया था। रबी वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर, 2022 तक 18.02 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया है।

प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2021-22 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 12,881.6 हजार हेक्टेयर है, जो गत वर्ष के 12,515.2 हजार हेक्टेयर से 2.93 प्रतिशत अधिक रहा।

समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न (गेहूं, धान एवं मोटा अनाज) का उपार्जन ई उपार्जन परियोजना अंतर्गत किया जाता है, जिसके तहत उपार्जन केन्द्रों पर किसानों द्वारा बोये गये रकबे तथा उनके खातों की कम्प्यूटराइज, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर की जानकारी संकलित की जाती है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्षों मे लगातार उपार्जन बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 मे गेहूं का उपार्जन 128.16 लाख मीट्रिक टन था। इसी प्रकार धान का उपार्जन वर्ष 2021-22 में 45.86 लाख मीट्रिक टन हुआ। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में वर्तमान में 26.28 हजार शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिसमें सभी दुकानों में पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 में रबी फसल हेतु 45.47 लाख कृषको के आवेदन तथा खरीफ वर्ष 2022 में 96.20 लाख कृषक आवेदनों की अधिसूचित फसलों का बीमा किया गया है। योजनान्तर्गत **'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ'** कार्यक्रम अंतर्गत खरीफ 2022 में बीमित कृषकों को फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया है।

मृदा स्वास्थ कार्ड : इस योजना का उददेश्य प्रदेश के कृषकों को उनके खेतों की मिट्टी का परीक्षण उपरांत संतुलित उर्वरक के उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ पत्रक उपलब्ध कराना है, जिससे किसानों को अधिक पैदावार मिल सके। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्डवार एक मॉडल ग्राम

चयनित किया जाकर कृषकों के काश्त योग्य खसरों से मृदा नमूना एकत्रित कर विश्लेषण उपरान्त 57,301 लाख कृषकों को मृदा स्वास्थ कार्ड शत-प्रतिशत वितरित किये गये हैं।

उद्यानिकी : प्रदेश में उद्यानिकी फसलें फल, साग-सब्जी मसाले आदि के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाया जाकर उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के तहत वर्ष 2021-22 में अनुमानित प्रमुख साग-सब्जी, फसलों का उत्पादन 224.45 लाख मीट्रिक टन, फलों का उत्पादन 90.19 लाख मीट्रिक टन, मसालों का उत्पादन 50.90 लाख मीट्रिक टन तथा पुष्पों का उत्पादन 4.27 लाख मीट्रिक टन रहा है।

मत्स्योत्पादन : वर्ष 2020-21 (प्रा.) की अपेक्षा वर्ष 2021-22 (त्व.) में सकल मूल्यवर्धन के त्वरित अनुमानों के अनुसार में 17.74 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2022-23 में समस्त स्त्रोतों से 3.40 लाख टन लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक 2.02 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 59.41 प्रतिशत है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर, 2022 तक स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्योत्पादन बीज उत्पादन 19,221.07 लाख मीट्रिक टन रहा, जो लक्ष्य का 91.53 प्रतिशत है।

मौसम की स्थिति : प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 922.9 मिली मीटर की तुलना में वर्ष 2020 में 941.6 मिली मीटर तथा वर्ष 2022 (जून से सितम्बर तक) में 1131.8 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य औसत वर्षा से 22.64 प्रतिशत की अधिक रही।

किसान क्रेडिट कार्ड : भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्डधारी किसानों को रुपये किसान कार्ड जारी किये जा रहे है, जो माह सितम्बर, 2022 तक 71.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं।

मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड : मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही मत्स्य पालन को बढावा देने के उददेश्य से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012-13 से फिशरमेन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। योजना प्रारंभ से माह नवम्बर 2022 तक 65.81 हजार मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुये है।

प्राकृतिक आपदायें एवं राहत : राज्य में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि एवं क्षमता निर्माण अनुदान हेतु वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 2,427.00 करोड़ रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,548.00 करोड़ रुपये प्राप्त होना प्रावधानिक है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या 08- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अंतर्गत जनहानि के मामलों में त्वरित राहत सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से योजना शीर्षों को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में सम्मिलित किया गया है, जिसमें अग्नि पीडितों को राशि रुपये 23.69, ओला पीडितों को राशि रुपये 19.25, बाढ़/चक्रवात पीडितों को राशि रुपये 310.01, सर्पदंश को राशि रुपये 82.34 करोड़, वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति पर राशि रुपये 1.75, सूखा फसल क्षति को राशि रुपये 0.01 करोड़ एवं पाला तथा कीट प्रकोप से फसल राशि रुपये 137 करोड़ वितरित किये।

प्रदेश में नैसर्गिक आपदाओं में माह जून एवं सितम्बर 2022 के मध्य अतिवृष्टि/बाढ़ से प्रदेश के विदिशा, सागर, गुना, रायसेन, दमोह, हरदा, मुरैना, आगर मालवा, बालघाट, भोपाल, अशोकनगर, सीहोर, नर्मदापुरम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं सिवनी में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें सहायता कुल 1,91,755 पात्र कृषकों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि रुपये 202.64 करोड़ का वितरण किया गया है।

1.4 उद्योग, ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्र

उद्योग : द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 2021-22 (त्व.) से वर्ष 2022-23 (अ.) में 5.42 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है। वर्ष 2021-22 में कुल 1.87 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई तथा 15.00 लाख रोजगार उपलब्ध हुये। वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक 2.13 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जिसमें 11.30 लाख लोगों को रोजगार (संभावित) उपलब्ध कराया गया। राज्य शासन की औद्योगिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2021-22 में 392.45 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर, 2022 तक 181.63 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को राशि प्रदान की गई। नवम्बर 2022 तक कुल 7,727 कारखाने पंजीकृत हैं, जिसमें कुल नियोजन क्षमता 7.04 लाख है।

खनिज : खनिज संपदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश का कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2020-21 (प्रा.) के प्रचलित भावों के अनुमानों के अनुसार 3.18 प्रतिशत एवं वर्ष 2021-22 (त्वरित) अनुमानों के अनुसार 3.18 प्रतिशत है।

ऊर्जा : राज्य शासन द्वारा विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि हेतु किये गये सतत् प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2017-18 में प्रदेश विद्युत आधिक्य की स्थिति में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल विद्युत प्रदाय 82,976 मिलियन यूनिट किया गया, जिसमें इन्दिरा सागर परियोजना से 1,679 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर परियोजना से 970 मिलियन यूनिट उत्पादन तथा म.प्र. विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा कुल विद्युत प्रदाय 21,933 मिलियन यूनिट है। वर्ष 2021-22 प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 42.6 प्रतिशत का कृषि क्षेत्र में किया गया। इसके पश्चात घर-निवास हेतु 27.6 प्रतिशत विद्युत उपभोग रहा। विद्युत उत्पादन क्षमता तथा पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि से प्रदेश में उद्योग तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध के कारण विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप हो गयी है तथा प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण, मीटरीकरण वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के लिये प्रदेश के 52 जिलों हेतु राशि रुपये 2,886 करोड़ लागत की 50 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के तहत 20.39 हजार मजरे/टोले सहित ग्रामों का सघन विद्युतीकरण के साथ 145, 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्र, 21,590 कि.मी., 11 के.व्ही. लाईन, 25,633 कि.मी. एल.टी. लाईन, के कार्य सम्मिलित है, जिसमें से 19.56 मजरें/टोले में 145, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों, 21815 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 25,888 एल.टी. लाइन एवं सभी सांसद आदर्श ग्रामों में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।

परिवहन : राज्य की अर्थ व्यवस्था में परिवहन क्षेत्र (भंडारण सहित) में वृद्धि स्थिर भावों पर (2011-12) पर वर्ष 2020-21 (प्रा.) में 27.08 प्रतिशत की कमी रही है एवं वर्ष 2021-22 (त्व.) में 14.15 प्रतिशत की वृद्धि रही है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2021-22 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र की 2.16 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है। स्थिर भावों पर (2011-12) राज्य मूल्यवर्धन में इस भागीदारी का अंश वर्ष 2021-22 (त्व.) में 2.76 रहा। ग्रामीण यांत्रिकी द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नवम्बर, 2022 तक 8458 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोडा जाकर 8294 सडको का कार्य पूर्ण कराया गया जिस पर राशि रुपये 3481 करोड व्यय किये गये। वर्ष 2021 में

लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित कुल सड़कों की लम्बाई 70.95 हजार, राष्ट्रीय राजमार्गो की लंबाई 8.85 हजार तथा प्रांतीय राज मार्गों की लंबाई 11.39 हजार किलोमीटर रही है। प्रदेश में सड़कों के निर्माण/उन्नयन के साथ-साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। पंजीकृत वाहनों की संख्या वर्ष 2022-23 में माह सितम्बर 2022 तक 11.81 लाख है। प्रदेश में आज दिनांक तक कुल 2.11 करोड़ वाहन पंजीकृत है।

1.5 सेवा एवं सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा : जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमश: 73.0 एवं 69.3 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 की स्थिति अनुसार प्रदेश में लगभग शासकीय प्राथमिक तथा शासकीय माध्यमिक शालाओं में नामांकन क्रमशः 73.21 लाख एवं 42.00 लाख है। कुल नामांकन में बालिकाओं का नामांकन क्रमशः 35.01 एवं 20.15 लाख है। वर्ष 2021-22 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या 18.06 हजार है, जिनमें नामांकन 38.46 लाख है। वर्ष 2021-22 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र तथा छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 3.24 एवं 2.91 प्रतिशत रही, तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की शाला त्यागीदर क्रमशः 8.63 एवं 9.01 रही। निःशुल्क गणवेश वितरण, साइकिल प्रदाय, मध्यान्ह भोजन आदि योजनाओं का शालाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

गांव की बेटी : राज्य शासन ने 'गांव की बेटी' योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये योजनाएं बनाई हैं। योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में 23.27 हजार छात्राओं को लाभान्वित कर राशि रुपये 1163.49 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

सी.एम.राईज योजना: सी.एम.राईज योजनांतर्गत प्रथम चरण में विभाग के 274 स्कूलों को सी.एम.राईज स्कूल के रूप में संचालन प्रारंभ किया गया है। जिसमें से 66 स्कूलों में के.जी. कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया गया है। इन स्कूलों के प्रतिपालकों का रूझान बढ़ा है जिसमें नामांकन गत वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सी.एम.राईज स्कूलों में अधोसंरचना विस्तार के तहत वर्तमान तक 232 स्कूलों की कांसेप्ट डिजाईन फाइनल की जा चुकी है। 197 निर्माण कार्यों के डी.पी.आर तैयार हो गई है एवं 86 निर्माण कार्यों के टेंडर लगाए जा चुके हैं।

तकनीकी शिक्षा: प्रदेश में विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में वर्ष 2021-22 में 1.73 लाख प्रवेश क्षमता लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 1.12 लाख प्रवेश ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग के माध्यम से किये गये है।वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक 47328 मेधावी विद्यार्थियों को राशि रुपये 146.91 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

स्वास्थ्य : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार सभी के लिये स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार करते हुये प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

एस.आर.एस. 2020 के अनुसार प्रदेश के शिशु मृत्यु दर 46 प्रति हजार जीवित जन्म से घटकर वर्तमान स्थिति में 43 प्रति हजार जीवित जन्म है। नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर में कमी लाने हेतु शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 59 नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से गभीर रूप से बीमार कम वजन एवं समय पूर्व जन्म के नवजात शिशुओं का उपचार किया जाता है। वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक 84.18 हजार नवजात शिशुओं को उपचार प्रदान किया गया है।

प्रदेश में उप जिला स्तर पर 165 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाईयाँ संचालित हैं। वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक 19.08 हजार नवजात शिशुओं को लाभान्वित किया गया है।

गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन हेतु 58 बाल गहन चिकित्सा इकाई संचालित हैं। इनके माध्यम से वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक 52.57 हजार बच्चों का उपचार किया गया है।

प्रदेश के समस्त चिन्हित प्रसव केन्द्रों में न्यूबोर्न केयर कॉर्नर स्थापित है जिसके माध्यम से नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाये जाने हेतु संस्थाओं में नियोनेटल-हाईडिपेंडेसी यूनिट की स्थापना की जा रही है।

नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अन्तर्गत राज्य में आपातकालीन सेवाओं के प्रबंन्ध हेतु दीनदयाल 108 ऐम्बुलेंस वाहन संचालित किये गये है। वर्तमान में 1050 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस संचालित है। वर्ष 2022-23 मे माह नवम्वर तक कुल 8.33 लाख मरीजों को इस सेवा द्वारा लाभान्वित किया गया है।

जीवनांक : न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (एस.आर.एस.) के आधार पर प्रदेश में माह सितम्बर, 2020 की स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 24.1 एवं 6.5 रही। इसी अवधि में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 43 रही। प्रदेश में संस्थागत सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराकर मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्युदर को कम करने के प्रयास किये गये जिसमें उल्लेखनीय कमी हुई।

प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च 2022 की स्थिति में कुल नियमित कर्मचारियों की संख्या 6,70,470 है, जिसमें कार्यभारित, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कोटवार, संविदा के कर्मचारी सम्मिलित नहीं है। शासकीय कर्मचारियों (नियमित) की कुल संख्या 5,87,425 है, साथ ही सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-शासकीय संस्थानों में कर्मचारियों की कुल संख्या 40,058 है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) : योजना अन्तर्गत सभी आवासरहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2021-22 में 5.60 लाख आवास पूर्ण किये गये तथा वर्ष 2022-23 में 6.20 लाख आवास पूर्ण कराए गए हैं। राज्य में 51,128 राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 5,891 महिलायें हैं।

ग्रामीण दीनदयाल अन्त्योदय योजना : इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना भारत शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त ग्रामीण में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके गरीबी उन्मूलन करना है।

इसके अंतर्गत वर्ष 2021-22 में माह मार्च, 2022 तक भौतिक लक्ष्य 70,000 युवाओं के विरुद्ध 83,687 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा कोविड-19 महामारी के दौरान स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा 81.00 लाख से अधिक मास्क 29.00 हजार सुरक्षा किट (पी.पी.ई.किट) 65,037 लीटर सैनेटाईजर 18,662 लीटर हैंडवाश एवं 5.87 लाख साबुन बनाये तथा विक्रय किये गये।

महिला एवं बाल विकास : प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण एवं सर्वागींण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं उन्हें कुपोषण से मुक्त कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इन परियोजनाओं में कुल 84.47 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 12.67 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है।

इस परियोजना के माध्यम से 80.00 लाख बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि में 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर 64.6 प्रति हजार से घटकर 49.2 प्रति हजार हुई। वहीं कम वजन के बच्चों का दर 48 प्रतिशत से घटकर 43 प्रतिशत तथा गंभीर कुपोषण की दर 9.2 प्रतिशत से घटकर 6.5 प्रतिशत है।

अनुसूचित जातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 15.6 प्रतिशत है। इन वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्तियां एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शैक्षणिक

स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ इनके जीवन स्तर को उन्नत करने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों को आवास सुविधा तथा पढ़ाई के लिये अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु पृथक-पृथक आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 571 पोस्ट मेट्रिक एवं 1,153 प्री मैट्रिक छात्रावास 189 महाविद्यालयीन छात्रावास, संचालित है। 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास संचालित है। इन समस्त छात्रावासों में 1.00 लाख विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में विभाग द्वारा सावित्रीबाई फूले स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना आदि योजनाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.10 है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राशि रुपये 6.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को राज्य शासन के फीस नियामक समिति एवं निजी नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर कक्षा 6 से 8 तक 60 रुपये मासिक एवं कक्षा 9 वीं से कक्षा 11 वीं तक 130 रुपये मासिक छात्रवृत्ति (10 माह) निर्धारित की गई है।

पिछड़ा वर्ग का कल्याण : शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तहत् राज्य छात्रवृति पिछड़ा वर्ग के विधार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर अध्ययनरत के लिए प्रोत्साहन देने हेतु (10 माह के लिए) दी जाती है। जिनके अभिभावक आयकर दाता की सीमा में नहीं आते या 10 एकड़ कृषि भूमि धारक नहीं है को छात्रवृत्ति दी जाती है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में वर्ष 2021-22 में कुल 7.03 लाख विद्यार्थियों पर राशि रुपये 869.97 करोड़ व्यय किये गये। वर्ष 2022-23 में 7.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। जिसके लिए राशि रुपये 993.60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वितरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) : पिछडा वर्ग एंव अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावक अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को 350 रुपये प्रति माह की दर से शिक्षावृत्ति एवं नि:शुल्क आवास सुविधा तथा पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 9.60 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध राशि रुपये 7.54 लाख व्यय किये गये हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 95 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

शहरी एवं ग्रामीण पथ विकेताओं को आर्थिक सहायता : विभिन्न जिलों में कोरोना कर्फ्यू अन्यथा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाये जाने से नगरीय क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था के अनुसार जिला एवं तहसील स्तर पर स्वीकृत प्रकरणों पर कोषालय के माध्यम से राहत राशि का भुगतान शीघ्र किया जाता है। वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2021 तक विभिन्न मदों में जिला कलेक्टरों को आवंटन राशि जारी की गई है। जैसे- शहरी पेयजल परिवहन में राशि रुपये 717.93 लाख, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन पर 2.69 लाख बाढ़ बचाव सामग्री क्रय पर राशि रुपये 779.58 तथा आपदाओं की रोकथाम हेतु किये जाने पर व्यय राशि रुपये 24,548.95 लाख व्यय किया गया है जो राहत आयुक्त कार्यालय से आपदा प्रभावितों को राहत सहायता हेतु राशि जारी की गई है।

1.6 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय :

राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में आवंटन 1,816.13 करोड़ रुपये में से माह नवम्बर, 2022 तक राशि रुपये 1,352.49 करोड़ रुपये व्यय कर 30.22 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के अंतर्गत कन्या की गृहस्थी के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को राशि रुपये 6,000 प्रति कन्या के मान से, राशि रुपये 11,000 संबंधित कन्या के बैंक खाते में जमा कराई जाती है तथा शेष राशि रुपये 38,000 की सामग्री वधू को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता द्वारा दी जाती है। वर्ष 2022-23 में आवंटन राशि रुपये 10,000.00 लाख के सापेक्ष माह नवम्बर, 2022 तक राशि रुपये 4,341.88 लाख व्यय किये जाकर 6,900 कन्याओं के सामूहिक विवाह सम्पन्न कराये गये हैं।

मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत निराश्रित निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्याओं/विधवा/परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रुपये 6,000 प्रति कन्या के मान से, राशि 11,000 संबंधित कन्या के बैंक खाते में जमा की जाती है तथा शेष राशि रुपये 38,000 की सामग्री वधू को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता द्वारा दी जाती है। योजनांतर्गत वर्ष 2022-23 में आवंटन 400.00 लाख के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक राशि रुपये 49.99 लाख रुपये व्यय किये जाकर 255 हितग्राहियों का सामूहिक निकाह सम्पन्न कराया गया।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : अप्रैल, 2019 से इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपति जिसमें पति/पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं, तथा हितग्राही आयकर दाता न हों तो उन को 600 रुपये प्रति माह पेंशन दी जावेगी। वर्ष 2022-23 में आवंटन 2,000.00 लाख रुपये के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक 1,262.39 लाख रुपये व्यय कर 64,904 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

नगरीय विकास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना: इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सभी 406 निकायों में परियोजना स्वीकृत है जिसमें 9.26 लाख आवासीय इकाईयों की स्वीकृति प्राप्त की गई, जिसमें 5.68 लाख आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण कर शहरी गरीबों को आवंटित किया जा चुका है। योजना अवधि में 9.00 लाख आवासीय इकाइयां बनाया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त 1.03 हजार हितग्राहियों को योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम घटक से भी लाभान्वित किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन : इस योजना के तहत 642 परियोजनाओं में लागत राशि रुपये 6,802 करोड़ के कार्य क्रियान्वित किये जा रहे है। जिसमें से 459 कार्य लागत राशि रुपये 3,883.93 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके है, 183 कार्य लागत राशि रुपये 2,918.23 करोड़ के आदेश जारी किये जाकर कार्य प्रचलन में है। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत ISAC 2020 आवार्ड में प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त है एवं म.प्र. को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार प्राप्त हुये हैं। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत जारी रैंकिंग में म.प्र. के दो शहर इंदौर प्रथम व भोपाल छठवें स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत युवाओं में उद्यमिता के विकास हेतु प्रदेश में भोपाल इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा उज्जैन में स्टार्ट-अप्स इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना की गई है। मिशन अंतर्गत भारत-सरकार द्वारा 100 चयनित शहरों की वर्तमान रैंकिग में भोपाल प्रथम तथा इंदौर पांचवे स्थान पर है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के 98 शहर स्टार रेटिंग प्राप्त करने में भी सफल रहे है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को नागरिक आवासों से कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए गए है। जिनके माध्यम से शत प्रतिशत वार्डों से प्रतिदिन सूखा व गीला कचरा संग्रहण किया जाता है। सूखे कचरे के निष्पादन हेतु 400 नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फेसिलिटीज की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा 400 शहरों में केन्द्रीयकृत कंपोस्टिंग इकाइयों की स्थापना की गई है, जहां गीला कचरा कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा 6.5 लाख से अधिक जागरूक परिवारों द्वारा भी अपने घरों से निकलने वाले गीले कचरे की होम कंपोस्टिंग की जाती है।

प्रदेश से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रीवा, जबलपुर एवं सिंगरौली आदि में निर्माण एवं मलबे के निस्तारण हेतु हेतु निष्पादन इकाइयों और छोटे शहरों में संग्रहण एवं भंडारण व्यवस्थाओं को संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 98 शहरों को स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, जिसमें शहर की संख्या 7 स्टार 01 शहर (इंदौर) 5 स्टार शहर 01 (भोपाल) 3 स्टार 23 शहर एवं 1 स्टार शहर 73 है।

------0------

अध्याय 2

सार्वजनिक वित्त

अध्याय 2

सार्वजनिक वित्त

सार्वजनिक वित्त राजस्व, व्यय, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण पर केंद्रित है। यह अध्याय मध्यप्रदेश के सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और राजकोषीय अनुशासन का अवलोकन करता है। राज्य के वित्त एवं इसके पश्चात रिकवरी पर कोविड-19 के प्रभाव को समझने के लिए, यह अध्याय वर्ष 2018-19 को बेंचमार्क वर्ष के रूप में उपयोग करता है, क्योंकि यह कोविड-19 जैसी विपरीत परिस्थितियों से पूर्व का अंतिम वर्ष था। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड से संबंधित अवरोध, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जारी रहे। अतः कोविड-19 के कारण होने वाले अवरोधों को समझने के 2018-19 से 2021-22 के दौरान हुए परिवर्तन/प्रवृत्ति वृद्धि दर को प्रतिनिधिक माना जा सकता है। रिकवरी का आंकलन करने के लिए वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में हासिल वृध्दि या कमी का उपयोग किया है। वर्ष 2018-19 प्रथम पूर्ण वर्ष था जिसमें जीएसटी का क्रियान्वयन हुआ। अत: इस वर्ष का चुनाव बेंचमार्क वर्ष के लिए करना एक अच्छा विकल्प माना गया है क्योंकि यह 2018-19 से 2022-23 तक कराधान शासन की तुलनात्मकता सुनिश्चित करता है।

मध्यप्रदेश के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का विवरण तालिका क्र. 2.1 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2004-05 से लगातार 14 वर्षों तक राजस्व अधिशेष में रहने के बाद, प्रतिकूल आर्थिक वातावरण के कारण मध्यप्रदेश राज्य में, वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा हुआ। कोविड-19 के कारण, राजस्व घाटा वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 (पुनरीक्षित अनुमान) में भी जारी रहा। वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.18 प्रतिशत रहना संभावित है। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.56 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। इसमें 65000.00 करोड़ का पूंजीगत कार्यों के लिए अतिरिक्त ऋण जो भारत सरकार से प्राप्त होने की संभावना है, सम्मिलित है।

नवंबर 2020 में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में, 15वें वित्त आयोग ने मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए राजकोषीय पथ का एक रोडमैप प्रदान किया था। आयोग ने वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा क्रमश: 4 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत रखने की अनुशंसा की। वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के लिए आयोग ने जीएसडीपी की 3 प्रतिशत की सीमा की अनुशंसा की। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र में सुधार करने पर सशर्त, आयोग ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त स्थान प्रदान किया। मार्च 2022 में प्रस्तुत म. प्र. एफआरबीएम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार वर्ष 2022-23 के बाद राजस्व अधिशेष को प्राप्त करने और बनाए रखने का प्रयास करेगी, जिसका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जा सकता है।

तालिका क्र. 2.1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (पु अ)	वर्ष 2022-23 (ब अ)
राजस्व घाटा	(-) 8,814	2,800	18,356	5,701	3,736
राजकोषीय घाटा	21,616	32,969	49,869	43,287	52,511

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (पु अ)	वर्ष 2022-23 (ब अ)
प्राथमिक घाटा	8,920	18,753	33,951	23,246	30,344
GSDP* के % के रूप में					
राजकोषीय घाटा	2.60	3.51	5.11	4.18	4.56
राजस्व घाटा	(-) 1.06	0.30	1.88	0.55	0.32
राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत	8.44	9.63	10.87	11.67	11.36

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

* वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े म.प्र. एफ.आर.बी.एम. (FRBM) 2022 रिपोर्ट के अनुसार

नोट-(-अधिशेष, + घाटा), (पु अ) = पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) = बजट अनुमान

2.1 प्राप्तियां

राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण तालिका क्र. 2.2 में दिया गया है। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2022-23 के बीच कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 77 प्रतिशत से अधिक रहा है। मध्यप्रदेश में जीएसडीपी में कुल प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 20 प्रतिशत रहा है, जबकि जीएसडीपी में राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत लगभग 15 प्रतिशत रहा है।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है, यह गिरावट आंशिक रूप से कोविड -19 के कारण जिसने राज्य के अपने कर संग्रह और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी दोनों को प्रभावित किया है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा में परिवर्तन वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक 2.6% से बढ़कर 4.56% हो गया है, जो कोविड-19 के बाद की चुनौतियों से निपटने और महत्वाकांक्षी पूंजीगत व्यय योजना के वित्तपोषण के लिए सरकार की बढ़ी हुई उधार आवश्यकताओं को उजागर करता है। यद्यपि मध्यप्रदेश ऐतिहासिक रूप से भारत के कुछ अन्य राज्यों की तरह अत्यधिक ऋणग्रस्त राज्य नहीं रहा है, तथापि राज्य को सार्वजनिक ऋण की बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

तालिका क्र. 2.2 : राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (पु.अ.)	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	1,50,391	1,47,643	1,46,376	1,71,697	1,95,179
शुद्ध सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन	18,973	23,430	52,413	40,082	51,829
अग्रिमों की वसूली	83.67	59.27	72.77	2,828.75	24.42
नेट पब्लिक अकाउंट	(-)326	8,579	(-)1,562	5,871	2,118

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (पु.अ.)	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)
आकस्मिकता निधि से निवल प्राप्तियां (असमायोजित राशि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्राप्तियां	**1,69,122**	**1,79,712**	**1,97,299**	**2,20,479**	**2,49,151**
राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों का प्रतिशत)	88.92	82. 16	74.19	77.87	78.34
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां					
राजस्व प्राप्तियां	18.10	15.73	14.99	16.57	16.96
शुद्ध सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन	2.28	2.50	5.37	3.87	4.50
अग्रिमों की वसूली	0.01	0.01	0.01	0.27	0.00
नेट पब्लिक अकाउंट	-0.04	0.91	-0.16	0.57	0.18
कुल प्राप्तियां	**20.35**	**19.15**	**20.21**	**21.28**	**21.65**

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट-(पु अ) = पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) = बजट अनुमान

2.2 राज्य का अपना कर राजस्व

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका क्र. 2.3 में प्रदर्शित की गई है और प्रमुख कर राजस्व मदों के तहत प्राप्तियों को तालिका क्र. 2.4 में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 (पु.अ.) के दौरान राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी के 6.15% से बढ़कर 6.21% हो गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के अपने कर संग्रह में 7.94 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। हालांकि, वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) में कर संग्रह 13.32 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। स्थिर राजस्व का प्रभाव केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वर्ष 2021-22 में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी केवल 0.59 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के दौरान इसके 9.81 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है।

तालिका क्र. 2.3 : राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	सीएजीआर (%)	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)	वृद्धि (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23)
राज्य कर	51,126	55,855	54,484	64,297	7.94	72,859	13.32
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	57,353	49,486	46,888	58,378	0.59	64,106	9.81
केंद्रीय अनुदान	28,624	31,952	35,101	36,896	8.83	44,594	20.87

GSDP के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों की संरचना

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (पु.अ.)	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)
राज्य कर	6.15	5.95	5.58	6.21	6.33
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	6.90	5.27	4.80	5.63	5.57
केंद्रीय अनुदान	3.44	3.40	3.60	3.56	3.87

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट-(पु.अ.) = पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.) = बजट अनुमान

* केंद्र से मिलने वाला राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति इसके तहत शामिल है।

राज्य के अपने संसाधनों के संदर्भ में, भूमि राजस्व जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 0.10% तक सुधार होने की उम्मीद है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के लिए भी बढ़ती हुई प्रवृत्ति ही अपेक्षित है, जो समग्र और सकारात्मक उत्साहजनक आर्थिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। शराब पर उत्पाद शुल्क वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक सकल घरेलू उत्पाद के 1.15% से 1.04% तक स्थिर रहा है।

बिक्री कर संग्रह वर्ष 2018-19 में 1.19% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1.47% हो गया है, जबकि वाहनों पर कर (सड़क कर आदि) 0.36% से गिरकर 0.32% हो गया है। इसी अवधि में बिजली कर 0.31% से गिरकर 0.26% हो गया है। हालांकि, मुख्य गिरावट एसजीएसटी के संग्रह में है, जो वर्ष 2018-19 में जीएसडीपी के 2.38 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 2.08 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) में इसके बढ़कर जीएसडीपी का 2.17 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इसके अलावा, चालू वर्ष में एसजीएसटी राजस्व में 15.74% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो राज्य सरकार के वित्त में कोविड-19 के बाद की वसूली, राज्य में जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापारियों द्वारा अपने नियमित व्यवसाय में जीएसटी प्रणाली को आत्मसात करने की स्थितियों को उजागर करता है। जून 2022 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के युग के अंत के साथ, एसजीएसटी संग्रह का पुनरुद्धार राज्य के वित्त के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होगा।

तालिका क्र. 2.4 : कर राजस्व

(रुपये करोड़ में)

कर राजस्व	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	सीएजीआर (%)	वर्ष 2022-23 (बी.ई.)	वृद्धि (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23)
भूमि राजस्व	383	562	503	767	25.95	1,240	61.74
स्टाम्प और पंजीकरण	5,277	5,568	6,816	7,400	11.92	8,200	10.81
राज्य उत्पाद शुल्क	9,542	10,829	9,526	10,340	2.71	13,255	28.19
बिक्री कर	9,903	11,257	13,296	16,154	17.72	16,968	5.04
SGST	19,750	20,447	17,257	21,600	3.03	25,000	15.74
वाहन कर	3,008	3,251	2,749	3,200	2.08	3,700	15.63
माल और यात्रियों पर टैक्स	117	145	75	40	-30.18	30.00	-25.00
बिजली कर और शुल्क	2,616	2,268	2,608	3,750	12.75	3,364	-10.29

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट-(पु. अ.) = पुनरीक्षित अनुमान (ब. अ.) = बजट अनुमान

2.3 राज्य का गैर-कर राजस्व

प्रमुख गैर-कर राजस्व मदों पर राज्य की वर्ष-वार प्राप्तियों को तालिका क्र. 2.5 में दर्शाया गया है। राज्य के गैर-कर राजस्व में उतार-चढ़ाव परिलक्षित होता है। मध्यप्रदेश एक वन समृद्ध राज्य है जिसमें राज्य का लगभग 30% क्षेत्र घने जंगल से आच्छादित है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वन उपज से राजस्व वर्ष 2018-19 में 0.24% से गिरकर 0.12% हो गया है। सिंचाई राजस्व इसी अवधि में 0.15% से गिरकर 0.06% हो गया है। अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग राजस्व वर्ष 2019 में 0.47% से बढ़कर वर्ष 2022 में 0.61% हो गया है और वर्ष 2023 में 0.61% पर स्थिर रहने की संभावना है।

तालिका क्र. 2. 5. राज्य का गैर-कर राजस्व

(रुपये करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	सीएजीआर (%)	वर्ष 2022-23 (बी.ई.)	वृद्धि (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23)
वानिकी और वन्यजीव	2,009	834	1,240	1,311	13.27	1,403	7.01
सिंचाई	1,230	406	413	473	-27.26	697	47.34
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	3,933	4,320	4,557	6,300	17.00	7,050	11.90

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट-(पु अ) = पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) = बजट अनुमान

2.4 केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा

भारत सरकार के वर्ष 2022-23 (फरवरी 2022 को प्रस्तुत) के बजट अनुमानों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 64,107 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। कोविड के कारण आई गिरावट से केंद्रीय करों की वसूली के साथ, राज्य आने वाले वर्षों में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत प्राप्तियों में वृद्धि की उम्मीद कर सकता है।

2.5 व्यय

निम्न तालिका क्र. 2.6 से, यह देखा जा सकता है कि मध्यप्रदेश सरकार के बजट का आकार 2001 में 16,393 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 2,47,715 करोड़ रुपये हो गया है। बजट में यह 2001 की तुलना में लगभग 15 गुना से बढ़ गया है।

तालिका क्र. 2.6 : मध्यप्रदेश बजट का आकार (वर्ष 2000-01 से वर्ष 2022-23)

(₹करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय
2000-2001	16,392
2004-2005	26,288
2009-2010	47,641
2014-2015	1,06,785
2019-2020	1,80,672

वर्ष	कुल व्यय
2020-2021	1,96,319
2021-2022 (पु.अ.)	2,17,813
2022-2023 (ब.अ.)	2,47,715

स्रोत: राज्य वित्त के आंकड़ों के आधार पर: बजट का एक अध्ययन, आरबीआई (विभिन्न वर्ष)

(पु.अ.) = पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.) = बजट अनुमान

सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। इसलिए सार्वजनिक व्यय का आकार, संरचना और उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का एक संकेतक है। राज्य के राजस्व और पूंजीगत व्यय का विवरण तालिका क्र. 2.7 में प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जा सकता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय ने वर्ष 2019 में 17.04% से बढ़कर वर्ष 2023 में 17.28% हो गया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय वर्ष 2019 में 3.54% से बढ़कर वर्ष 2022 में 3.58% हो गया है, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 3.97% होने की उम्मीद है। इस अवधि के दौरान ऋण और अग्रिम भी 0.13% से बढ़कर 0.27% हो गए हैं।

तालिका क्र. 2.7 : राजस्व और पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष सीएजीआर (%)	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)	वृद्धि (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23)
राजस्व व्यय	1,41,577	1,50,444	1,64,733	1,77,398	7.82	1,98,915	12.13
पूंजीगत व्यय	29,424	29,241	30,355	37,089	8.02	45,685	23.18
ऋण और अग्रिम	1,090	986	1,230	3,325	45.01	3,113	-6.37

GSDP का प्रतिशत					
	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (ब.अ.)
राजस्व व्यय	17.04	16.03	16.87	17.12	17.28
पूंजीगत व्यय	3.54	3.12	3.11	3.58	3.97
ऋण और अग्रिम	0.13	0.11	0.13	0.32	0.27

पूंजीगत व्यय का स्तर सार्वजनिक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो न केवल सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है, बल्कि निजी निवेश को भी गति देता है। राज्य सरकार को बजट की सीमितता का सामना करना पड़ता है, इसलिए राजस्व व्यय को नियंत्रित करते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। मार्च 2022 में प्रस्तुत एमपी एफआरबीएम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार वर्ष 2022-23 के पश्चात राजस्व अधिशेष को प्राप्त करने और बनाए रखने का प्रयास करेगी, जिसका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर औसतन 8.46 प्रतिशत रही है।

2.6 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

मध्यप्रदेश सरकार को एडीबी, विश्व बैंक, जेआईसीए (जायका), केएफडब्ल्यू आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा शहरी विकास, सिंचाई, सार्वजनिक परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में भी बाह्य सहायता प्राप्त हुई है (तालिका 2.8 देखें)।

तालिका क्र. 2.8 : मध्यप्रदेश में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

(रुपये करोड़ में)

	जारी की गई कुल राशि (अनुदान और ऋण)	
	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
एशियाई विकास बैंक	1,661	1,189
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक	71	53
के एफ डब्ल्यू (जर्मनी)	100	45
अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	235	187
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ	428	227
जापान (जे आई सी ए)	105	42
न्यू डेवलपमेंट बैंक	1,370	564
मध्यप्रदेश	3,973	2,309

स्रोत: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता दोनों को दर्शाता है क्योंकि निवेश पर उसके प्रतिलाभ के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा, यह इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान मध्यप्रदेश को एक उभरती हुई राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता देते हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सरकार के सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के तहत इलेक्ट्रोनिक भुगतान का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोलुशन 'ई-कुबेर' के साथ एकीकरण

सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए विगत 05 दिसम्बर 2022 को मध्यप्रदेश राज्य सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोलुशन 'ई-कुबेर' के साथ एकीकरण को क्रियान्वित किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में मध्यप्रदेश राज्य के समस्त 54 कोषालयों के आहरण खाते खोले जा चुके हैं एवं सफलतापूर्वक परिचालित हो रहे हैं। ई-कुबेर के साथ राज्य कोषालयों के एकीकरण से होने वाले लाभ निम्नवत हैं:

1. संबन्धित कोषालय अपने भुगतानों को निर्धारित इलेक्ट्रोनिक फ़ाइल के माध्यम से संसाधित(Process) करते हैं। एक फ़ाइल में अधिकतम 50000 लेन-देन (Transactions) रखे जा सकते हैं।
2. संबन्धित कोषालय अपने आहरण-खातों से लाभार्थियों/ भुगतान पाने वालों के बैंक खातों में सीधे अंतरण द्वारा भुगतान कर सकते अत: राज्य सरकार के बैंकिंग व्यवसाय के एजेंसी बैंकों द्वारा संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली विसंगतियों से बचा जा सकेगा।
3. इस प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार द्वारा किए गए भुगतानों में से किसी लेन-देन के असफल होने की स्थिति में उस लेन-देन की राशि उसी दिन सरकारी खाते में जमा हो जाती है।
4. राज्य सरकार अपने नकदी शेष का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकती है एवं सरकार के लिए बेहतर नकदी प्रबंधन कर पाना संभव होगा।

2.7 राजकोषीय अनुशासन

किसी भी अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने के लिए, राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2005 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 39.5 प्रतिशत था। राजस्व घाटे को धीरे-धीरे समाप्त करने और राजकोषीय घाटे में कमी करके राजकोषीय प्रबंधन में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के साथ, राज्य ने मध्यप्रदेश राजकोशिया उत्तरदयित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (एमपी एफआरबीएम अधिनियम) लाया गया।

चित्र 2.1 : ऋण -जीएसडीपी का अनुपात

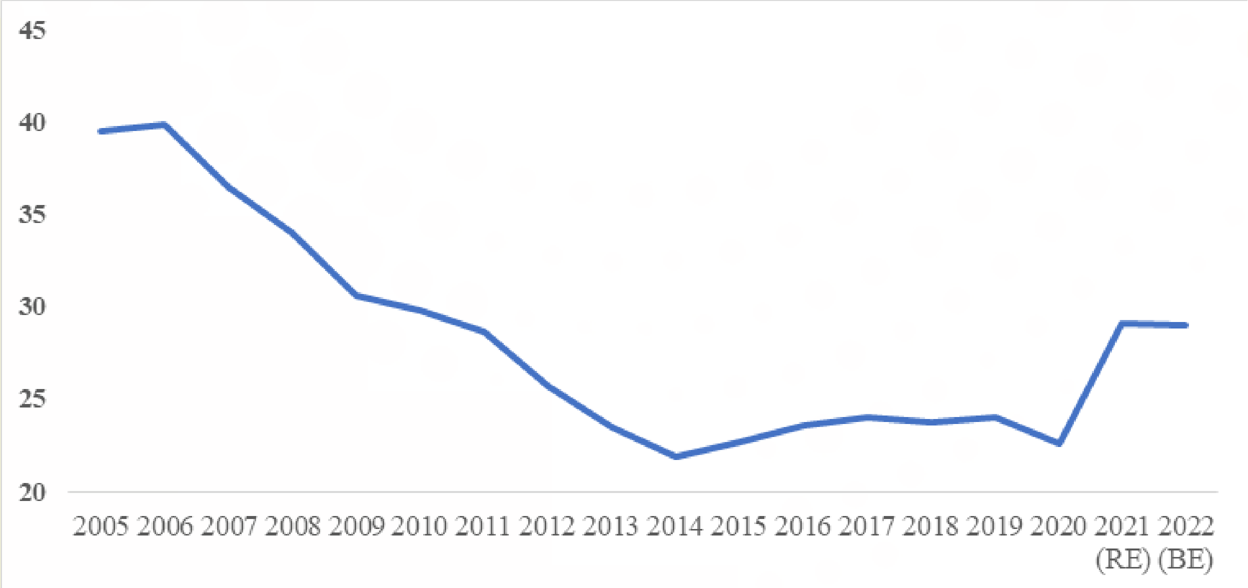

स्रोत: राज्य वित्त के आंकड़ों के आधार पर : बजट का एक अध्ययन, आरबीआई (विभिन्न वर्ष)

तालिका क्र. 2.9: ऋण जीएसडीपी अनुपात

वर्ष	वित्त आयोग पथ	उपलब्धि
2015	24.35	22.7
2019	25.63	24
2020	25.75	22.6
2021 (पु अ)	31.3	29.1
2022 (ब अ)	31.7	29

स्रोत: राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन, आरबीआई (विभिन्न वर्ष), 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट,

(पु अ) RE = पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) BE = बजट अनुमान

राजकोषीय समेकन के प्रयास चित्र 2.1 में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2005 में 39.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020 में जीएसडीपी का 22.6 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए राज्य को घटते राजस्व का सामना करते हुए व्यय अधिक करने की आवश्यकता थी। 31 मार्च, 2022 तक, ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया। विद्यमान चुनौतियों का सामना करने के लिए, 15वें वित्त आयोग ने अनुशंसित राजकोषीय समेकन पथ को प्रस्तुत किया, जहां ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019 में 25.63 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 31.7 प्रतिशत होने की उम्मीद थी। तालिका 2.9 में प्रदर्शित आंकड़ों से स्पष्ट है कि, राज्य ने लगातार अनुशंसित पथ से ऋण का अनुपात कम ही रखा है।

मार्च 2021 में बकाया उधारी पर औसत ब्याज दर 8.23 प्रतिशत थी, जो मार्च 2022 (एमपी एफआरबीएम रिपोर्ट, 2022) को बकाया उधारी पर घटकर 8 प्रतिशत रह गई है। इससे ब्याज भुगतान पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त होगी। हालांकि, मौद्रिक नीति को सख्त करने और ब्याज दरों के चक्र में वृद्धि के साथ, राज्य को नए ऋणों के प्रबंधन में सावधानी रखने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य सरकार की स्वस्थ राजकोषीय नीतियों ने राज्य में दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिति का नेतृत्व किया। कोविड -19 ने राजस्व प्राप्तियों में अवरोध उत्पन्न किए है, जिससे उधार पर बढ़ती निर्भरता की आवश्यकता हुई। हालांकि, वर्ष 2022-23 के आँकड़े राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी दोनों में वसूली की शुरुआत दिखाते हैं। इससे राजस्व अधिशेष के पुनरुद्धार और राजकोषीय समेकन का मार्ग प्रशस्त होता प्रतीत होता है।

संदर्भ

- आरबीआई, (2023). राज्य वित्त: बजट अध्ययन, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई (विभिन्न वर्ष).
- भारत सरकार (2015). 14वां वित्त आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट.
- भारत सरकार (2021). 15वां वित्त आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट.
- जीओएमपी (2022). मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदयित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) रिपोर्ट, मध्यप्रदेश शासन.

अध्याय - 3

बैंकिंग और वित्तीय संस्थान

अध्याय - 3

बैंकिंग और वित्तीय संस्थान

"आजादी के 'अमृत काल' में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र बड़ी सोच और नवीन दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा"

- माननीय श्री नरेंद्र मोदी

बैंकिंग और वित्तीय संस्थान

बैंक और वित्तीय संस्थान कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करते हैं, जैसे उधार लेना और उधार देना, निवेश करना और बचत करना। राज्य में 34 शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 राज्य सहकारी बैंक, 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs), 8 लघु वित्त बैंक और 3 भुगतान बैंक (इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल, FINO) का बैंकिंग नेटवर्क है। राज्य में कार्यरत बैंकिंग सेवाएं 8,138 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कवर की गई हैं, जिनमें से 34% ग्रामीण क्षेत्रों में और 66% अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) 50% बैंकिंग नेटवर्क का गठन करते हैं, इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक (17%), RRB (16%), सहकारी बैंक (11%), और SFB (5%) हैं (SLBC रिपोर्ट, 2021 और 2022)।

किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए ऋण महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था को समझने में अहम भूमिका निभाता है। वित्त वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2022-23 तक (सितंबर 2022 तक) 15.45% सी.ए.जी.आर. के साथ राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण का विस्तार किया गया है इसी तरह, इसी समयावधि के साथ एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का ऋण 30.22% सी.ए.जी.आर. और कृषि 13.41% के साथ बढ़ा है।

17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से 7 के लिए वित्तीय समावेशन को एक सहायक के रूप में पहचाना गया है। जेएएम ट्रिनिटी बड़े पैमाने पर लाभ हस्तांतरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई है और वित्तीय समावेशन की अवधारणा को बदल दिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने वंचितों को बैंकिंग प्रणाली में लाया है, भारत के वित्तीय ढांचे का विस्तार किया है और लगभग सभी को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया। वित्तीय समावेशन केवल वित्तीय सेवाओं की पहुंच तक ही सीमित नहीं है, उपयोग, गुणवत्ता के साथ वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में बाधाएं दूर करने में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं (आरबीआई, 2021)। एस.एल.बी.सी. रिपोर्ट (2022) के अनुसार, पी.एम.जे.डी.वाई. की स्थापना के बाद से 3.85 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने पी.एम.जे.डी.वाई. के तहत बैंकिंग की सुविधाओं से लाभ प्राप्त किया है, जिसमे 53% खाताधारक महिलाएं हैं और 59% जन धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।

अध्याय को चार भागों में विभाजित किया गया है, जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा राज्य में ऋण विस्तार, बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन, समान विकास के लिए वित्तीय समावेशन और रोजगार योजना की सहायता के लिए वित्तपोषण पर केंद्रित है।

3.1 आर्थिक विकास के लिए ऋण विस्तार

3.1.1 ऋण वृद्धि

बैंकों द्वारा ऋण लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए वार्षिक ऋण योजना (ए.सी.पी.) तैयार की जाती है। ए. सी.पी. को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) की संभावित लिंक्ड क्रेडिट योजना के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। रेखाचित्र 1 में प्राथमिक क्षेत्र के कुल ऋण विस्तार को दर्शाया गया है जो राज्य में 9437 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2005-06) से बढ़कर 215427 करोड़ रुपये (2022-23) हो गया है।

चित्र 3.1: ऋण विस्तार

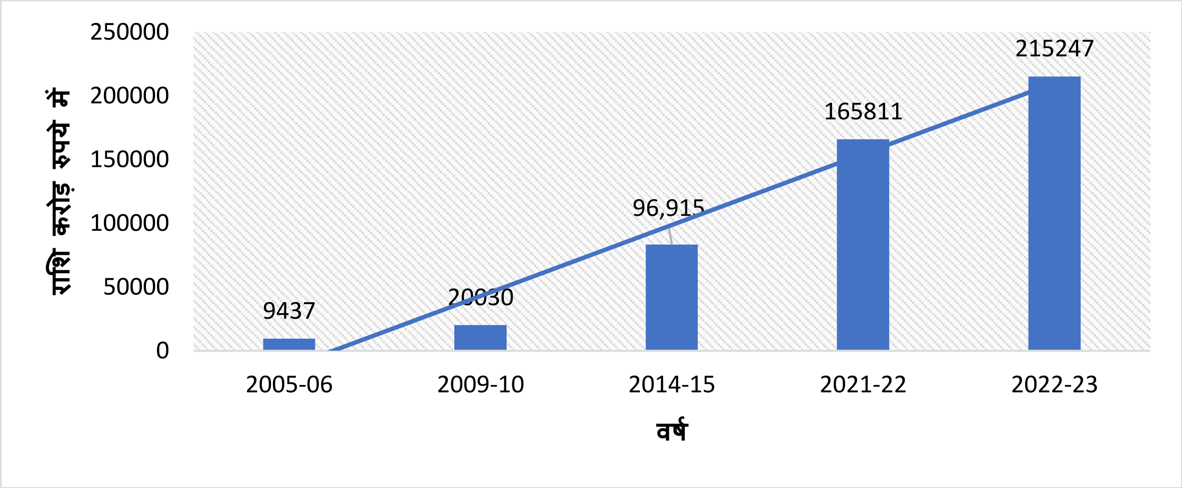

स्रोत: विभिन्न वर्षों की एस.एल.बी.सी. रिपोर्ट,

नोट: 1. वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े सितंबर 2022 तक हैं,

2. पी.एस.एल. के लिए डेटा 2005-06 और 2009-10 के वित्त वर्ष के लिए उपलब्ध नहीं था।

ऋण की क्षेत्रवार समझ के लिए तालिका क्रमांक 3.1 दी गई हैं जहां, 2005-06 से 2022-23 तक की अवधि के लिए ए.सी.पी. के तहत विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाती है, यह प्राथमिकता वाले और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में दिए गए ऋण को दर्शाती है।

तालिका 3.1 : वार्षिक क्रेडिट योजना (ए.सी.पी.) में ऋण विस्तार

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं	क्षेत्र	2005-06	2009-10	2014-15	2022-23 (सितंबर 2022 तक)
प्राथमिकता क्षेत्र					
1	कृषि	6,954	15,508	49,871	55,531
2	एम.एस.एम.ई.	525	1,854	13823	40,999
3	शिक्षा	-	-	633	216

क्र. सं	क्षेत्र	2005-06	2009-10	2014-15	2022-23 (सितंबर 2022 तक)
4	आवास	-	-	6,006	2,375
5	अन्य	1,958	2,668	4,296	1,901
6	कुल प्राथमिकता क्षेत्र	9,437	20,030	74,628	1,01,081
7	कुल गैर-प्राथमिकता	*-	*-	22,287	1,14,166
महायोग		**9,437**	**20,030**	**96,915**	**2,15,247**

स्रोत:विभिन्न वर्षों के एस.एल.बी.सी. रिपोर्ट

नोट -* वर्ष 2005-06 और 2009-10 के गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं था।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण(पी.एस.एल.) भारत में बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित ऋण लक्ष्यों और दिशानिर्देशों को संदर्भित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रदान करते हैं जिन्हें समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के लिए प्राथमिकता माना जाता है।

दिए गए वित्त वर्ष (2005-06 से 2022-23) के लिए, पी.एस.एल. क्रेडिट 15.45% की सी.ए.जी.आर. के साथ बढ़ा। पी.एस.एल. कृषि क्षेत्र में 13.41% की वृद्धि हुई, हालांकि एम.एस.एम.ई. में 30.22% की वृद्धि हुई, जो कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ने का संकेत देती है।

तालिका 3.2 : बैंक-वार ए.सी.पी. प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2022-23

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक का प्रकार	कृषि			एम.एस.एम.ई.			प्राथमिकता क्षेत्र		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि%	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि%	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि%
SCBs	1,12,768	39,183	34.75	41,500	36,362	87.6	1,66,628	79,074	47.5
RRBs	17,910	4,414	24.65	1,798	1,044	58.1	20,663	6,022	29.1
Co-Op.	32,506	11,835	36.41	542	2,497	460.9	33,181	14,337	43.2
SFBs	1,576	99	6.27	1,104	1,097	99.4	2,976	1,648	55.4
कुल	**1,64,761**	**55,531**	**33.70**	**44,944**	**40,999**	**91.2**	**2,23,449**	**1,01,081**	**45.2**

स्रोत: एस.एल.बी.सी. रिपोर्ट (184वां, 2022),

नोट : SCBs = शेड्यूल कमर्शियल बैंक; RRBs = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ; Co-Op. = सहकारी बैंक ; SFBs = स्माल फाइनैन्स बैंक (वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डाटा की उपलब्धि सितंबर 2022 तक)

कृषि, एम.एस.एम.ई. और प्राथमिकता क्षेत्र के बैंकवार ए.सी.पी. की क्रेडिट स्थिति को तालिका क्रमांक 3.2 में दिखाया गया है। कृषि क्षेत्र में सहकारी बैंकों ने अधिकतम लक्ष्य (36.41%) हासिल किया है, इसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंकों (एस सी बी) (34.75%) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (24.65%) का स्थान है। इसके अलावा, सहकारी बैंकों ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में अधिकतम लक्ष्य (460.9%) हासिल किया है, जिसके बाद एससीबी और सहकारी क्षेत्र का स्थान है। इससे पता चलता है कि सहकारी क्षेत्र राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पी.एस.

एल. में कुल मिलाकर 43.2% कि उपलब्धि हासिल की है। समग्र विश्लेषण से पता चलता है कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र ने कृषि जैसे अन्य क्षेत्र की तुलना में 91.2% का अधिकतम लक्ष्य हासिल किया है जहां उपलब्धि क्रमशः 33.70% और समग्र पी.एस.एल. उपलब्धि 45.2% है।

तालिका 3.3 : शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ऋण वृद्धि की तुलना देश के साथ

क्षेत्र	राष्ट्रीय वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %		मध्यप्रदेश की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %	
	सितम्बर 2021	सितम्बर 2022	सितम्बर 2021	सितम्बर 2022
कुल क्रेडिट	6.8	16.9	7.1	15.6
कृषि	12.8	15.8	9.7	12.1
एम.एस.एम.ई.	2.0	27.0	1.1	20.0
आवास	5.3	9.2	6.7	17.6
शिक्षा	-6.0	-0.5	-2.9	4.4
प्राथमिकता क्षेत्र	7.1	18.8	4.9	14.4

स्रोत: एस.एल.बी.सी. / आर.बी.आई। (2022) * सहकारी बैंकों को छोड़कर

जैसा कि तालिका क्रमांक 3.2 में देखा गया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक (एस.सी.बी.) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पी.एस.एल. में अधिकतम हिस्सेदारी रखते हैं, और राष्ट्र के आर्थिक विकास में प्रमुख स्थान रखते हैं। तालिका क्रमांक 3.3 विभिन्न क्षेत्रों में शेड्यूल कमर्शियल बैंकों की ऋण वृद्धि और देश के साथ राज्य की तुलना को दर्शाती है। सितंबर 2022 तक राज्य में समग्र ऋण वृद्धि 15.6% थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ऋण में 16.9% की वृद्धि हुई। सितंबर 2022 में आवास और शिक्षा क्षेत्रों में राज्य की क्रेडिट वृद्धि राष्ट्रीय प्रदर्शन की तुलना में अधिक थी। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में ऋण वृद्धि राज्य में 20.2% की दर से बढ़ी, हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर यह 27% की दर से बढ़ी, इसी तरह कृषि राष्ट्रीय विकास के 15.8% के मुकाबले 12.1% की दर से बढ़ी है।

3.1.2 कृषि-फसल जी.वी.ए. और कृषि-फसल ऋण

कृषि ऋण के निष्पादन का एक अन्य आयाम कृषि-फसल से कृषि-फसल सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) के लिए ऋण प्रवाह के अनुपात का विश्लेषण करना है। तालिका क्रमांक 3.4, वर्ष 2019-20 के लिए कृषि क्षेत्र में संभाग वार कृषि-फसल जी.वी.ए. और कृषि-फसल ऋण प्रवाह को दर्शाता है, जिसकी सीमा 7.5% से 40% तक है। संभागवार अनुपात तालिका क्रमांक 3.4 में देखा जा सकता है, जो नर्मदापुरम संभाग के लिए 40.51% के साथ अधिकतम है और इसके बाद भोपाल संभाग के लिए 35.40% है।

तालिका 3.4 : संभाग वार कृषि-फसल जी.वी.ए. और कृषि-फसल ऋण अनुपात (2019-20)

(राशि करोड़ रुपये में)

संभाग	कृषि फसल जी.वी.ए.	कृषि फसल में ऋण प्रवाह	कृषि-जी.वी.ए. को कृषि ऋण (%)
जबलपुर	58,323.15	13,561.46	23.25
उज्जैन	60,100.1	16,908.55	28.13
शहडोल	12,686.52	950.94	7.50

संभाग	कृषि फसल जी.वी.ए.	कृषि फसल में ऋण प्रवाह	कृषि-जी.वी.ए. को कृषि ऋण (%)
चंबल	18,469.36	4,038.84	21.87
ग्वालियर	32,885.74	6,600.7	20.07
इंदौर	58,314.49	13,886.49	23.81
नर्मदापुरम	18,996.83	7,694.91	40.51
रीवा	30,622.92	2,590.51	8.46
सागर	33,605.76	5,670.24	16.87
भोपाल	37,584.29	13,306.08	35.40
कुल	**3,61,589.2**	**85,208.72**	**22.59**

स्रोत: नाबार्ड रिपोर्ट (2022); *वर्तमान मूल्य पर आधारित

कुछ संभागो का कृषि प्रभुत्व के साथ बहुत मजबूत प्रदर्शन है जैसे कि नर्मदापुरम अग्रणी संभाग है और अन्य क्षेत्रों के लिए उदाहरण स्थापित करता है।

3.1.3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह

कमजोर वर्ग को ऋण उन व्यक्तियों और लोगों के समूहों को प्रदान किए गए ऋण और ऋण सुविधाओं को संदर्भित करता है जिन्हें आर्थिक रूप से वंचित माना जाता है और जिन्हें पारंपरिक माध्यमों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। तालिका क्रमांक 3.5 से पता चलता है कि राज्य में कुल अग्रिम का 59.41 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया जो 40 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जबकि कृषि को कुल ऋण का 32.2 प्रतिशत प्राप्त हुआ जो 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पी.एस.एल. में मजबूत विकास एक समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में सहायक है और समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और विविधीकरण को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता। राज्य अर्थव्यवस्था में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए कमजोर वर्गों में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कहीं अधिक प्रयास कर रहा है।

क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो (सीडीआर) क्रेडिट ग्रोथ का एक और महत्वपूर्ण बेंचमार्क है और यह दर्शाता है कि राज्य में मौजूदा सी.डी.आर. (सितंबर 2022 तक) 75.14% है, जो राष्ट्रीय औसत 72.70% से अधिक है।

तालिका 3.5 : राज्य और राष्ट्रीय बैंकिंग अनुपात की तुलना

सूचकांक	राष्ट्रीय औसत	2020	2021	2022	2022*
ऋण जमा अनुपात (सीडीआर)	72.70	73.42	73.99	72.66	75.14
कुल अग्रिम का प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	40	61.49	61.05	60.47	59.41
कुल अग्रिम का कृषि अग्रिम	18	33.09	32.83	32.38	32.20
कुल अग्रिम का कमजोर वर्ग को अग्रिम	10	22.92	22.28	22.63	26.15

स्रोत: संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन;

नोट : * वर्ष 2022 के लिए आँकड़े सितंबर माह तक

3.1.4 ऋण जमा अनुपात

जिलावार सी.डी. अनुपात की विस्तृत समझ के लिए तालिका क्रमांक 3.6-क में दी गई हैं, जहां जिलों को उनके सी.डी. अनुपात सीमा के आधार पर विभिन्न चतुर्थकों में विभाजित किया गया है। पहले चतुर्थक की सीमा 124 से अधिक है, इसके बाद दूसरे चतुर्थक के लिए 70.9 से 119.45, तीसरे चतुर्थक के लिए 48.24 से 70.08 और चौथे चतुर्थक के लिए 48 से कम है। आगर-मालवा जिले के लिए अधिकतम सी.डी. अनुपात दर्ज किया गया है जो 269.6 है, और सबसे कम सिंगरौली का है। राज्य के कुल 26 जिलों में सी.डी. अनुपात 70% से अधिक है।

तालिका 3.6-क : जिलावार ऋण जमा अनुपात विश्लेषण

सी.डी. अनुपात सीमा (>124)	सी.डी. अनुपात सीमा (70.9 से 119.45)	सी.डी. अनुपात सीमा (48.24 से 70.08)	सी.डी. अनुपात सीमा (<48)
आगर-मालवा	अशोकनगर	छिंदवाड़ा	पन्ना
राजगढ़	विदिशा	सिवनी	सतना
शाजापुर	रतलाम	शिवपुरी	टीकमगढ़
रायसेन	बुरहानपुर	दमोह	भिंड
सीहोर	गुना	मुरैना	डिंडोरी
खरगोन	नरसिंहपुर	भोपाल	मंडला
हरदा	होशंगाबाद	अलीराजपुर	रीवा
खंडवा	झाबुआ	बैतूल	शहडोल
देवास	श्योपुर	सागर	सीधी
बड़वानी	नीमच	बालाघाट	निवाड़ी
धार	इंदौर	कटनी	उमरिया
उज्जैन	दतिया	ग्वालियर	अनूपपुर
मंदसौर	जबलपुर	छतरपुर	सिंगरौली

स्रोत: एस.एल.बी.सी. (2021)

50 जिलों के दो साल के सी.डी. अनुपात का विश्लेषण किया गया है और वृद्धि को देखने के लिए तुलना की गई है। तालिका क्रमांक 3.5 से पता चलता है कि राज्य का औसत ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यहां, जिलेवार प्रदर्शन को समझना महत्वपूर्ण है। आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर, दो वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 और 2020-21 के सी.डी. अनुपात की तुलना की गई है और तालिका क्रमांक 3.6-ख में संकलित किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि कौन से जिले 10% तक, और 10% से अधिक बढ़ रहे हैं, और किन जिलों में सी.डी. अनुपात कम हुआ है।

तालिका 3.6-ख : सी.डी. अनुपात में जिलेवार वृद्धि

क्र.	सी.डी. अनुपात	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	1-10%	23	अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, श्योपुर कलां, शिवपुरी, उमरिया, विदिशा
2	>10%	23	अलीराजपुर, बैतूल, गुना, सिवनी, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, नीमच, रतलाम, रायसेन, बुरहानपुर, मंदसौर, हरदा, देवास, धार, उज्जैन, सीहोर, खरगोन, बड़वानी, शाजापुर, खंडवा, राजगढ़, आगर-मालवा
3	कमतर	6	भोपाल, इंदौर, झाबुआ, निवाड़ी, सीधी, सिंगरौली

स्रोत: एस.एल.बी.सी. रिपोर्ट (2019, 2021)

विश्लेषण से पता चलता है कि 23 जिलों में, सी.डी. अनुपात 10% तक बढ़ा, और 23 जिलों में 10% से अधिक वृद्धि दर और 6 जिलों में सी.डी. अनुपात कम हुआ है।

3.2 बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन

3.2.1 सहकारी बैंकों की स्थिति

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में शीर्ष स्तर पर संचालित मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एम.पी.एस.टी.सी.बी.), जिला स्तर पर कार्यरत 38 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डी.सी.सी.बी.) और जमीनी स्तर पर कार्यरत 4536 प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पी.ए.सी.एस.) शामिल हैं, जिनकी कुल सदस्यता 75.67 लाख है। एमपीएसटीसीबी और डी.सी.सी.बी. की कुल मिलाकर 851 शाखाएं हैं जिनमें से 630 ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाएं हैं।

जिला ऋण सहकारी बैंक (डी.सी.सी.बी.)

डी.सी.सी.बी. छोटे बैंक हैं जो पी.ए.सी.एस. और उसके सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए जनता से जमा जुटाने के लिए छोटे शहर में काम कर रहे हैं। तालिका क्रमांक 3.7 में वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए राज्य में डी.सी.सी.बी. की वित्तीय स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका 3.7 : जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की समेकित वित्तीय स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
डी.सी.सी.बी. की संख्या	38	38	38
कुल शेयर पूंजी	1,465.58	1,500.94	1,531.20
शेयर पूंजी में राज्य का हिस्सा	258.16	286.28	285.36
जमा	15,371.43	15,944.90	17,693.34
ऋण	9,513.66	9,188.64	8,640.65

स्रोत: नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एनएएफएससीओबी), वार्षिक रिपोर्ट (विभिन्न वर्ष)

सभी डेटा बिंदु प्रावधिक।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कुल शेयर पूंजी में 4.5% की वृद्धि हुई है। डी.सी.सी.बी. की कुल शेयर पूंजी में राज्य का हिस्सा भी 2018-19 से 2019-20 तक 10.89% बढ़ गया है, लेकिन 2019-20 से 2020-21 तक 0.32% की थोड़ी कमी आई है। 2018-19 से 2019-20 और 2019-20 से 2020-21 तक तीन वर्षों में जमा राशि में क्रमशः 3.73% और 10.96% की वृद्धि हुई है। 2018-19 से 2019-20 तक ऋण में 3.41% और 2019-20 से 2020-21 तक 5.96% की कमी आई है।

3.2.2 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) एक वर्गीकरण है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण और अग्रिमों के लिए किया जाता है, जिस पर मूलधन पिछले समय से बकाया है और जिस पर समय अवधि के लिए कोई ब्याज भुगतान नहीं किया गया है। तालिका 3.8 से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) में सितंबर 2022 तक 10% से अधिक की कमी आई है।

तालिका 3.8 : बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए.)

(राशि करोड़ रुपये में)

एजेंसी	2019	2020	2021	2022	वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता % में		
					2020	2021	2022
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2,2459	20,793	23,556	22,528	-7.42	13.29	-4.36
निजी क्षेत्र के बैंक	5,520	3,149	3,630	3,097	-42.95	15.27	-14.68
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3,026	2,551	2,461	1,802	-15.70	-3.53	-26.78
सहकारी बैंक	6,392	7,517	7,037	8,067	17.60	-6.39	14.64
लघु वित्त बैंक	-	-	573	492	-	-	-14.14
कुल	37,397	34,010	37,257	35,986	-9.06	9.55	-3.41

स्रोत: एस.एल.बी.सी. रिपोर्ट (184वां , 2022); सभी आँकड़े सितंबर माह के

सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण और लघु वित्त बैंको में कोविड के बाद एन.पी.ए. में समग्र सुधार देखा जा सकता है।

क्षेत्रवार एन.पी.ए. को तालिका क्रमांक 3.9 में दर्शाया गया है, जहां कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा, आवास, प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि में (14%) में सर्वाधिक एन.पी.ए. दर्ज किया गया है, इसके बाद प्राथमिकता क्षेत्र (11.70%) है जहां एन.पी.ए. 10% से अधिक है, हालांकि अन्य क्षेत्रों जैसे एम.एस.एम.ई. (6.70%), आवास (7%), शिक्षा (8%) और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (4.12%) में यह 10% से कम है।

तालिका 3.9 : एन.पी.ए. की क्षेत्र-वार स्थिति (2021-2022)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	वर्ष दर वर्ष भिन्नता % 2020	2021	2022	पोर्टफोलियो का एन.पी.ए. प्रतिशत (सितंबर 2022 तक)
कृषि	15,539	18,256	18,205	19,976	17.49	-0.28	9.73	14.90
एम.एस.एम.ई.	5,569	5,505	6,929	5,225	-1.16	25.87	-24.59	6.70
आवास	2,029	1,984	2,136	2,111	-2.21	7.66	-1.17	7.00
शिक्षा	181	154	181	172	-15.05	17.53	-4.97	8.00
प्राथमिकता क्षेत्र	24,224	26,514	29,416	29,094	9.45	10.95	-1.09	11.70
गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र	13,310	7,578	7,754	6,898	-43.07	2.32	-11.04	4.12

स्रोत: एस.एल.बी.सी. रिपोर्ट (184वां, 2022);

नोट: सभी आँकड़े सितंबर माह तक

3.3 समान विकास के लिए वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के लिए बैंकिंग तक पहुंच आवश्यक है, जो बचत खातों, क्रेडिट और बीमा जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सभी को प्रदान करने की प्रक्रिया है। एस.सी.बी., आर.आर.बी., सहकारी समितियों और एस.एफ.बी. जैसे विभिन्न चैनलों द्वारा बैंकिंग तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों में अक्सर वित्तीय बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होता है, जैसे कि नए बैंकों की स्थापना या वंचित समुदायों की सेवा के लिए मौजूदा बैंकों का विस्तार। हाल के वर्षों में, तकनीकी नवाचारों ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास को भी सक्षम किया है, जिसे मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ये सेवाएं पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे तक सभी व्यक्तियों और समुदायों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती हैं।

3.3.1 बैंकिंग नेटवर्क और वैकल्पिक चैनल

इस खंड में ग्रामीण क्षेत्रों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकों (आई.पी.बी.) की शाखाओं को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश में बैंक शाखाओं की कुल संख्या मार्च 2020 में 7958 थी जो सितंबर 2022 में बढ़कर 8138 हो गई। वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं सितंबर 2022 में 5510 थीं, और मार्च 2020 से 1.5% की वृद्धि देखी गई है। सहकारी बैंक शाखाएं 877 (मार्च 2020) से घटकर 851 (सितंबर 2022) हो गई हैं, और आर.आर.बी. में 1% से कम की वृद्धि देखी गई है। शाखाओं की कुल संख्या मार्च 2020 से सितंबर 2022 तक 2.2% की बढ़ती प्रवृत्ति और वृद्धि को दर्शाती है। नीचे दी गई तालिका क्रमांक 3.10 राज्य के बैंकिंग नेटवर्क में शाखाओं के विस्तार को दर्शाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुछ शाखाओं में वृद्धि और लघु वित्त बैंकों की कुछ शाखाओं में कमी के साथ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में

शाखाएं पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान हैं। हालांकि अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लघु वित्त बैंकों के विस्तार में सुधार हुआ है।

तालिका 3.10: राज्य के बैंकिंग नेटवर्क में शाखाओं का विस्तार (संख्या)

बैंक के प्रकार	2019-20	2020-21	2021-2022	2022 सितंबर तक
ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	1,520	1,488	1,484	1,488
सहकारी बैंक	297	297	380	380
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	854	854	854	859
लघु वित्त बैंक	41	69	88	77
आई.पी.पी.बी.	-	-	-	-
कुल	**2,712**	**2,708**	**2,806**	**2,804**
अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	1,692	1,685	1,738	1,750
सहकारी बैंक	470	470	250	250
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	318	318	318	322
लघु वित्त बैंक	108	123	133	158
आई.पी.पी.बी.	-	-	-	-
कुल	**2,588**	**2,596**	**2,439**	**2,480**
शहरी क्षेत्रों में शाखाएँ				
वाणिज्यिक बैंक	2,215	2,248	2,276	2,280
सहकारी बैंक	110	110	221	221
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	148	148	148	152
लघु वित्त बैंक	143	180	188	180
आई.पी.पी.बी.	42	42	42	40
कुल	**2,658**	**2,728**	**2,875**	**2,873**
बैंकों की कुल शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	5,427	5,421	5,499	5,510
सहकारी बैंक	877	877	851	851
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,320	1,320	1,320	1,333
लघु वित्त बैंक	292	372	409	404
आई.पी.पी.बी.	42	42	42	40
कुल	**7,958**	**8,032**	**8,121**	**8,138**

स्रोत: संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश (2022), * 2022 को छोड़कर सभी डेटा बिंदु मार्च के अनुसार हैं

बॉक्स - 1 : मध्यप्रदेश का जिला वित्तीय समावेशन सूचकांक

एआईजीजीपीए की वित्तीय समावेशन शोध समिति ने वित्तीय समावेशन के मामलों में राज्य की सहायता के लिए कई चरणों में मार्गदर्शन किया है। जिला स्तर पर वित्तीय समावेशन सूचकांक का विकास समिति द्वारा लिए गए निर्णयों में से एक है। अब तक, वित्तीय समावेशन का सूचकांक या तो देश-वार मापदंडों (ग्लोबल फिनडेक्स), राष्ट्रीय मापदंडों (आरबीआई फिनडेक्स) या राज्यव्यापी मापदंडों (क्रिसिल और नाबार्ड) पर उपलब्ध है। जिलों की बारीकियों के साथ एक सूचकांक अभी तक किसी भी भारतीय राज्य के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। इस सूचकांक को अग्रणी बैंकों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, नाबार्ड जैसे राज्य स्तरीय संस्थानों और स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों, एमएफआई, एमएसएमई आदि जैसे क्षेत्रीय पदाधिकारियों को शामिल करके विकसित करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। यह सूचकांक तीन आयामों पर तैयार किया गया है: पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता और राज्य के 52 जिलों के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल 16 संकेतक। अध्ययन में आयाम चयन इस तथ्य से विश्वास दिलाता है कि वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई 2019-25) पेपर द्वारा समान आयामों का उपयोग किया गया है। वजन (weight) आकलन और स्कोर गणना के लिए दो चरण प्रिंसिपल घटक विश्लेषण (Principal Component Analysis) विधि प्रयोग की गई है। यह सूचकांक 2019-20 और 2020-21 के दो वित्तीय वर्षों के लिए तैयार किया गया है। बेहतर प्रतिनिधित्व और समझ पैदा करने के लिए, सूचकांक स्कोर को प्रदर्शन आउटपुट के आधार पर चतुर्थकों (Quartiles) में विभाजित किया गया है और विवरण तालिका में नीचे दिया गया हैं। यह सूचकांक जिलों के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए जिलेवार योजना बनाने में मदद करेगा।

विकसित जिलों की स्कोर रेंज (0.319-0.640)	आकांक्षी जिलों की स्कोर रेंज (0.229-0.316)	विकासशील जिलों की स्कोर रेंज (0.101-0.222)
भोपाल	शहडोल*	शाजापुर
इंदौर	बालाघाट*	मंडला*
होशंगाबाद*	दमोह	बड़वानी*
हरदा	सागर	खंडवा*
धार *	मंदसौर	दतिया
जबलपुर	कटनी	डिंडोरी *
सीहोर	पन्ना	सतना
उज्जैन	सीधी *	टीकमगढ़
रतलाम*	छतरपुर	श्योपुर कलां *
ग्वालियर	अनूपपुर*	अलीराजपुर*
नीमच	बैतूल *	बुरहानपुर*
देवास	विदिशा	रीवा
रायसेन	उमरिया*	शिवपुरी
छिंदवाड़ा*	सिवनी*	सिंगरौली
झाबुआ*	अशोकनगर	भिंड
नरसिंहपुर	गुना	मुरैना
राजगढ़	खरगोन*	-

स्रोत: जिला वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट

https://aiggpa.mp.gov.in/projectdetails/view/TTVLSGE1ZHdWZlFYZ0x2Qkh5SVhKZz09 पर उपलब्ध है

सूचकांक राज्य सरकार, जिला प्रशासन, वित्तीय संस्थान और सीएसओ को राज्य में इस महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास पैरामीटर पर उत्पादन में सुधार के लिए सामूहिक रूप से काम करने में मदद करेगा।

बॉक्स -2 : मध्यप्रदेश के 100% डिजिटल जिले

RBI ने देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहरा करने के लिए वर्ष 2019 में 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम शुरू किया। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी/यूटीएलबीसी) को बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद पायलट क्षेत्र के रूप में अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक जिले का चयन करने का निर्देश दिया गया है। मध्यप्रदेश ने तीन जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा का चयन किया जहां 100% बचत और चालू खाता लेनदेन डिजिटल हैं। एक अन्य जिला सतना भी 100% डिजिटल जिले का दर्जा प्राप्त करने की पंक्ति में है और वर्तमान में इसने कुल 92% डिजिटल जिला का दर्जा हासिल किया है।

(स्रोत – एसएलबीसी, 2022)

3.4 रोजगार के लिए वित्तीय सहायता

वित्तीय सहायता, रोजगार पैदा करने, कौशल विकसित करने और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजी और संसाधन प्रदान करके रोजगार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे व्यवसाय ऋण प्रदान करके, वित्तीय संस्थान छोटे उद्यमियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने और विस्तारित करने में मदद कर रहे हैं, जो रोजगार पैदा करने में मदद करते हैं। राज्य छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार का समर्थन करने के लिए कई सरकारी प्रायोजित योजनाएं (जी.एस.एस.) संचालित की जा रही है।

3.4.1 सरकारी प्रायोजित योजनाएं (जी.एस.एस.)

राज्य के जी.एस.एस. इस प्रकार हैं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (एम.एम.यू.के.वाई.) राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इच्छुक युवाओं, महिलाओं जो उद्यमी बनना चाहती हैं, के कल्याण के लिए शुरू की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना (एम.एम.जी.वी.वाई.) का उद्देश्य बिना किसी ब्याज के अल्पावधि ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके मध्यप्रदेश के ग्रामीण स्थानीय पथ विक्रेताओं के कल्याण को प्राप्त करना है। संत रविदास स्वरोजगार योजना (एस.आर.एस.वाई.) विनिर्माण-केंद्रित परियोजनाओं और सेवा-उन्मुख व्यवसायों में सहायता करती है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना (डी.बी.ए.एके.वाई.) का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों द्वारा पहले से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को कम लागत वाले उपकरणों या कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करना है। योजनाओं का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाता है। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने तीन नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (बी.बी.एम.एस.वाई.), टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (टी.एम.ए.के.वाई.) और मुख्यमंत्री अनुसुचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल हैं। उपरोक्त सभी योजनाएँ बैंकों के माध्यम से संचालित की जाती हैं, 30 दिसंबर 2022 तक जी.एस.एस. की स्थिति तालिका क्रमांक 3.11 में दिखाई गई है।

तालिका 3.11: जी.एस.एस. की स्थिति

योजना	स्वीकृत	वितरण	विचाराधीन	स्वीकृति में से वितरण %
एम.एम.यू.के.वाई.	10,156	7,842	7,327	77
एम.एम.जी.पी.वी.वाई.	3,59,454	3,27,931	1,53,945	91.2
एस.आर.एस.वाई.	247	151	1,623	61
डी.बी.ए.एके.वाई.	81	62	1,502	77
बी.बी.एम.एस.वाई	130	84	2,684	64
टी.एम.ए.के.वाई.	126	50	2,783	39

स्रोत: एस.एल.बी.सी. रिपोर्ट (184वां, 2022),

3.4.2 ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.)

ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल के तहत ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वर्ष 1995 में नाबार्ड में आर.आई.डी.एफ. की स्थापना की गई। आर.आई.डी.एफ. की स्थापना राज्यों में अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण, जो कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अधूरी थीं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता के कारण, बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि को अपना ऋण देने में असमर्थ थे।

इसलिए, भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 के बजट में ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की घोषणा की, जिसे नाबार्ड द्वारा उस समय सिंचाई क्षेत्र में चल रही ग्रामीण अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रचलित किया गया। इसके बाद, आर.आई.डी.एफ. को नई ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया गया था और इसका दायरा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने के लिए व्यापक था।

राज्य परियोजना विभाग (एस.पी.डी.) राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को कम लागत वाली निधि सहायता प्रदान करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश का समर्थन करने के लिए ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) से ऋण प्रदान करता है।

बॉक्स-3 : मध्यप्रदेश के ई-रुपी आंकड़े

माह	e-RUPI केस नाम	वाउचर बनाया गया वॉल्यूम	वाउचर रिडीम्ड वॉल्यूम
सितंबर 2022	मध्यप्रदेश सरकार: कृषि उपकरण वितरण	325	299
अक्टूबर 2022	मध्यप्रदेश सरकार: कृषि उपकरण वितरण	63	55
	मध्यप्रदेश सरकार: साइकिल वितरण	521	12
नवंबर 2022	मध्यप्रदेश सरकार: कृषि उपकरण वितरण	70	45
	मध्यप्रदेश सरकार: साइकिल वितरण	26	6
दिसंबर 2022	मध्यप्रदेश सरकार: कृषि उपकरण वितरण	62	37
	मध्यप्रदेश सरकार: साइकिल वितरण	3	3
जनवरी 2023	मध्यप्रदेश सरकार: कृषि उपकरण वितरण	26	12

स्रोत: एनपीसीआई (https://www.npci.org.in/what-we-do/e-rupi/product-statistics), आँकड़े संख्या में

माननीय प्रधान मंत्री ने ई-रुपी की शुरुआत एक डिजिटल प्रणाली के तहत जो कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए कैशलेस भुगतान को सक्षम बनाती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल भुगतान प्रणाली को शक्ति देने वाली कंपनी है, जिसे वित्तीय सेवा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की मदद से बनाया गया है।

उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल वॉलेट या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किए बिना यूपीआई ई-प्रीपेड वाउचर स्वीकार करने वाले व्यवसायों में खरीदारी करने के लिए इस आसान एक बार भुगतान विधि का उपयोग कर सकते हैं। संगठन प्राप्तकर्ताओं को किसी विशेष गतिविधि या उद्देश्य के लिए एसएमएस या क्यूआर कोड द्वारा ई-रुपी भेजेंगे।

इसका संपर्क रहित ई-रुपी सरल और सुरक्षित है क्योंकि यह पूरी तरह से लाभार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करता है। क्योंकि वाउचर में आवश्यक राशि पहले से ही सहेजी गई है, इस वाउचर का उपयोग करके पूर्ण लेनदेन प्रक्रिया काफी तेज और अधिक विश्वसनीय है।

संदर्भ

- एस.एल.बी.सी. (2021). वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पहल. राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, मध्यप्रदेश.
- एस.एल.बी.सी. (2022). 184वीं एजेंडा बैठक रिपोर्ट. राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, मध्यप्रदेश.
- आरबीआई बुलेटिन, (2021). भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक (सितंबर, 2021). मुंबई. भारतीय रिज़र्व बैंक.
- एआईजीजीपीए, (2022)। जिला वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट. भोपाल. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान.
- भारतीय रिजर्व बैंक (2022). भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका 2021-22. मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक.
- नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (2022). ई-रुपया के आंकड़े. मुंबई. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. https://www.npci.org.in/what-we-do/e-rupi/product-statistics पर उपलब्ध है.
- राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ (NAFSCOB) (2019, 2020, 2021). जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति पर बुनियादी आंकड़े. मुंबई. राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ (NAFSCOB).

अध्याय - 4

कृषि और ग्रामीण विकास

अध्याय - 4

कृषि और ग्रामीण विकास

मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक
पालै पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक

- गोस्वामी तुलसीदास

मध्यप्रदेश देश के खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है। यह देश के खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले दो दशकों में मध्यप्रदेश में कृषि का विकास दर उच्च रहा है। वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन (जी वी ए) में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.32% है।

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अथक प्रयास किए गए हैं। सिंचाई के लिए बुनियादी संरचनाओं का विकास, बिजली की उपलब्धता, ग्रामीण सड़क सम्पर्कता को मजबूत करना और राज्य में कृषि उत्पाद हेतु क्रय तंत्र को सुदृढ़ करना आदि कुछ महत्वपूर्ण उपायों में से एक हैं। सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया गया है। राज्य में कृषि के विस्तार में सहयोग करने वाले सभी पांच प्रमुख क्षेत्रों - सिंचाई, बिजली, सड़कों, वित्तपोषण और खरीद – में नीतिगत पहल किए गए हैं। नतीजतन, मध्यप्रदेश सरकार को 2021 में 7 वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हाल के वर्षों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। सरकार द्वारा जैविक खेती प्रथाओं के माध्यम से टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने का भी कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास को ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण रोजगार, आवास, पेयजल और स्वच्छता, ग्रामीण-शहरी संपर्क, पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ क्षमता निर्माण के संदर्भ परिभाषित किया गया है।

कृषि और पशुधन प्राथमिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि पिछले दस वर्षों में, पशुधन क्षेत्र का योगदान उत्तरोत्तर बढ़ा है। जो वर्ष 2011-12 में 2.96 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 5.93% हो गया है। देश में उद्यानिकी के दृष्टिकोण से संतरा, आम, अमरूद, केला, अनार, आलू, टमाटर, प्याज, मिर्च, हरी मटर और धनिया राज्य की मुख्य बागवानी फसलें हैं। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर 5.24% तथा फसल क्षेत्र में 5.46% रहा है।

मध्यप्रदेश के कृषि-जलवायु-क्षेत्र

मध्यप्रदेश में जलवायु और मिट्टी के प्रकारों की विस्तृत श्रृंखला के कारण उल्लेखनीय कृषि विविधता है, जिसमें 11 फसल पैटर्न और अंतर्निहित चुनौतियों वाले जलवायु क्षेत्र प्रमुख हैं। किमोर पठार और सतपुड़ा हिल्स जोन में धान-गेहूं फसल प्रणाली का पालन किया जाता है।

चित्र 4.1: मध्यप्रदेश में प्रमुख कृषि-जलवायु क्षेत्र

स्रोत: वाणी एट अल 2021

मध्य नर्मदा घाटी और विंध्य पठार मुख्य रूप से गेहूं उगाते हैं। ग्रिड क्षेत्र, बुंदेलखंड और सतपुड़ा पठारी क्षेत्र गेहूं-ज्वार फसल पैटर्न का पालन करते हैं। हालांकि, मालवा पठार, निमाड़ मैदान और झाबुआ पहाड़ियाँ कपास-ज्वार फसल पैटर्न का पालन करती हैं।

4.1 कृषि

4.1.1 कृषि उत्पादन

वर्ष 2022-23 (अ.) के दौरान फसल क्षेत्र में 5.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 की अपेक्षा वर्ष 2022-23 में अनाज के क्षेत्रफल में क्रमश: 1.11 प्रतिशत की वृद्धि रही है। अनाज एवं तिलहन उत्पादन में क्रमश: 2.58 एवं 16.38 प्रतिशत की वृद्धि तथा दलहन उत्पादन में 17.04 प्रतिशत की वृद्धि रही है। कुल फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में 4.16 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

प्रमुख फसलों का उत्पादन

पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कृषि उत्पादकता में सुधार आया है। अनाज के अंतर्गत गेहूं और धान मध्यप्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। धान के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2020-21 की अपेक्षा वर्ष 2021-22 में 12.00 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। धान उत्पादन में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 5.53 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई

और उत्पादन गत वर्ष 2020-21 के 12502 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 13193 हजार मैट्रिक टन हो गया।पिछले दस वर्षों में धान का औसत उत्पादन 80.87 लाख मेट्रिक टन है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में मक्का और गेहूं का औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 36.93 लाख मेट्रिक टन और 245.89 करोड़ मेट्रिक टन रहा। मक्का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 4430.00 हजार मेट्रिक टन रहा जो 2021-22 में बढ़कर 4607 हजार मेट्रिक टन हो गया जो पिछले वर्ष की अपेक्षा में 4.00 प्रतिशत ज्यादा था।

चित्र 4.2: प्रमुख फसलों का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)

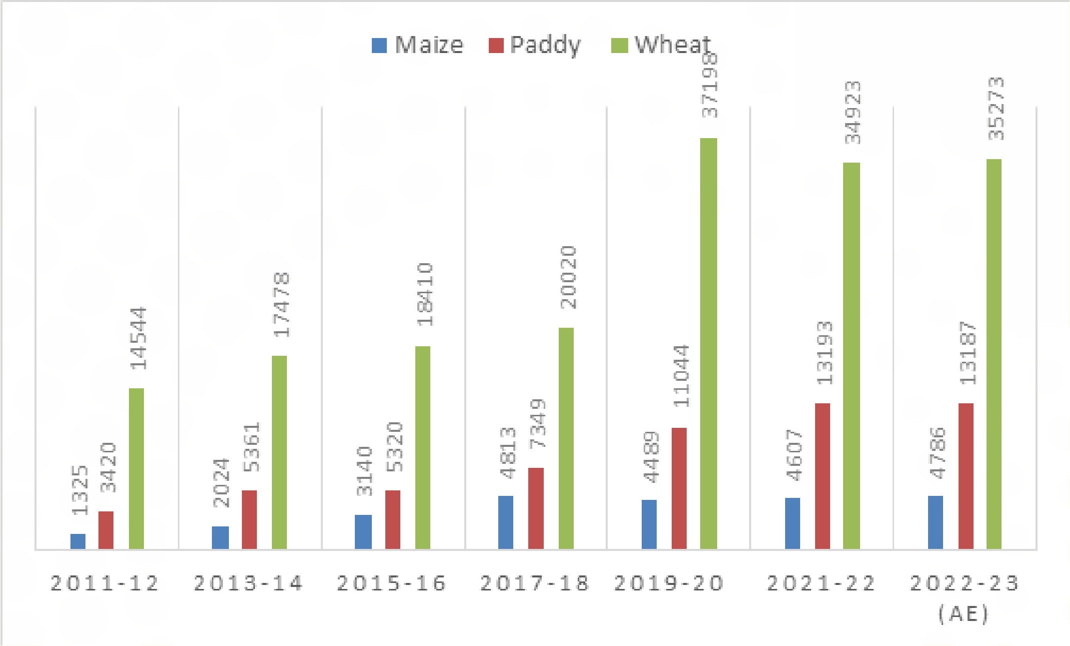

स्रोतः किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश,2022

मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष - 2023

मिलेट को अक्सर सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष- 2023 के माध्यम से 'मिरेकल मिलेट' के भूले हुए गौरव को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो-कुटकी आदि कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं, और इनके उत्पादन के लिए गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई में कम पानी की आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश में ज्वार, बाजरा, कोदो और कुटकी जैसे स्थानीय मिलेट की खेती और उत्पादन बढ़ाने की अपार क्षमता है। मध्यप्रदेश भारत में कोदो कुटकी के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। कोदो कुटकी मुख्य रूप से मध्यप्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में उगाया जाता है, जहां मिट्टी अच्छी तरह से सूखी और उपजाऊ होती है। केंद्र सरकार की पहल और योजनाओं के अनुरूप, मध्यप्रदेश सरकार राज्य में मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई नवीन पहल कर रही है। सरकार ने कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020 में एमपी राज्य मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री कोदो-कुटकी खेती सहायता योजना जैसी विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जो किसानों को बीज और अन्य आदानों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोदो कुटकी के मार्केट लिंकेज और मूल्य श्रृंखला में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंडला कोदो और कुटकी मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की

गई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में भी पहचाना गया है।

प्रमुख दालों का उत्पादन

मध्यप्रदेश भारत में दालों का एक प्रमुख उत्पादकहै। मध्यप्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों में तुअर (अरहर), चना (ग्राम), मसूर (लेन्टिल) और उड़द हैं। दर्शाये हुए ग्राफ से पता चलता है कि चना, उड़द और मसूर का औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 35.83, 7.35 और 4.78 लाख मेट्रिक टन रहा। विगत दस वर्षों में चना, उड़द और मसूर के उत्पादन में 2.49, 32.9 और 17.76% की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। उड़द के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान 97.54% की वृद्धि हुई।वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में अरहर के क्षेत्र कवरेज में 2.74 प्रतिशत (219 से 225 हजार हेक्टेयर) की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

चित्र 4.3: प्रमुख दालों का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)

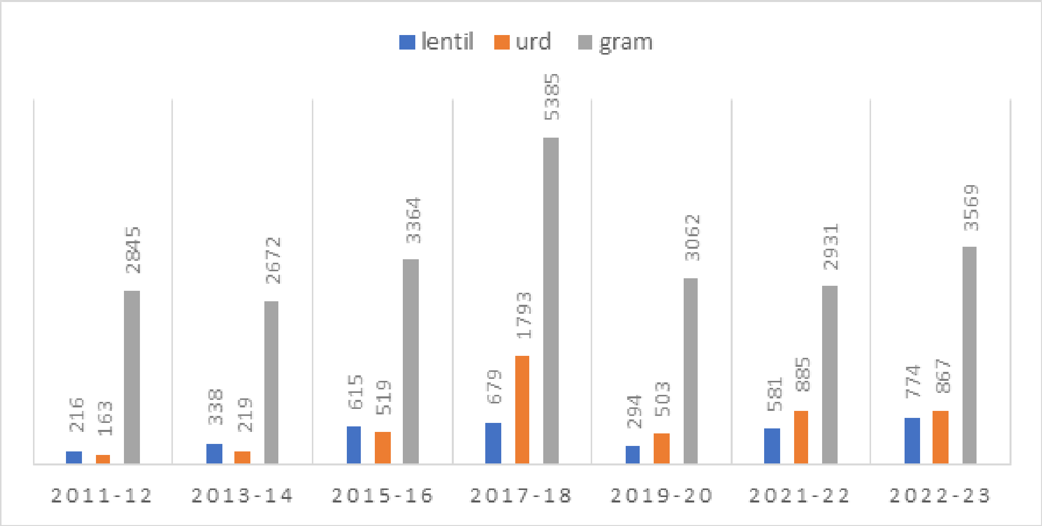

स्रोत: किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश,2022

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

राज्य में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में सरसों, सोयाबीन और कपास शामिल हैं। मध्यप्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 से 2021-22 में 29.38 प्रतिशत की उछाल दिखाते हुए 1307 हजार मेट्रिक टन से बढ़कर 1691 हजार मेट्रिक टन हो गया। सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 3370 हजार मेट्रिक टन से 60% बढ़कर वर्ष 2021-22 में 5392 हजार मेट्रिक टन हो गया। गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 में 544 हजार मेट्रिक टन रहा जो वर्ष 2021-22 में 19.67% बढ़कर 651 हजार मेट्रिक टन हो गया। कपास फसल का रकबा पिछले वर्ष के 588 हजार हेक्टेयर से घटकर अगले वर्ष 560 हजार हेक्टेयर रह गया। प्रदर्शित ग्राफ से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में सरसों, सोयाबीन और कपास औसत उत्पादन में क्रमशः 10.3, 55.13 और 8.5 % की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है।

चित्र 4.4: प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)

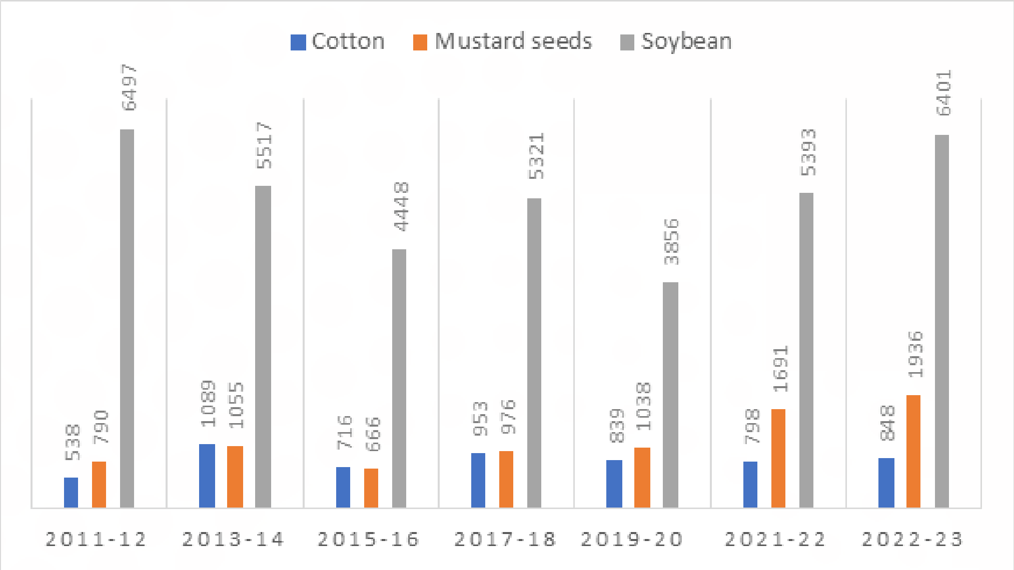

स्रोत: किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश,2022

4.1.2 प्रमुख योजनाएं

कृषि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बजट निम्नानुसार है:

तालिका 4.1: विभिन्न योजनाओं के तहत बजट

(करोड़ रुपये में)

Schemes	2020-21 (लेखा)	2021-22 (RE)	2022-23 (BE)
पी.के.वी.वाई.	36.92	25.00	44.00
एस.एच.सी.	9.99	4.95	12.29
आर.के.वी.वाई.	157.28	142.75	301.70
एम.के.के.वाई.	0.00	3200.00	3200.00
पी.एम.के.एस.वाई	0.76	18.20	13.10
पी.एम.एफ.बी.वाई.	3687.72	2023.67	2000.00
आर.जे.पी.एस.जी.एस	1.12	1.86	5.00
एम.पी.आर.एम.एम.	0.00	0.00	10.00

स्रोत: (DoF, GoMP, 2022)

नोट- पीकेवीवाई-परंपरागत कृषि विकास योजना; एसएचसी-मृदा स्वास्थ्य कार्ड; आरकेवीवाई- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एमकेकेवाई- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना; पीएमकेएसवाई-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना; पीएमएफबीवाई- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना; आरजेपीएसजीएस- राज्य जीवक प्रमणिकरण संस्था का घाटन एवं संचलन और एमपीआरएमएम-एमपी राज्य बाजरा मिशन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकिसान): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है एवं यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत शुरू में केवल छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें पात्र माना जाता था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया और सभी किसानों के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत, सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रुपये मिल रहे हैं। यह योजना 2018 रबी सीजन में शुरू की गई थी। बुवाई से ठीक पहले नकदी संकट का सामना कर रहे किसानों को इस नकदी से बीज, उर्वरक और अन्य आदानों की सुविधा मिल रही है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना : मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एक राज्य स्तरीय योजना है जो राज्य में किसानों को आय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में, पात्र किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये प्रति किसान प्रति वर्ष वित्तीय सहायता मिलती है। यह सहायता 2,000 रुपये की दो किस्तों में प्रदान की जाती है, और इसका उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य आदानों सहित उनके कृषि खर्चों में मदद करना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और मध्यप्रदेश ने इस योजना के तहत अच्छा प्रदर्शन किया है। यह योजना फसल विफलता के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने और कम प्रीमियम दर पर किसानों की आय को स्थिर करने में सहायता प्रदान करती है। इस योजना को 2020-21 में 1775.95 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ एमपी के 11 क्लस्टरों में लागू किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में, इस योजना ने 90 लाख से अधिक किसानों की फसलों का बीमा किया। योजना को बढ़ावा देने और अधिक किसानों को इससे जोड़ने के लिए फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया गया।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई): वर्ष 2015-16 से राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) चलायी जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है। यह किसानों को फसल के उत्पादन से लेकर प्रमाणन और विपणन तक एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों को 3 वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैविक खाद जैसे आदानों (input) के लिए 62% राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसमे मध्यप्रदेश ने आरंभ से अंत तक अच्छा प्रदर्शन किया है। एनएडीपी/आरकेवीवाई का उद्देश्य फसल उत्पादकता में सुधार करना और किसानों को लाभ बढ़ाना है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 लागत-साझाकरण के साथ राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जैविक सब्जी की खेती और बागवानी फसलों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 27576.7 लाख रुपये के आवंटन के तहत 4512.00 लाख रुपये की पहली किस्त प्राप्त हुई थी।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन "एटीएमए": यह योजना राज्य में किसानों को कृषि मशीनीकरण को अपनाने और राज्य की कृषि विस्तार प्रणाली को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कृषि विस्तार सेवाओं को किसान-संचालित और किसान- उत्तरदायी बनाकर उनमें सुधार करना है। विस्तार सुधार कार्यक्रम 'एटीएमए' को भारत सरकार द्वारा कृषि विस्तार सेवाओं के पुनर्गठन और मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना अब राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन के नाम से लागू की गई है। जिला स्तर पर एटीएमए गवर्निंग बोर्ड और प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। नवंबर 2022 तक, उपलब्ध 7000.00 लाख रुपये में से 2482.85 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्र प्रायोजित बहु-आयामी योजना है। धान, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अक्टूबर, 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) शुरू किया गया था। वर्ष 2021-22 में 35530.90 लाख रुपये की उपलब्ध राशि के मुकाबले 19944.17 लाख रुपये व्यय हुए, जिससे 671757 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2022-23 में उपलब्ध 15063.64 लाख रुपये की राशि के सापेक्ष नवम्बर 2022 माह तक 7432.18 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है जिससे 175495 किसान लाभान्वित हुए हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: यह योजना फरवरी वर्ष 2015 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ उसकी उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करने के बारे में अनुशंसा करता है। योज्य के अंतर्गत मिट्टी के नमूने एकत्र करने और अन्य गतिविधियों के लिए प्रति विकास खंड से एक गांव का चयन किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में 57,000 से अधिक कार्ड वितरित किए गए हैं।

कृषि यंत्रीकरण: कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से राज्य में कृषि शक्ति की उपलब्धता 2007-08 में 0.85 किलोवाट प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2019-20 में 2.33 किलोवाट/हेक्टेयर हो गई है, जो भारत के औसत 2.08 किलोवाट प्रति हेक्टेयर से अधिक है। राज्य का लक्ष्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अगले चार वर्षों में कृषि बिजली की उपलब्धता को 3.25 किलोवाट प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है। कृषि उपकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना से बुवाई, निदाई, गुडाई, कटाई के यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण बेरोगार युवकों को कृषि उपकरण तथा मशीनरी मरम्मत अथवा रखरखाव के कौशल को निखारने हेतु प्रशिक्षण प्रदाय करना है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रोइरिगेशन): यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से जल संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है, जिसका उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और जल उपयोगिता में सुधार करना है। यह योजना वर्ष 2015-16 से चल रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 22836 हेक्टेयर में से 21003 हेक्टेयर का लक्ष्य पूरा किया गया और 5208.50 लाख रुपये के वित्तीय लक्ष्य में से 3838.07 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में 6666.67 लाख रुपए के वास्तविक लक्ष्य में से 6,99.65 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

वितरण हेतु प्रमाणित बीज: प्रमाणित बीज वितरण योजना किसानों को उच्च्य गुणवत्ता वाले, रोग मुक्त बीजों को प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया कार्यक्रम हैं जिसे विशिष्ट गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के रूप में प्रमाणित किया गया है। प्रदेश में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के लिए बीज ग्राम योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में कुल 45.50 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए। नवंबर 2022 तक, खरीफ 2022 में 22.73 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए थे और रबी 2022-23 में 31.89 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करने के लक्ष्य में से 29.08 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं।

बॉक्स 4.1: मप्र की प्रमुख पहल

1. फसल विविधीकरण- राज्य में कृषि उत्पाद बेहतर बुनियादी ढांचे, बिजली आपूर्ति और सरकारी समर्थन के कारण बढ़ है। हालांकि, अधिशेष खाद्य उत्पादन एक चुनौती है, जो फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि प्रथाओं, मूल्य संवर्धन और निर्यात में संक्रमण का अवसर प्रस्तुत करता है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए, लाभकारी फसलों, बाजार और निर्यात-संचालित किस्मों, और रागी, जौ, मोटे अनाज, कोदो-कुटकी, रामतिल, मसाले, औषधीय फसलों, फलों और सब्जियों जैसी जलवायु-लचीला फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक फसल विविधीकरण योजना शुरू की गई है।

बॉक्स 4.2: कृषि में प्रौद्योगिकी

सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन और विपणन से संबंधित सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रही है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर राज्य में एकीकृत सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार किसानों को सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रणाली विकसित करने के लिए 'कृषि-उन्नति' की अवधारणा के तहत तकनीकी रूप से एकीकृत प्लेटफार्मों पर काम कर रही है।

एग्री-जीआईएस (रिमोट सेंसिंग और जीआईएस-आधारित डेटा-आधारित योजना और निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) प्लेटफॉर्म) - जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग डेटा-संचालित योजना और निगरानी को बढ़ावा देने के लिए भूमि उपयोग, वाटरशेड और फसल प्रबंधन के बेहतर मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

एमपी किसान मोबाइल ऐप – एमपी किसान ऐप एक एकीकृत मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को एक ही स्थान पर विभिन्न भूमि और कृषि से संबंधित जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यूनिक फार्मर आईडी (यूएफआईडी) - किसानों से संबंधित विभिन्न डिजिटल डेटाबेस को मिलाकर एक एकीकृत किसान डेटाबेस बनाया गया है। यह स्थानीय डेटा-संचालित योजना और फसल क्षेत्र और उत्पादन के सटीक अनुमान में सहायता कर रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, यह एकीकरण दावा निपटान में तेजी लाएगा, दोहराव और देरी को कम करेगा, और प्रासंगिक जानकारी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।

उपलब्धियां- मध्यप्रदेश ने इन 3 क्षेत्रों में और केंद्र की आवश्यकताओं के अनुसार उल्लेखनीय प्रगति की है, और राज्य किसानों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। इस पहल के तहत कुछ उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

(1) रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके फसल क्षेत्र गणना के लिए एक प्रणाली विकसित करना और ई-गिरदावरी को लागू करना, और

(2) किसानों को मोबाइल ऐप के माध्यम से रिमोट सेंसिंग, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके अपनी फसलों को पंजीकृत और सत्यापित करने की अनुमति देना।

4.2 उद्यानिकी

मध्यप्रदेश भारत के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, लेकिन नकदी फसल के रूप में उद्यानिकी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुए है। उद्यानिकी क्षेत्र में फसल विविधीकरण और नई तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को लागू किया है। उद्यानिकी में उगाए जाने वाले उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वृक्षारोपण सामग्री, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग आदि के उत्पादन के लिए एक या अधिक केंद्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्यानिकी निदेशालय विभिन्न योजनाओं को लागू करके औषधीय और सुगंधित फसलों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता का विस्तार करने पर काम कर रहा है।

4.2.1 प्रमुख उद्यानिकी फसलों का उत्पादन

राज्य ने उद्यानिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादन में उच्च तकनीकी से बेमौसम में फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना, उद्यानिकी में यांत्रिकीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, अधिकारियों/कर्मचारियों कृषकों को उद्यानिकी की आधुनिकतम तकनीकी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मध्यप्रदेश के प्रमुख फलों में अमरूद, आम, केला एवं नारंगी आते हैं।

प्रमुख मसालों का उत्पादन

वर्ष 2020-2021 में मसालों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः 8.24 लाख हेक्टेयर और 46.75 लाख मेट्रिक टन था जबकि यह वर्ष 2021-2022 में बढ़कर क्रमशः 8.57 लाख हेक्टेयर और 50.90 लाख मेट्रिक टन हो गया। मध्यप्रदेश में उत्पादित प्रमुख मसाले लाल मिर्च, लहसुन, धनिया और अदरक हैं। लाल मिर्च का औसत उत्पादन पिछले 5 साल में 2.59 लाख मेट्रिक टन रहा जो 10.4% वार्षिक वृद्धि दर दिखा रहा है। इसी तरह, अदरक और लहसुन का औसत उत्पादन 4.45 और 19.28 लाख मेट्रिक टन रहा जो 5 वर्षों में 8 और 3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दिखा रहा है।

चित्र 4.5: प्रमुख मसालों का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन)

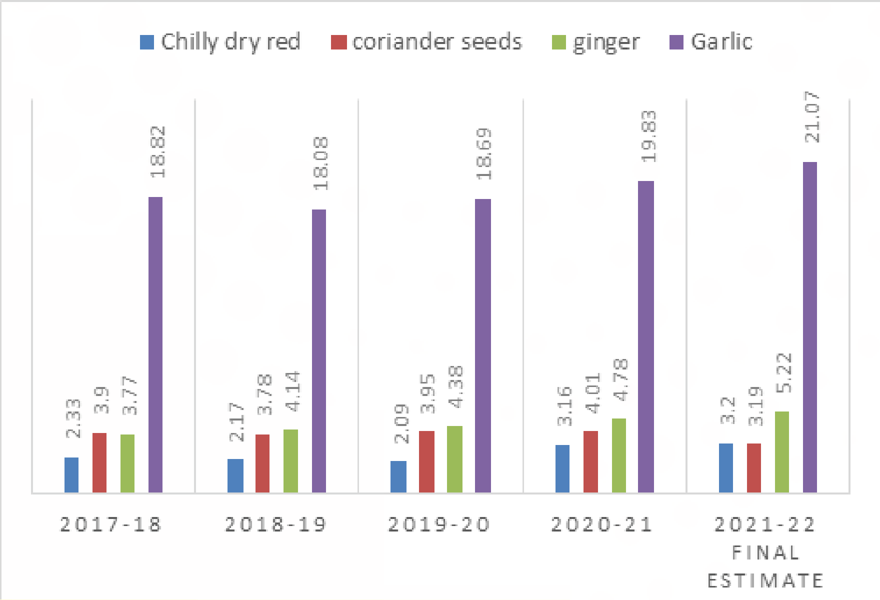

*वर्ष 2021-22 में धनिया के आकंड़े को 3.91 पढ़े

स्रोत: उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश, 2022

प्रमुख सब्जियों का उत्पादन

वर्ष 2020-2021 में सब्जियों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमश: 10.48 लाख हेक्टेयर और 207.43 लाख मेट्रिक टन रहा एवं वर्ष 2021-2022 में क्षेत्रफल बढ़कर 11.35 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 224.45 लाख मेट्रिक टन हो गया। मध्यप्रदेश में उत्पादित प्रमुख सब्जियां आलू, प्याज और टमाटर हैं। पिछला 5 साल में आलू, प्याज और टमाटर का औसत उत्पादन क्रमशः 34.75, 43.08 और 27.65 लाख मेट्रिक टन रहा।

चित्र 4.6: प्रमुख सब्जियों का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन)

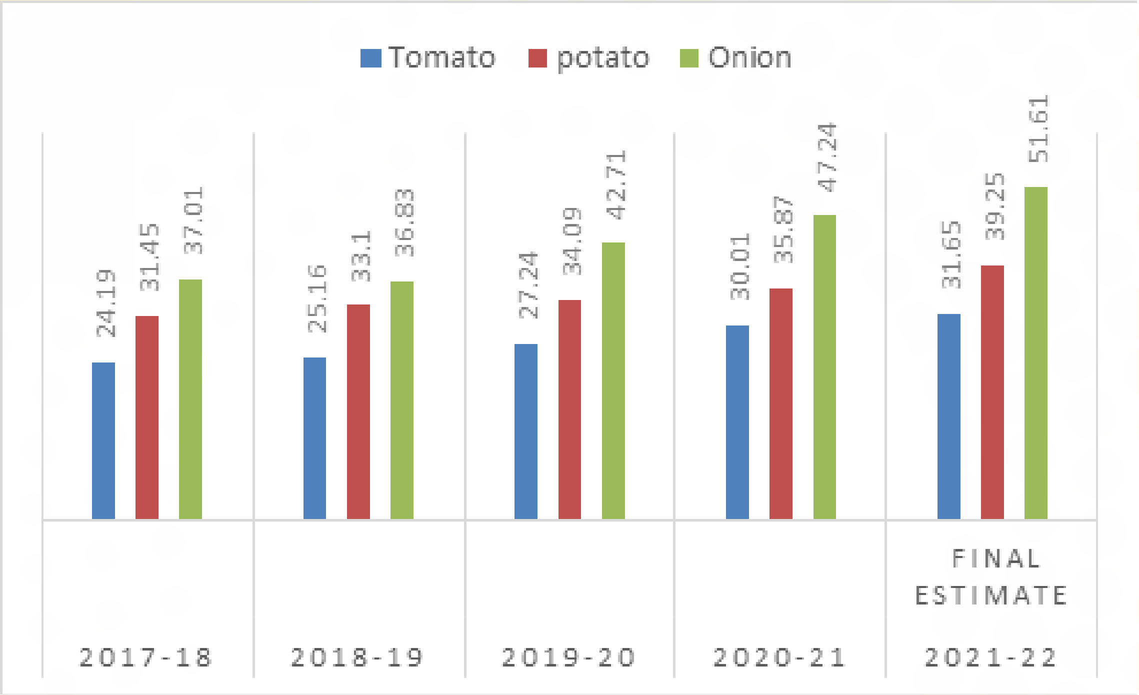

स्रोत: उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश, 2022

प्रमुख फलों का क्षेत्र और उत्पादन

वर्ष 2020-21 में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः 4.11 लाख हेक्टेयर और 84.81 लाख मेट्रिक टन रहा एवं वर्ष 2021-22 में 4.34 लाख हेक्टेयर और 90.19 लाख मेट्रिक टन रहा। यह देखा गया कि मध्यप्रदेश में उत्पादित प्रमुख फल केला, आम और नारंगी हैं। केले, आम और नारंगी का औसत उत्पादन क्रमशः 18.33, 5.97 और 16.63 लाख मेट्रिक टन है जो पिछले 5 वर्षों में 5%, 7% और 2% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है।

प्रमुख फूलों का क्षेत्र और उत्पादन- गेंदा उत्पादन और क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान गुलाब उत्पादन को लगातार पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख औषधीय पौधों का क्षेत्र और उत्पादन- हाल के वर्षों के दौरान, प्रमुख औषधीय पौधों में सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन है इसबघोल का रहा जिसके बाद अश्वगंधा और सफेद मूसली आते हैं।

चित्र 4.7: प्रमुख फलों का उत्पादन (लाख मेट्रिक टन)

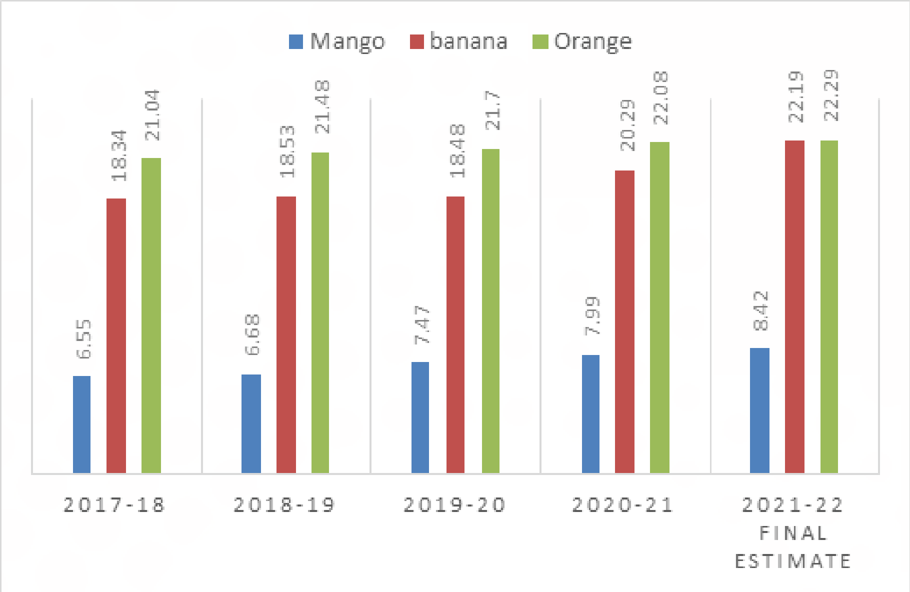

स्रोत: उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश, 2022

तालिका 4.2: प्रमुख फूलों और औषधीय पौधों का क्षेत्र और उत्पादन

नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		उत्पादन (टन)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
फूल				
गेंदा	20736.3	21183.4	270797	276931
गुलाब	3608.01	3844.77	33069	34800.2
सत्तर	1492.95	1573.85	19375.6	20468.9
रजनीगंधा	244.23	234.98	2896.36	2563.83
ग्लेड्यूल्स	941.07	1015.92	7880.15	8408.77
अन्य फूल	8705.64	9794.7	78712.6	83447.1
कुल	35728.2	37647.5	412730	426620
औषधीय पौधे				
अश्वगंधा	4342.19	5775.34	6093.2	8143.4
सफेद मुस्ली	1922.65	1911.23	5957.35	5911.28
इसबघोल	15190	14708	16614.8	16137.6
coleus	624.39	784.43	2995.73	3555.15

नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		उत्पादन (टन)	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
अन्य दवाएं	10930.8	21145.9	73016.8	83101.4
कुल	41010	44324.9	104678	116849
सुगंधित फसलें	1979.47	2385.85	3822.29	4425.13

स्रोत: उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश, 2022

4.2.2 प्रमुख योजनाएं

फलारोपण योजना: मध्यप्रदेश सरकार किसानों को आम, अमरूद और अनार जैसे फल लगाने के लिए 60:20:20 की दर से 3 साल के लिए 40% का अनुदान एवं आरसीओ फल के पौधे प्रदान करती हैं। सरकार ने 12 सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की और फसल विविधीकरण और उच्च घनत्व वृक्षारोपण योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2021-22 तक इस योजना के तहत 679.94 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण करके 463.74 लाख रुपये की वित्तीय आवंटन राशि के मुकाबले 344.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसम्बर माह तक 262.73 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए 500.00 लाख रुपये के आवंटन के सापेक्ष 187.04 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना: भारत सरकार ने अदरक, हल्दी, जायफल और लौंग जैसे मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मसाला क्षेत्र विस्तार योजना लागू की है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना मिर्च, धनिया, मेथी, कलौंजी, जीरा और अजवाइन जैसी फसलों के लिए किसानों को 50% अनुदान या अधिकतम 10,000 रुपये और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 14000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो, प्रदान करती है। 2021-22 तक, इस योजना ने 4975 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार पूरा किया है, जिसमें 50 हेक्टेयर में विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2022-23 में, दिसंबर 2022 तक, 1 करोड़ आवंटित राशि में से 35.54 लाख रुपये की राशि खर्च कर 3.94 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार किया जा चुका है।

व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना

एनएचएम (राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन) उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती और फसलों के लिए बीमा सुरक्षा के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करता है। यह योजना ग्रीनहाउस, प्लास्टिक मल्चिंग आदि के लिए निर्माण मानदंड निर्धारित करती है। 2021-22 में, 79.59 हेक्टेयर का विस्तार किया गया था, और 2022-23 में, 200.00 लाख रुपये की आवंटन राशि में से 2.80 लाख रुपये खर्च करके 1.30 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन: एमआईडीएच एक केंद्रीय योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्यानिकी फसलों क्षेत्र विस्तार करना और उत्पादन को बढ़ाना है। 2021-22 में आवंटित 4133.34 लाख रुपये में से 2918.60 लाख रुपये खर्च किए गए। 2022-23 दिसंबर तक, आवंटित 3034.40 लाख रुपये में से 392.30 लाख रुपये खर्च किए गए।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना: पीएमकेएसवाई का उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में सुधार करना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र में वृद्धि करना और कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देना है। वर्ष 2020-21 में इस योजना पर 10443.11 हेक्टेयर भूमि पर ड्रिप/स्प्रिंकलर लगाने के लिए 11420.95 लाख रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2021-22 में इस योजना पर 48604.08 हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर लगाने के लिए 17378.23 लाख रुपये खर्च किए गए।

पीएम माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम (पीएमएमईएमई): PMFME योजना भारत सरकार द्वारा 29 जून, 2020 को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें कृषि-खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आने वाले सहायक समूहों पर ध्यान केंद्रित किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3769 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 6342 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं एवं 1161 ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा 2339 मामले बैंक स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं। योजना के तहत 188 इकाइयां स्थापित की गई हैं।

4.3 कृषि विपणन

मंडी समितियाँ किसानों के लिए उचित मूल्य और बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 7 क्षेत्रीय कार्यालय और 13 तकनीकी डिवीजन के माध्यम से 259 मंडियों और 298 उप-मंडियों का संचालन करता है।

मंडियों में अधिसूचित वस्तुओं की कुल आवक: 2021-22 में प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कुल आवक 387.79 लाख मेट्रिक टन हुई। प्रदेश की मंडियों में वर्ष 2022-23 में अब तक 264.33 लाख मेट्रिक टन की आवक हुई।

मंडी शुल्क से आय : राज्य सरकार द्वारा मंडियों की आय बढ़ाने के लिए किए जा रहे सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप मंडियों की आय में भी वृद्धि हो रही है। प्रदेश की मंडियों से वर्ष 2021-22 में 1240.77 करोड़ रुपये की आय हुई है।

मंडी सुधार (एमपी)

इसमें दो प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इस व्यापक कार्य को सरल बनाने और किसानों को अपनी उपज सीधे मंडियों में बेचने में मदद करने के उद्देश्य से ई-अनुज्ञा (ई-परमिट) और सौदा पत्रक का संचालन किया जा रहा है।

1. **ई-अनुज्ञा (ई-परमिट) प्रणाली**

   कृषि उपज के व्यापार को सरल बनाने के लिए कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) में ई-अनुज्ञा (ई-परमिट) प्रणाली शुरू की गई थी। व्यापारी खरीदे गए अनाज को मंडी से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ई-परमिट जारी करना स्वचालित है और व्यापारी फॉर्म -10 घोषणा पत्र ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सत्यापन के लिए बारकोड और क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है। मंडी समिति ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज भुगतान पर्चियों का सत्यापन करती है। ई-अनुज्ञा से मंडी व्यापार में पारदर्शिता और सुगमता आई है एवं लाइसेंस के दुरुपयोग को समाप्त कर कृषि विपणन में तेजी आई है।

2. **'सौदा पत्रक' ऐप का शुभारंभ**

   अप्रैल 2021 में, मध्यप्रदेश के राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने "सौदा पत्रक" पहल शुरू की, जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को एमएसपी पर किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति देती है। व्यापारी रसीद प्राप्त कर 1.7% मंडी कर का भुगतान करते हैं। कार्यक्रम की सफलता ने कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए जून 2021 में "सौदा पत्रक ऐप" लॉन्च किया।

   'सौदा पत्रक' के लाभ: मध्यप्रदेश में 'सौदा पत्रक' पहल ने मंडियों में भीड़ कम कर किसानों को उचित मूल्य और त्वरित भुगतान की पेशकश की है। एमपी फार्मगेट ऐप (संस्करण -2.0) को आठ मंडियों और उज्जैन मंडी में एक पायलट के रूप में लॉन्च किया गया था, जिससे किसानों को बिक्री के लिए अपनी उपज प्रदर्शित करने और व्यापारियों को उनके द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने की अनुमति मिलती है।

4.4. भंडारण सुविधा

मध्यप्रदेश फसल कटाई के बाद के नुकसान के कारण खाद्य अधिशेष प्रबंधन चुनौतियों का सामना कर रहा है। वित्तीय नुकसान से बचने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मूल्य संवर्धन और भंडारण क्षमताओं का विस्तार आवश्यक है। खरीद का दूसरा संबंधित पहलू भंडारण है। मध्यप्रदेश में, भंडारण सेवाओं की औसत क्षमता और उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है। कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की 293 शाखाओं पर 218.93 लाख मेट्रिक टन कार्यशील क्षमता हैं। निगम का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को भंडारण की सुविधा देना है। सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भंडारण शुल्क में रियायत प्रदान की जाती है।

तालिका 4.3: भंडारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति (लाख रुपये में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2020-21	98477.41	68362.74	30114.67
2021-22 अनंतिम	71569.50	50715.80	20853.70

स्रोत: एमपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन

मुख्य आकर्षण

- किसानों को 200 क्विंटल से अधिक जमा के लिए सोयाबीन पर 25% और अन्य खाद्यान्न और धान भंडारण शुल्क पर 15% की रियायत मिलती है।
- बैंकों ने जमाकर्ताओं द्वारा जारी गोदाम रसीदों के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 246.25 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नवंबर 2022 तक 271.43 लाख रुपये की सहायता प्रदान की है।
- मध्यप्रदेश भंडारण एवं रसद निगम राज्य की खरीदी नीति के तहत उपार्जित गेहूं के भंडारण के लिए नोडल एजेंसी है।

भंडारित मात्रा निम्नानुसार है:-

तालिका 4.4: संग्रहीत मात्रा और अर्जित राशि

रबी विपणन वर्ष	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भंडारित मात्रा
2021-22	128.16 लाख मे.टन गेहूं की उपार्जित मात्रा	5 101.61 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम) + 6.76 लाख मे.टन केप + 9.37 लाख मे.टन सायलो बैग + 1.53 लाख मे.टन स्टील सायलो
	1.94 लाख में.टन दलहन/तिलहन की उपार्जित मात्रा	1.94 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम)
	46.21 लाख मे.टन धान/मोटा अनाज की उपार्जित मात्रा	लगभग 25.15 लाख में.टन (कव्हर्ड गोदाम) लगभग 17.23 लाख में.टन (केंप)

रबी विपणन वर्ष	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भंडारित मात्रा
2022-23	46.04 लाख मे.टन गेहूं की उपार्जित मात्रा	5 35.76 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम) + 1.43 लाख मे.टन केप + 4.86 लाख मे.टन सायलो बैग + 1.71 लाख मे.टन स्टील सायलो
	8.02 लाख मे.टन दलहन/तिलहन की उपार्जित मात्रा	07.86 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम)
	38.26 लाख मे.टन धान/मोटा अनाज की उपार्जित मात्रा	प्रकियाधीन लगभग 19.73 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम/केप)

स्रोत: एमपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन

4.5 खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली

अपने मजबूत फॉरवर्ड लिंकेज के कारण, विगत वर्षो में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी की ओर विशेष ध्यान दिया है, और इस क्षेत्र को कोरोना काल में समग्र विकास से जोड़ने हेतु विभिन्न उपाय किये है। पिछले छह वर्षों के दौरान, भारतीय कृषि उद्योग औसतन 4.6 प्रतिशत की वार्षिक गति से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021-22 में इसमें 3.0% की वृद्धि हुई। (कृषि विभाग, 2021)

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रदेश के 5 करोड़ 18 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में गेहूँ और धान का उत्पादन और उपार्जन

राज्य की खाद्य प्रबंधन नीति में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन करना, उपभोक्ताओं, विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उचित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना एवं खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक बनाए रखना शामिल है। दिसंबर 2022 तक, एनएफएसए ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से खाद्यान्न/अनाज प्रदान किया है। गेहूं और चावल के लिए क्रमश 1/2 प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न वितरित किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी, 2023 से आगामी एक वर्ष तक एनएफएसए के तहत लगभग 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने हेतु निर्णय लिया है।

(खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग, 2022)

गेहूं और धान का उपार्जन

वर्ष 2022-23 में रबी में 5.9 लाख किसानों से 46.03 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। उपार्जित गेहूँ हेतु कुल राशि रु 9271 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

तालिका 4.5: गेहूं का उपार्जन

वर्ष	कुल उपार्जन (मे.टन मे)	भुगतान (राशि करोड़ रुपये मे)
2018-19	73.16	11298.21
2019-20	73.64	13560.59
2020-21	129.42	24806.91
2021-22	128.15	25301.62
2022-23	46.03	9271.42

स्रोत: खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन

वर्ष 2021-22 में खरीफ फसल के उपार्जन अंतर्गत 6.61 लाख किसानों से 45.82 लाख मेट्रिक टन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया। उपार्जित धान हेतु किसानों को कुल राशि रु 8835 करोड़ का भुगतान किया गया है।

तालिका 4.6: धान का उपार्जन

वर्ष	कुल उपार्जन (में.टन मे)	भुगतान (राशि करोड़ रुपये मे)
2017-18	16.59	2253.24
2018-19	21.96	2971.43
2019-20	25.85	4652.54
2020-21	37.26	6957.08
2021-22	45.82	8835.96

स्रोत: खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन

चावल का फोर्टिफिकेशन (आवंटन और वितरण)

देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों से निपटने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में शुरु होने वाली तीन साल की अवधि के लिए "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल की फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण" पर एक केंद्रीय प्रायोजित पायलट योजना को मंजूरी दी है, जिसका कुल बजट परिव्यय राशि 174.64 करोड़ रुपये है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण [पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम)] और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओटीएस) के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वितरण 2024 तक तीन चरणों में होगा।

(उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, 2021)

मध्यप्रदेश शासन के खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, यह कार्यक्रम सितंबर 2021 से अस्तित्व में है। कार्यान्वयन के पहले वर्ष में, 94.9% फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया था, जिसमें 2021-22 में 90.1% वितरित किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि जनवरी 2023 तक 2022-23 के लिए बजट यी मात्रा का 35.7% वितरित किया गया है।

4.6 पशुधन एवं डेयरी विकास

पशु पालन, खेती का एक अभिन्न अंग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पारम्परिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों का भी इन पशुपालन गतिविधियों को जारी रखने में योगदान रहा है। ये गतिविधिया लाखो लोगो को सस्ता और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बजटीय आवंटन (2001-2023)

प्रस्तुत बार चार्ट में वित्तीय वर्ष 2001 से वर्ष 2023 के दौरान पशुपालन विभाग को आवंटित बजट को दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पशुधन एवं डेयरी विकास के लिए 1443.46 करोड़ रुपये की राशि बजट में प्रावधानित है। जिसमें से सबसे अधिक 719 करोड़ रुपये का हिस्सा एकीकृत 'सहकारी विकास परियोजना' को आवंटित किया गया है।

चित्र 4.8: बजटीय आवंटन (राशि करोड़ रुपये में)

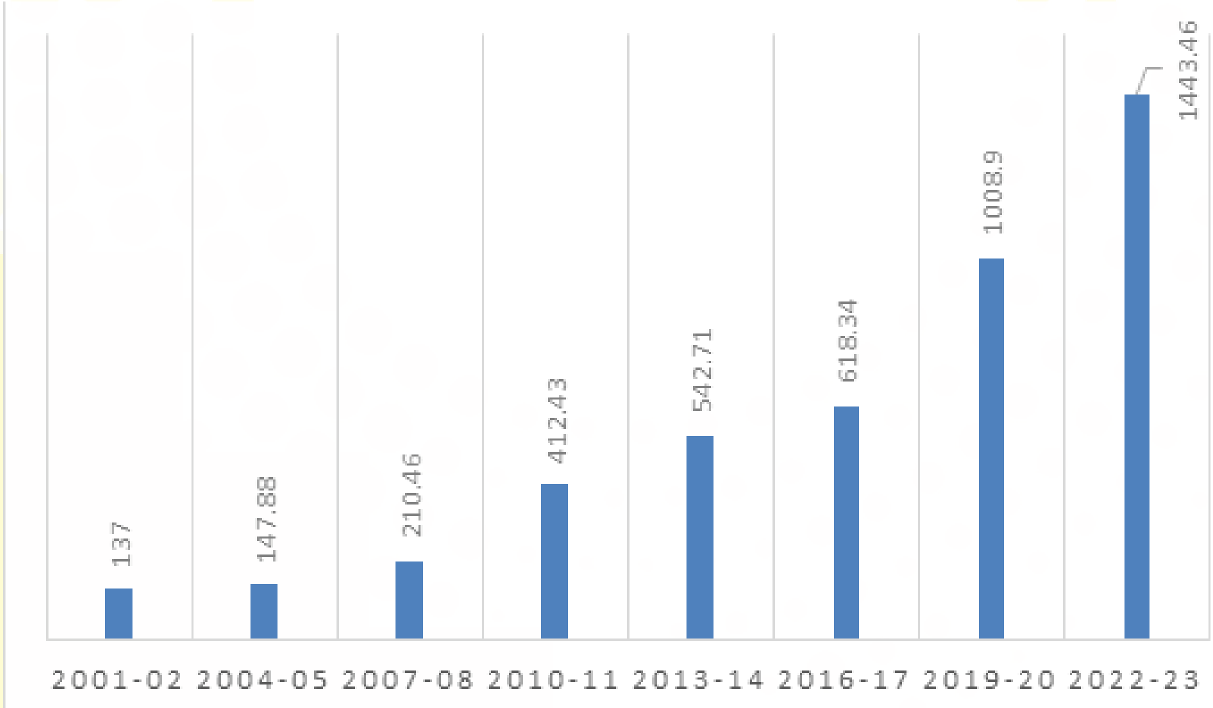

स्रोतः वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन- फरवरी 2023

दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश देश का तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न उपाय किये गए है, जिनके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के दौरान दुग्ध का उत्पादन क्रमशः 171.09 लाख टन और 179.99 लाख टन है, जो 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020-21 दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्ता लगभग 591 ग्राम प्रतिदिन है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक दुग्ध का उत्पादन तथा वार्षिक वृद्धि दर प्रस्तुत बार चार्ट में दर्शाई गई है। प्रजाति वार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान कुल दुग्ध उत्पादन में सबसे अधिक लगभग 48 प्रतिशत है, और देशी/नॉन डिस्क्रिप्ट गायो का योगदान लगभग 36 प्रतिशत है।

चित्र 4.9: दुग्ध उत्पादन

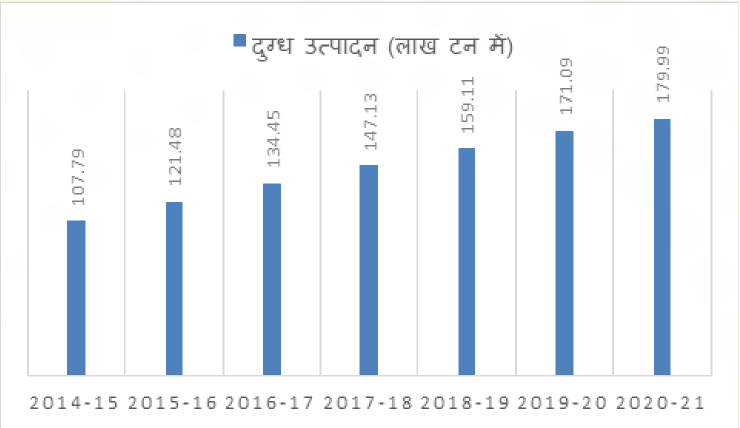

स्रोत: मूल पशुपालन सांख्यिकी-2021, भारत सरकार

अंडा उत्पादन

प्रस्तुत बार चित्रण में प्रदेश में वर्ष 2014 से 2021 के दौरान अंडा उत्पादन की स्थिति को दर्शाया गया है, वर्ष 2021 में कुल अंडे का उत्पदान लगभग 26516 लाख रहा है, जिसमे वर्ष 2019-20 की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 से 2021 के दौरान प्रदेश ने एक बड़ी छलांग लगाई है, इन सात वर्षों में अंडे का उत्पादन औसतन 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत से बड़ा है। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 32 अंडे प्रति वर्ष रही है।

चित्र 4.10: अंडा उत्पादन

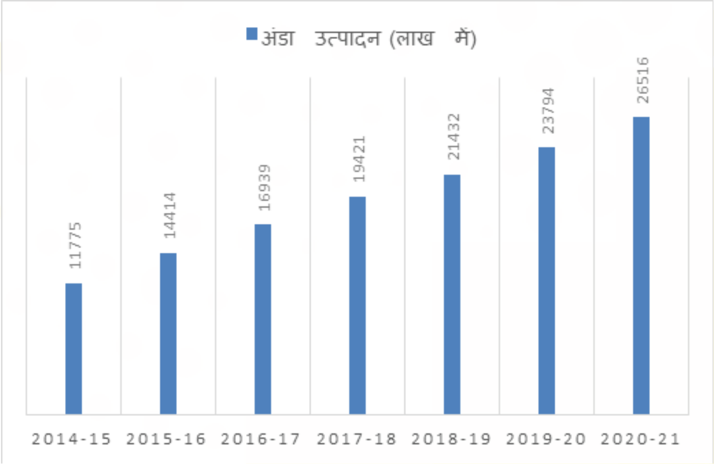

स्रोत: मूल पशुपालन सांख्यिकी-2021, भारत सरकार

मांस उत्पादन

प्रस्तुत बार चित्रण में प्रदेश में वर्ष 2014 से 2021 के दौरान मांस उत्पादन की स्थिति को दर्शाया गया है, वर्ष 2021 में मांस का कुल उत्पदान लगभग 116.34 हजार टन रहा है, जिसमे वर्ष 2019-20 की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2014 से 2021 के दौरान मांस के उत्पादन में औसतन 12 प्रतिशत वृद्धि प्रति वर्ष हुई है। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता लगभग 1.40 कि.ग्रा प्रति वर्ष रही। प्रजाति वार प्रदेश में मांस उत्पादन में मुर्गी पालन का सर्वाधिक योगदान लगभग 41 प्रतिशत रहा है. और बकरी पालन का योगदान 29 प्रतिशत है।

चित्र 4.11: मांस उत्पादन

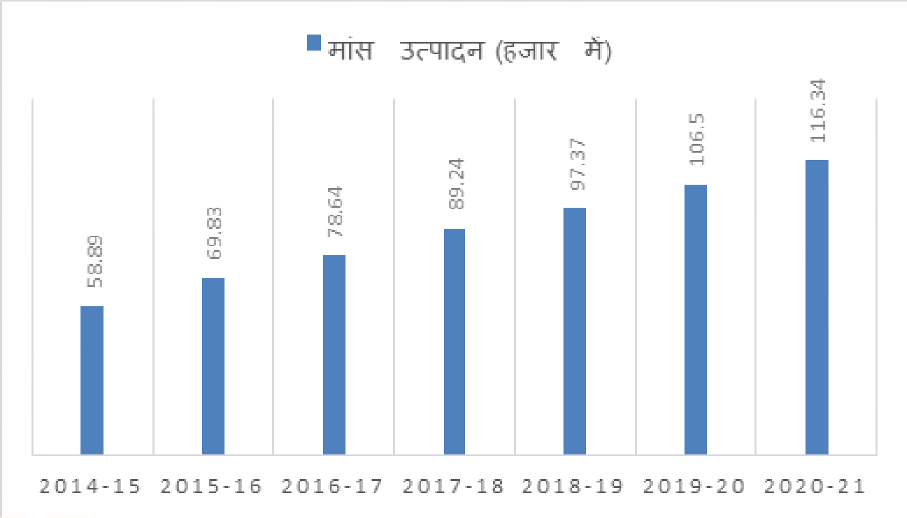

स्रोत: मूल पशुपालन सांख्यिकी-2021, भारत सरकार

पशुधन एवं कुक्कुट विकास

राष्ट्रीय गौ एवं भैसवंशीय प्रजनन कार्यक्रम (केन्द्र परिवर्तित योजना) बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम, हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रदाय, नंदीशाला योजना, समुन्नत मुर्रा पाड़ा प्रदाय योजना, पांच सूकर की इकाई प्रदाय योजना, नर सूकर प्रदाय योजना, पशुधन बीमा योजना एवं निगम की नवीन योजनाओ में सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना, मैत्री की स्थापना, राष्ट्रव्यापी कुत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP), रतौना जिला सागर में गोकुल ग्राम की स्थापना, नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना, पशु आहार सयंत्र कीरतपुर (इटारसी) की स्थापना, जबलपुर में डेयरी इस्टेट तथा धार में पोल्ट्री इस्टेट की स्थापना, नौनेर जिला दतिया में वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना, आई.व्ही.एफ/ ई.टी.टी प्रयोगशाला की स्थापना।

तरल नत्रजन संयंत्र

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत तीन संयंत्र क्रमश: केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल, ग्वालियर, तथा बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज के तहत सागर में तरल नत्रजन संयंत्रो की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा परिसर इंन्दौर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की गई है। एक तरल नत्रजन संयंत्र से एक दिवस में लगभग 500-600 लीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 1.8 लाख से 2.15 लाख लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन होता है, जो वर्ष 2021-22 माह नवम्बर तक 8.73 लाख लीटर तरल नत्रजन का जिलो में प्रदाय किया गया है।

सहकारी दुग्ध संघ की भागीदारी

वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित, वर्तमान में एम.पी. स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, की स्थापना की गयी थी। दुग्ध संकलन एवं वितरण कार्य वर्तमान में त्रिस्तरीय संरचना ग्रामीण स्तरीय दुग्ध सरकारी समिति/ क्षेत्रीय दुग्ध संघ /राज्य स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका वहन कर रहा है। दुग्ध महासंघ की वर्षवार जानकारी का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 4.7: सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (नवम्बर-2022 तक)
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	6,498	7,811	7,205	6,823	6,850
कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	2,57,418	2,68,087	2,46,551	2,39,113	2,33,846
दुग्ध संकलन, किलो ग्राम प्रतिदिन	10,10,888	8,58,527	9,13,343	9,05,858	7,67,025
स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	7,40,271	7,47,751	6,38,357	6,71,767	7,17,703
पशु आहार विक्रय (में.टन)	1,04,310	1,02,674	82,980	1,09,098	66,341
कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	6,01,450	6,00,174	5,61,612	5,57,307	3,59,940

स्रोत:- संचालनालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश- जनवरी 2023

4.7 मत्स्य पालन से विकास

मध्यप्रदेश में मत्स्य उत्पादकता की अपार संभावनाऐं है। प्रदेश में कृषि, वानिकी एवं पशु पालन की तुलना में मत्स्य पालन की ग्रोथ दर सबसे ज्यादा है। यह मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है। इन संभावनाओं को देखते हुये राज्य में मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मत्स्यपालन हेतु जलक्षेत्र की उपलब्धता एवं उपयोग

माह दिसम्बर 2022 की स्थिति अनुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्रो (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगरीय निकाय आदि) में उपलब्ध कुल 40863 जलसंसाधन है, जिनका जलक्षेत्र लगभग 4.40 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 4.38 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 99 प्रतिशत है।

बजटीय आवंटन- प्रस्तुत बार चार्ट में

वित्तीय वर्ष 2001 से 2023 के दौरान मत्स्य विभाग को आवंटित बजट को दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मत्स्य क्षेत्र के लिए 250.20 करोड़ रुपये की राशि बजट में प्रावधानित है। इसमें से 120 करोड़ रुपये का उच्चतम हिस्सा प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना नामक प्रमुख योजना के लिए आवंटित किया गया है।

चित्र 4.12 बजटीय आवंटन (राशि करोड़ रुपये में)

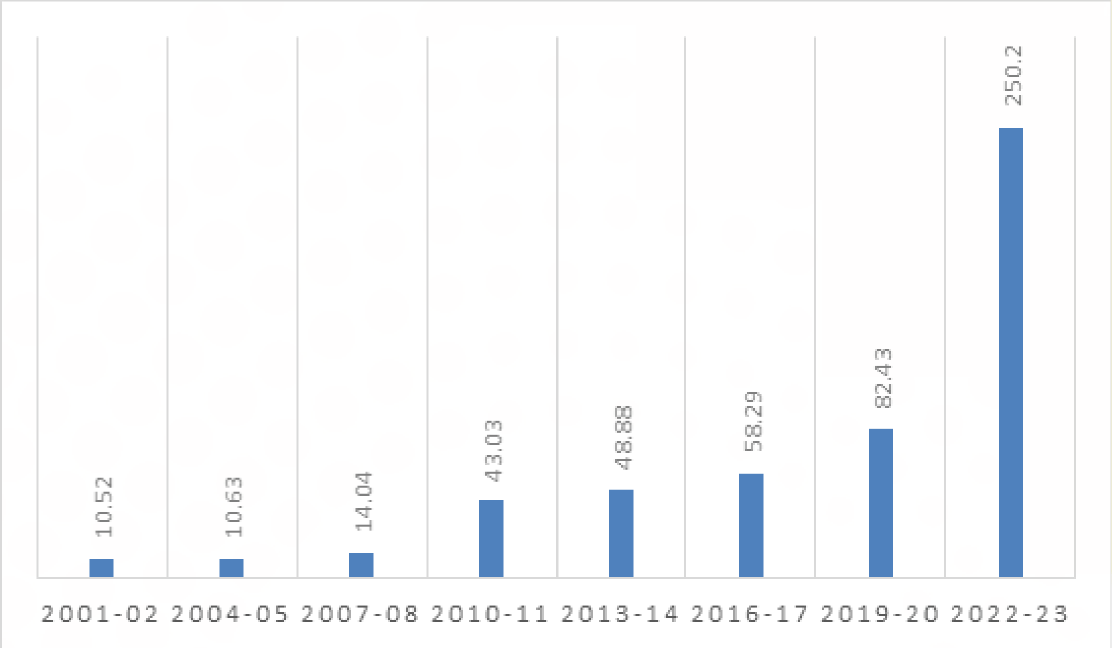

स्रोतः वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन- फरवरी 2023

मत्स्योपादन - प्रस्तुत बार चार्ट में वर्ष 2015 से 2022 तक राज्य में मत्स्योत्पादन की स्थिति दर्शाई गयी है। वर्ष 2021-22 में समस्त स्त्रोतों से मत्स्योत्पादन 293008.24 टन किया गया है, जो कि विगत वर्ष 2020-21 कि तुलना में 18% अधिक रहा है। राज्य में वर्ष 2015 से 2022 तक मत्स्योत्पादन में प्रत्येक वर्ष औसतन 15.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चित्र 4.13: मत्स्योत्पादन

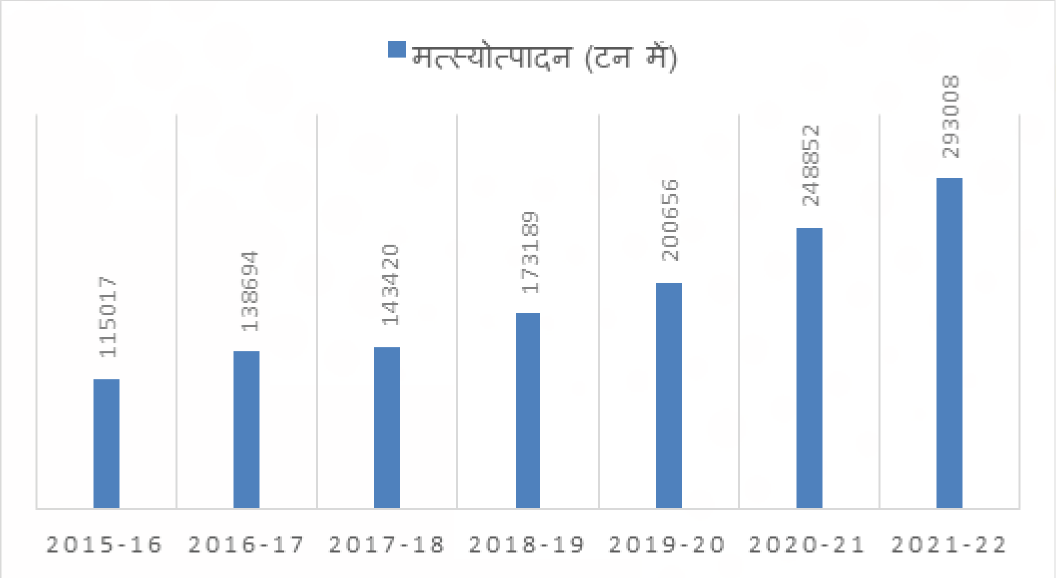

स्रोतः- संचालनालय, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मध्यप्रदेश- जनवरी-2023

मत्स्यबीज उत्पादन

प्रस्तुत बार चार्ट में वर्ष 2015 से 2022 तक राज्य में मत्स्यबीज उत्पादन की स्तिथि दर्शाई गयी है।

वर्ष 2021-22 में 17188 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। वर्ष 2015 से 2022 के बीच मत्स्यबीज का उत्पादन प्रति वर्ष औसतन 13164 लाख रहा है, विगत 7 वर्षो में मत्स्यबीज उत्पादन में वृद्धि 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के मान से हुई है।

चित्र 4.14: मत्स्यबीज उत्पादन (स्टे.फ्राय)

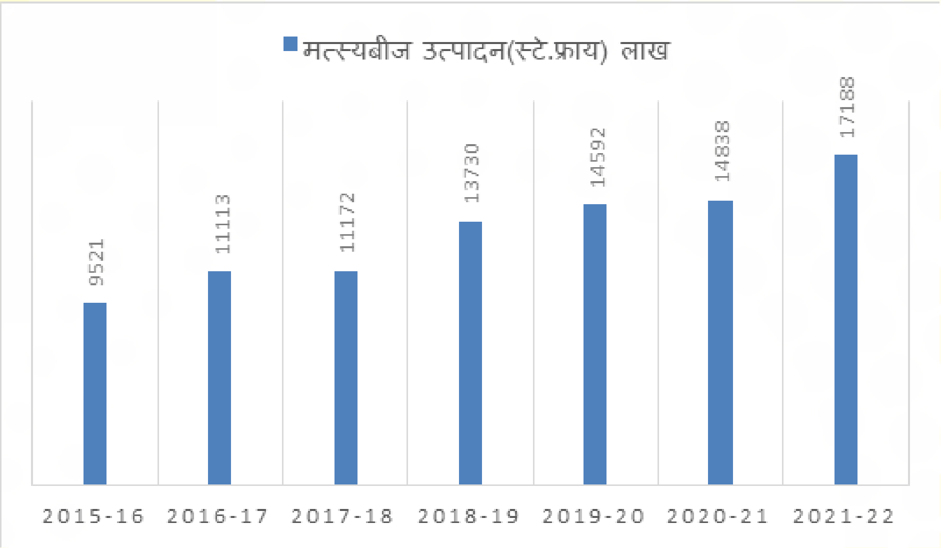

स्रोत:- संचालनालय, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, मध्यप्रदेश- जनवरी-2023

मछुआ प्रशिक्षण

मछुआरों को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदाय करने हेतु वर्ष 2021-22 में 4448 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2022-23 में 4809 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक 1914 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया।

किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 2012-13 से किसान क्रेडिट कार्ड के समान मत्स्य कृषकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड शून्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी किये जा रहे है। अब तक 66,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

बचत-सह-राहत

मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट कार्य प्रतिबन्धित होता है। इस प्रतिबन्धित काल में मछुआरों को आजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अशंदान से बचत-सह-राहत योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 से इस योजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत शामिल किया गया है।

हितग्राही राज्य शासन एवं केन्द्र शासन प्रत्येक का अशंदान रू. 1500/- एवं हितग्राही अंश 1500/- (कुल राशि रुपये 4500/-) दो माह में मछुआरों को प्रदाय किया जाता है, यह भारत शासन की नीलक्रांति योजनातर्गत शुरु

किया गया है। जिसमें वर्ष 2021-22 में 10848 हितग्राहियों के खाते में राशि रुपये 325.44 लाख जमा किये गये। वर्ष 2022-23 में विभिन्न वर्ग के 10895 हितग्राहियों के खाते में जमा कराये जाने हेतु राशि रुपये 326.86 लाख का आवंटन किया गया है।

नीलक्रांति/ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

योजना में तालाब निर्माण, केज कल्चर, मत्स्यबीज उत्पादन हेतु हेचरी निर्माण, मत्स्य आहार निर्माण हेतु फिश फीड मील की स्थापना, मत्स्य विक्रय हेतु कियोस्क स्थापना, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन हेतु मोटर साईकल-सह-आईस बाक्स, वेन,आदि स्थापित कर मत्स्य पालन गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अवसर निर्मित किये गये है। वर्ष 2020-21 से नीलक्रान्ति योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन भारत शासन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नीलक्रांन्ति योजना के हितग्राही-मूलक बिन्दुओं को बनाए रखा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 राशि रुपये 175.18 करोड़ के कार्यक्रमों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केन्द्राश: राशि रुपये 54.23 करोड़ एवं राज्याश: राशि रुपये 36.72 करोड़ तथा हितग्राही अंश राशि रुपये 84.22 करोड़ के कार्यक्रम स्वीकृत किये गये है। वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 173.29 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिसमें केन्द्राश: राशि रुपये 54.99 करोड़ एवं राज्याश राशि रुपये 37.18 करोड़ तथा हितग्राही अंश राशि रुपये 81.11 करोड़ प्रावधानिक है।

4.8 ग्रामीण विकास

इस खंड में ग्रामीण विकास को ग्रामीण सड़कों, आवास, रोजगार, पेयजल और स्वच्छता, पंचायतों के सशक्तिकरण एवं क्षमता वर्धन के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। अध्याय के अधिकांश खंडों/ उप-खंडों मे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं के अतर्गत वर्ष 2022-23 मे दर्ज की गई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को रेखांकित किया गया है, साथ ही मध्यप्रदेश की स्थिति एवं राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ देश के कुछ अन्य राज्यों के बीच जहां भी सम्भव हो, तुलनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह खंड समावेशी आर्थिक विकास को प्राप्त करने में ग्रामीण विकास की भूमिका को वर्णित करने का एक प्रयास है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण मुख्यतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं म.प्र. ग्रामीण संपर्कता परियोजना के माध्यम से कराया गया है। ग्रामीण सड़क संपर्क स्थाई रूप से गरीबी उपशमन तथा आर्थिक विकास की मुख्य धारा में ग्रामीण क्षेत्रों का समेकन सुनिश्चित करने का एक अहम साधन है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने राज्यों की सहायता करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की जिसके अंतर्गत सामान्य विकासखंडों में 500 या उससे अधिक तथा जनजाति विकासखंडों में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है।

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना (एम.पी.आर.सी.पी.) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें 10,000 कि.मी. ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण हेतु चयन कर 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 150 से 499 की आबादी के ग्राम तथा जनजाति क्षेत्र में 100 से 249 तक की आबादी के ग्राम परियोजना में शामिल किये गए हैं। उपरोक्त परियोजना AIIB द्वारा वित्त पोषित है तथा परियोजना की कुल लागत 3263 करोड़ है। योजना अंतर्गत 11,731 कि.मी. मार्गों के काम आवंटित किये जा चुके हैं। अद्यतन स्थिति में 9871 कि.मी लंबाई के मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है जिस पर राशि रुपये 2826.71 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2022-23 का वित्तीय लक्ष्य राशि रु. 500 करोड़ के सापेक्ष

में अद्यतन स्थिति में राशि रुपए 230 करोड़ का व्यय हो चुका है। वर्ष 2022-23 में भौतिक लक्ष्य 1328 कि.मी सड़क निर्माण के सापेक्ष अद्यतन स्थिति में 641 कि.मी लंबाई की सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

इसी प्रकार सामान्य क्षेत्र में 500 से कम तथा जनजाति क्षेत्र में 250 से कम आबादी के ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु ''मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना'' का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से वर्तमान तक पात्र 8,942 ग्रामों को जोड़ने हेतु लगभग 20,092 किलो मीटर लंबाई की 8,714 सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 31 दिसंबर, 2022 तक 8,294 सड़कें, लंबाई 19,138 किलोमीटर का कार्य पूर्ण करके 8,458 ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता से जोड़ा जा चुका है जिन पर 31 दिसंबर, 2022 तक राशि रू. 3481 करोड़ व्यय किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित की गई ग्रेवल सड़कों में संधारण योग्य वैसी सड़कें जिनकी पेवमेंट कन्डिशन इंडेक्स (पीसीआई) वैल्यू 2 अथवा 2 से कम है, ऐसी 2695 किलोमीटर की 1121 सड़कों में मनरेगा के अभिसरण से पीरियोडिकल री-ग्रेवलिंग हेतु राशि रू.121.50 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मार्च, 2022 में जारी की जाकर 31 दिसंबर, 2022 तक 629 किमी का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिन पर राशि रू. 32.53 करोड़ का व्यय किया गया है।

वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 4000 कि.मी. निर्माण का भौतिक लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष अद्यतन स्थिति में 2443 कि.मी. निर्माण कि उपलब्धि प्राप्त की गई है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वित्तीय लक्ष्य रुपए 2000 करोड़ निर्धारित था, जिसके सापेक्ष अद्यतन स्थिति में राशि रुपए 1385 करोड़ व्यय किये जा चुकें हैं। वर्ष 2022-23 हेतु 27 संपर्क विहीन बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष 8 बसाहटों को सम्पर्कता प्रदान की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-1 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य की कुल संपर्कता विहीन 17541 पात्र बसाहटों को जोड़ने के लिए 72997 किमी लंबाई की सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन स्थिति में 72926 कि.मी. लंबाई की 18928 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जाकर 17522 बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है। वर्तमान में शेष 71 कि.मी. सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिससे बची हुई लगभग 19 बसाहटें जोड़ी जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त योजनांतर्गत 658 वृहद पुलों की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है, जिसमें से 619 पुलों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-2 अंतर्गत भारत सरकार से आर्थिक आधार पर रूरल मार्किट सेंटर एक रूरल हब को जोड़ने वाली पूर्व से निर्मित सड़कों का उन्नयन कार्य किये जाने हेतु प्रदेश को 4900 कि.मी. मार्ग के उन्नयन का लक्ष्य दिया गया है। जिसके तहत 4984 किमी लंबाई के 374 मार्गो एवं 245 नग पुलों के निर्माण हेतु रुपये 3599.4 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में 4884 कि.मी. के 368 मार्गों तथा 235 पुलों का निर्माण पूर्ण किये गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3 का उद्देश्य पूर्व से निर्मित ग्रामीण मार्गो, जो कि शिक्षण, चिकित्सा, कृषि बाजार एवं यातायात अवसंरचना को जोड़ते है, का उन्नयन करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8938.15 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है, जो कि 12365 किमी लंबाई के 1077 मार्गों एवं 606 नग बड़े पुलों की स्वीकृति दी गई है, इनमें से 541 मार्गों 9276 कि.मी. लंबाई एवं 180 बड़े पुलों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्य वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की मांग करने पर कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करती है।

वर्ष 2022-23 में स्वीकृत लेबर बजट 20 करोड़ मानव दिवस के सापेक्ष 19.98 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गए हैं। समतुल्य बजट आवंटित राशि रुपए 6800 करोड़ के सापेक्ष रुपए 6611 करोड़ व्यय किये गए हैं। कुल सृजित मानव दिवस में महिलाओं द्वारा 8.29 करोड़ (41.51 प्रतिशत) सृजित किये गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के श्रमिकों द्वारा 2.82 करोड़ (14.14 प्रतिशत) तथा जनजाति परिवारों द्वारा 6.38 करोड़ (31.93 प्रतिशत) मानव दिवस सृजित किये गए। जनजाति श्रमिकों को रोजगार देने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2022-23 में अब तक मांग के आधार पर 46.91 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसमे 56,114 परिवारों द्वारा 100 दिवस का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस वर्ष अनुसूचित जाति के 5.89 लाख परिवारों तथा 13.97 जनजाति परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। योजनान्तर्गत 56541 दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा 14.56 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। इस वित्तीय वर्ष में 20,50,663 कार्यों का क्रियान्वयन करते हुए 7,15,249 परिसंपतियों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। इसके अतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत महिलाओं की आजीविका सुदृढ़ करने हेतु योजना अंतर्गत किये जा रहे कार्यों में कार्य स्थल प्रबंधन हेतु मेट के रूप में महिलाओं का चयन किया गया है।

चित्र 4.15: कुल मानव दिवस मे अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं की भागीदारी

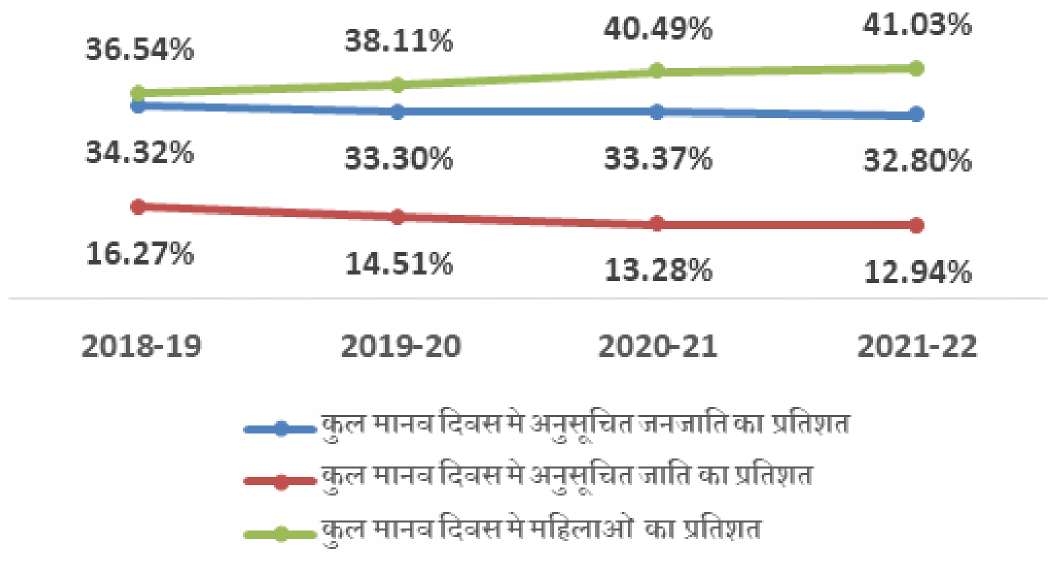

स्रोत: मनरेगा एम.आई.एस, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 23 जनवरी 2023

बॉक्स क्रमांक 2 - प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क निर्माण

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर मार्गों का निर्माण किया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश मे लगभग 5,320 मेट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करते हुए 10,685 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया गया है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की अवधि मे 1220 कि.मी. सड़कों का निर्माण हुआ है।

उपरोक्त तकनीक से सड़क निर्माण किये जाने पर प्लास्टिक अपशिस्ट के उपयोग होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है तथा शहरों/नगरों मे फैलने वाली गंदगी/कचरा मुक्त किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत अभियान का भी अहम भाग होगा।

प्रस्तुत लाइन चार्ट में पूर्व के वर्षों में मनरेगा अंतर्गत सृजित कुल मानव दिवस में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं की भागीदारी के प्रतिशत को प्रदर्शित किया गया है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत सृजित कुल मानव दिवस में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 36.54 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2021-22 में बढ़कर 41.03 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल मानव दिवसों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का प्रतिशत क्रमशः 16.27 प्रतिशत एवं 34.32 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2021-22 में क्रमशः12.94 प्रतिशत एवं 32.80 प्रतिशत रहा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्ष 2024 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने एवं पिछली आवास योजनाओं की कमियों को दूर करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाए–जी) में पुनर्गठित कर दिनांक 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में मध्यप्रदेश में क्रमशः 5.60 लाख एवं 7.18 लाख आवास पूर्ण किये गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10,000 राजमिस्त्री प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण में लगभग 7552 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है, द्वितीय चरण में 2448 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण प्रारंभ कराया जा रहा है।

योजना के प्रारंभ वर्ष 2016-17 से कुल लक्ष्य 38.23 लाख में से कुल 37.99 लाख आवासों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके सापेक्ष अद्यतन स्थिति में 31.40 लाख आवास (82.65 प्रतिशत) पूर्ण किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत 5.54 लाख महिला, 2246 भूमिहीन, 6.68 लाख अनुसूचित जाति, 14.15 लाख अनुसूचित जन जाति एवं 16.70 लाख अन्य परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

चित्र 4.16: पीएमएवाए–जी अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवासों की स्थिति

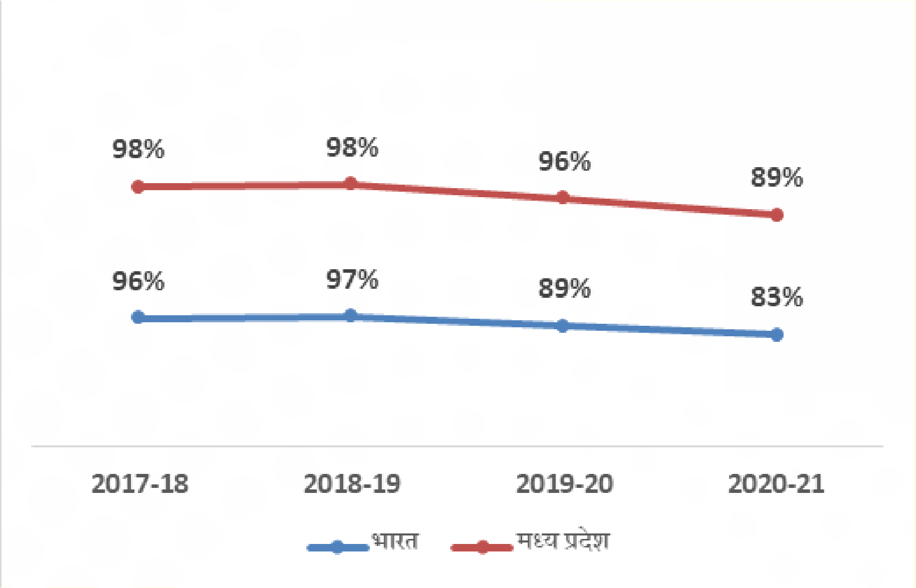

स्रोत: डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दिनांक 23 जनवरी 2023

प्रस्तुत लाइन चार्ट भारत एवं मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवासों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कि अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 98% से 89% तक आवास पूर्ण किये गए हैं।

इसी प्रकार प्रस्तुत लाइन चार्ट योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष पूर्ण आवासों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष क्रमशः 98% से 89% तक आवास पूर्ण किये गए हैं। स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भारत की तुलना में मध्यप्रदेश ने इस क्षेत्र में बेहतर प्रगति दर्ज की गई है।

चित्र 4.17 पीएमएवाए–जी अंतर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष पूर्ण आवासों की स्थिति

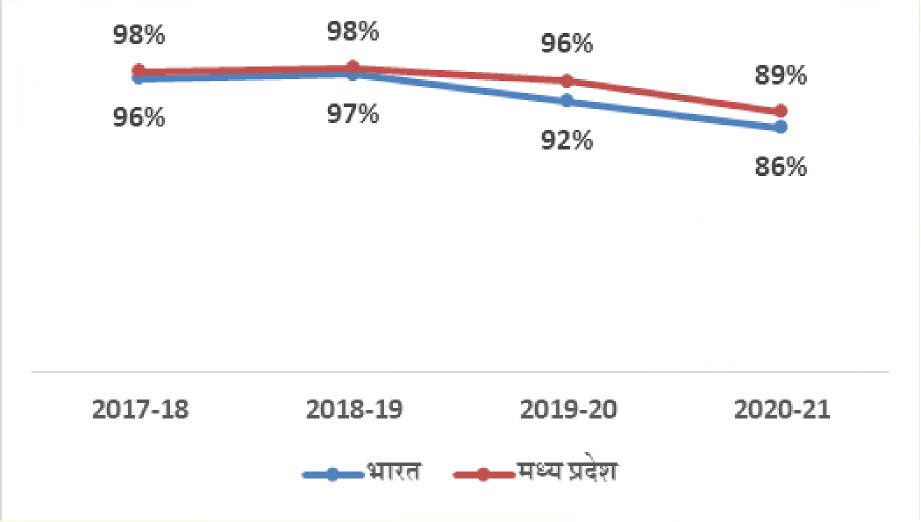

स्रोत: डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दिनांक 23 जनवरी 2023

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), के प्रथम चरण (02 अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2020 तक) अंतर्गत 62.90 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय निर्मित हुए। प्रदेश के समस्त जिलों के ग्रामीण घरों में वीएलएस 2012 के लक्ष्य अनुसार शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर समस्त घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा कर 02 अक्टूबर 2018 को सम्पूर्ण प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ जो वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगा। द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम को ओडीएफ प्लस बनाना है। मध्यप्रदेश में इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण अंतर्गत प्रारम्भिक वर्ष में 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2022 तक ग्रामों में ओडीएफ स्थायित्व के लिए 4,36,538 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL), 14,813 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) निर्मित किये गए है। साथ ही 24,323 ग्रामों को ठोस अथवा तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्यवाही पूर्ण कर उक्त ग्रामों को ओ डी एफ प्लस घोषित किया गया है, जिसमें से 14,796 ग्राम मॉडल श्रेणी में ओ डी एफ प्लस घोषित हुए हैं। इसी क्रम में गोबर्धन परियोजना अंतर्गत 40 बायो-गैस सयंत्र निर्माण पूर्ण किये गए हैं। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु एवं सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान जैसे स्वच्छता ही सेवा, ग्राम नंबर वन, कचरा कीचड़ मुक्त गाँव चलाए जाकर प्रदेश के समस्त ग्रामों में स्वच्छता संवाद किये गए।

योजनान्तर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम), तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एल.डब्ल्यू.एम) जैसे घटकों की लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है :-

अ.लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक प्रगति

तालिका 4.8 : व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (संख्या)	उपलब्धियां (%)
1	2013-14	2627	2627	100
2	2014-15	511230	511230	100
3	2015-16	1016052	1016052	100
4	2016-17	1859308	1859308	100
5	2017-18	2352979	2352979	100
6	2018-19	749350	749350	100
7	2019-20	603803	603803	100
8	2020-21	97755	97755	100
9	2021-22	235369	235369	100
10	2022-23	241180	114424	47.44

स्रोत: (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2022)

तालिका 4.9: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (संख्या)	उपलब्धियां (%)
1	2021-22	22061	5318	24.11
2	2022-23	15890	13276	83.55

स्रोत: (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2022)

तालिका 4.10: तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एल.डब्ल्यू.एम)

क्र.	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां (संख्या)	उपलब्धियां (%)
1	2021-22	22061	5158	23.38
2	2022-23	15890	20714	130.36

स्रोत: (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2022)

ब. लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय प्रगति

तालिका 4.11 - लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय प्रगति

क्र.	वर्ष	लक्ष्य (रुपए लाख में)			उपलब्धियां (रुपए लाख में)
		केंद्र	राज्य	कुल	
1	2014-15	Nil	15000.60	15000.60	29109.49
2	2015-16	22028.19	10288.64	32316.83	95730.17
3	2016-17	136481.02	114379.02	250860.04	243506.80
4	2017-18	134044.56	89363.04	223407.60	207169.20
5	2018-19	59093.53	27315.69	86409.22	93794.53
6	2019-20	24265.39	10734.62	35000.01	52625.78
7	2020-21	6750.03	28243.45	34993.48	43629.99
8	2021-22	30000.00	20000.00	50000.00	53474.83
9	2022-23	26000.00	14000.00	40000.00	37605.00

स्रोत: (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2022)

जल जीवन मिशन

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा हैंडपंप एवं नल जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश की 1.27 लाख बसाहटों में लगभग 5.62 लाख हैंडपंपों

एवं 20 हजार से अधिक नल जल योजनाओं के माध्यम से 80,221 बसाहटों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से जल उपलब्ध करवाकर उन्हे पूर्णतः कवर किया गया है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। एकल ग्राम नल जल योजनाओं में 20,667 ग्रामों में लागत राशि रुपए 13,610.49 करोड़ स्वीकृत की गई है तथा 15,420 ग्रामों की 48 समूह नल-जल योजनाए लागत राशि रुपए 29,022.67 करोड़ स्वीकृत की है। इन सभी स्वीकृत योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है तथा इनके माध्यम से लगभग 20.95 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त होंगे।

देश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन उपरांत कुल 19,26,57,780 ग्रामीण परिवारों में से 12 जनवरी 2023 तक की अवधि में 56.23 % (10,83,36,930) ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में कुल 1,19,88,753 ग्रामीण परिवारों में से 12 जनवरी 2023 तक की अवधि में 46.50% (55,75,158) ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत वर्ष 2004 से परिवर्तित भोजन व्यवस्था अंतर्गत दोपहर में पका हुआ गरम एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मीनू अनुसार प्रदाय किया जा रहा है। यह योजना सभी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में क्रियान्वित की जा रही है तथा इसका उद्देश्य शिक्षा का लोकव्यापीकरण, शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराना एवं उनके पोषण स्तर में सुधार करना भी है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में माह नवंबर 2022 तक प्रदेश में 66.23 लाख विद्यार्थी दर्ज हैं एवं औसत उपस्थिति अनुसार 53.12 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल 1.25 लाख मी.टन खाद्यान्न (गेंहूं/चावल) का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध पोर्टल के माध्यम से माह अप्रैल, 2022 से नवम्बर 2022 तक कुल 81768.97 मी.टन खाद्यान्न जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 1,12,006.84 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध राशि रुपये 45,325.36 लाख व्यय किया गया तथा 2.03 लाख रसोईयों को राशि रुपये 40.70 करोड प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक 173 किचिनशेड का निर्माण किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 22,645 में से कुल 18,181 (80 प्रतिशत) माँ की बगिया निर्मित की गई हैं।

बॉक्स 4.2: अभिनव प्रयास

- प्रदेश के 29 हाईबर्डन / आकांक्षी जिलों में फोर्टीफाइड चावल का वितरण कराया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं भुगतान में समयबद्धता लाने हेतु पीएम पोषण पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से रसोईयों के मानेदय का भुगतान सीधे बैंक खाते में तथा संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को शालावार खाद्यान्न आवंटन किया जा रहा है।

स्रोत: (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2022)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण शहरीय अंतर अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिक एवं सुविधाओं तथा सेवाओं से जुड़े अंतर को कम करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी उपशमन पर बल देते हुए

स्थानीय आर्थिक विकास को बल देना है। रुर्बन मिशन के अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ इन क्षेत्रों में विकास के कार्यों का व्यापक प्रसार करना है।

रुर्बन मिशन अंतर्गत तीन चरणों में 15 जिलों के 18 संकुल (11 जनजातीय तथा 07 गैर जनजातीय) की 166 ग्राम पंचायतों के 338 ग्रामों को निर्धारित मापदंडों अनुसार चयनित किया गया है। योजना अंतर्गत समस्त भुगतान भारत सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से लागू की गई PFMS भुगतान प्रणाली से किये जा रहे हैं तथा पूर्व में किये गये भुगतान को लिगेसी डाटा एंट्री की पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया। मिशन अंतर्गत महिला समूह के माध्यम से पेय जल की व्यवस्था का संचालन एवं संधारण किया गया। सामुदायिक भवनों के संधारण का दायित्व आजीविका सृजन हेतु महिला स्व सहायता समूह को दिया गया। मिशन अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण न करते हुए कार्यों व परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा हैं -

तालिका 4.12: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

वर्ष	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति
2020-21	-	30.35 करोड़
2021-22	1286	39.92 करोड़

(स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2022)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) 60% केंद्रीय हिस्सेदारी और 40% राज्य की हिस्सेदारी के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना वर्ष 2026 तक प्रभावी है और इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ एवं सशक्त बनाना है।

वर्ष 2021-22 में प्राप्त राशि रुपये 88.97 करोड़ थी, जिसे पूर्णत: उपयोग किया जा चुका है। 01 अप्रैल 2022 को विगत वर्षों की शेष राशि रुपए 155.80 करोड़ थी, जिसमें से माह नवंबर 2022 तक अनुमानित राशि रुपये 59 करोड़ व्यय के पश्चात लगभग राशि रुपये 96 करोड़ शेष है, जिनके आदेश जारी हो चुके है।

वर्ष 2022-23 में लगभग 80628 प्रतिभागियों का ग्रामीण विकास एवं सतत् विकास से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। दिनांक 11 मई 2022 को कार्यशाला आयोजित कर सतत् विकास लक्ष्यों एवं स्वच्छ एवं हरित ग्राम थीम पर ग्राम उर्जा स्वराज कार्यशाला में विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा आये पंचायत पदाधिकारियों के साथ चर्चा परिचर्चा की गई। वर्ष 2022-23 में संपूर्ण प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों के चिन्हित संकाय सदस्यों का उन्मुखीकरण किया जाकर संकाय सदस्यों द्वारा संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रमुख उपलब्धियां

- सबका विकास' जन अभियान (Peoples Plan Campaign) - भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित "सबकी योजना सबका विकास" जन अभियान अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों के द्वारा शत-प्रतिशत जीपीडीपी निर्माण एवं अपलोडिंग किया जाकर राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है तथा वर्ष 2022-23 की ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई जाकर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 99.91% अपलोड की जा चुकी है।
- वर्ष 2021-22 कुल 374724 जन प्रतिनिधियों, विभागीय व मैदानी अमला, महिला समूह सदस्य, युवा, GPLPFT /VPLPFT सदस्य, मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण में मध्यप्रदेश का चतुर्थ स्थान रहा साथ ही वर्ष

2021-22 में सहभागी ग्राम विकास योजना (GPDP) एवं महिला समूहों द्वारा निर्मित गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना का समावेश करते हुए निर्माण में मध्यप्रदेश का तृतीय स्थान रहा। वर्ष 2022-23 में अब तक 80628 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण किया जा चुका हैं।

- वर्ष 2023-24 की ग्राम पंचायत विकास योजना बनाये जाने हेतु सभी 52 जिलों के नोडल अधिकारियों को राज्य स्तर से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना विभिन्न विभागों के अभिसरण से चलाई जा रही है। योजना के तहत माननीय सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक 69 ग्राम पंचायतों एवं द्वितीय चरण (वर्ष 2019 से 2024) में 49 ग्राम पंचायतों को इस प्रकार अब तक कुल 118 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है।

पंचायतों का सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में जिला पंचायत भोपाल एवं नरसिंहपुर, जनपद पंचायत राहतगढ एवं बिजावर तथा ग्राम पंचायत पंवार चौहान, जेतापुरकला, धनवाडा, बिल्लोद माल, धेडिया, सिहोदा, गवली पलासिया, केशरपुरा, हडली, भुलाया, सनवाडा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ग्राम पंचायत गंगाखेडी एवं ग्राम पंचायत जोरासी को ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार तथा ग्राम पंचायत पंवार चौहान को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

संदर्भ

- पिथोडे तरुण (मई, 2022). मध्यप्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों का संरेखण कैसे हो: द इकोनॉमिक टाइम्स.
- खाद्य और उपभोक्ता मामलों के विभाग, जी (2022). एईपीडीएस पोर्टल. एम.पी. खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग.
- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, एफ.ए. (2021). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल का फोर्टिफिकेशन और उसका वितरण. नई दिल्ली: पीआईबी, भारत सरकार.
- कृषि विभाग, सीए (2021). वार्षिक रिपोर्ट 2020-21. नई दिल्ली: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, (2022). भोपाल. मध्यप्रदेश शासन.
- एमपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, (2022). भोपाल. मध्यप्रदेश शासन
- उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश, (2022). भोपाल. मध्यप्रदेश शासन
- वित्त विभाग, (2022). मध्यप्रदेश का वार्षिक बजट. भोपाल. वित्त विभाग, मध्यप्रदेश सरकार.
- भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, (2023). जल जीवन मिशन - हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार.
- आर्थिक मामलों का विभाग, (2023). आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23. नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
- मध्यप्रदेश सरकार खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण. (2022). प्रशासनिक रिपोर्ट. मध्यप्रदेश सरकार.
- मध्यप्रदेश सरकार खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग. (2022). प्रशासनिक रिपोर्ट. खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- आर्थिक कार्य विभाग, (2023). आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
- वित्त विभाग, (2022). मध्यप्रदेश का वार्षिक बजट. भोपाल. वित्त विभाग, मध्यप्रदेश सरकार.
- एसएलबीसी, (2021-22). वार्षिक क्रेडिट योजना. भोपाल. राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी.
- मनरेगा, (2023) एमआईएस. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एमआईएस पोर्टल, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

अध्याय - 5

उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना

अध्याय - 5

उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना

यह अध्याय क्रमिक रूप से बड़े उद्योगों, एमएसएमई और पारंपरिक उद्योगों की स्थिति और पहल से संबंधित है। इसके बाद यह राज्य में ऊर्जा और जल संसाधनों के बुनियादी ढांचे के पहलुओं पर चर्चा करता है।

मैक्रो परिपेक्ष्य

राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, राज्य की क्षमता का लाभ उठाने के लिए 2020-21 में जारी 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2023' पर कार्य किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र और पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप के तहत, शासन द्वारा उद्योगों को बढ़ाने, मार्केट लिंकेज में सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण तक बेहतर पहुंच के लिए वित्तीय संस्थानों को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है; सतत और जिम्मेदार पर्यटन (रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्थायी औद्योगीकरण को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और "वोकल फॉर लोकल" रणनीति के माध्यम से नवाचारों को प्रोत्साहित करना है।

राज्य ने रोजगार के अवसर पैदा करने, वैकल्पिक स्थायी समाधानों के उपयोग को प्रोत्साहित करने, निवेश आकर्षित करने, सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक अवसरों को उपलब्धता के लिए नीतिगत सुधारों को प्राथमिकता दी है।

नवाचार-संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने और नवाचार की भावना को विकसित करने के लिए, शासन ने 'मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2022' लॉन्च की है। राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए और एमएसएमई इकाइयों का विस्तार करने के लिए 'मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022' शुरू की गई है। राज्य ने बाजार की पहल और व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरेखण द्वारा सौर क्षमता का दोहन करने के लिए 'नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022' प्रस्तुत की है। मध्यप्रदेश में इथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 'इथेनॉल और जैव-ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना 2021' शुरू की गई है। निवेश आकर्षित करने, प्रोत्साहन प्रदान करने और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, शासन ने 'एमएसएमई विकास नीति 2021', 'औद्योगिक संवर्धन नीति 2021' तैयार की है। 'एमएसएमई क्लस्टर विकास योजना' राज्य में एमएसएमई के लिए क्लस्टर विकास का मार्गदर्शन करती है। राज्य ने मध्यप्रदेश के सभी जिलों में एक जिला, एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य जिलों के आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

राज्य के भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए, राज्य सरकार ने सहायक बुनियादी ढांचे, अनुकूल नीतिगत ढांचे और परिचालन सुधारों का निर्माण करके बहु-क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। उद्योग, एमएसएमई और पर्यटन क्षेत्रों पर अगले खंड में चर्चा की गई है।

5.1 उद्योग

5.1.1 नीतिगत पहल

राज्य ने अर्थव्यवस्था को विकास उन्मुख क्षेत्रों की ओर ले जाने के लिए भविष्य की नीतियां तैयार की हैं।

औद्योगिक संवर्धन और निवेश आकर्षित करना

इथेनॉल और जैव-ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना 2021: मध्यप्रदेश में इथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी, रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इथेनॉल और जैव-ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना वर्ष 2021 शुरू की गई है। शासन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक पेट्रोल के साथ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल के 10% सम्मिश्रण और वर्ष 2025 तक 20% के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करना है। इस योजना का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना, पानी का संरक्षण करना, आयात निर्भरता को कम करना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना जैसे कई परिणाम प्रदान करना है।

उद्योग संवर्धन नीति 2021 निवेश हेतु उपयुक्त वातावरण को प्रभावशाली रूप से बनाए रखने के लिए कार्यरत है। वर्ष 2021-22 में, इस नीति में प्रदान की गई सुविधा और सहायता के अंतर्गत राशि रूपए 445.79 करोड़ स्वीकृत और वितरित की गई थी। इस नीति के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान विनिर्माण, जैव प्रौद्योगिकी, हर्बल लघु उपज और आईटी क्षेत्र की मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए आवधिक छूट और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। (डीआईपीआईपी, 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट)

व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाना

मध्यप्रदेश ने पर्यावरण पंजीकरण, श्रम पंजीकरण, उपयोगिता अनुमति प्राप्त करने, निरीक्षण सुधार, श्रम पंजीकरण, एकल खिड़की प्रणाली से संबंधित व्यावसायिक सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वर्ष 2020 के लिए राज्यों का आकलन जून माह 2022 में जारी किया गया था जिसमें मध्यप्रदेश को 'अचीवर्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। (व्यापार सुधार कार्य योजना, 2020 के लिए राज्यों का आकलन)

निवेशकों को पारदर्शी, समयबद्ध सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्रणालियां स्थापित की गई हैं। राज्य औद्योगिक भूमि बैंक पोर्टल, प्रचलित भूमि दरों, कनेक्टिविटी और उपयोगिता बुनियादी ढांचे के साथ सभी राज्य के स्वामित्व वाले औद्योगिक सम्पदा के बारे में विवरण के साथ भूमि और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को प्रदर्शित करने के लिए एक जीआईएस प्रणाली; एकीकृत नया उद्यम प्रतिष्ठान (Integrated New Venture Establishment- INVEST) जिसमें औद्योगिक परियोजनाओं के प्रस्तावों के कार्यान्वयन, पूर्णता और निगरानी, इकाई को सभी सुविधाओं का अनुमोदन और वितरण शामिल है; मध्यप्रदेश सिंगल विंडो सिस्टम निवेशकों के लिए एक वनस्टॉप पोर्टल है जो राज्य से संबंधित सभी व्यावसायिक अनुमोदनों तक डिजिटल रूप से पहुंच सकता है और उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार उनके लिए आवेदन कर सकता है।

5.1.2 उद्योगों का स्नैपशॉट

सकल वर्धित मूल्य (GVA)

राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) तालिका क्रमांक 5.1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका : 5.1 प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि द्वारा जोड़ा गया सकल वर्धित मूल्य

(राशि करोड़ रुपये में)

आर्थिक गतिविधि	वर्ष 2011-12	वर्ष 2015-16	वर्ष 2021-22 (Q)	वर्ष 2022-23 (A)
विनिर्माण	38,286	51,912	89,986	1,00,019
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	9,031	21,527	36,304	40,703
निर्माण	34,954	43,725	79,259	93,594
द्वितीयक क्षेत्र	82,272	1,17,164	2,05,549	2,34,316

स्रोत: (आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, 2022)

उपरोक्त ट्रेंड द्वितियक क्षेत्र में सभी गतिविधियों के बढ़ते योगदान को दर्शाती है। वर्ष 2022-23 में, द्वितियक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान (42.69%) सबसे अधिक है, इसके बाद निर्माण क्षेत्र (39.94%) और बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं (17.37%) हैं। विगत एक दशक में बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि 15.63% हुई है, निर्माण क्षेत्र की वृद्धि 10.70% और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 10.06% हुई है। (आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, 2022)

कारखानों की संख्या और स्थायी पूंजी (Fixed Capital)

कारखानों की बढ़ती संख्या आर्थिक विकास और उत्पादकता के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती है। चित्र क्रमांक 5.1 मध्यप्रदेश में डेढ़ दशक की अवधि में कारखानों और निवेशित स्थायी पूंजी की स्थिति प्रस्तुत करता है। कारखानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और छ: वर्षों (2004-05 से 2009-10) की अवधि में 16.34 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। विगत एक दशक में कारखानों की संख्या में 13.27 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

चित्र 5.1 : कारखानों की संख्या और निश्चित पूंजी

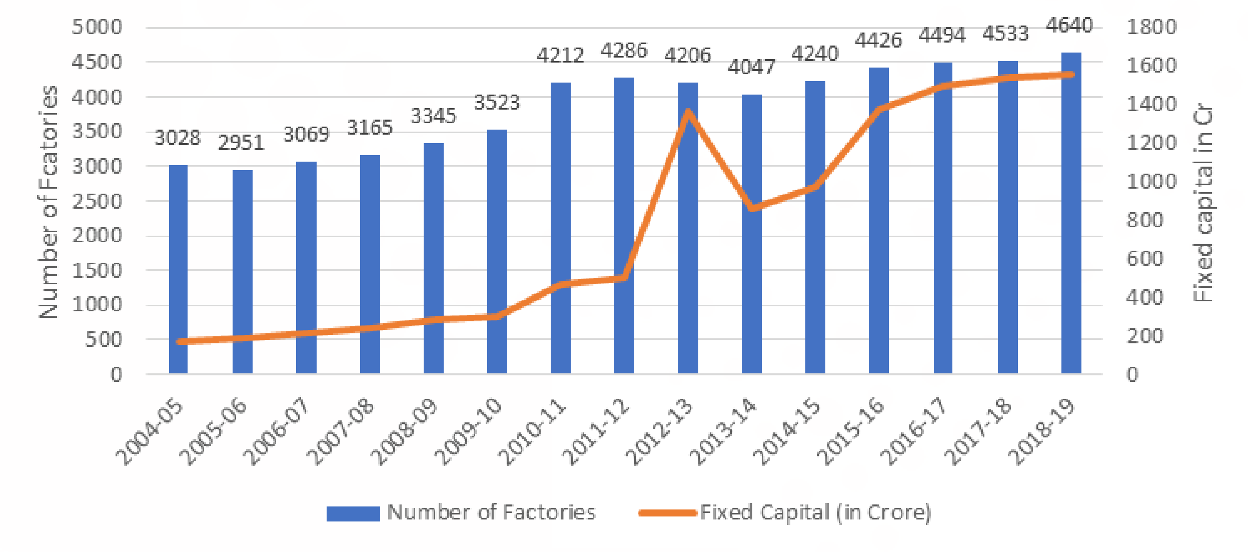

स्रोत: (उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2020)

वर्ष 2004-05 से वर्ष 2012-13 तक स्थिर पूंजी निवेश में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। वर्ष 2013-14 के बाद स्थिर पूंजी वृद्धि लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2014-15 के बाद के फिक्स्ड कैपिटल वैल्यू में उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह राज्य में अधिक पूंजी-सघन उद्योगों में निवेश की ओर इशारा करता है। यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के राज्य के सकारात्मक प्रयासों को दर्शाती है।

कारखानों में सकल उत्पादन और कुल मूल्य वर्धन (नेट वैल्यू एडैड)

सकल उत्पादन एक फर्म द्वारा निर्मित सभी उत्पादों के मूल्यों को प्रस्तुत करता है। चित्र क्रमांक 5.2 कुल मूल्य वर्धन (नेट वैल्यू एडैड) की प्रवृत्ति और 15 वर्षों की अवधि में कारखानों के सकल उत्पादन को प्रस्तुत करता है।

चित्र 5.2: कारखानों में सकल उत्पादन और कुल मूल्य वर्धन (नेट वैल्यू एडैड)

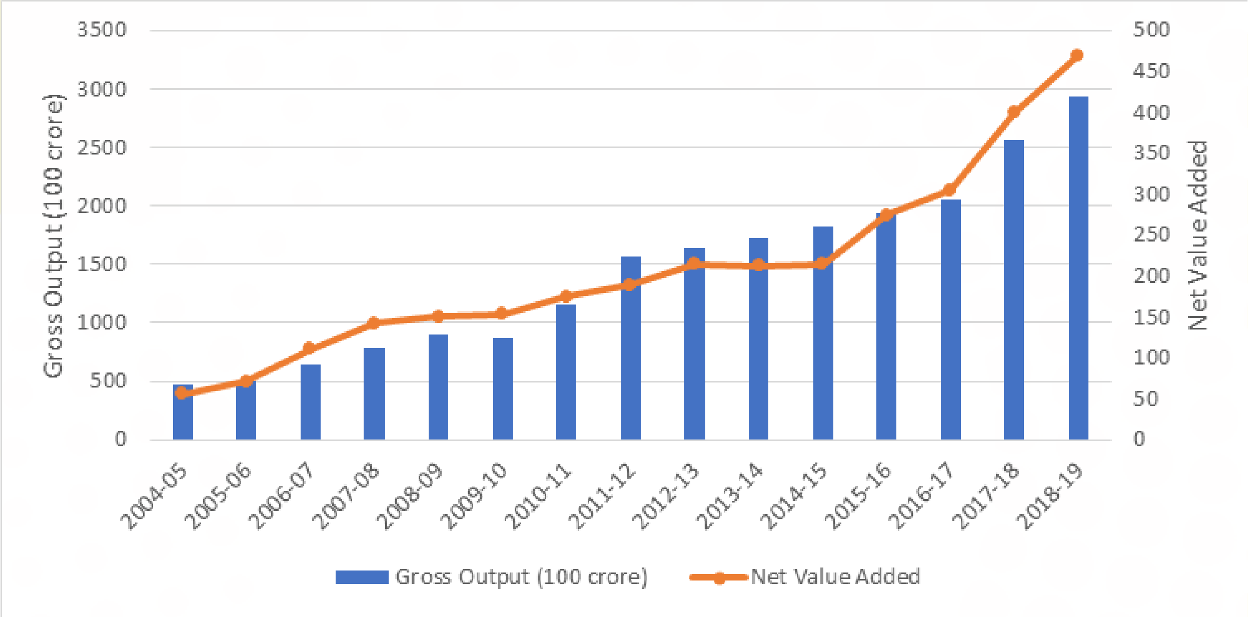

स्रोत: (उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2020)

कुल मूल्य वर्धन (नेट वैल्यू एडैड) की तेजी से वृद्धि अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण के लिए एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। यह इंगित करता है कि उद्योग आर्थिक मूल्य वर्धित प्रतिमान के बढ़ते हिस्से को कैप्चर करने में सक्षम हैं। वैश्विक विनिर्माण प्रक्रियाओं में, उच्च मूल्य वर्धन वाले उद्योगों को आमतौर पर तेजी से भविष्य के विकास और उच्च लाभप्रदता के लिए माना जाता है।

5.1.3. उद्योगों के लिए अधोसंरचना का समर्थन

क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए, शासन भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा को राज्य में विकास केंद्रों के रूप में विकसित कर रहा है। राज्य ने 231 औद्योगिक क्षेत्रों (एमएसएमई विभाग द्वारा 194 और डीआईपीआईपी द्वारा 37), छह फूड पार्क, आठ एकीकृत विकास केंद्र, तीन ड्राई पार्क, एक स्टोन पार्क, पीथमपुर में एक ग्रीनफील्ड एसईजेड, चार आईटी एसईजेड (इंदौर में एक सरकारी क्रिस्टल आईटी पार्क और तीन निजी रूप से संचालित एसईजेड-इंफोसिस, टीसीएस और इम्पेट्स) और इंदौर में एक परिधान पार्क (डीआईपीआईपी वेबसाइट) को अधिसूचित किया है। छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देश्यीय एसईजेड प्रस्तावित है और इंदौर में राज्य के हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक रत्न और ज्वेलरी पार्क भी होने जा रहा है (इन्वेस्ट मध्यप्रदेश वेबसाइट)। एमपीआईडीसी

द्वारा जनवरी माह 2023 की 'मध्यप्रदेश औद्योगिक पार्क प्रोफाइल और लैंड बैंक' पर रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का औद्योगिक भूमि बैंक औद्योगिक पार्कों के लिए 73015 हेक्टेयर प्रदान करता है, जिसमें से 19011 हेक्टेयर विकसित भूमि है। मध्यप्रदेश के पांच विकास केंद्रों में 76 विकसित, 19 विकासशील और 13 प्रस्तावित भूमि बैंक हैं, जिसमे से अधिकतम इंदौर क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य में छह प्रमुख शुष्क अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) भी हैं और इसने वेयरहाउसिंग की कुल क्षमता 240 लाख मीट्रिक टन बनाई गई है। राज्य में 28,000 मेगावाट (नवकरणीय ऊर्जा सहित) की स्थापित क्षमता के साथ बिजली का अधिशेष (surplus) है। इसमें नर्मदा के पानी का 900 MCM पानी औद्योगिक उद्देश्य के लिए आरक्षित किया गया है।

इसके अलावा भोपाल-इंदौर और अटल प्रोग्रेस-वे को एकीकृत आर्थिक विकास का मॉडल बनाकर नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस-वे के औद्योगिक विकास और निवेश क्षमता का आकलन प्रगति पर है। मध्यप्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में राशि रूपए 222.77 करोड़ की लागत से 360 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। राशि रूपए 95.08 करोड़ की लागत से देवास-2 और 3, पीथमपुर सेक्टर-1 और 2 तथा सेज (द्वितीय चरण), बानमौर जिला मुरैना, प्रतापपुरा जिला निवाड़ी, खैरिताईगांव-बोरगांव जिला छिंदवाड़ा, लमतारा जिला कटनी और फूड पार्क बाबई जिला होशंगाबाद नामक 07 मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों का उन्नयन किया गया है। इनके अलावा 09 मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र नामित जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर, एसईजेड फेज-2 इंदौर, निमरानी जिला खरगोन, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स इंदौर, मक्सी जिला शाजापुर, सिद्धगवां जिला सागर, नौगांव बीना जिला सागर, आईजीसी मनेरी जिला मंडला उन्नयन की प्रक्रिया में हैं (डीआईपीआईपी, 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट)।

राज्य चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के किनारों पर औद्योगिक गलियारा विकसित कर रहा है। राज्य दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) का हिस्सा है, जिसने पीथमपुर-धार-महू, रतलाम-नागदा, शाजापुर-देवास और नीमच-नयागांव सहित औद्योगिक और निवेश क्षेत्र स्थापित किए हैं। औद्योगिक विकास और रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य चार निवेश गलियारों (भोपाल-इंदौर, भोपाल-बीना, जबलपुर-कटनी-सतना-सिंगरौली और मुरैना-ग्वालियर-शिवपुरी-गुना) का निर्माण कर रहा है।

राज्य में चार प्रमुख परिचालन हवाई अड्डे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हैं। भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्यप्रदेश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से हैं। भोपाल हवाई अड्डे पर एयर कार्गो टर्मिनल ने जनवरी माह 2023 में परिचालन शुरू कर दिया है। राज्य में लगभग 20 प्रमुख रेलवे जंक्शन हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी, रतलाम, बीना, कटनी, आदि मुख्य रेलवे स्टेशन हैं।

5.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

5.2.1 नीतिगत पहल

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022: इस योजना का लक्ष्य स्व-रोजगार के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत ब्याज सहायता का उद्देश्य लाभार्थियों के लिए ब्याज लागत को कम करना और परियोजना व्यवहार्यता में वृद्धि करना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एमएसएमई इकाइयों का विस्तार करना है।

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022: शासन ने मध्यप्रदेश को स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए 'मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2022' शुरू की है। राज्य

सरकार का दृष्टिकोण स्कूल और कॉलेज स्तर पर अकादमिक हस्तक्षेप के माध्यम से स्टार्ट-अप की संस्कृति को संस्थागत बनाना और स्टार्ट-अप, निवेशकों, इनक्यूबेटरों और अन्य हितधारकों को जोड़कर एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए योजना के तहत कई योगदान किए गए हैं:

- **बाजार तक पहुंच:** मध्यप्रदेश सरकार ने अप्रैल माह 2018 में "पूर्व कारोबार", "पूर्व अनुभव" और "ईएमडी जमा करने" जैसे मानदंडों को शिथिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया ताकि स्टार्टअप को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- **फंडिंग सहायता:** मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022 के अनुसार, मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड और मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड को मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के साथ विलय कर दिया गया है ताकि स्टार्टअप को फंडिंग के लिए एक विशेष उद्यम पूंजी निधि बनाई जा सके। फंड का प्रारंभिक लक्ष्य आकार राशि रूपए 100 करोड़ है। राज्य द्वारा संचालित स्टार्टअप निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम जैसे बी-नेक्स्ट फाउंडेशन ने बी-नेक्स्ट स्मार्ट सिटी हैकाथॉन 2.0 और इनोनेक्स्ट चैलेंज 2020 का आयोजन किया गया ताकि स्टार्टअप को निजी फंडों और निवेशकों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वियन योजना 2022 में राशि रूपए 1 करोड़ के विशेष प्रोत्साहन के साथ राज्य नवाचार चुनौती, भोपाल में एक अलग स्टार्टअप केंद्र और वित्त, परियोजना प्रबंधन, विपणन और कानूनी मुद्दों के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है।
- **नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना:** फरवरी माह 2023 तक राज्य के स्टार्टअप पोर्टल में पंजीकृत 2597 स्टार्टअप हैं। यह पोर्टल स्टार्टअप के लिए उपलब्ध व्यापक विवरण के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने में सहायक रहा है। राज्य ने उभरते छात्र उद्यमियों का समर्थन करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कार्यक्रमों में उद्योग अकादमिक नवाचार जैसे विषयों पर विभिन्न वेबिनार आयोजित किये गए हैं। राज्य ने उभरते निवेश योग्य स्टार्टअप को उद्यमशीलता सहायता प्रदान करने के लिए राज्य भर के विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में एक उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (ईडीसी) की स्थापना की है।

भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में, मध्यप्रदेश ने वर्ष 2019 में 'इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम' से वर्ष 2021 में 'एस्पायरिंग लीडर' तक अपनी स्थिति में सुधार किया (राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग पर राष्ट्रीय रिपोर्ट, 2019, 2021)है, फरवरी माह 2023 तक, मध्यप्रदेश से 2787 डीपीआईआईटी पंजीकृत स्टार्टअप हैं, जिनमें से 1243 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं। मध्यप्रदेश के कुछ प्रमुख स्टार्टअप आरटीआईवाला, स्वहा, अपॉइंटमेंटी, विटीफीड और शॉप किराना हैं।

एमएसएमई विकास नीति 2021: राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन, समावेशी विकास, सक्रिय नीति एवं नियामकीय वातावरण बनाने, स्वरोजगार के अवसर सृजित करने और इनके माध्यम से प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से एमएसएमई विकास नीति 2021 जारी की गई है। (एमएसएमई विभाग, 2023).

एक जिला एक उत्पाद (ODOP - One District One Product): एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग एवं प्रचार-प्रसार किया जाता है। साथ ही प्रदेश के जिलों के चयनित उत्पादों के निर्माणकर्ता उद्यमियों को प्रदेश से बाहर संबंधित इकाईयों का भ्रमण, विशेषज्ञों से प्रशिक्षण, उत्पादों को ओर गुणवत्तापूर्ण बनाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इससे प्रदेश के स्थानीय उत्पाद प्रदेश के बाहर भी निर्यात हो रहे है और रोजगार के नए-नए अवसर सृजित हो रहें है। इन उत्पादों को देश/ प्रदेश के मुख्य स्थलों यथा संभव रेल्वे स्टेशनों/एमपी टूरिज्म के होटलों पर उत्पादों के डिस्प्ले एवं मिनीएचर बना कर प्रचार किया

जा रहा है। मध्यप्रदेश में 52 जिलों के कुल 38 अद्वितीय उत्पाद हैं। भविष्य में ओडीओपी में 'निर्यात हब के रूप में जिले', 'पीएम-एफएमई' जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाएगा।

5.2.2 वित्तीय आवंटन

शासन पर्याप्त बजट आवंटन और निवेश के माध्यम से एमएसएमई तैयार बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसएमई विभाग के लिए कुल बजट अनुमान राशि रूपए 656.08 करोड़ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (एमएमयूकेवाई) के लिए राशि रूपए 100 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जो स्व-रोजगार के लिए शासन की प्रमुख पहल है। प्रमुख योजना में बजटीय आवंटन का उल्लेख तालिका क्रमांक 5.2 में किया गया है।

तालिका 5.2: एमएसएमई विभाग की योजना आवंटन पर विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

विशेष	वास्तविक 2020-2021	वास्तविक 2021-22	बजट अनुमान 2022-23
एमएसएमई व्यापार निवेश संवर्धन	110.65	393.13	289.00
एमएसएमई का बुनियादी ढांचा विकास	87.20	88.01	90.00
क्लस्टर विकास	25.00	36.40	40.00
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (एमएमयूकेवाई) *	-	0.88	100.00
अन्य	258.42	272.54	137.08
कुल	**481.27**	**790.97**	**656.08**

स्रोत: (एमएसएमई विभाग, 2023) *MMUKY योजना जनवरी 2022 में शुरू की गई है।

5.2.3 एमएसएमई का स्नैपशॉट

एमएसएमई इकाइयां और रोजगार सृजन

उद्योग आधार मेमोरेंडम दाखिल करने की प्रणाली को 01 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण की प्रणाली के साथ बदल दिया गया था। भारत सरकार के उद्यम पोर्टल पर राज्य के एमएसएमई द्वारा उद्यमों के पंजीकरण का उल्लेख तालिका 5.3 में किया गया है।

तालिका 5.3: उद्यम पोर्टल में एमएसएमई पंजीकरण का विवरण

वर्ष	इकाइयों की संख्या
2020-21 (01 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021)	155450
2021-22	246513
2022-23 (31 जनवरी, 2023)	275879

स्रोत: (भारत सरकार का उद्यम पोर्टल, 2023)

वर्ष 2020-21 में (01 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए) 1.5 लाख इकाइयों को पंजीकृत किया गया, जिसमें 13 लाख के संभावित रोजगार थे। 31 जनवरी, 2023 तक पोर्टल पर कुल 2.7 लाख एमएसएमई इकाइयों को पंजीकृत किया गया है। इन इकाइयों में 14.4 लाख नौकरियां उत्पन्न करने की क्षमता है।

5.2.4 एमएसएमई के लिए अधोसंरचना का समर्थन

प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में अधोसंरचना विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह नवम्बर 2022 तक विकास कार्यों हेतु राशि रूपये 63.13 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं हेतु प्रदान की गई। फरवरी माह 2023 तक एमएसएमई विभाग द्वारा एमएसएमई के लिए 194 औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। प्रदेश में 22 क्लस्टरों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह 22 क्लस्टर्स इंदौर, नीमच, राजगढ़, खंडवा, शिवपुरी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन ज़िले में 380 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किए जा रहे है एवं इनमे लगभग 1,300 औद्योगिक इकाईयां स्थापित होने एवं लगभग राशि रूपये 5,400 करोड़ का निवेश होकर लगभग 50,000 रोजगार उत्पन्न होना संभावित है। (एमएसएमई विभाग, 2023)।

5.3. पारंपरिक उद्योग

5.3.1 खादी और ग्रामोद्योग विकास

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) : योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 20 हजार तक की आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इकाईयों की स्थापना हेतु 1199 इकाईयों को राशि रुपये 35.89 करोड़ मार्जिन मनी का वितरण किया गया, जिससे 12562 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक 337 इकाईयों में राशि रुपये 9.61 करोड़ मार्जिन मनी का वितरण कर 3,366 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। (खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 2022)

खादी और ग्रामोद्योग उत्पादन : मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सूती खादी, पॉली वस्त्र, रेशमी खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादन के कुल 14 उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 9.32 करोड़ का उत्पादन किया गया। इससें 548 कताई कर्ताओं/ बुनकरों को रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक राशि रुपये 1.68 करोड़ मूल्य का उत्पादन किया गया एवं 533 कताई बुनकरों को रोजगार प्रदान किया गया। (खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 2022)

खादी एवं ग्रामोद्योग विक्रय : प्रदेश में संचालित कुल 14 विक्रय एम्पोरियमों द्वारा वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 11.10 करोड़ की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री का विक्रय किया गया। वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक राशि रुपये 2.39 करोड़ के उत्पादों का विक्रय किया गया है। (खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 2022)

5.3.2 हथकरघा

हाथकरघा उद्योग परम्परागत एवं कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन की विरासत कों बनाये रखते हुये प्रदेश के बुनकरों को रोजगार भी प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 में माह सितम्बर, 2022 तक कार्वी संस्था की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 16.30 हजार हाथकरघे कार्यशील रहे है। कार्यशील करघों से लगभग 33.10 हजार बुनकर/ कारीगरों को रोजगार प्रदान किया गया।

वर्ष 2021-22 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प

क्षेत्र के लिये कौशल एवं तकनीकी विकास योजना तथा विपणन सहायता योजना के अतंर्गत कुल राशि रुपये 1.85 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, इससे कुल 698 हितग्राही लाभान्वित हुए एवं 06 मेलो का आयोजन किया गया।

वर्ष 2022-23 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना, हाथकरघा एवं हस्ताशिल्प क्षेत्रों के लिये विपणन सहायता योजना, कौशल एवं तकनीकी विकास सहायता योजना एवं कबीर बुनकार पुरूस्कार योजना अंतर्गत माह नवम्बर 2022 तक कुल राशि रूपये 1.04 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। उक्त सहायता से कुल 231 हितग्राही लाभावित हुए एवं 02 मेलों का आयोजन किया गया।

विपणन सहायता : शिल्पियों व बुनकरों को विपणन में सहायता देने के लिये निगम द्वारा 37 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे है, जिनमें से 13 प्रदेश के बाहर स्थित है। एम्पोरियमों द्वारा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज के लिए देश भर में प्रतिवर्ष प्रदर्शनियां लगाकर शिल्पों की बिक्री की जाती है। वर्ष 2021-22 में एम्पोरियमों के माध्यम से राशि रुपये 12.73 करोड़ के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की गई। निगम द्वारा सीधे मार्केट लिंकेज के लिये वर्ष 2021-22 में मार्च 2022 तक प्रदर्शनियां/एम्पोरियमों आयोजित की गई जिनमें राशि रुपये 16.46 करोड़ का विक्रय किया गया।

शासकीय प्रदाय : वर्ष 2020-21 में मार्च 2021 तक राशि रुपये 10.39 करोड़ के वस्त्र शासकीय विभागों को प्रदाय किये गये। वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 9.78 करोड़ के वस्त्रो का प्रदाय किया गया है, जिसमें 765 करधे संलग्न रहे एवं 1.42 लाख मानव रोजगार दिवस सृजन किया गया।

5.3.3 रेशम कीट पालन

कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्राम में ही ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपना जीविकोपार्जन सुचारु रूप से कर सकें। साथ ही महिलाओं को रोजगार का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराके उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना है। रेशम उद्योग की योजनाएँ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियाँ संचालित हैं।

मार्च माह 2021 तक 3.21 लाख किलो मलबरी कोया एवं 52.48 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ था, जिससे 4424 हितग्राही लाभान्वित हुये थे। 9.60 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया गया था।

मार्च माह 2022 तक 2.72 लाख किलो मलबरी कोया एवं 19.85 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ है, जिससे 3507 हितग्राहियों को लाभान्वित हुये हैं। 65.2 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलबंन केन्द्रो पर 91.60 हेक्टेयर क्षेत्र में अर्थात 156 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया गया है। वर्ष 2022-23 के सितंबर माह तक 0.31 लाख किलो मलबरी कोया एवं 2.46 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ है। (मध्यप्रदेश के रेशम उत्पादन निदेशालय, 2022)

रेशम संचालनालय द्वारा कृषको के चयन एवं पंजीयन प्रक्रिया को परदर्शी बनाने एवं लेखांकन तथा पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने हेतु ई-रेशम पोर्टल तैयार किया गया है। वर्तमान स्थिति में वर्ष 2020-21 तक 1751 वर्ष 2021-22 में 1548 नवीन पंजीकृत हुये जिसमें से 268 हितग्राहियों की भूमि पर पौधरोपण कराकर सहायता राशि रूपये 2.28 करोड़ का भुगतान किया गया है। (मध्यप्रदेश के रेशम उत्पादन निदेशालय, 2022)

5.4 पर्यटन

संरक्षित वन क्षेत्र एवं वन्य प्राणी, ऐतिहासिक भवन, मंदिर एवं धार्मिक महत्व के स्थल मध्यप्रदेश में पर्यटन के आर्कषण के प्रमुख केन्द्र हैं। पर्यटन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आजीविकाओं को सुदृढ़ करने की अपार संभावनाओं को देखते हुये राज्य शासन इस क्षेत्र को अत्यंत महत्व प्रदान करता है। विभाग की नीतिगत पहलों के कारण वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में धार्मिक पर्यटक स्थलों के लिए पर्यटकों की संख्या में 122% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2022 में गैर-धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों की संख्या में 58% की वृद्धि हुई।

5.4.1. नीतिगत पहल

राज्य ने पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियां जारी की हैं।

निजी निवेश को आकर्षित करना

राज्य ने पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियां जारी की हैं। पर्यटन नीति अंतर्गत प्रदेश में निजी निवेशकों द्वारा 17 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु वर्ष के दौरान पूँजीगत अनुदान के रूप में राशि रूपये 88.90 करोड़ का भुगतान किया गया। उक्त इकाईयों की स्थापना से प्रदेश में राशि रूपये 41795.21 करोड़ का निवेश हुआ जिससे 33.36 हजार लोगों को रोजगार मिला। हेरिटेज परिसम्पत्तियों (सिंहपूर पैलेस एवं राजनगर की गढ़ी) के विकास के लिए प्रदेश में रूपये 20 करोड़ पूंजी निवेश हुआ, जिससे 1600 लोगों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होगा। ब्राउन फील्ड मॉडल के 3 मार्ग सुविधा केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन हेतु निजी निवेशकों के साथ अनुबंध निष्पादन किया गया है, जिसमें रूपये 1.50 करोड़ पूंजी निवेश तथा लगभग 120 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित हुआ। निजी निवेशकों को प्रदेश के अधिसूचित वन क्षेत्रों की अतिरिक्त भूमियों पर कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन से संबधित गतिविधियों हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराने की 'एडवेंचर एवं कैम्पिंग नीति' लागू की गई है।

स्थानीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन एवं विनियमन) योजना 2019: पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति, परम्पराओं एवं भोजन के अनुभव सहित स्वच्छ वातावरण में ठहरने की सुविधा में जनभागीदारी को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये होम-स्टे इकाइयों की स्थापना, बेड एवं बेकफास्ट, ग्राम स्टे एवं फार्मस्टे योजना क्रियान्वित की जा रही है। (पर्यटन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट, 2021-22)

जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन: जिलों में वीकेंड एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजन तथा निजी निवेश से स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिये जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद् के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद् गठित की गई हैं।

ग्रामीण पर्यटन: मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों या पर्यटन महत्व के स्थलों के समीप स्थानीय/ग्रामीण समुदाय द्वारा संचालित सांस्कृतिक अनुभव आधारित ग्रामीण पर्यटन का प्रारंभ किया जा रहा है। पंचवर्षीय कार्ययोजना अन्तर्गत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 100 गांवों में कार्य किया जावेगा। मध्यप्रदेश के प्रमुख 06 सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्राम, हेरिटेज ग्राम में विकसित होंगे।स्थानीय गांवों/स्थलों पर स्थानीय व्यंजन, सांस्कृतिक अनुभव स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी। स्थानीय हस्तकला, हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाकर 02 गांवों में

प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रो को निर्माण किया जावेगा। जहां सतत् क्षमतावर्धन व उत्पादन का कार्य होगा। (पर्यटन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट, 2021-22)

सतत विकास को बढ़ावा देना

मध्यप्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन : मध्यप्रदेश में पर्यटन को अधिक उत्तरदायी और टिकाऊ बनाने के लिए प्रदेश में "मध्यप्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन" की शुरुआत की गई है। मिशन का मुख्य उद्देश्य पर्यटन से जुड़े स्थानीय समुदाय का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण है। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए केरल रेस्पोंसिबल पर्यटन मिशन, केरल सरकार और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म (आईसीआरटी) यूके के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

5.4.2. वित्तीय आवंटन

राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं और सरकार वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करके सर्वोत्तम प्रयास भी कर रही है। नीचे दी गई तालिका क्रमांक 5.4 में पर्यटन विभाग के बजट व्यय को प्रस्तुत किया गया है जो वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर उल्लेखित वित्तीय वर्षों के लिए बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रहा है, जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान लगभग राशि रूपये 244 करोड़ है।

तालिका 5.4: पर्यटन विभाग का बजट व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	2004-05 (ए)	2009-10 (A)	2014-15 (ए)	2019-20 (ए)	2020-21 (ए)	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
बजट व्यय	11.2	69.7	123.7	155.4	100.9	191.1	244.6

स्रोत: (विभिन्न वर्षों के मध्यप्रदेश का बजट)

पर्यटकों के आगमन का रुझान

वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में धार्मिक पर्यटक स्थलों और गैर-धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पर्यटन विभाग के अनुसार उज्जैन में महाकाल लोक के विकास ने वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में सबसे अधिक 1796% की वृद्धि को आकर्षित किया है। जबकि, सांची, उदयगिरि, पचमढ़ी, खजुराहो, शिवपुरी में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में पर्यटकों की संख्या में 100% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। स्थानवार फुटफॉल का उल्लेख नीचे तालिका 5.5 और 5.6 में किया गया है:

तालिका 5.5 : सामान्य पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आमद

(आंकड़े लाखों में)

स्थान	आगमन 2021	आगमन (2022)	वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 की वृद्धि
सांची	1.45	3.88	168%
उदयगिरि	0.34	0.78	130%
पचमढ़ी	1.30	2.74	111%

स्थान	आगमन 2021	आगमन (2022)	वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 की वृद्धि
खजुराहो	2.42	5.06	109%
शिवपुरी	6.74	13.66	103%
इंदौर	26.29	50.51	92%
भीमबेटका	0.84	1.53	82%
पेंच	1.23	2.07	69%
ग्वालियर	2.55	4.02	58%
भोपाल	15.00	23.31	55%
कान्हा	1.77	2.53	43%
भेड़ाघाट	4.94	6.57	33%
बांधवगढ़	1.45	1.92	32%
पन्ना	4.20	5.28	26%
धमनार	0.23	0.28	23%
मढ़ई	3.40	4.11	21%
मांडू	7.94	8.64	9%
आदमगढ़	0.18	0.19	8%
जबलपुर	10.19	10.48	3%
बुरहानपुर	0.40	0.41	2%
ओरछा	1.35	1.33	-2%
चंदेरी	0.50	0.44	-12%
कुल	**94.70**	**149.73**	**58%**

स्रोत: (पर्यटन विभाग, 2023)

तालिका 5.6 : धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की आमद

(आंकड़े लाखों में)

स्थान	आगमन 2021	आगमन 2022	वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 की वृद्धि
उज्जैन	9.6	181.6	1796%
मैहर	57.4	110.1	92%

स्थान	आगमन 2021	आगमन 2022	वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 की वृद्धि
ओंकारेश्वर	9.0	15.4	72%
अमरकंटक	14.2	24.3	71%
सलकनपुर	13.9	17.3	25%
दतिया	0.3	0.4	24%
भोजपुर	6.2	7.2	15%
महेश्वर	9.7	6.3	-35%
चित्रकूट	59.2	35.7	-40%
कुल	**179.6**	**398.4**	**122%**

स्रोत: (पर्यटन विभाग, 2023)

5.5 अधोसंरचना

मैक्रो परिप्रेक्ष्य

आर्थिक विकास के मापदंडों से अवसर बनाने के लिए भौतिक अधोसंराचना के विकास और इसके वित्तपोषण समान रूप से जुड़े हुए हैं। आवास, पानी और ऊर्जा की सुलभता और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय में यह है कि प्राइवेट सेक्टर को सेवा प्रदाता के रूप में नहीं, बल्कि पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है। अधोसंराचनाओ के प्रोजेक्टों में पूंजी व्यय के रूप में निवेश द्वारा समय के साथ महत्वपूर्ण रिटर्न मिलता है। राज्य सरकार ने भी राज्य के अधोसंराचना को मजबूत करने और सुधारने के लिए कई बड़े प्रयास किए हैं, और इन प्रयासों को इस अनुभाग में विस्तार से विवरण किया गया है।

5.5.1. नीतिगत पहल

नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022: राज्य ने राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने, राज्य के बाहर बिजली निर्यात बढ़ाने, विरासत शहरों को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 शुरू की है। नीति की प्रमुख घटक इस प्रकार हैं-

- वर्ष 2027 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना।
- वर्ष 2027 तक राज्य के ऊर्जा मिश्रण में तीस प्रतिशत (30%) नवीकरणीय ऊर्जा का अंश।
- वर्ष 2027 तक भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की योजना के तहत दस हजार (10,000) मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित पार्क का विकास करना।
- वर्ष 2027 तक राज्य के बाहर बिजली निर्यात करने के लिए दस हजार (10,000) मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।
- वर्ष 2030 तक 50,000 से अधिक नई नौकरियां पैदा करना।
- वर्ष 2030 तक मॉडल नवीकरणीय ऊर्जा शहरों और ग्रीन जोन को विकसित करने के लिए शुद्ध शून्य कार्बन आधार पर अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को तैनात करना।

- वर्ष 2030 तक सभी विरासत शहरों को 100% हरे शहरों के रूप में विकसित करना।
- प्रदेश में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। इसके लिए ई-वाहनों और परिवहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य संसाधनों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाएगा।

(मध्यप्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति, 2022)

5.5.2. वित्तीय आवंटन

विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के बजट का आवंटन मध्यप्रदेश बजट के खाते के विवरण में दिखता है जो इन्हें राजस्व या पूंजीगत व्यय के रूप में श्रेणीबद्ध करता है। निम्नलिखित तालिका क्रमांक 5.7 पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए इन दोनों श्रेणियों का संचित योग प्रदान करती है।

तालिका 5.7 : विभिन्न अधोसंरचना क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय)	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (आरई)	वर्ष 2021-22 (बीई)
(ए) जल, स्वच्छता और आवास				
पानी और आपूर्ति और स्वच्छता	3471	3557	4897	8412
आवास	6187	5543	4410	3181
शहरी विकास	6551	5540	5760	6212
(ब) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण				
प्रमुख सिंचाई	6620	7740	7927	7230
मध्यम सिंचाई	1604	1664	1725	1964
लघु सिंचाई	1103	645	572	628
कमान क्षेत्र विकास	111	70	33	37
(ग) ऊर्जा				
बिजली (पारंपरिक + नवकरणीय)	12343	14639	12287	16745
(घ) परिवहन				
सड़कें और पुल	7915	7304	6187	6957
कुल	**45907**	**46702**	**43797**	**51367**

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विभाग, शासन

राज्य मे बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर राजस्व और पूंजीगत व्यय के आकड़े राज्य के विकास की मिसाल प्रस्तुत करते है। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के बीच जल और स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता 142 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, जबकि इसी अवधि में ऊर्जा क्षेत्र में 35% से अधिक वृद्धि भी देखी गई है।

मध्यप्रदेश द्वारा पिछले कुछ वर्षों में राज्य सकल घरेलू उत्पाद एवं उच्च पूंजीगत व्यय के अनुपात को व्यवस्थित रखा है। पिछले पांच वर्ष (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक) में, पूंजीगत परियोजनाओं में अपने जीएसडीपी के औसत का 4.8% निवेश किया है। राज्य ने सिंचाई (15.08%), पानी और सीवेज (13.68%), सड़कें (9.6%), ग्रामीण विकास (8.07%), और शिक्षा (5.78%) में बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है।

जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन, खपत-संचालित आर्थिक विकास और बाजार एकीकरण के कारण, मध्यप्रदेश में अब कोयला, स्टील, उर्वरक और खाद्यान्न जैसे पूंजीगत सामानों के लिए ट्रांस-शिपमेंट गंतव्य और रसद केंद्र बनने की क्षमता है। इस आधारभूत संरचना क्षेत्र की वृद्धि कई राज्य और संघीय हितधारकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। इस अंतर-एजेंसी समन्वय को प्रबंधित करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने के लिए गति-शक्ति डिजिटल उपकरण कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश राज्य ने अपने बुनियादी ढांचे की योजना और निर्माण के लिए इस मंच का उपयोग करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है।

5.5.3 अधोसंरचना का स्नैपशॉट

ऊर्जा क्षेत्र

राज्य ने ऊर्जा क्षेत्र में काफी प्रगति की है। विशेष रूप से, यह अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगातार विस्तार करके कुछ वर्षों में बिजली की कमी वाले राज्य से बिजली-अधिशेष राज्य में स्थानांतरित हो गया है। आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों से राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है।

ऊर्जा के स्त्रोत

राज्य में ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोतों का संतुलित संयोजन है। राज्य में कोयले की उपलब्धता और प्रचलित तकनीकी प्रतिमान के कारण ऊर्जा उत्पादन में कोयले का प्रभुत्व है, जो कुल स्थापित क्षमता का 63.3% योगदान देता है। थर्मल ऊर्जा उत्पादन को केंद्रीय उपक्रमों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के निवेशों के बीच साझा किया जाता है। गैस आधारित उत्पादन मुख्य रूप से केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान है। कुल स्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा क्षमता का हिस्सा अब 34.1% है। हाइड्रो-आधारित बिजली उत्पादन राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है, जबकि सौर ऊर्जा उत्पादन में मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का वर्चस्व है। प्रदेश की समेकित ऊर्जा क्षमता 28 हजार मेगावॉट से अधिक हो गई है।

नवकरणीय ऊर्जा क्षमता

मध्यप्रदेश संपूर्ण नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में आठवें स्थान पर आता है। सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्यप्रदेश राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। 61,660 मेगावाट की क्षमता के साथ, यह देश में कुल सौर क्षमता का 8.2% है।

तालिका 5.9 : नवकरणीय विद्युत की अनुमानित संभाव्यता की स्त्रोतवार रैंकिंग

	पवन ऊर्जा	लघु पनबिजली	बायोमास पावर	सौर ऊर्जा
भारत में कुल ऊर्जा क्षमता (मेगावाट में)	6,95,509	21,134	17,538	7,48,990
मध्यप्रदेश की रैंक	8	4	2	4
मध्यप्रदेश की क्षमता (मेगावाट में)	15404	820	1364	61660

स्त्रोत: (मोस्पी, भारत सरकार)

वर्तमान में राज्य उपलब्ध सौर क्षमता के लगभग 2.3% का उपयोग कर रहा है। 2022 की नवीकरणीय ऊर्जा नीति में राज्य की सौर क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्यम शामिल हैं।

स्थापित क्षमता

मार्च माह 2022 तक राज्य की कुल स्थापित क्षमता के अनुसार प्रदेश देश क आठवे स्थान पर है चित्र क्रमांक 5.3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2013 के मध्य राज्य ने सौर ऊर्जा उत्पादन को 5770 मेगावाट से 10631 मेगावाट कर लिया है जो कि दुगुनी प्रगति परिलक्षित करती है। इसी प्रकार वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के मध्य सौर ऊर्जा उत्पादन दुगुना हो कर 21,728 मेगावाट हो गया। इसके अतिरिक्त, कुल स्थापित क्षमता 2022 वित्तीय वर्ष में अपने वर्ष 2018 के स्तर पर आधारित औसत से और 16% तक बढ़ गई।

चित्र 5.3: मध्यप्रदेश में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता (मेगावाट घंटे)

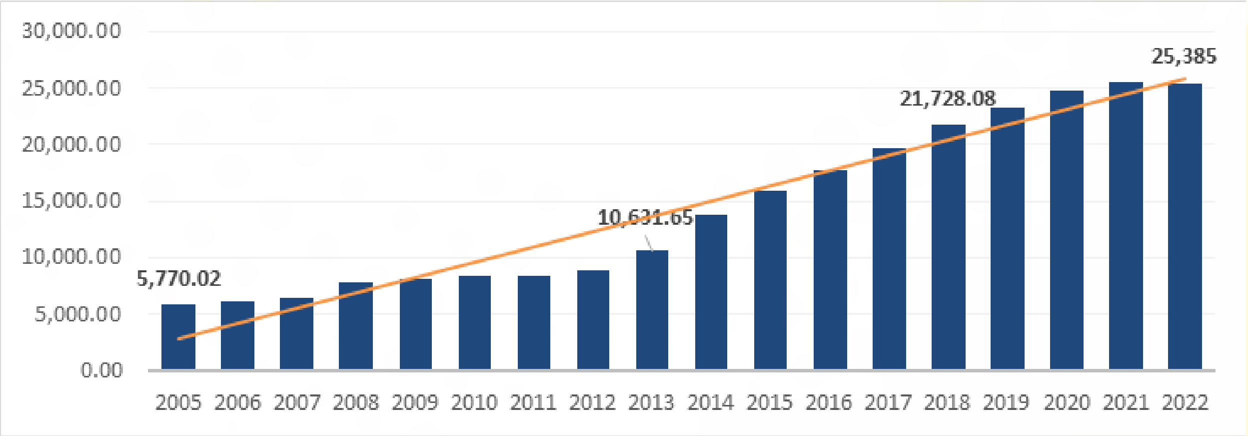

स्त्रोत: (आरबीआई, 2022)

ऊर्जा की उपलब्धता

राज्य में स्थापित क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्ध बिजली की उपलब्धता एक बेहतर माप है। राज्य ने पिछले 10 वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता को 570.2 किलोवाट से दोगुना कर 1184.9 किलोवाट कर दिया। बिजली की उपलब्धता में यह विस्तार उच्च तीव्रता वाले मशीनीकृत औद्योगिक सेटअप को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यकता के रूप में महत्वपूर्ण बेंचमार्क है।

चित्र 5.4 मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता की प्रवृत्ति

(किलोवाट घंटे में)

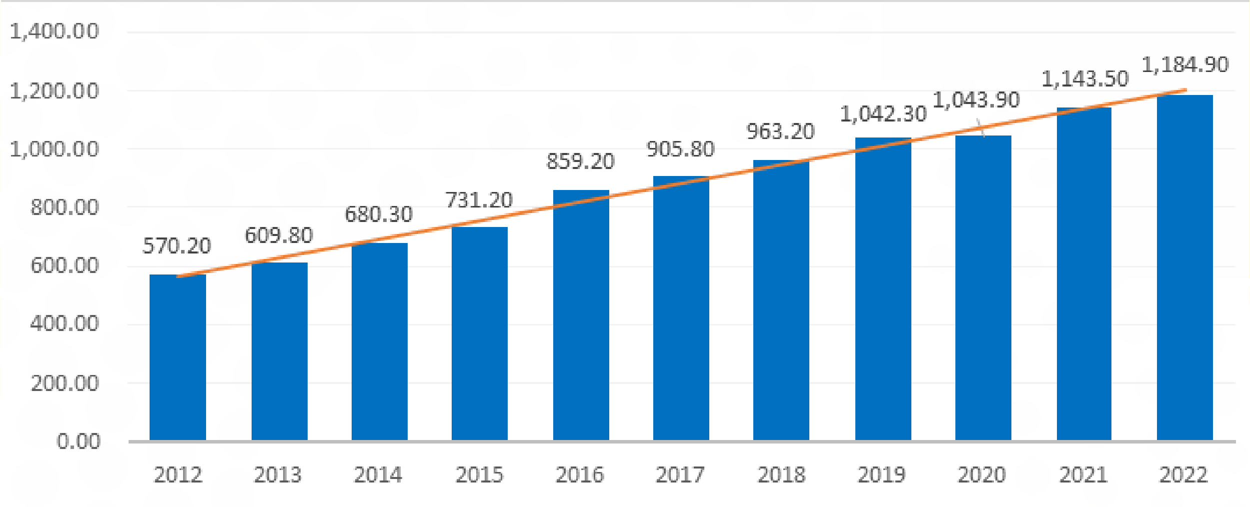

स्रोत: (आरबीआई, 2022)

बिजली उपभोक्ता रुझान

विगत वर्षों में सभी घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं का विस्तार हुआ है। मार्च माह 2021 तक राज्य में 1.666 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं थे, जो पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में 2.94% अधिक है। उपभोक्ता की संख्या मे वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के दौरान 16.4% तक की वृद्धि हुई है, जिसमें सिंचाई संबंधी कनेक्शन 25.5% और घरेलू उपयोगकर्ताओं की वृद्धि 14.25% थे।

तालिका 5.10 : श्रेणीवार उपभोक्ता गणना

क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या			
		वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21
1.	घरेलू	10,574,041	11,564,215	11,845,696	12,081,200
2.	गैर-घरेलू	967,665	1,024,339	1,071,641	1,122,933
3.	स्ट्रीट लाइटिंग	17,325	19,180	20,218	21,289
4.	सार्वजनिक जल कार्य	39,446	42,274	44,914	48,281
5.	सिंचाई	2,593,047	2,799,495	3,075,883	3,254,483

क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या			
		वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21
6.	एलटी की खपत	119,943	123,577	125,178	131,308
7.	एचटी की खपत	4350	4652	4870	4959
8.	गैर-औद्योगिक	2266	2318	2430	2473
कुल		**14,318,083**	**15,580,050**	**16,190,830**	**16,666,926**

स्रोत: (मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21)

लो और हाई-टेंशन उद्योग श्रेणियों में उपभोक्ताओं की तेजी से बढ़ती संख्या उनकी उचित योग्यता और निरंतर उपयोग को देखते हुए एक सकारात्मक विकास है। साथ ही, सिंचाई कनेक्शन की मीटरिंग विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन सूचकों को सुधारने में मददगार हो रही है।

ऊर्जा की आपूर्ति

राज्य की बिजली आपूर्ति की तुलना शीर्ष ऊर्जा वाले राज्यों से की जा सकती है। अप्रैल माह से दिसंबर माह 2021 तक की ऊर्जा आपूर्ति आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश में 62,324 मिलियन यूनिट की मांग थी, जो देश में 5वीं सबसे अधिक है। यह मांग राज्य की जीएसडीपी रैंकिंग से काफी अधिक है (राष्ट्रीय स्तर पर 10वीं), जो एक मजबूत आपूर्ति नेटवर्क का संकेत है। उपभोक्ता खंड द्वारा ऊर्जा आपूर्ति की एक विस्तृत जांच अधिक व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

तालिका क्रमांक 5.11 में उपभोक्ता खंड की जानकारी प्रदान करता है, जो बताता है कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2021-22 तक के अवधि में ऊर्जा आपूर्ति 7.3% के सीएजीआर से बढ़ी है। आपूर्ति में वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ता खंड में हुई है। विभाग द्वारा सिंचाई के उद्देश्यों के लिए मीटर से जुड़े कनेक्शन और फीडर अलगाव (फीडर सेपरेशन) के प्रयासों से सिंचाई उपभोक्ता खंड में 9.9% के सीएजीआर से वृद्धि हुई है। यह ऊर्जा उपयोग की पारदर्शिता लाने और उचित नीति क्रियाओं को संभव बनाने में एक सकारात्मक विकास है।

तालिका 5.11: उपभोक्ता खंडों द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा

(मिलियन इकाइयों में)

ऊर्जा की आपूर्ति	वर्ष 2011-12	वर्ष 2015-16	वर्ष 2019-20	वर्ष 2021-22	वर्ष 2011-12 की तुलना में वृद्धि वर्ष 2021-22
घरेलू (लाइसेंसधारक सहित)	6932	10934	15142	17300	8.7%
गैर-घरेलू (गैर-औद्योगिक सहित)	2457	3504	4393	4247	5.1%
सार्वजनिक प्रकाश और जल कार्य और रेलवे	2816	3132	2021	2221	-2.1%
सिंचाई	9438	18882	22802	26725	9.9%
औद्योगिक	7298	9060	11472	12185	4.8%

ऊर्जा की आपूर्ति	वर्ष 2011-12	वर्ष 2015-16	वर्ष 2019-20	वर्ष 2021-22	वर्ष 2011-12 की तुलना में वृद्धि वर्ष 2021-22
कुल	28941	45512	55829	62678	7.3%
LT की खपत	19049	33768	42897	48917	9.0%
एचटी की खपत	9892	11744	12932	13760	3.0%

स्रोत: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

अन्य पहल - बिजली क्षेत्र की क्षमता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, ऊर्जा विभाग ने आंतरिक और उपभोक्ता सामना करने वाली प्रक्रियाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पहल की है। जिनमे डाटा-वेयरहाउस, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, GIS सर्वे एप्लीकेशन, आधार सीडिंग और लैंड रिकॉर्ड मैपिंग, स्मार्ट बिजली ऐप शामिल हैं।

जल संसाधन

मध्यप्रदेश में नदियों की कुल लंबाई लगभग 3956 किलोमीटर है, जिसमें से 553 किलोमीटर अन्य राज्यों के साथ सीमायें साझा करती है।

मध्यप्रदेश की प्रमुख नहरें

मध्यप्रदेश में नहर प्रणाली कुल सिंचित क्षेत्र का 17.92% योगदान करती है जो 2766.8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र है। नीचे दी गई तालिका मध्यप्रदेश की नहर का विवरण देती है।

तालिका 5.12 : जिले-वार प्रमुख नहरें

नहर	नदी	लाभार्थी जिले
चंबल नहर	चंबल	भिंड, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर
तवा नहर	तवा	होशंगाबाद
हलाली नहर	बेतवा	विदिशा, रायसेन
बरना नहर	बरना	रायसेन, सीहोर
वैनगंगा नहर	वैनगंगा	बालाघाट, भंडारा (महाराष्ट्र)
देजला-देवड़ा नहर	कुंडा	खरगोन
सातक	सातक	खरगोन
माही नहर	माही	झाबुआ, धार
नर्मदा नहर	नर्मदा	खंडवा, खरगोन, बड़वानी
राजघाट नहर	बेतवा	शिवपुरी, गुना, दतिया, टीकमगढ़

सिंचाई के लिए पानी का उपयोग राज्य में बिजली के उपयोग से निकटता से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पिछले खंड की तालिका क्रमांक 5.7 'विभिन्न अधोसंरचना के लिए बजट आवंटन' में दर्शाया गया है, राज्य ने सिंचाई उद्देश्य के लिए बिजली की खपत की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सिंचाई सेवाओं के विस्तार के लिए बजट में एक महत्वपूर्ण राशि की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। निम्नलिखित अनुभाग इस क्षेत्र के लिए तुलनात्मक और प्रदर्शन विवरण प्रदान करता है। पीने के प्रयोजनों के लिए पानी के उपयोग का विवरण बाद के खंड में दिया गया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा विकसित सिंचाई क्षमता

वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विभाग ने बड़ी, मध्यम और छोटी जैसी विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 3499 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता आवंटित की है। नवंबर माह 2022 (खरीफ) तक 256 हजार हेक्टेयर सिंचाई का उपयोग किया जा चुका है। वर्षवार सिंचाई क्षमता और उपयोग तालिका क्रमांक 5.13 में दर्शायी गयी है।

तालिका 5.13 वर्षवार सिंचाई क्षमता और उपयोग

(हजार हेक्टेयर)

वर्ष	बड़ी, मध्यम सिंचाई क्षमता	लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग	कुल सिंचाई क्षमता का उपयोग
2016-17	1998.63	904.11	2902.74
2017-18	1814.16	658.88	2473.04
2018-19	2080.32	889.06	2969.38
2019-20	2116.3	1008.70	3125.01
2020-21	2353.78	1029.67	3383.46
2021-22	2505.25	994.02	3499.28

स्रोत: (मध्यप्रदेश शासन का जल संसाधन विभाग, 2023)

कमांड क्षेत्र विकास

भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आरंभ की गई कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य अधिकतम सिंचाई की क्षमता वाले क्षेत्रों में बेहतर भूमि और जल प्रबंधन के साथ-साथ राज्य भर में बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का उपयोग कर खेती की उत्पादकता को बढ़ाना है। मार्च माह 2022 तक कुल कमांड एरिया 10,37,765 हेक्टेयर में से 23 सिंचाई परियोजनाओं (13 मेजर और 10 मीडियम) के तहत कुल 7,19,371 हेक्टेयर में फील्ड चैनल निर्माण कार्य किया गया है। इन 23 परियोजनाओं में से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 10 परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6856 हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल निर्माण के लक्ष्य के साथ राशि रूपए 28.45 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण - प्रशासकीय प्रतिवेदन, 2021-22)

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सिंचाई क्षमता

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं में वाटर कोर्स एवं फील्ड चैनल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

तालिका 5.14 कमांड विकास विवरण

क्र.	परियोजना का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता	प्रगति (दिसंबर 2021 तक)
1	रानी अवंती बाई लोधी सागर	1,57,000	70921
2	बरगी व्यपवर्तन	2,45,00	1518
3	मान	15,000	15000
4	जोबट	9,850	9850
5	इंदिरा सागर	1,23,200	48919
6	ओंकारेश्वर	1,46,800	45082
7	अपरबेदा	9,900	990
	कुल	**7,06,750**	**2,01,190**

स्रोत: (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण - प्रशासकीय प्रतिवेदन, 2021-22)

निर्माणाधीन परियोजनाओं को वर्ष 2021-22 में 7.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए परियोजनाओं की नहरों से पानी का प्रवाह जारी है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक की वार्षिक सिंचाई का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 5.15 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सिंचाई क्षेत्र

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
लाखों हेक्टेयर में वार्षिक सिंचाई	5.42	5.70	5.85	5.70	7.50 (लक्ष्य)

स्रोत: (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण - प्रशासकीय प्रतिवेदन, 2021-22)

ग्रामीण पेयजल

मध्यप्रदेश का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हैंडपंपों और जल वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण आवासों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करता है। राज्य की 127 बस्तियों में लगभग 5.62 लाख हैंडपंपों और 20,000 से अधिक नल जल वितरण योजनाओं को कवर करते हुए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर की दर से 80,221 बस्तियों में पानी की आपूर्ति की गई है।

प्रदेश के 56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य सरकार ने एकल ग्राम नल-जल योजनाओं के अंतर्गत 20667 ग्रामों को राशि रूपए 13610.49 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई है साथ ही 15420 ग्रामों की 48 समूह नल-जल योजना मे राशि रूपए 29022.67 करोड़ की लागत स्वीकृत हुई है। इन सभी स्वीकृत योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है। इस योजना से 20.95 लाख घरेलू नल कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को प्राप्त होगें। (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, 2022)

संदर्भ

- मध्यप्रदेश औद्योगिक पार्क प्रोफाइल और लैंड बैंक। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम।
- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय लक्ष्य में मध्यप्रदेश का योगदान। भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग।
- डीआईपीआईपी की प्रशासनिक रिपोर्ट। औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग।
- एमएसएमई विभाग। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।
- पर्यटन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट। पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।
- एमएसएमई विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट। भोपाल, मध्यप्रदेश: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।
- मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, मध्यप्रदेश सरकार।
- मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, मध्यप्रदेश सरकार।
- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण। (2020)
- व्यापार सुधार कार्य योजना के लिए राज्यों का आकलन। डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार का उद्यम पोर्टल। (2023, फरवरी)।
- राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग पर राष्ट्रीय रिपोर्ट। (2019, 2021)। डीपीआईआईटी, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- मध्यप्रदेश का रेशम उत्पादन निदेशालय। मध्यप्रदेश के रेशम उत्पादन निदेशालय।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मध्यप्रदेश सरकार।
- मध्यप्रदेश का बजट। (2022-23). मध्यप्रदेश की सरकार।
- पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।
- वार्षिक वित्तीय विवरण, शासन का वित्त विभाग। शासन का वित्त विभाग।
- मोस्पी, भारत सरकार। (एन.डी.)। मोस्पी, भारत सरकार।

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। (एन.डी.)। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।
- आरबीआई। आरबीआई, भारत सरकार।
- ऊर्जा विभाग, शासन। ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।
- शासन के ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट। (2020-21). मध्यप्रदेश का ऊर्जा विभाग।
- भारतीय राज्यों के लिए सांख्यिकी की पुस्तिका। (2021).
- शासन का जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।
- एनवीडीए की वार्षिक रिपोर्ट। (2021-22). नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण।

अध्याय - 6

व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी

अध्याय – 6

व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी

राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा राज्य में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी नीतियों और निर्यातक हितों के बीच सेतु बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद (मध्यप्रदेश ट्रैड प्रमोशन कॉउन्सिल) की स्थापना की गयी है।

राज्य ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक थीम आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) शुरु किया है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों से स्थानीय उद्योगों की उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पढ़ रहा है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों से विशिष्ट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि देखी जा रही है।

राज्य दो साल में एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करता है, जिसका उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना है। जनवरी 2023 में आयोजित इस कार्यक्रम के सातवें संस्करण में निवेश के लिए रु 15.42 लाख करोड़ के इन्टेन्ट ऑफ इन्वेस्मन्ट प्राप्त हुए।

राज्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र भी बना रहा है, जो मध्यप्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति में भी परिलक्षित होता है। मध्यप्रदेश जैसे भू-बध्द राज्य के लिए लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। पड़ोसी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के लिए चंबल एक्सप्रेसवे सहित कई सड़क विस्तार परियोजनाओं में भी निवेश किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी का यह विस्तार राज्य में गति शक्ति परियोजना पर एक विस्तृत प्रयास के माध्यम से किया जा रहा है।

6.1 व्यापार संवर्धन

मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद

निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न एजेंसियों और प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। इसमें निर्यात-आयात सलाहकार परिषद, व्यापार बोर्ड, क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन सलाहकार समितियाँ, राज्य निर्यात संवर्धन समितियाँया कतिपय राज्यों में बोर्ड और सलाहकार समितियां/ पैनल जैसे सलाहकार निकाय शामिल हैं। भारत सरकार की पहल पर विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निर्यातकों की सहायता करने के व्यापक और अनन्य उद्देश्य के साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स की तर्ज पर कई निजी व्यापार निकायों की भी स्थापना की गई है। निर्यात संवर्धन परिषद को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देशों के अधीन निर्यातकों द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद (मप्रटीपीसी) मध्यप्रदेश और बाहर निर्यात के लिए उद्यमिता विकास, निर्यात बुनियादी ढांचे के विकास और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से लेकर सभी विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए काम करेगा। मध्यप्रदेश ट्रैड प्रमोशन कॉउन्सिल बेहतर व्यापार विकास के लिए भारत के भीतर और बाहर संपर्क स्थापित करने और बढ़ाने के लिए मूल्य श्रृंखला

और निर्यात की पूरी प्रक्रिया में सभी हितधारकों के साथ समन्वय करेगा। इस विजन को वास्तविकता बनाने के लिए आठ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है जो की इस प्रकार हैं

(i) खाद्य प्रसंस्करण (ii) तकनीकी टेक्सटाइल (iii) टेक्सटाइल (iv) फर्मासूतिकाल
(v) वस्त्र निर्माण (vi) ऑटोमोबाइल और सहायक (vii) रक्षा
(viii) नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित उपकरण विनिर्माण।

मुख्य उद्देश्य

1. निर्यात संवर्धन के लिए नोडल बिंदु के रूप में काम करना और निर्यातकों, सलाहकार फर्मों, सेवा प्रदाताओं और निर्यात संगठनों को विशेष सेवाएं प्रदान करना; विशेष रूप से, सदस्यों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने और ई-कॉमर्स क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए।
2. मध्यप्रदेश में उत्पादित उत्पादों के लिए नए बाजारों की खोज करने और व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने के लिए विदेशों की यात्रा करने के लिए प्रतिनिधिमंडलों को प्रायोजित करना।
3. वस्तुओं और बाजार अध्ययनों को प्रायोजित और संचालित करने के साथ-साथ वाणिज्यिक तार्किक जानकारी एकत्र करना और वितरित करना।
4. बाजार का अनुसंधान कर जानकारी उद्योग को प्रदान करना, साथ ही क्षेत्र और व्यापार से संबंधित निर्देशिकाओं और अन्य साहित्य का उत्पादन करके भारतीय निर्यातकों और अंतर्राष्ट्रीय आयातकों के बीच व्यापार संबंध स्थापित करना।
5. प्रदर्शनियों, शोरूम, बुलेटिन और अन्य प्रचार से संबंधित मीडिया के माध्यम से प्रचार करना।
6. निर्यातकों और सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के हितों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना और उनकी ओर से उचित सरकारी अभ्यावेदन देना।
7. परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना।
8. उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिषद द्वारा आवश्यक, आकस्मिक या सहायक समझे जाने वाले अन्य सभी कार्य करना, चाहे वह अकेले हो या अन्य संगठनों या लोगों के सहयोग से।

आर्थिक विकास में आम तौर पर निर्यात को इसके ड्राइविंग एजेंटों में से एक के रूप में शामिल किया जाता है। वर्ष 2014-15 से मध्यप्रदेश का निर्यात वर्ष 2021-22 में 7,834 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया है। (चित्र क्रमांक 6.1 देखें)

चित्र 6.1: मध्यप्रदेश निर्यात

(आँकड़े मिलियन डॉलर में)

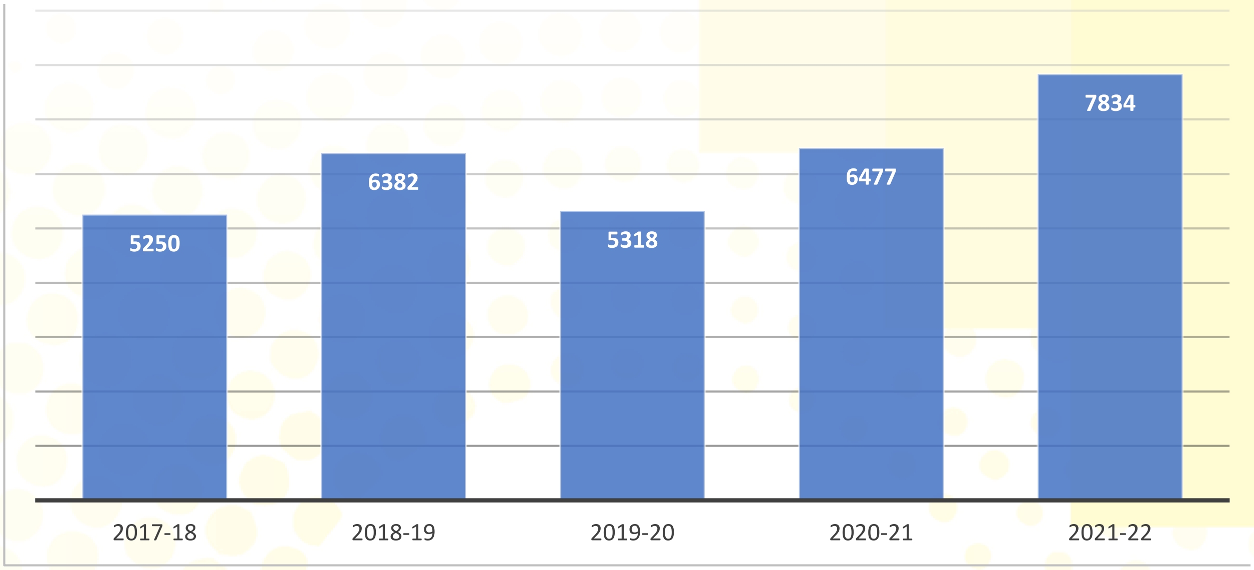

स्रोत: विदेश व्यापार निदेशालय, भारत सरकार

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश के निर्यात में 21% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 से भारत का निर्यात 6.9% की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जबकि इसी अवधि के दौरान मध्यप्रदेश से निर्यात की वार्षिक औसत वृद्धि दर 8.4% थी।

निर्यात तैयारी

निर्यात तैयारी सूचकांक Export preparedness index (ईपीआई) नीति आयोग के द्वारा तैयार कि गई रिपोर्ट में वर्ष 2020 में भारत का स्कोर चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है: (i) नीति, (ii) व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, (iii) निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और (iv) निर्यात प्रदर्शन। कुल मिलाकर, भारत ने सूचकांक पर औसतन 39 अंक हासिल किए हैं, जो निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में जबरदस्त क्षमता को दर्शाता है।

वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत ने कुल 82.5 स्कोर किया हैं, यह आंकड़े पिछले पाँच वर्षों से प्रगति कर रहा है। निर्यात रैंकिंग का अध्ययन करने वाले विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों ने भारत की प्रदर्शन वृद्धि के रुझानों को चिह्नित किया है। निश्चित रूप से, यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां देश बुनियादी ढांचे, व्यापार और व्यापार वातावरण को सक्षम करने आदि जैसे सुधार कर सकता है। हालांकि, भारत की विशालता और भौगोलिक विविधता को देखते हुए केवल राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए क्षेत्रीय (राज्य आधारित) दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है।

निर्यात के संदर्भ में, राज्य में सुधार की एक महत्वपूर्ण गुंजाइश है। अपनी संसाधन क्षमता और मजबूत उत्पादन नेटवर्क का उपयोग करते हुए, यह निर्यात को काफी बढ़ावा दे सकता है। वर्ष 2020-21 में कुल निर्यात में मध्यप्रदेश का योगदान 2.1% था, यह 49.47 के समग्र स्कोर के साथ निर्यात तैयारी सूचकांक में 12 वें स्थान पर रहा। वर्ष 2016-17 में राज्य के कुल निर्यात में दवाओं, तेल भोजन, कपास, एल्यूमीनियम और उनके उत्पादों के साथ-साथ अन्य दवा फॉर्मूलेशन और जैविक उत्पाद सहित शीर्ष 10 निर्यातित वस्तुओं का योगदान 65.4% था। वर्तमान में

मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमपीआईडीसीलि). क्षेत्रान्तर्गत प्रदेश में कुल 76 औद्योगिक क्षेत्र विकसित, 19 औद्योगिक क्षेत्र विकासाधीन एवं 13 औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है।

जैसा कि (तालिका क्रमांक 6.1) में चर्चा की गई है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य से शीर्ष 10 निर्यात उत्पादों का गठन करने वाली प्रमुख वस्तुएं निर्यात टोकरी (Bucket) में विविधता प्रदर्शित करती हैं।

तालिका 6.1: मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 निर्यात

(राशि करोड़ रुपये में)

एचएस कोड	वस्तु विवरण	निर्यात का मूल्य
30	दवा उत्पाद	10,782
52	कपास और सूती धागा	8,693
63	रेडीमेड कपड़े	4,495
76	एल्यूमीनियम और लेख	4,330
84	मशीनरी और पूंजीगत सामान	3,877
29	कार्बनिक रसायन	3,763
23	खाद्य उद्योगों से अवशिष्ट और अपशिष्ट	3,024
10	अनाज	2,314
85	विद्युत मशीनरी और उपकरण और भागों	2,040
39	प्लास्टिक और उसके लेख	2,020

स्रोत: वर्किंग नोट्स, मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की बैठक, 30 सितम्बर 2022

सही प्रोत्साहन नीतियाँ और सक्षम वातावरण को देखते हुए, मध्यप्रदेश में निर्यात के संदर्भ में अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करने की क्षमता है। निर्यात तैयारी सूचकांक के अनुसार, मध्यप्रदेश ने नीति स्तंभ (66.10) पर अपेक्षाकृत उच्च स्कोर प्राप्त किया है। अन्य तीन स्तंभों पर इसके स्कोर में सुधार की सम्भावना है - व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन; इसका अर्थ है कि एक उत्साहजनक नीतिगत माहौल में ठोस विकास के लिए समर्थन की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश के लिए 42 उत्पादों को 'चैंपियन उत्पादों' के रूप में पहचाना गया है, जिनमें से 14 उत्पाद चैंपियनों में भारत के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 30% से अधिक है। यह 14 उत्पादों के लिए भारत से सबसे अधिक निर्यातक है और 12 के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। एक समग्र निर्यात रणनीति बनाना राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास के लिए अच्छा साबित होगा और इसके लिए पूरी तरह से बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता होगी। देश को इसकी ओर ले जाने में मध्यप्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्यात में 1.6% हिसेदारी बनाए रखते हुए, राज्य 7 वर्षों के भीतर लगभग 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के माल का निर्यात कर सकता है।

चारों ओर से भूमि से घिरे राज्यों के बीच भी तुलना की गई है। बंदरगाह कनेक्टिविटी और समग्र निर्यात के बीच संबंध दुनिया भर में काफी अच्छी तरह से स्थापित है। इसका एक सामान्य कारण निर्यात की संबद्ध लॉजिस्टिक्स है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य है और किसी भी कारण से लागत वृद्धि को स्वीकार करने की सीमित गुंजाइश छोड़ देता है। यह घटना सभी भू-बध्द स्थानों के लिए नुकसान के रूप में कार्य करती है। इसलिए

राज्यों के बीच किसी भी तुलना को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी भू-बध्द राज्यों के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण अधिक साख रखता है।

चित्र 6.2 : कुल निर्यात - भू-बध्द राज्य

(आँकड़े मिलियन डॉलर में)

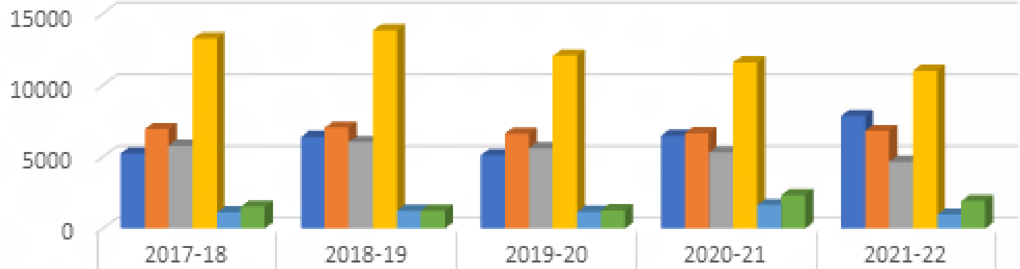

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
MP	5250	6382	5138	6477	7861
Rajasthan	6952	7062	6630	6659	6814
Punjab	5788	6038	5606	5300	4658
Haryana	13263	13833	12056	11593	11029
Jharkhand	1117	1253	1168	1622	980
Chattisgarh	1523	1243	1279	2320	1935

MP Rajasthan Punjab Haryana Jharkhand Chattisgarh

स्रोत: निर्यात तैयारी सूचकांक, नीति आयोग, 2021

मध्यप्रदेश की दूसरे भू-बद्ध (लेन्डलॉक्ड) राज्यों से तुलना करने से एक दिलचस्प प्रवृत्ति का पता चलता है जो चित्र क्रमांक 6.2 में प्रदर्शित है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि में, मध्यप्रदेश ने निर्यात मूल्य के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है।

देश के कुल निर्यात में मध्यप्रदेश का हिस्सा वर्ष 2016-17 में 1.7% से बढ़कर 2021-22 में 1.9% हो गया है। इसी अवधि के दौरान अन्य भू-बध्द राज्य लगभग स्थिर रहे हैं।

विषय आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, जबलपुर के पास आगामी थीम-आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), इंदौर में उद्योग पार्क और विभिन्न स्थानों में खाद्य पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्य के औद्योगिक शहर देवास, इंदौर, पीथमपुर, मंडीदीप और मालनपुर लगभग 280 दवा इकाइयों का घर हैं। मध्यप्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति और अपनी स्थिति के कारण "भारत के हृदय" के रूप में प्रसिद्ध है, राज्य को एक अच्छी तरह से विकसित सड़क और रेल नेटवर्क के कई लाभ है।

6.2 निवेश संवर्धन

वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जो औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग, मध्यप्रदेश का प्रमुख द्विवार्षिक निवेश संवर्धन कार्यक्रम है। इस वर्ष

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का 7 वां संस्करण था, जो 11 और 12 जनवरी, 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में आयोजित किया गया था। इस वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रुपये 15.42 लाख करोड़ के निवेश इरादे प्राप्त हुए, जिससे 28,93,320 रोजगार पैदा होने का अनुमान है। दो दिवसीय आयोजन का उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवेश के माहौल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करना है और संभावित सहयोग के अवसर प्रदान करना है। यह आयोजन एक ऐसा मंच है जहां वैश्विक नेता, उद्योगपति और विशेषज्ञ उभरते बाजारों/ रुझानों और व्यवधानों के इस युग में मध्यप्रदेश की निवेश क्षमता का उपयोग करने के तरीकों पर अपने सुझाव साझा करने के लिए एक साथ आते हैं।

औद्योगिक निवेश संवर्धन

पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने समर्पित प्रयासों के साथ राज्य अर्थव्यवस्था को औद्योगिक बनाने के प्रयास किए हैं। अन्य बुनियादी आवश्यकताओं से लैस औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि प्रदान करना राज्य द्वारा एक प्रमुख पहल है। जैसा कि (तालिका क्रमांक 6.2) दर्शाता है कि प्रति परियोजना पैरामीटर निवेश के कारण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस मूल्य की क्रमिक वृद्धि महत्वपूर्ण है और मध्यप्रदेश में अपने व्यवसाय को स्थापित करने या विस्तारित करने के लिए मध्यम आकार के उद्योगों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 6.2: संभावित निवेश और रोजगार गतिविधि

वित्तीय वर्ष	इकाइयों की संख्या	कुल प्रस्तावित निवेश *	कुल प्रस्तावित रोजगार #
2016-17	435	4527	19,255
2017-18	324	4894	15,222
2018-19	303	2627	13,014
2019-20	258	6564	15,851
2020-21	384	11000	22,000
2021-22	441	7260	30,465

स्रोत: उद्योग संवर्धन और निवेश संवर्धन विभाग से डेटा   नोट -* प्रस्तावित निवेश करोड़ रुपये में है। # प्रस्तावित रोजगार संख्या में है

यह प्रवृत्ति औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में बढ़ती रुचि का सुझाव देती है। वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए भूमि आवंटित करने वाले उद्योगों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसी तरह, इन इकाइयों से अपेक्षित रोजगार में हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। राज्य ने राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में क्षेत्रीय मिश्रण को पुनर्संतुलित करने का जो रास्ता तय किया है, उसे देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण दिशा है। वर्षों के आंकड़े आकर्षित निवेश में उच्च पूंजी तीव्रता की ओर इशारा करते हैं। इन इकाइयों में प्रति कर्मचारी निवेश समय के साथ बढ़ा है।

मध्यप्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम एफडीआई (0.34%) प्राप्त करता है। कृपया देखें (तालिका क्रमांक 6.3) अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान राज्य को 1560 करोड़ रुपये (208 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का एफडीआई प्राप्त हुआ और राज्य कुल एफडीआई का

0.38% आकर्षित करने में सक्षम रहा। भारत के सभी राज्यों में एफडीआई आकर्षित करने के मामले में राज्य 13 वें स्थान पर है।

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण के अनुसार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह इस प्रकार है।

तालिका 6.3: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

(आँकड़े मिलियन डॉलर में)

साल	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मूल्य	100	80	76	28	32	75.65	206.35	209

स्रोत: एक्ज़िम बैंक इंडिया-एसेट्स-रिसर्च-ऑन-स्टेट्स, 2018

कुछ प्रमुख क्षेत्र जिनमें राज्य एफडीआई प्राप्त करने में प्रमुख है, वे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा हैं। इन क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए राज्य की औद्योगिक नीति ने विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों को मान्यता दी है। विभिन्न रोड शो और वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उद्योगों को बढ़ाने के लिए एक अभियान आकर्षित किया गया है। ये प्रयास औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए हैं और यह इन क्षेत्रों में एक पसंदीदा एफडीआई गंतव्य बन गया है।

6.3 कनेक्टिविटी

राज्य ने सड़क और रेलवे के माध्यम से पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी कनेक्टिविटी और परिवहन की गति का विस्तार करने के लिए सचेत प्रयास किए हैं। चंबल एक्सप्रेसवे का विकास 5000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समानांतर बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई लगभग 300 किलोमीटर की होगा। इसी तरह, इंदौर-झाबुआ (एन.एच 53) को फोर लेन का बनाने और इंदौर, भोपाल और अन्य बड़े शहरों के आसपास बाईपास सड़कों जैसी कई अन्य सड़क विस्तार परियोजनाएं विकसित की गई हैं ताकि राज्य के अंदर और बाहर परिवहन की गति को बढ़ाया जा सके। ग्वालियर-झांसी (एन.एच 75), मनगवां (रीवा)-यूपी बॉर्डर (एन.एच 27), सिवनी-महाराष्ट्र बॉर्डर (एन.एच 7) आदि। बेहतर बाजार पहुंच के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए विकसित किए गए हैं।

रेल्वे कनेक्टिविटी को और मजबूत करने, डब्ल्यू.सी.आर की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्रियान्वित है, जैसे की (अ) इटारसी-मानिकपुर सेक्टर (510 किमी) का विद्युतीकरण कार्य; (ब) ललितपुर-खजुराहो-पन्ना-सतना खंड (283 किमी), रीवा-सीधी-सिंगरौली खंड (165 किमी) और रामगंजमंडी-भोपाल खंड (262 किमी) पर नई लाइनें; (स) कटनी-सिंगरौली खंड (261 किमी), बीना-कोटा खंड (282 किमी) और सतना-रीवा खंड (50 किमी) का दोहरीकरण और (ड) बीना-हबीबगंज-बरखेड़ा-बुदनी-इटारसी खंड (कुल 242 किमी) की ट्रिपलिंग परियोजना। डीजल लोकोमोटिव में उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटकों के स्वदेशी निर्माण के उद्देश्य से भोपाल संभाग के विदिशा में डीजल लोकोमोटिव ट्रैक्शन अल्टरनेटर वर्कशॉप की आधारशिला रखी गई है। इन परिवर्तनों से राज्य और देश के बाकी हिस्सों में वस्तुओ और लोगों की आवाजाही में गति आएगी।

रोडवेज

राज्य के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवास हैं जिसमे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।

तालिका 6.4: मध्यप्रदेश में सड़क वर्गीकरण द्वारा सड़क लंबाई नेटवर्क

(आँकड़े किलोमीटर में)

वित्तीय वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	स्टेट हाईवे	जिला सड़कें	अन्य जिला/ ग्रामीण सड़क	कुल
2016	7806	10934	21132	23395	63267
2017	7806	11389	22129	23755	65079
2018	8858	11389	22129	28623	70999
2019	8858	11389	22191	28623	71061
2020	8858	11389	22191	28623	71061
2021	8858	11389	23401	29313	72961

स्रोत: लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश शासन

पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने अपने सड़क नेटवर्क को काफी विकसित किया है। पिछले पांच वर्षों (2016 से 2021) में सड़कों की लंबाई 63,267 किलोमीटर से बढ़कर 72,961 किलोमीटर हो गई है (तालिका क्रमांक 6.4 देखें)। यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और जिला मुख्यालयों के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी विकसित करने में हुई है। राज्य में सभी प्रारूपों में एक व्यापक सड़क नेटवर्क है। यह देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गों का 6.6 प्रतिशत हिस्सा रखता है। इसी प्रकार, सड़क और भूतल परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में राज्य राजमार्गों में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6.4 प्रतिशत है। रिपोर्ट में मार्च 2019 तक 2,32,344 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों की उपस्थिति को दर्शाया गया हैं (बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स, 2018-19) किया गया है, जिसमें राज्यों में 5 वां सबसे व्यापक नेटवर्क है।

रेलवे

राज्य में रेलवे ट्रैक की लंबाई 5150 किलोमीटर है और यह देश में 5 वां सबसे बड़ा नेटवर्क है। देखें (तालिका क्रमांक 6.5)

तालिका 6.5: राज्यवार रेलवे मार्ग की लंबाई

(आँकड़े किलोमीटर में)

श्रेणी	राज्य	2011	2015	2021
1	उत्तर प्रदेश	8763	8950	8799
2	राजस्थान	5784	5898	6019

श्रेणी	राज्य	2011	2015	2021
3	महाराष्ट्र	5602	5725	5823
4	गुजरात	5271	5259	5327
5	मध्यप्रदेश	**4955**	**4979**	**5140**
6	पश्चिम बंगाल	3937	4070	4212
7	तमिलनाडु	4062	4027	4033
8	आंध्र प्रदेश	5264	3657	3965
9	बिहार	3612	3652	3803
10	कर्नाटक	3073	3281	3572
	भारत	**64460**	**66030**	**68103**

स्रोत: भारतीय राज्यों के लिए सांख्यिकी की आरबीआई हैंडबुक, 2021

पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) क्षेत्र देश की कनेक्टिविटी योजना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। रेलवे और राज्य ने रेलवे खंड के इस हिस्से को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

परिवहन

परमिट का डिजिटलीकरण

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के उद्देश्य से परमिट आवेदनों का प्रकाशन मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पोर्टल पर भी किया जा रहा है और परमिट आवेदनों से संबंधित आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था की जा रही है। सभी प्रोसेस वाहनों के परमिट का डिजिटलाइजेशन भी किया गया है, ताकि परमिट का निरीक्षण मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पोर्टल पर आसान अवलोकन के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। ऑनलाइन इन सिस्टम के तहत 7,77,760 लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए हैं।

ग्रामीण परिवहन नीति-2022 (पायलट प्रोजेक्ट, विदिशा)

- एकीकृत और टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सुविधाजनक और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2005 में मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (मध्यप्रदेश एसआरटीसी) को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद, पिछले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को मूल रूप से निजी तौर पर संचालित किया गया है। निजी ऑपरेटरों द्वारा उन मार्गों पर बसों का संचालन किया जाता है जहां अधिक यात्री होते हैं और जो ऑपरेटरों के लिए व्यावसायिक रूप से फायदेमंद होते हैं लेकिन अन्य मार्गों पर और आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-वाणिज्यिक लाभ के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन नहीं किया जाता है। ग्रामीण यात्री मूल रूप से दैनिक आवागमन के लिए लोक परिवहन पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए ग्रामीण परिवहन निजी लघु और नए ग्रामीण परिवहन की मांग आवश्यक है।
- प्राथमिक चरण में विदिशा जिले में कुल 76 ग्रामीण सड़कों की पहचान की गई है जिनकी कुल लंबाई 1513 किलोमीटर है। इन ग्रामीण सड़कों के आसपास 546 गांव स्थित हैं, जिनमें से लगभग 4,70,523

ग्रामीण आबादी को प्रस्तावित नीति से लाभ होगा। इस नीति के तहत ग्रामीण सड़कों पर 71 से 20+1 बैठने की क्षमता वाले वाहनों को संचालित करने की अनुमति होगी और इन वाहनों को मध्यप्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1991 के तहत देय मासिक मोटर वाहन कर से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

- इस योजना के तहत मई 2022 से विदिशा जिले में चिन्हित ग्रामीण सड़कों पर निर्धारित मिलन क्षमता के वाहनों के संचालन के लिए जिला कार्यालय, विदिशा द्वारा प्राथमिक चरण में 35 परमिट जारी किए गए हैं।

प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी- यात्रियों को छोटे शहरों की यात्रा करने की सुविधा के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन से नॉन स्टॉप बस सेवाएं शुरू की गई हैं, जिसके तहत लगभग 211 परमिट जारी किए गए हैं।

6.4 लॉजिस्टिक्स

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेटअप उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए मान्यता प्राप्त है और वस्तुएं अंतिम मूल्य के प्रति निर्णायक है। परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत इस लागत संरचना में से एक आवश्यक घटक है। यह मध्यप्रदेश जैसे भू-बध्द (landlocked) राज्य जो चारो ओर से जमीन से घिरे राज्य के लिए और भी महत्वपूर्ण है। राज्य निर्यात व्यवसायों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रयास कर रहा है। यह खंड इनमें से कुछ प्रयासों की ओर संकेत करता है।

गति शक्ति

विभिन्न उद्देश्यों के लिए मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के रोल-आउट को तेज करने का विचार विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं और समन्वयों पर निर्भर है। एकीकृत प्रक्रिया के अभाव में, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वित्तीय लागत में चलती हैं। भारत सरकार (जीओआई) ने इसे एक प्रमुख बाधा के रूप में महसूस करते हुए गति शक्ति नामक एक एकीकृत और समन्वित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया।

इस जीआईएस आधारित, स्वचालित वर्कफ़्लो संचालित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का व्यापक विचार एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण में जानकारी के एकीकरण में सहायता करना है। भारत सरकार के 16 मंत्रालय मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स प्लानिंग और निष्पादन के लिए इस मंच पर एक साथ आए। यह कार्यक्रम माल की आवाजाही के लिए घरेलू और निर्यात व्यापारियों की सहायता करने की संभावना है।

- मध्यप्रदेश इस ढांचे के हिस्से के रूप में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ई-जीओएस), नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) और तकनीकी सहायता टीम के साथ एक संस्थागत संरचना की स्थापना के साथ इस मंच को अपनाने में आगे बढ़ा है।
- राज्य ने “राज्य मास्टर प्लान” के विकास के लिए कुछ पायलट परियोजनाओं और संबंधित विभागों की पहचान की है। विभिन्न जीआईएस स्तरों के रूप में समर्थन जानकारी बनाई गई है।
- राज्य रोल-आउट के अंश के रूप में 24 संभावित स्तरों में से कुल 21 जीआईएस स्तर मास्टर प्लान पूर्व में बनाए जा चुके हैं।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स के केंद्र के रूप में खुद को विकसित करने की राज्य की महत्वाकांक्षा को गति-शक्ति की मदद से प्रयास प्रयत्न किया गया है।

मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स क्लस्टर

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से निर्यात के विस्तार के साथ दक्षता में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में तेजी से सुधार उच्च महत्व का है और विकासशील देशों में रोजगार पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वर्ष 2019-2025 के बीच 10.5% सीएजीआर की दर से बढ़ने का अनुमान है, लेकिन इससे जुड़ी समस्यायें भी हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत और पारगमन समय को कम करने, प्रलेखन जटिलताओं को कम करने और इन्वेंट्री लागत को अनुकूलित करने जैसे अन्य प्रयासों जैसे इस क्षेत्र को गति देने के सरकार के प्रयासों से परिवहन लागत में कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है।

मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एन्हांसमेंट प्रोग्राम (एलईईपी) माल एकत्रीकरण और वितरण, मल्टी-मोडल माल परिवहन, एकीकृत भंडारण और भंडारण, सूचना प्रौद्योगिकी सहायता और मूल्य वर्धित सेवाओं के माध्यम से देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र और परिवहन में सुधार के लिए प्रमुख नीतिगत पहल हैं।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2021-22 में लगभग 126 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो राज्य से निर्गमन हुआ हैं, जबकि वर्ष 2017-18 में यह निर्गमन 103.85 मिलियन मीट्रिक टन था। राज्य में 42.34 मिलियन मीट्रिक टन की रेल आधारित कार्गो की मांग होने की संभावना है। कार्गो संचालन के आधार पर 5 क्लस्टरों में विभाजित किया गया है।

- उत्तरी क्लस्टर–इस क्लस्टर में दिल्ली–नागपूर औद्योगिक कॉरिडोर, नॉर्थ-साउथ राज्य मार्ग कॉरिडोर, नॉर्थ – साउथ मालभाड़ा (फ्रेट) कॉरिडोर और चम्बल एक्स्प्रेस-वे जैसी विभिन्न भविष्य की परियोजनाएं शामिल है।
- मध्य क्लस्टर–इस क्लस्टर में डेडीकेटड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली–नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर, इंदौर विशाखापटनम औद्योगिक कॉरिडोर एवं कुछ राज्य निवेश कॉरिडोर शामिल हैं।
- पश्चिमी क्लस्टर – इस क्लस्टर में पोर्ट कनेक्टिविटी के साथ औद्योगिक केंद्र (Hub) एवं भविष्य के दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और कुछ राज्य के निवेश कॉरिडोर जैसी परियोजनायें शामिल है।
- पूर्वी क्लस्टर – इस क्लस्टर में जबलपुर एवं कटनी जैसे शहर जिनमें औद्योगिक एवं खपत के भविष्य के लोजिस्टिक्स परिप्रेक्ष की क्षमता है।

दक्षिणी क्लस्टर - इस क्लस्टर के अंतर्गत उत्तर-दक्षिण डेडीकेटड फ्रेट कॉरिडोर का भारी प्रभाव इस क्लस्टर के प्रथम चरण वर्ष-2031 पर पड़ेगा जो कि विशेष रूप से इटारसी के समीपवर्ती स्थानों पर रहेगा।

मध्यप्रदेश का लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन

विभिन्न मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2019 रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी (तालिका क्रमांक 6.6 देखें)। इसने अपना ध्यान केंद्रित किया है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को देखता है। मापदंडों में बुनियादी ढांचे, सेवाओं से लेकर परिचालन और नियामक वातावरण तक शामिल हैं।

तालिका 6.6: लीड्स रैंकिंग प्रदर्शन विवरण

राज्य	लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की उपलब्धता	लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता	सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता	प्रतिस्पर्धी दरों पर लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करने में आसानी	कार्गो वितरण की समयबद्धता	ट्रैक और ट्रेस में आसानी
पंजाब	3.64	3.65	3.58	3.29	3.35	3.50
हरियाणा	3.62	3.53	3.44	3.16	3.45	3.46
तेलंगाना	3.34	3.29	3.27	3.00	3.43	3.13
मध्यप्रदेश	3.30	3.13	3.45	3.23	3.23	3.30
राजस्थान	3.33	3.20	3.32	2.99	3.34	3.32
उत्तर प्रदेश	3.22	3.17	3.17	3.13	3.17	3.20

स्रोत: लीड्स परफॉर्मेंस रैंकिंग रिपोर्ट, नीति आयोग, भारत सरकार

उपरोक्त तालिका क्रमांक कुछ संकेतकों में मध्यप्रदेश के स्कोर को दर्शाती है। इसने प्रतिस्पर्धी दरों पर लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता में सबसे अधिक स्कोर किया है। मध्यप्रदेश ने 3.21 के समग्र स्कोर के साथ इस सूचकांक के लिए चुने गए कुल 22 राज्यों में से 9वां रैंक प्राप्त की हैं।

अन्य भू-बध्द राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर स्कोर किया है। विनियामक प्रक्रियाओं की दक्षता, राज्य सुविधा और समन्वय और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता जैसे संकेतकों में सुधार की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी पारंपरिक बुनियादी ढांचे और अभ्यास द्वारा संचालित है और लॉजिस्टिक्स क्षमताओं में आधुनिकरण एवं प्रगति के साथ आगे बढ़ने और देश में लॉजिस्टिक्स केंद्र में बदलने की पुरजोर आवश्यकता है।

लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना

वर्तमान में राज्य में 6 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई.सी.डी) हैं जो निर्यात के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी आई.सी.डी मध्यप्रदेश के बड़े हिस्से को अपनी सेवाओं जैसे ग्राहक हितैषी, शिपिंग बिल, आंकलन और स्वीकृति से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों के माध्यम से एक स्व-निहित कस्टम स्टेशन (self-contained Customs Station) के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार राज्य में निर्यात को बढ़ावा देते हैं। राज्य के पूर्वी भाग में आईसीडी स्थापित करने की आवश्यकता है जहां बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं।

आई.सी.डी (मालनपुर, मंडीदीप, पीथमपुर) से निर्यात का हिस्सा वर्ष 2014-15 में 13% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश के कुल निर्यात का 18% हो गया है, जिसका कुल मूल्य 1163 मिलियन डॉलर है। अभी भी बड़ी संख्या में निर्यात किए गए उत्पाद गैर आई.सी.डी चैनल के माध्यम से जा रहे हैं जो उत्पादों की लागत में वृद्धि कर सकते हैं और उन्हें वैश्विक बाजार में कम प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। कुल निर्यात में आई.सी.डी की हिस्सेदारी बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं।

संदर्भ

- लोक निर्माण विभाग, (2018-19). बुनियादी सड़क सांख्यिकी. भोपाल: लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश शासन.
- एक्ज़िम बैंक इंडिया, (2018). एसेट्स-रिसर्च-ऑन-स्टेट्स. मुंबई: वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय,भारत सरकार.
- आरबीआई, (2021). भारतीय राज्यों के लिए सांख्यिकी की आरबीआई हैंडबुक, (2021). मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार

अध्याय - 7

नगरीय विकास

आर्थिक सर्वेक्षण

अध्याय - 7

नगरीय विकास

"हमारे शहर हमारी अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति हैं।"

- माननीय श्री नरेंद्र मोदी

बड़े और छोटे शहरों का मिश्रण मध्यप्रदेश के शहरी परिदृश्य की विशेषता है। राज्य की राजधानी भोपाल, राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक है और प्रशासन, शिक्षा और उद्योग के केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इंदौर, राज्य की आर्थिक राजधानी है। इंदौर की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है और इसमें पारंपरिक कृषि संबंधी उद्योग और आधुनिक उद्योग जैसे कॉर्पोरेट और आईटी कंपनियां दोनों शामिल हैं। राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन शामिल हैं, जिनमें एक बड़ी आबादी रहती है और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश भारत के सबसे शहरीकृत राज्यों में 19वें स्थान पर है, जिसकी 27.60% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। राज्य ने शहरी आबादी के हिस्से में वर्ष 1911 में 8.20% से लेकर वर्ष 2011 में 27.60% तक लगातार वृद्धि देखी है, जो की देश के शहरी जनसंख्या के समकक्ष है। भोपाल 80.85% आबादी के साथ शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक शहरीकृत जिला है, इसके बाद इंदौर (74.09%), ग्वालियर (62.69%) और जबलपुर (58.46%) का स्थान है (चित्र 7.3)। मध्यप्रदेश शासन ने राज्य में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए नगरी निकायों (यूएलबी) की संख्या में वृद्धि की है। राज्य में कुल नगरीय निकाय वर्ष 2003-04 में 337 थे जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 413 हो गए हैं।

मध्यप्रदेश शासन ने राज्य में सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए इन शहरों में स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, हाउसिंग फॉर ऑल, अमृत, अपशिष्ट प्रबंधन, जल और स्वच्छता जैसी कई अन्य बुनियादी परियोजनाओं में निवेश किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन उन 20 शहरों में शामिल हैं, जिन्हें अमृत योजना के तहत् 'अर्बन मोबिलिटी' के लिए फंड मंजूर किए गए हैं।

वर्ष 2022 में 5G तकनीक प्रारंभ करने वाले भारत के चुनिंदा शहरों में उज्जैन भी है। अक्टूबर 2022 में उज्जैन 'महाकाल लोक' में 900 मीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था, जो भारत के बड़े कॉरिडोरों में से एक है। इसी तरह, भोपाल में रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन का पुनर्विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत् निष्पादित होने वाला भारत में अपनी तरह का पहला पुनर्विकास है। भोपाल और इंदौर में कुल 62.41 किमी मेट्रो रेल परियोजना पर कार्य चल रहा है। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ई-बाइक परियोजना के प्रथम चरण में फरवरी, 2023 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पब्लिक बाइक शेयरिंग के तहत् 75 ई-बाइक का लोकार्पण किया गया है। भारत में अपनी तरह की पहली पहल में इंदौर नगर निगम ने खरगोन में 60 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राशि रु.244 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, जो ऐसा करने वाला राज्य का पहला शहर है। गैर-परिवर्तनीय ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को 5.91 गुना अधिक सबस्क्राइब किया गया है, जिससे कुल राशि रु.720 करोड़ का निवेश हुआ है।

हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग वर्ष 2022 में मध्यप्रदेश "100 से अधिक नगरीय निकायों" की श्रेणी में 'सबसे स्वच्छ राज्य' के रूप में उभरा है। राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में 16 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिनमें राज्य के 11 पुरस्कृत नगरीय निकाय शामिल हैं। साथ ही प्रदेश में 324 ओडीएफ++ (ODF++) शहर, 2 वाटर+

(Water+) शहर और 23, 3-स्टार और 74, 1-स्टार रेटेड शहर हैं। इंदौर भारत का पहला 7-स्टार कचरा मुक्त शहर (Garbage Free City) है और भोपाल ने 5-स्टार कचरा मुक्त प्रमाण (Garbage Free Certificate) प्राप्त किया है, जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भारत के छह शहरों में से एक है।

इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत् स्रोत पर छह प्रकार के कचरे का पृथक्करण किया जाता है और साथ ही लगभग 1,900 टन कचरे का दैनिक प्रसंस्करण किया जाता है जिससे राजस्व भी अर्जित किया जा रहा है। इसी से 18,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी बनाया जाता है जिससे इंदौर शहर में लगभग 150 बसें संचालित होती हैं। अपशिष्ट उपचार से 10 टन जैविक खाद का उत्पादन होता है।

7.1 नगरीय परिदृश्य

जनगणना, वर्ष 2011 के अनुसार, सबसे अधिक शहरी आबादी इंदौर (24.28 लाख) में हैं, और इसके बाद भोपाल (19.17 लाख), जबलपुर (14.40 लाख) और ग्वालियर (12.74 लाख) हैं। मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में नगरीय निकायों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। नगर निगमों की संख्या काफी हद तक समान रही है, नगर परिषदों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चित्र 7.1)।

चित्र 7.1— मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या

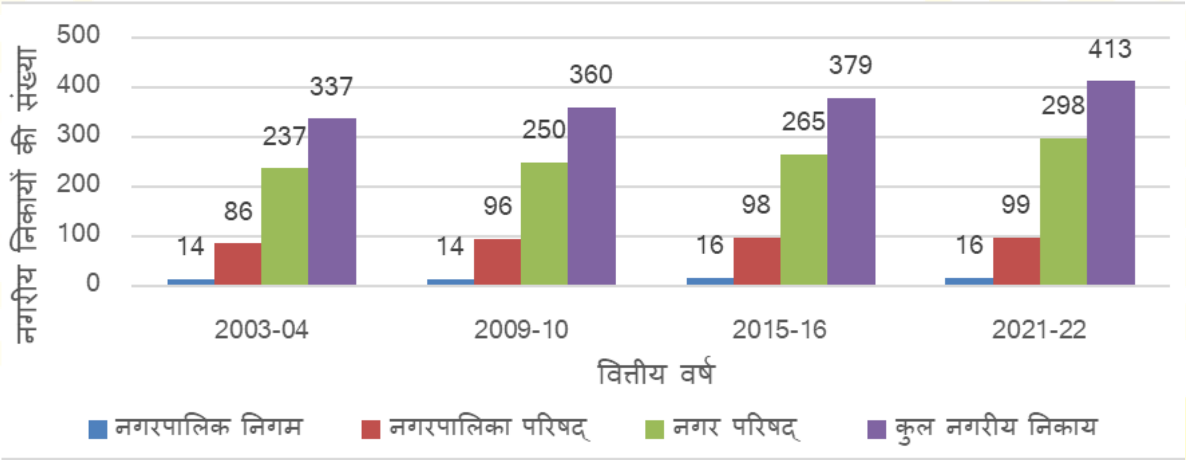

स्रोत– (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2004; 2010; 2016; 2022)

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से प्रदेश के नगरीय निकायों को बजट आवंटन में लगातार वृद्धि की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य शासन ने नगरीय निकायों के लिए राशि रु.10,371.76 करोड़ आवंटित किए। चित्र 7.2 में दर्शाया गया है कि मध्यप्रदेश में कुल शहरी आबादी में से 16 नगरपालिक निगमों में कुल आबादी का 46.46% आवास करता है, 99 नगरपालिका परिषदों में 29.86% और 298 नगर परिषदों में कुल शहरी आबादी का 23.68% जनसंख्या आवासरत है। यह ध्यान देने योग्य है कि नगरपालिक निगमों को बजट आवंटन का 42.86% है, जबकि जनसंख्या का हिस्सा 46.46% है। इसी तरह, 33.33% बजट नगरपालिका परिषदों की 29.86% आबादी एवं 23.81% बजट नगर परिषदों की 23.68% आबादी को आवंटित है। इससे पता चलता है कि राज्य शासन ने छोटे शहरों के विकास को समान ही महत्व दिया है।

चित्र 7.2— वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश शासन से विभिन्न नगरीय निकायों को हस्तांतरित की गई राशि और नगरीय निकायों की जनसंख्या का विभाजन

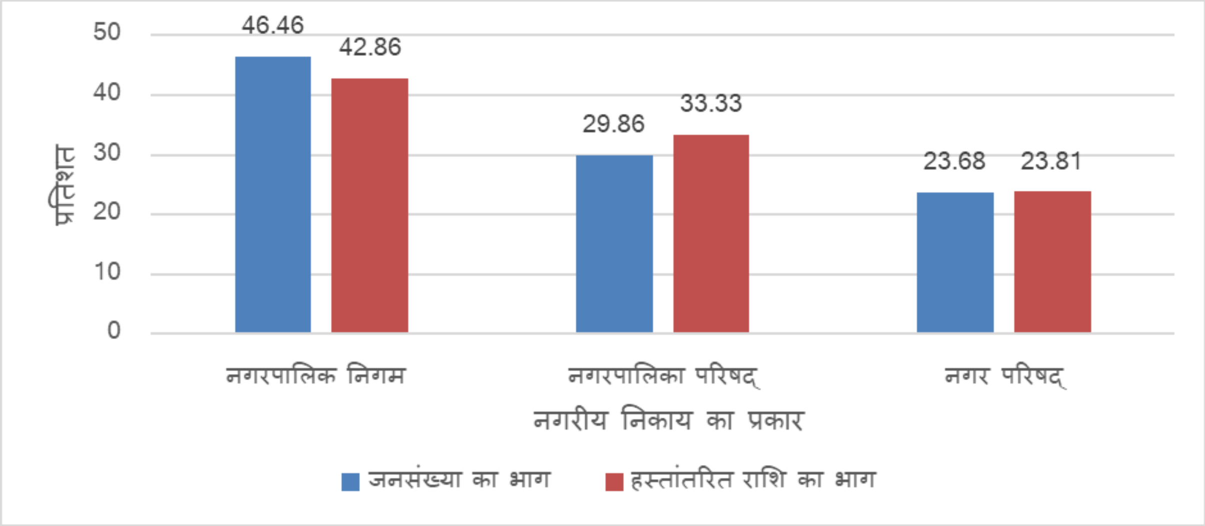

स्त्रोत— (जनगणना, 2011; वित्त विभाग, 2022)

चित्र 7.3— मध्यप्रदेश के जिलों में नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत में)

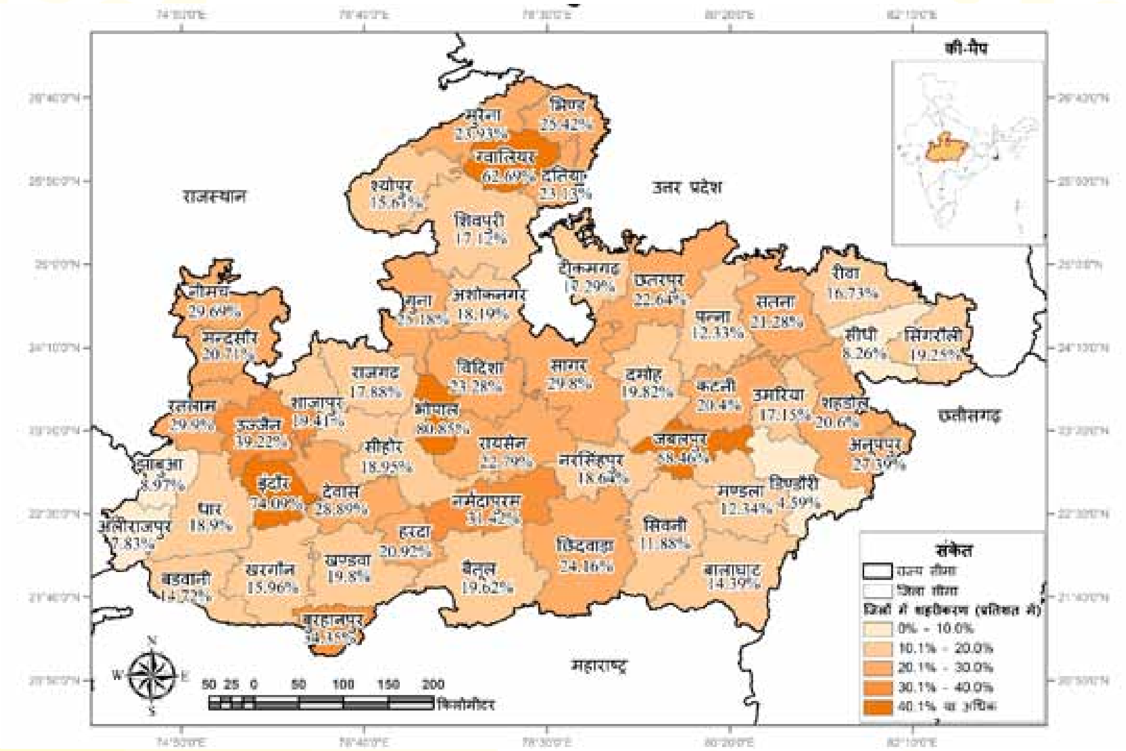

स्त्रोत— (जनगणना, 2011)

बॉक्स 7.1— नवनिर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य के 5085 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए एक अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नगरीय निकायों को पर्यावरण संरक्षण, बिजली संरक्षण, जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और केंद्र सरकार पर निर्भरता कम करने के लिए धन के स्रोत विकसित करने का प्रयास करना था। इसके अलावा, उनके प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में दो पुस्तकों का विमोचन सुंदर लाल पटवा राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान, भोपाल द्वारा किया गया, जो प्रतिनिधियों के कामकाज के लिए एक रोड-मैप प्रदान करता है।

7.2. नगरीय विकास के लिए योजनाएं

मध्यप्रदेश शासन लगातार राज्य में नगरी अधोसंरचनाओं और सेवाओं का उन्नयन कर रहा है और नागरिकों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए नगरीय क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ा रहा है। यह नगरीय क्षेत्र में अभिनव नीतियों और योजनाओं के माध्यम से नगरीय प्रशासन को भी प्रभावी बना रहा है और नगरीय निकायों को अपने स्वयं के वित्त साधन प्राप्त करने में सक्षम बना रहा है। यह केंद्र के समर्थन से राज्य में विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है, जो नेशनल मिशन ऑफ संस्टेनेबल हैबिटेट के साथ जुड़ा हुआ है। नेशनल मिशन ऑफ संस्टेनेबल हैबिटेट (NMSH) को तीन कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है— 1. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, 2. स्वच्छ भारत अभियान 3. स्मार्ट सिटीज़ मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत्, जलवायु स्मार्ट शहर आकलन फ्रेमवर्क 2019 को शमन और अनुकूलन उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में कमी करने के लिए एक स्पष्ट रोड-मैप प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। शहरी गरीबों के उत्थान और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राज्य में क्रियाशील हैं।

केंद्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के अलावा, मध्यप्रदेश शासन बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी आजीविका, आर्थिक कल्याण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी योजनाओं को निष्पादित कर रही है। इनमें से कई राज्य के अपने संसाधनों से हैं जबकि अन्य एडीबी, वर्ल्ड-बैंक जैसी बाहरी एजेंसियों से ऋण के माध्यम से हैं। यह अधोसंरचना के विकास, शहरी आजीविका, आर्थिक कल्याण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी परियोजनाओं और योजनाओं को भी निष्पादित कर रहा है।

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (चरण 1, 2 और 3)

नगरीय विकास और आवास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, राज्य शासन ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्ष 2012 में सीएम शहरी अधोसंरचना विकास योजना शुरु की थी। इस योजना के तहत्, शहरी क्षेत्र में सड़कों का विकास, शहरी परिवहन, सौंदर्यीकरण, सामाजिक बुनियादी ढांचे, पार्क और विरासत संरक्षण किया गया है (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2022)।

चरण 1

योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत लागत राशि रु.1428.00 करोड़ है, जिसमें से 30% राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया गया है और शेष 70% राशि नगरीय निकायों द्वारा हुडको (HUDCO) से ऋण लेकर पूरी की गई है। इस ऋण की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा 15 वर्षों में ब्याज राशि सहित तथा शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नगरीय निकायों द्वारा 15 वर्षों में ब्याज राशि सहित करने का प्रावधान किया गया है।

चरण 2

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2016 में राशि रु.1800 करोड़ स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 382 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में तथा 80 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय विकास कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत 382 परियोजनाओं में से 237 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुका है और 145 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

तीसरा चरण

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तीसरे चरण में वर्ष 2020 में राशि रु.536 करोड़ स्वीकृत किए गए, जिसमें 428 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। राज्य शासन द्वारा योजना में स्वीकृत राशि का 20% अनुदान के रूप में और 80% ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है। ऋण राशि के 75% का भुगतान राज्य शासन द्वारा ब्याज राशि के साथ किया जाएगा और शेष 25% ब्याज राशि के साथ शहरी निकायों द्वारा भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत् नगरीय निकायों में निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे—

- नगरीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का काम
- सड़कों और नालियों का निर्माण
- पार्कों और हरित क्षेत्रों का विकास
- बरसाती पानी की नाली का निर्माण
- स्मार्ट सड़क निर्माण कार्य

तालिका 7.1— मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना में नगरीय निकाय की पात्रता

	नगरीय निकाय	प्रति नगरीय निकाय	कुल राशि (करोड़ में)	राज्य का योगदान (करोड़ में)	वित्तीय संस्थानों से 80% ऋण
1	नगर निगम	—			
	भोपाल और इंदौर	10	20	04	16
	ग्वालियर और जबलपुर	08	16	03.20	12.80
	उज्जैन	06	06	01.20	04.80
	शेष 11 नगर निगम	03	33	06.60	26.40
2	17 नगर पालिका (1 लाख से अधिक आबादी)	02	34	06.80	27.20
	81 नगर पालिका (1 लाख से कम आबादी)	01.50	121.50	24.30	97.20
3	264 नगर परिषद्	0.75	198	39.60	158.40

	नगरीय निकाय	प्रति नगरीय निकाय	कुल राशि (करोड़ मे)	राज्य का योगदान (करोड़ में)	वित्तीय संस्थानों से 80% ऋण
4	नवगठित निकाय	–	30	30.00	00
5	राज्य शासन की घोषणाएं	–	71.50	14.30	57.20
6	प्रशिक्षण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए तीसरा पक्ष	–	06	06.00	–
	कुल	**–**	**536**	**136**	**400**

स्रोत– (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2022)

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना निर्माण योजना

राशि रु.800 करोड़ की मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना निर्माण योजना वर्ष 2022 में दो वर्षों के लिए शुरु की गई है। योजना में राज्य शासन द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट अधोसंरचना कार्यों को मंजूरी दी जा रही है। विभिन्न नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुमोदित होने के बाद राशि रु.388.57 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं।

मध्यप्रदेश नगरीय विकास कंपनी (MPUDC) के द्वारा नगरीय अधोसंरचना उन्नयन

नगरीय विकास और आवास विभाग अपनी मध्यप्रदेश नगरीय विकास कंपनी (MPUDC) के माध्यम से राज्य के विभिन्न छोटे कस्बों और शहरों में कई परियोजनाएं संचालित कर रहा है। परियोजनाएं ज्यादातर शहरों में जल आपूर्ति में सुधार और राज्य की नदियों के आसपास के शहरों में मलजल निस्तारण की स्थापना करके नदियों पर शहरों के प्रभाव को कम करने से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं को राज्य शासन और अन्य बाह्य बैंकों जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), वर्ल्ड-बैंक और केएफडब्ल्यू बैंक के समर्थन से किया जाना प्रस्तावित है। एडीबी द्वारा 130 शहरों में जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार के लिए प्रस्तावित राशि रु.5400 करोड़ का 70% ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, शेष 30% राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। वर्ल्ड-बैंक द्वारा 10 शहरों में 7 मलजल निस्तारण संयंत्रों और 3 जल आपूर्ति योजनाओं को लागू करके राशि रु.1080 करोड़ का 70% ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमे शेष 30% राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। केएफडब्ल्यू बैंक 5 शहरों में मलजल निस्तारण संयंत्रों को विकसित करने हेतु स्वीकृत राशि रु.525 करोड़ का 70% ऋण उपलब्ध करा रहा है। शेष 30% राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश मेट्रो

मध्यप्रदेश शासन भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का निर्माण कर रहा है। राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) का गठन किया गया है। MPMRCL केंद्र और राज्य शासन के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल नेटवर्क का पहला चरण सितंबर 2023 के अंत तक भोपाल और इंदौर में क्रमशः लगभग 7 किमी और 17.5 किमी के लिए प्रारंभ होगा। 19 अगस्त 2019 को राज्य शासन ने भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल सिस्टम के लिए केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन दोनों शहरों में मेट्रो रेल पर राशि रु.14,000 करोड़ से अधिक की लागत आएगी और इसकी संयुक्त लंबाई लगभग 62.41 किलोमीटर होगी।

ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्क्रूटनी सिस्टम (ALPASS)

ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्क्रूटनी सिस्टम (ALPASS) नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के तहत् एक परियोजना है जिसे जिला अधिकारियों के लिए लेआउट /प्लानिंग अनुमति और लैंडयूज जानकारी के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए लागू किया गया है। इसका उपयोग शासन के निर्धारित औपचारिक चैनल के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित भूमि उपयोग प्रमाण पत्र और एनओसी ऑनलाइन जारी करने के लिए किया जा रहा है। लेआउट राज्य के विकास दिशानिर्देशों यानी भूमि विकास नियमों और संबंधित शहर के मास्टर-प्लान के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

इस प्रणाली द्वारा अभी तक 16 हजार से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे राशि रु.77.52 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या और वर्ष 2019 के बाद से अर्जित संबंधित राजस्व चित्र 7.4 में दिखाया गया है।

चित्र 7.4— ALPASS में अनुमोदित प्रमाण पत्र और राजस्व

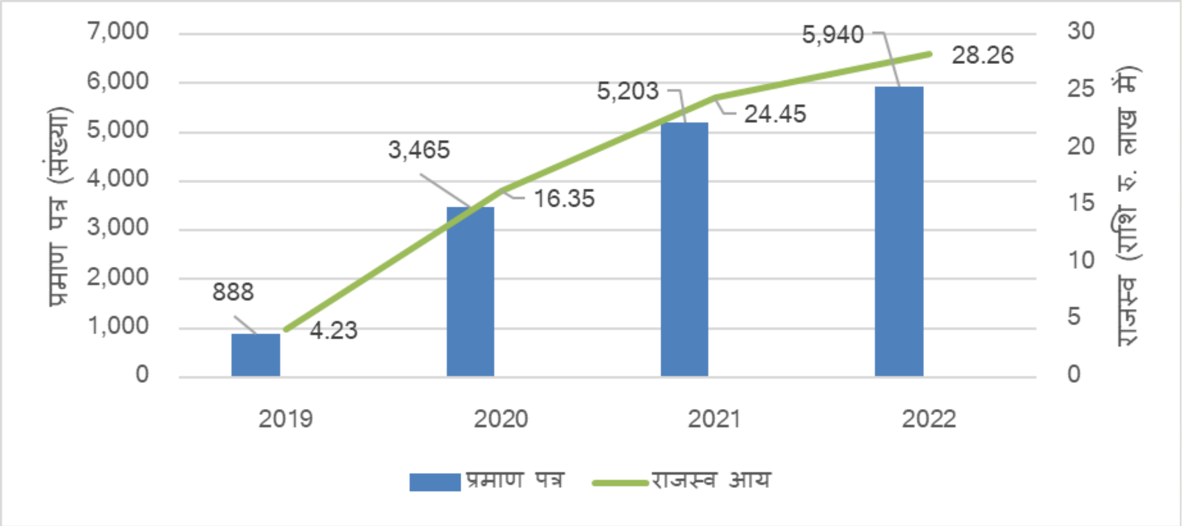

स्त्रोत– (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2022)

ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ABPAS)

ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) का उद्देश्य नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा सेवा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है ताकि शहरों को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाया जा सके। भवन योजना अनुमतियों के त्वरित प्रसंस्करण और निपटान, ड्राइंग जांच के स्वचालन, भवन शुल्क और अन्य शुल्कों के मानकीकरण और फिर फाइल प्रोसेसिंग की प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। इस पहल से पहले, अधिकांश भवन अनुज्ञा आवेदन और हार्ड कॉपी में मैन्युअल रूप से प्रस्तुत की जाती थीं। मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक इस पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन हेतु लगभग 32 हज़ार आवेदन प्राप्त हुए हैं।

बॉक्स 7.2— शहरी सेवाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी

राज्य में सर्वश्रेष्ठ नवाचार और प्रौद्योगिकी है जैसा कि इंदौर शहर में देखा जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शहर के प्रयासों ने इसे देश के लिए एक प्रोटोटाइप उदाहरण बना दिया है। शहर कचरे से लगभग 150 सार्वजनिक बसों के लिए ईंधन उत्पन्न करता है और सामग्री पुर्नप्राप्त (एमआरएफ) के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा भी बनाई है। नगर पालिका ने यह सुविधा स्थापित की है, जो एक स्वचालित पृथक्करण (automated sorting) के माध्यम से कचरे को 35 श्रेणियों में अलग करती है और वर्गीकृत उत्पादित कचरे को बेचकर नगरपालिका राजस्व प्राप्त करती है। यह न केवल पृथक्करण में सुधार करता है, साथ ही लैंडफिल साइट पर छोड़े गए डंप को भी कम करता है।

लैंडफिल साइटों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छे मॉडलों में से एक भोपाल में है। भोपाल ने 37 एकड़ जमीन का पुनर्विकास किया है, जो कभी पूरे शहर के लिए डंपिंग साइट हुआ करती थी। इस क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों तक कचरा डंप किया गया था और इसमें 7.5 लाख टन से अधिक पुराना कचरा था। 37 एकड़ भूमि में से 21 एकड़ बायोमाइनिंग के माध्यम से पुर्नप्राप्त की जानी थी और शेष 16 एकड़ को कैप करने का निर्णय लिया गया था। बायोमाइनिंग का उपयोग करके कुल 1.8 लाख टन कचरा बरामद किया गया। भोपाल ने देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल स्थापित किया है। इसने दिखाया है कि डंप यार्डों में पुराने कचरे को उपयुक्त प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग करके प्रभावी ढंग से उपचारित किया जा सकता है। यह देश भर के शहरों में 3000 विषम डंपसाइटों के उपचार के लिए एक मॉडल बन गया है।

राज्य ने जीआईएस और राजस्व सर्वेक्षण के आधार पर संपत्ति कर रजिस्टर की तैयारी भी शुरू की है, जो नगर निगम में तकनीकी सहायता के साथ ई-नगरपालिका में इसका एकीकरण है जो कर रिकॉर्ड को एक स्थानिक आयाम प्रदान करेगा और राजस्व संग्रह में भी सुधार करेगा।

सरकारी पहलों के अलावा मध्यप्रदेश को अब शहरी सेवाओं को आगे बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी में एक उद्यमिता केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी गतिशीलता के क्षेत्र में राज्य के पास कुछ बेहतरीन स्टार्टअप पहल हैं।

ई-नगर पालिका (E-Nagar Pallika)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश ने राज्य भर के सभी शहरों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए केंद्रीकृत वेब-आधारित ई-नगरपालिका परियोजना लागू की है। परियोजना के माध्यम से नागरिकों को दी जा रही नगरपालिका सेवाओं को सुलभ, सुविधाजनक, पारदर्शी बना कर उन्हे समय पर प्रदान किया जा रहा है। नगरीय निकायों के विभिन्न विभागों के भीतर पारदर्शिता और सुचारू सहयोग लाने और नागरिकों के लाभ के लिए, मध्यप्रदेश शासन ने इस पोर्टल के माध्यम से आवश्यक नागरिक सेवाओं की सुविधा प्रदान करके ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना— शहरी (PMAY-U)

प्रधानमंत्री आवास योजना— शहरी (PMAY-U) के प्रारम्भ से सभी घटक अंतर्गत कुल 9.50 लाख से अधिक आवास स्वीकृत है, जिसमें से 6.00 लाख से अधिक हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके है। योजना के तहत् वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के बीच 1265 परियोजनाओं के लिये मंजूरी दी गई है; 4,70,389 आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी गई है और 4,34,127 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस योजना की 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी' घटक के अंतर्गत 1.68 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला है।

प्रधानमंत्री आवास योजना— शहरी में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के बीच कुल राशि रु.18,284.50 करोड़ का निवेश किया गया है जिसमें केन्द्रीय सहायता और राज्य सहायता की राशि रु.14,169.04 करोड़ शामिल हैं।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) — (1.0) और (2.0)

अमृत (1.0)

जनवरी 2023 में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शहरी विकास के लिए राशि रु.6686.97 करोड़ की परियोजना को लागू करने की मंजूरी दी है। अभी तक भारत सरकार से पहली, दूसरी और तीसरी किश्त में कुल राशि रु.2497.05 करोड़ प्राप्त हुई है जिससे पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, परिवहन और हरित क्षेत्रों के विकास और निर्माण किया जाना है। अब तक 176 परियोजनाओं पर राशि रु.4152 करोड़ के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। परियोजनाओं के कार्यान्वियन में रु.5338 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

अमृत (2.0)

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) योजना, 01 अक्टूबर, 2021 को 05 वर्षों की अवधि के लिए यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक शुरू की गई थी। अमृत 2.0 के तहत मध्यप्रदेश को पूरे मिशन अवधि के लिए धन आवंटित किया गया है। अमृत 2.0 परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय आवंटन को समान फार्मूले का उपयोग करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरित किया गया है, जिसमें शहरी जनसंख्या (जनगणना 2011) और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र को 90:10 के अनुपात में वितरण दिया गया है। तदनुसार, मध्यप्रदेश राज्य को परियोजना घटक के लिए राशि रु.4065 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्वच्छ भारत अभियान— (SBM)- (1.0) और (2.0)

विगत वर्षों के सघन प्रयासों से प्रदेश के शहरी स्वच्छता परिदृश्य में आमूल परिवर्तन आया है। इन प्रयासों से स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी है और अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ सतत् स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसी का नतीजा है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हुआ है। वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 98 शहरों को भी स्टार रेटिंग मिलने में सफलता मिली है। नगर पालिकाओं को कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध कराए गए हैं जिनके माध्यम से सभी वार्डों से सूखा और गीला कचरा 100 प्रतिशत एकत्रित किया जाता है। शहरी विकास और आवास विभाग के अनुसार सूखे कचरे के निपटान के लिए 400 नगरीय निकायों में 'मटीरीअल रिकवरी फैसिलिटी (MRF)' स्थापित की गई हैं। साथ ही, 400 शहरों में केंद्रीकृत खाद इकाइयां स्थापित की गई हैं जहां गीले कचरे को खाद में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा, अपने घरों से निकलने वाले गीले कचरे की होम कंपोस्टिंग भी 6.5 लाख से अधिक जागरूक परिवारों द्वारा की जाती है।

इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रीवा, जबलपुर और सिंगरौली आदि में छोटे शहरों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और संग्रह और भंडारण प्रणालियों के लिए निष्पादन इकाइयां संचालित की जा रही हैं। इस वर्ष भारत सरकार ने प्रदेश के 98 शहरों को स्टार रेटिंग दी है। जिसमें शहरों की संख्या 7 स्टार - 01 सिटी (इंदौर), 5 स्टार – 01 सिटी (भोपाल), 3 स्टार - 23 सिटी और 1 स्टार - 73 सिटी है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में इंदौर को लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर नामित किया गया। राज्य के प्रमुख शहरों के लिए पिछले 6 वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग चित्र 7.5 में दिखाई गई है।

चित्र 7.5— स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग

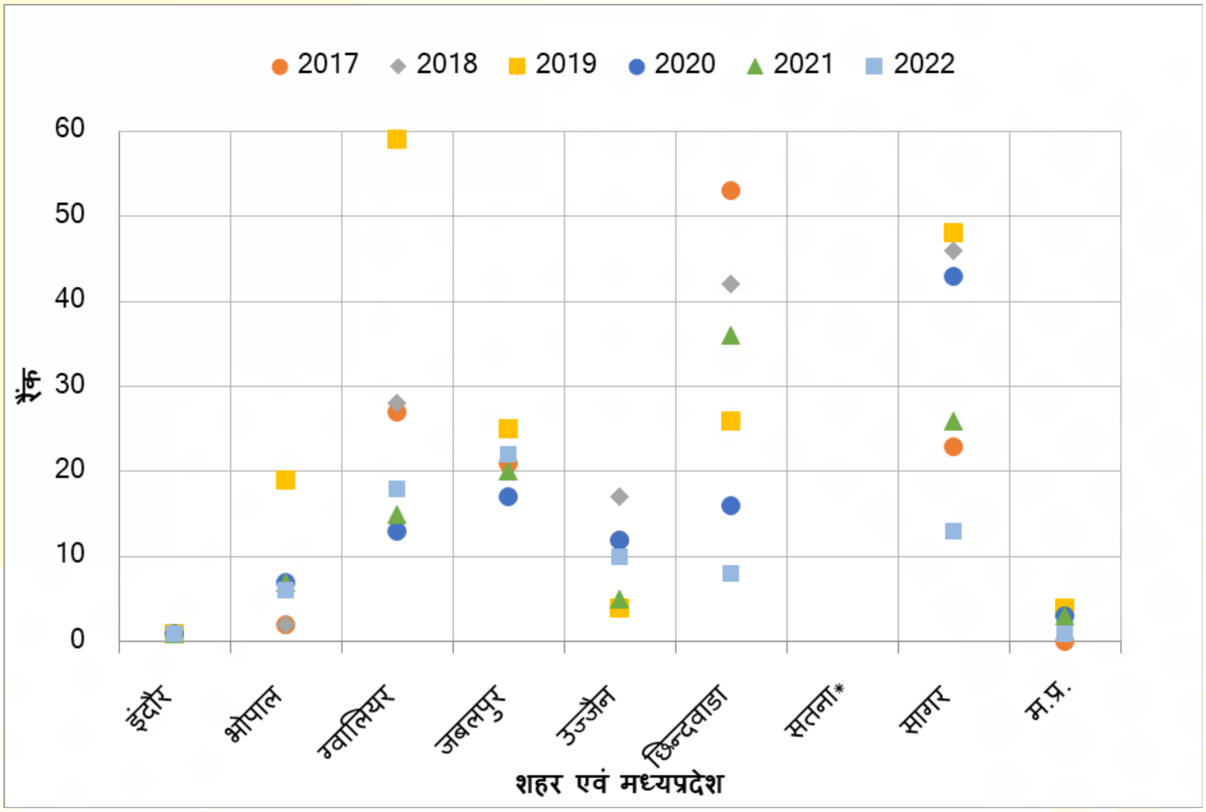

स्रोत— (नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, 2023)

स्मार्ट सिटीज़ मिशन

स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत मध्यप्रदेश के सात शहरों- इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन का चयन किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा शहरों के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुसार, एससीएम (SCM) अनुदान निधि, पीपीपी और अभिसरण श्रेणी सहित 814 परियोजनाओं की योजना बनाई गई है। इनमें से सभी सात स्मार्ट शहरों में राशि रु.9444.25 करोड़ की 583 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि राशि रु.9968.62 करोड़ की लागत वाली 211 परियोजनाओं में कार्य प्रचलित हैं और राशि रु.283.37 करोड़ की लागत वाली 20 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। एससीएम अनुदान निधि के तहत, इन शहरों में राशि रु.6894.85 करोड़ के 639 कार्यों की योजना बनाई गई है। इनमें से राशि रु.4112.76 करोड़ की लागत के 478 कार्य पूरे हो चुके हैं और लगभग राशि रु.2782.09 करोड़ की लागत वाले 161 कार्य चल रहे हैं। भोपाल और इंदौर स्मार्ट शहर राशि रु.1000 करोड़ की एससीएम अनुदान निधि सीमा का उपयोग करने वाले कुछ शहरों में से हैं।

सभी स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किए गए हैं। कोविड-19 लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कोविड नियंत्रण कक्ष के रूप में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रभावी ढंग से काम किया।

इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन शुरू किए जा रहे यातायात नियामक चालान के माध्यम से बेहतर सूचित करने में सक्षम बनाता है। यह प्रणाली वास्तविक समय के आधार पर यातायात की निगरानी करने में सहायक है, जिससे इसे सुरक्षित, अधिक कुशल, समन्वित और स्मार्ट बनाया जा

सकता है। मध्यप्रदेश शासन ने स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा वहन की गई संचालन एवं प्रबंधन लागत के अनुरूप चालान के माध्यम से प्राप्त राजस्व के 75% हिस्से का प्रावधान किया है। एक स्मार्ट सिटी का ICCC संचालन प्रबंधन के लिए "तंत्रिका केंद्र" के रूप में कार्य करता है। यह एक समग्र स्तर पर डेटा सेट के एक जटिल और बड़े पूल को संसाधित करता है। ICCC ने मध्यप्रदेश राज्य प्रशासन को केंद्रीय क्लाउड के माध्यम से राज्य के सात शहरों में कई शहर नागरिक उपयोगिताओं और नागरिक सेवाओं की निगरानी और प्रशासन करने में सक्षम बनाया है। इसने राज्य शासन को एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न नागरिक सेवाओं को दूरस्थ रूप से प्रबंधित और नियंत्रित करने में सक्षम बनाया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

मध्यप्रदेश शासन और शहरी निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) चलाया जा रहा है। क्षमता निर्माण, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत विकास के माध्यम से शहरी गरीबों को आजीविका के साधन प्रदान करने के लिए मिशन प्रतिबद्ध है। इस मिशन के तहत् शहरी बेघर और स्ट्रीट वेंडरों को स्थान प्रदान करने के लिए हॉकर्स कॉर्नर/वेंडर मार्केट विकसित किए जाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से सामाजिक सेवाओं का प्रावधान भी प्रदान किया जाता है। योजना के घटक निम्नानुसार हैं–

- सामाजिक जागरूकता और संस्थागत विकास
- कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट
- स्व-रोजगार कार्यक्रम
- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
- शहरी स्ट्रीट वेंडरों को सहायता
- शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना

नगरीय विकास और आवास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना के तहत् वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों को प्रदान किया है जिसे तालिका 7.2 में देखा जा सकता है।

तालिका 7.2– राष्ट्रीय शहरी रोजगार आजीविका मिशन (एनयूएलएम) की प्रगति

क्र.	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)
1	2021-2022 (जनवरी तक)	सामाजिक एकीकरण और संस्थागत विकास	स्वयं सहायता समूह का गठन –11000	गठित स्व–सहायता समूह – 8700
2		कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार	आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदाए करने का लक्ष्य – 52000	कुल प्रशिक्षित आवेदक – 38551
3		स्व-रोजगार कार्यक्रम	व्यक्तिगत ऋण – 12000	व्यक्तिगत वितरित ऋण – 6447
			समूह ऋण – 250	समूह ऋण संवितरण–191
			स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज – 5000	स्व-सहायता समूहों का बैंक लिंकेज वितरण –3292

क्र.	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)
1	2022 –2023 (नवंबर 2022 तक)	सामाजिक एकीकरण और संस्थागत विकास	स्व–सहायता समूह का गठन –3355	गठित स्व–सहायता समूह – 9814
2		कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार	आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदाए करने का लक्ष्य – 3355	कुल प्रशिक्षित आवेदक –75542 नियुक्त –17749
3		स्व–रोजगार कार्यक्रम	व्यक्तिगत ऋण – 2349	व्यक्तिगत वितरित ऋण – 5341
			स्व-सहायता समूहों का बैंक लिंकेज – 2097	स्व-सहायता समूहों का बैंक लिंकेज वितरण –3989

स्रोत– (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2022)

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (PM-SVANidhi)

कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्ट्रीट वेंडरों के काम में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा राशि रु.10 हज़ार, राशि रु.20 हज़ार और राशि रु.50 हज़ार के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए जून 2020 से पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरु की गई है।

नगरीय विकास और आवास विभाग ने स्वनिधि योजना के तहत् वर्तमान वर्ष में राज्य के एक समूह में वृद्धि की सूचना दी है, जिसका उल्लेख निम्नानुसार है–

- निधि योजना के प्रथम चरण (रु.10,000 ऋण राशि) के तहत् राज्य देश में पहले स्थान पर है जिसने राशि रु.521.66 करोड़ का ऋण 5.23 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडरों को वितरित किया है।
- पीएम स्वनिधि योजना के दूसरे चरण (रु.20,000 की ऋण राशि) के तहत् मध्यप्रदेश 1,28,060 शहरी स्ट्रीट वेंडरों को राशि रु.255.79 करोड़ का ऋण वितरित करके देश में दूसरे स्थान पर है।
- पीएमएसडब्ल्यू फंड योजना के तीसरे चरण (रु.50,000 की ऋण राशि) के तहत् 5,496 शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को राशि रु.27.34 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है।
- पीएमएसडब्ल्यू फंड योजना के तहत् 2.45 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा डिजिटल लेनदेन किया जा रहा है और जिनके द्वारा अब तक राशि रु.4.24 करोड़ कैशबैक प्राप्त किया जा चुका है।

रहवासी संघ नीति (रेसीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन– RWA पॉलिसी)

राज्य शासन ने आवासीय कॉलोनियों के शासन और आंतरिक प्रबंधन के लिए रहवासी संघ नीति (आरडब्ल्यूए) नीति तैयार की है जो कि शासन स्तर पर विचाराधीन है। इस नीति का उद्देश्य आरडब्ल्यूए को मजबूत करना और उनके सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी, मजबूत और समग्र तंत्र के माध्यम से उनका समर्थन करना है। इसने आरडब्ल्यूए स्तर पर बुनियादी नगरपालिका सेवाओं, सुरक्षा, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जटिल समस्याओं और मुद्दों को हल करने में मदद करेगी।

नीति में जमीनी स्तर पर कुशल शासन के लिए सभी आरडब्ल्यूए को एक छतरी के नीचे लाने और निवासियों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आरडब्ल्यूए से संबंधित प्रभावी शिकायत निवारण करने की परिकल्पना की गई है। यह सभी हितधारकों की भूमिकाओं और कार्यों में संक्षिप्तता, स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का भी प्रयास करता है।

बॉक्स 7.3— पुर्नघनत्वीकरण (रीडेंसीफ़िकेशन) नीति — 2022

म.प्र. शासन के द्वारा पुर्नघनत्वीकरण (रीडेंसीफ़िकेशन) नीति- 2022 लागू की गई है, जिसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में स्थित पुराने जीर्ण-शीर्ण कार्यालयों की भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए शासन की आवश्यकता अनुसार एवं भविष्य की मांग के आधार पर नये आधुनिक कार्यालय आदि अधोसंरचनाओं का निर्माण निजी जन भागीदारी से बगैर शासकीय कोष का उपयोग करते हुए कराया जा रहा है। म.प्र. शासन की पुर्नघनत्वीकरण नीति- 2022 के अनुसार म.प्र. शासन के पुराने परिसरों के वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण भाग को निजी विकासकर्ता को निवर्तित करते हुए चयनित विकासकर्ता के माध्यम से शासन की आवश्यकता अनुसार कार्यालय/आवास गृह आदि अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रकार शहरों का उन्नयन हो रहा है एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ शहर में पूंजी का भी निवेश हो रहा है।

गत दो वर्षो में 50 से ज्यादा परियोजनाओं की बिड स्वीकृत की गई है, जिनके अंतर्गत रू. 2200.00 करोड़ की शासकीय अधोसंरचनाओं के कार्य कराये जा रहे है। इन परियोजनाओं में पुनर्घनत्वीकरण नीति- 2022 के अनुसार निर्धारित अपसेट मूल्य से लगभग औसत 48 प्रतिशत से अधिक मूल्य प्राप्त हुआ है।

पुनर्घनत्वीकरण नीति- 2022 के लाभ—

शहर के महत्वपूर्ण भाग की भूमि का निवर्तन होने से विकासकर्ताओं का आकर्षण होनानिजी पूंजी का शहर में निवेश होना, अधोसंरचनाओं का भविष्य के अनुसार नव-निर्माण होना एवं स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होना

निजी विकासकर्ताओं हेतु प्रमुख बिन्दु—

- विवाद-रहित एवं महत्वपूर्ण स्थान की शासकीय भूमि का ”भूमि-स्वामी स्वत्व आधार” पर निवर्तन
- निवर्तित भूमि का मूल्य एक मुश्त न लेकर शासकीय सम्पत्ति के निर्माण कार्य के रूप में लिया जाना
- निवर्तित भूमि शासकीय सम्पत्ति के निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार तीन अथवा चार भागों में विक्रय-विलेख किया जाना
- विकासकर्ता को निवर्तित भूमि पर निर्माण हेतु शासकीय वैधानिक अनुमति/अनापत्ति हेतु सहयोग करना

माह जनवरी- 2021 से जनवरी- 2023 तक की उपलब्धियां—

- कुल परियोजनाऐं जिनमें बिड सफल हुई – 22
- अपसेट मूल्य/प्राप्त बिड - रू. 1114.17 करोड़/रू. 1646.19 करोड़
- शासकीय कोष में जमा योग्य राशि - रू. 532.02 करोड़
- शासकीय कार्यो की लागत - रू. 751.07 करोड़

संदर्भ

जनगणना. (2011). जनगणना, भारत शासन. नई दिल्ली.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग. (2004). प्रशासकीय प्रतिवेदन 2003-04. भोपाल: नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग. (2010). प्रशासकीय प्रतिवेदन 2009-10. भोपाल: नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग. (2016). प्रशासकीय प्रतिवेदन 2015-16. भोपाल: नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग. (2022). प्रशासकीय प्रतिवेदन 2021-22. भोपाल: नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

भारतीय रिजर्व बैंक. (2022). नगरपालिका वित्त पर रिपोर्ट. भोपाल: भारतीय रिजर्व बैंक.

वित्त विभाग. (2022). खंड 7- नगरीय निकायों और पंचायती निकायों को अनुदान. भोपाल: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

अध्याय -8

सामाजिक एवं आर्थिक विकास

अध्याय - 8

सामाजिक एवं आर्थिक विकास

“किसी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक विकास से संभव नहीं है। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां आम व्यक्ति एक दूसरे के पूरक बन सकें। जरूरत इस बात की है कि हम सभी गरीबों, वंचितों और समाज में पीछे छूटे व्यक्तियों को अपने साथ लेकर चल सकें”

- माननीय श्री नरेंद्र मोदी

पिछले डेढ़ दशक के दौरान मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की सामाजिक संरचना में समता स्थापित करने के लिए दूरगामी प्रयास किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के गरीबों, कमजोर वर्गों और महिलाओं के जीवन में अनेकों सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ते हैं। वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता के स्तर में आए हुए बदलाव के आंकड़ों के माध्यम से ही अगर हम सामाजिक बदलाव को समझने का प्रयास करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की बीच में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अभूतपूर्व गुणात्मक बदलाव आया है और इस बदलाव ने उनकी जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा की तरफ मोड दिया है। सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास के इस अध्याय में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सामाजिक विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कि महिलाओं, युवा और बच्चों के जीवन पर इसके प्रभाव को प्रस्तुत करने का प्रयास इस अध्याय में किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विशिष्ट वर्गों जैसे कि वृद्ध, परित्यक्ता, बेसहारा, महिलाओं और कमजोर वर्गों के जीवन को और बेहतर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, उनकी सुरक्षा और पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार ने पिछले एक दशक में कई ऐसे दूरगामी कार्य किए है जिसके परिणाम अब राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति को आँकने वाले संकेतांकों जैसे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के साथ–साथ सतत् विकास के लक्ष्यों की उपलब्धि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। प्रदेश में जेंडर बजट, लाड़ली लक्ष्मी, सुकन्या समृद्धि, “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ”, बालिकाओं की माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक पहुँच के लिए साइकिल देने की योजनाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

समाज में बच्चों, दिव्यांगजनों और युवाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई नीतियों, कार्यक्रमों और सामाजिक स्तर पर अनेक हस्तक्षेपों की प्रभावी पहल की है जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए अलग बजट आवंटन, पोषण आहार संयंत्रों को महिलाओं के हाथ सौंपना जैसे प्रयास शामिल हैं।

राज्य की कुल जनसंख्या में युवा आबादी का हिस्सा 27.5% (जनगणना वर्ष 2011) है। इसका अर्थ है कि हमारी कुल आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा युवा (15-29 वर्ष के बीच) है। राज्य द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने और अवसर प्रदान करने के लिए जो प्रमुख पहल शुरू की गई है उसमें मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम, नई स्टार्ट-अप नीति, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी कार्यक्रम और राज्य की प्रस्तावित नई युवा नीति शामिल हैं जिनका उद्देश्य है कि समय के अनुरूप युवाओं की आवश्यकता को पहचाना जाए और उन्हें एक जिम्मेदार तथा कार्यशील नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न किए जाएं।

राज्य की कुल जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011) में 33.5 प्रतिशत जनसंख्या बच्चों (0-14 वर्ष की आयुवर्ग) की है। राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे संस्थानों के माध्यम से बच्चों की विशेष देखभाल

सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है। राज्य द्वारा किए गए प्रयासों को नवजात मृत्यु दर (वर्ष 2015-16 में 39.9 से वर्ष 2019-21 में 29)[1], शिशु मृत्यु दर (वर्ष 2015-16 में 51.2 से वर्ष 2019-21 में 41.3)[1] और बाल मृत्यु दर (वर्ष 2015-16 में 64.6 से वर्ष 2019- 21 में 49.2)[1] जैसे संकेतकों में हुए बदलाव के माध्यम से समझा जा सकता है (NFHS – 4, NFHS - 5)।

8.1 सामाजिक क्षेत्र

अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं की सामाजिक उन्नति के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेपों के साथ-साथ मौलिक आधारभूत जरूरतों जैसे कि पीने का पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि को पूरा करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को परंपरागत रूप से सामाजिक क्षेत्र के अध्याय में शामिल किया जाता रहा है। वर्तमान में सामाजिक क्षेत्र के लिए राज्य के पिछले तीन वर्षों के बजट आवंटन का विश्लेषण नीचे तालिका क्रमांक में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका क्रमांक – 8.1 : सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन (राशि रुपये करोड़ में)

प्रमुख सामाजिक क्षेत्र	क्षेत्र के लिए वर्षवार बजटीय आवंटन			2020-21 से 2022-23 के बीच आवंटन (प्रतिशत में) वृद्धि
	2020-21	2021-22	2022-23	
युवा	145.26	193.43	347.35	139
शिक्षा	27,438.60	28,887.88	35,404.45	29
सामाजिक सशक्तिकरण	13,310.29	14,869.60	17,713.20	33
स्थानीय प्रशासन	18,307.06	18,761.52	19,649.46	7
स्वास्थ्य और पोषण	16,742.92	21,909.55	25,030.57	49
कुल योग	75944.13	84621.98	98145.03	29

स्रोत – मध्यप्रदेश बजट:वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23; वित्त विभाग;

तालिका क्रमांक 8.1 से स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2022 -23 में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर क्षेत्रवार बदलाव को देखा जाए तो इस समयावधि में सर्वाधिक वृद्धि युवाओं के लिए आवंटित बजट में हुई है। युवाओं के लिए आवंटित बजट के बाद सर्वाधिक वृद्धि स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में है। चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा पर अलग अध्यायों में विस्तृत चर्चा की गई है, अतः इस अध्याय में युवाओं के लिए किए गए प्रयास और सामाजिक सशक्तिकरण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त बजट में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किए गए विशेष आवंटन का उल्लेख भी नीचे तालिका क्रमांक 8.2 में प्रस्तुत है जो यह स्पष्ट करता है कि इन दोनों वर्गों के लिए आवंटित बजट में वर्ष 2022-23 में वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक – 8.2: कमजोर वर्गों के लिए बजट आवंटन (राशि रुपये करोड़ में)

प्रमुख सामाजिक क्षेत्र	क्षेत्र के लिए वर्षवार बजटीय आवंटन			वर्ष 2020-21 से 2022-23 के बीच आवंटन (प्रतिशत में) वृद्धि
	2020-21	2021-22	2022-23	
अनुसूचित जाति उप-योजना	16,554.23	17,980.05	19,020.12	15
जनजातीय कार्य उप योजना	24,261.29	24,910.99	26,940.68	11
कुल योग	40,815.52	42,891.04	45,960.80	13

स्रोत – मध्यप्रदेश बजट: वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23; वित्त विभाग

8.2 महिलाओं सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव

समाज में असमानताओं की कमी और लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का अभिन्न अंग है। मध्यप्रदेश में सामाजिक बदलाव के प्रमुख संकेतांकों में महिलाओं की स्थिति को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि साक्षरता, कम उम्र में विवाह, पोषण के स्तर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर आदि सभी संकेतांकों में प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में पिछले डेढ़ दशक में अच्छी प्रगति हुई है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं की कमजोर स्थिति को पहचानते हुए उनकी सामाजिक दशा को बेहतर बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। प्रदेश सरकार के इन हस्तक्षेपों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है।

8.2.1 महिलाओं के लिए बजटीय प्रावधान

प्रदेश की सामाजिक संरचना में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के संदर्भ में राज्य सरकार की सबसे बड़ी रणनीति जीवन के सभी क्षेत्रों और आयामों में महिलाओं के लिए बजट से जोड़कर देखा जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कदम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने और जमीन पर क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने वर्ष 2007-2008 से जेंडर बजट की प्रक्रिया कुछ चयनित विभागों के साथ शुरू की है, जो अब प्रदेश के 33 विभागों के द्वारा लागू की जा रही है।

तालिका क्रमांक - 8.3 : मध्यप्रदेश के कुल बजट मे जेंडर बजट का प्रतिशत (राशि रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रदेश का कुल बजट	जेंडर बजट	कुल बजट (प्रतिशत में)
2020-21	196318.85	67641.00	34.4
2021–22	217813.00	70467.00	32.4
2022-23	247715.00	84512.00	34.1

स्रोत – मध्यप्रदेश बजट: वाल्यूम 6, वर्ष 2022-23; वित्त विभाग;

प्रदेश में सरकार विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, लिंगानुपात को बेहतर करना, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना और अपनी पूरी क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए संस्थागत और विधिक सहायता की सुविधा प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। विभिन्न विभाग और संस्थाएं महिलाओं एवं बच्चों की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनमे महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला वित्त विकास निगम, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह, श्रम विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं।

8.2.2 महिला सशक्तिकरण योजनाएं

लाड़ली लक्ष्मी योजना

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लागू की गई है। योजनांतर्गत बालिका के जन्म लेते ही उसके नाम से शासन की ओर से 1.43 लाख का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें कक्षा 6 में प्रवेश पर राशि रुपये 2000, कक्षा 09 में प्रवेश पर राशि रुपये 4000, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर राशि रुपये 6000 एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर राशि रुपये 6000 की छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। बालिका के 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1.00 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लिखित न्यूनतम आयु पूर्ण करने के पश्चात हुआ हो। लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर राशि रुपये 25,000.00 की प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दिए जाने का प्रावधान है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में दिनांक 13 फरवरी 2023 तक 2.32 लाख नवीन बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इसी अवधि में 1,477 लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर प्रथम किशत की प्रोत्साहन राशि (प्रति बालिका रुपये 12,500.00) के रूप में कुल राशि रुपये 1.84 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

लाड़ली बहना योजना

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 : प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000/- पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन से महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार होगा, साथ ही महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होंगी। महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी, अपितु पारिवारिक स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

8.2.3 स्वयं सहायता समूह : महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सामाजिक बदलाव की धुरी

प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत रूप देने के लिए जमीनी स्तर पर उनको संगठित करने वाले स्वयं सहायता समूहों को एक सशक्त माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। स्वयं

सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं को जहां एक तरफ बचत एवं साख से जुड़ने का मौका मिला है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सरकार की योजनाओं और सूचना प्रवाह के तंत्र से जोड़ा है।

मध्यप्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन की शुरुआत वर्ष 1998 में विश्व बैंक और आइफेड की सहायता से 9 जिलों में प्रारम्भ हुई 'स्वशक्ति परियोजना' से हुआ है, जिसका क्रियान्वयन मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया गया है। वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा बचत और साख को माध्यम बनाकर उनके सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया शुरु की गई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ किया गया जिसका प्रदेश में क्रियान्वयन वर्ष 2012 से शुरु हुआ। इसके साथ ही स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना का पुनर्गठन करके वर्ष 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश में वर्ष 2012-13 में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम (MPRAF) के माध्यम से शुरु हुआ। मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत राज्य के गरीबों के लिए आजीविका प्रदान करने के लिए एक पंजीकृत सोसायटी है, जिसे राज्य आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है।

स्वयं सहायता समूहों के लिए बजटीय आवंटन

सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बजट का आवंटन किया है, उसे नीचे तालिका क्रमांक 8.4 में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका क्रमांक - 8.4 : एन.आर.एल.एम. बजट आवंटन एवं व्यय (राशि रुपये करोड़ मे)

क्र.	वर्ष	वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप बजट आवंटन	
		केंद्रांश	राज्यांश
1	2020-21	261.00	174.00
2	2021-22	488.00	326.00
3	2022-23 (दिसम्बर 2022 तक)	488.00	326.00

स्रोत – मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, 2023

आवंटन से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2022-23 में आवंटन 87% अधिक था। मध्यप्रदेश में लगभग 65,57,121 ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूह और उनके संघों में शामिल करने के लिए पात्र पाये गये। इनमें से 47,02,311 ग्रामीण परिवारों (71.71%) को 4,20,838 स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के 38108 ग्राम संगठन बने हुए हैं और ये सभी ग्राम संगठन 1325 क्लस्टर स्तरीय परिसंघ (सीएलएफ) के सदस्य हैं। प्रदेश में, शेष 28.29% ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह और उनके संघों में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। लगभग 90.86% स्वयं सहायता समूहों के पास अपने बैंक खाते हैं। मध्यप्रदेश में सामुदायिक संस्थाओं के गठन की स्थिति का वर्षवार विवरण तालिका क्रमांक 8.5 में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका 8.5 : सामुदायिक संस्थाओं के वर्षवार गठन की स्थिति

वर्ष	कुल स्वयं सहायता समूह	कुल ग्राम संगठन	संकुल स्तरीय परिसंघों की संख्या	बैंक खाता युक्त स्वयं सहायता समूहों
2012-13 से 2019-20 तक	281601	26491	814	217810
2020-21	40647	4389	174	56891
2021-22	39177	3804	250	46504
2022-23	59413	3424	87	61187
कुल	**420838**	**38108**	**1325**	**382392**

स्रोत – मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, 2023

सीएलएफ और ग्राम संगठन में से, कुल 330 सीएलएफ और 10,791 ग्राम संगठन मप्र सहकारिता अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत हैं। सहकारी सोसायटी अधिनियमों के तहत स्वयं सहायता समूह परिसंघों को पंजीकृत करने के मुद्दों और चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वयं सहयता समूहों की पहचान पंजीबद्ध करने और स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों को कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विशेषण संस्थान के माध्यम से "स्वयं सहायता समूहों और उनके परिसंघों के अधिनियम" का प्रारूप तैयार किया गया है, जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिनियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल है।

वित्तीय समावेशन/वित्तीय पहुंच

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्तीय समावेशन और बैंक लिंकेज पर कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण गरीबों के वित्तीय समावेशन का तात्पर्य वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से है। विभिन्न वित्तीय सेवाओं में साख, बचत, बीमा, भुगतान और प्रेषण सुविधाएं शामिल हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि बचत, आंतरिक-ऋण, बैंक खाता खोलने, बीमा और पेंशन योजनाओं के बारे में वित्तीय साक्षरता जागरूकता प्रदान की जा सके।

तालिका 8.6 : म. प्र. में महिला एस.एच.जी. को आर.एफ.सी.आई.एफ. और वी.आर.एफ. की स्थिति

वर्ष	चक्रीय निधि प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	निधि की कुल बकाया राशि (लाख रुपयों में)	सी.आई.एफ. प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	सी.आई. एफ. की कुल राशि (लाख रुपयों मे)
2012-13 से 2019-20 तक	151837	19413.97	77707	58347.14
2020-21	43609	4997.65	16934	11509.19
2021-22	35898	4124.76	16238	11568.36

वर्ष	चक्रीय निधि प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	निधि की कुल बकाया राशि (लाख रुपयों में)	सी.आई.एफ. प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	सी.आई. एफ. की कुल राशि (लाख रुपयों में)
2022-23	27171	4953.25	10646	7835.84
कुल (मिशन प्रारंभ से)	**258515**	**33489.63**	**121525**	**89260.53**

स्रोत – मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, 2023

स्वयं सहायता समूहों के लिए राशि रुपये 55.99 करोड़ का वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड (वीआरएफ) उनके ग्राम संगठनों के माध्यम से प्रदान किया गया। इसी तरह उनके कार्यालयों की स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 17256 ग्राम संगठनों को स्टार्ट-अप फंड के रूप में राशि रुपये 101.32 करोड़ एवं 721 क्लस्टर स्तरीय परिसंघ को राशि रुपये 14.32 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

कृषि आधारित आजीविका

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि इन महिला समूहों की आर्थिक मजबूती के लिए प्रत्येक परिवार के पास आजीविका के कम से कम 2-3 विकल्प हों। सामूहिक प्रयासों से बांस, मसाले, सब्जियां, मोरिंगा, बाजरा एवं अन्य मोटे अनाज उत्पादन जैसे कई कृषि और गैर-कृषि आजीविका कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। विभागों एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय और आरसेटी के माध्यम से क्षमता निर्माण, आजीविका सामूहिक संस्थाओं जैसे किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) या आम उत्पादक व्यक्तियों के निर्माता समूह कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं। वर्तमान में एमपीएसआरएलएम ने 108 उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दिया है। कुल 26,25,207 समूह सदस्यों को दिसंबर 2022 तक कृषि आजीविका के साथ जोड़ा गया है।

बॉक्स 1 महिला समूह द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिला स्वयं सहायता समूहों की रोजगार पैदा करने की क्षमता और स्थानीय माँग को देखते हुए स्कूल यूनिफॉर्म निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास 2013 में मंडला जिले में शुरु किया गया। जिले में सिलाई का काम 2014 में 5,000 से 10,000 स्कूल यूनिफॉर्म तक बढ़ाया गया था। एवं 2015-16 में पांच जिलों से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 32 जिलों में 29000 सदस्यों को शामिल किया गया। कारोबार वर्ष 2016-17 में 1.29 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 250 करोड़ हो गया। इस प्रयास में शामिल सदस्यों ने अपने प्रयासों से औसतन 20,000 रुपये अर्जित किये। वर्ष 2020-21 में लगभग शामिल 50 जिलों में 523 स्थायी सिलाई केंद्रों में 10,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के 53941 सदस्यो के साथ 312 करोड़ रुपये मूल्य की स्कूल यूनिफॉर्म निर्माण के लिये मिशन ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आदेश देकर व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया तथा स्कूल यूनिफॉर्म के कुल 104 लाख जोड़े सिले गए। हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप 8000 सदस्यों को प्रति माह 7,500 की औसत आय वाला स्थायी रोजगार मिला। वर्ष 2022-23 में 285 करोड़ रुपये मूल्य की स्कूल यूनिफॉर्म निर्माण के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा राशि प्रदान की गई है।

गैर कृषि आजीविका

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने गैर-कृषि आजीविका के लिए निम्नानुसार प्रमुख प्रयास किए हैं :

- निष्ठा विद्युत मित्र योजना के तहत 1,457 महिलाएँ निष्ठा विद्युत मित्र की तरह बिजली के बिल का भुगतान एकत्र करना एवं नए बिजली कनेक्शन से संबंधित कार्य करना।
- 2,590 गांवों में स्वयं सहायता समूह नल-जल योजना की देखरेख एवं उज्ज्वला गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पहुंच बढ़ाने से जुड़े कार्य करना।
- 8 जिलों में 324 स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थापित फ्लाइ एश ब्रिकक्स निर्माण इकाइयां स्थापित की गई है।
- वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के बाद से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर, हैंड वाश और साबुन का निर्माण किया है।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा "दीदी कैफे" के नाम से अब तक 134 कैफे संचालित किए जा रहे हैं।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित अन्य आर्थिक गतिविधियां

सरकार ने राज्य के 7 जिलों में 7 निर्माण इकाइयों की स्थापना करके स्वयं सहायता समूह के परिसंघों को टेक होम राशन (THR) बनाने का अवसर भी प्रदान किया है।

इसके अलावा, गौशाला प्रबंधन, कोदो कुटकी न्यूट्री बेकरी, महिला द्वारा निर्मित एवं उत्पादित सामग्री का विपणन, सड़क के किनारों के रख-रखाव, नर्सरी की स्थापना, आजीविका गतिविधियों के लिए 'आजीविका भवन' का निर्माण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी आदि के कार्यों को सौंपकर समूह की महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान किया जा रहा है।

लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं में यदि, काम महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व के तहत है तो महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष एवं मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना, महिला वित्त विकास निगम द्वारा तेजस्विनी संघों के माध्यम से संचालित विभिन्न इकाइयों जैसे कोदो कुटकी प्रसंस्करण इकाई, कोदो न्यूट्री बर्फी, कोदो न्यूट्री बेक एवं गोंड पेन्टिंग जैसे कार्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

डिण्डोरी जिले में पावर लूम एवं तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ डिण्डौरी के द्वारा सेनेटरी नैपकिन यूनिट का संचालन किया जा रहा है। यूनिट में तैयार सेनेटरी नैपकिन आंगनवाडी केन्द्रों में उदिता कार्यक्रम के अंतर्गत सप्लाई की जा रही है एवं खुले बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

मनरेगा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में सृजित कुल कार्य दिवसों में महिलाओं के लिए सृजित कार्य दिवसों का अनुपात वर्ष 2018-19 में 36.54% था जो वर्ष 2022-23 में 41.69% हो गया है। प्रदेश में मनरेगा के तहत हो रहे अच्छे प्रयासों जैसे महिला रोजगार मेट, महिला रोजगार सहायक एवं काम करने वाली महिलाओं के लिए झूलाघर जैसे प्रावधानों के परिणामस्वरूप महिलाओं के काम करने हेतु एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है। प्रदेश में महिलाओं के अंदर सामाजिक सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है एवं महिलाएं बिना किसी भेदभाव एवं भय

के अपने जीवन यापन हेतु सुरक्षित वातावरण में सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। मनरेगा के तहत स्थायी संपत्ति बनाने के अलावा, राज्य ने 168 नर्सरी के विकास के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से सहयोग किया है, जिनमें से 48 नर्सरी सार्वजनिक भूमि पर विकसित की गई हैं।

चित्र क्रमांक – 8.1 कुल सृजित मानव दिवस में से महिलाओं द्वारा सृजित किये गए मानव दिवस

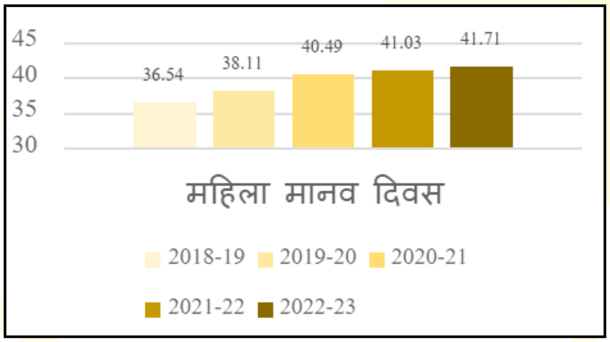

स्रोत – मनरेगा परिषद द्वारा प्रदत

सुशासन में महिलाओं की भागीदारी

मध्यप्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल किए हैं। इनमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50% आरक्षण का प्रावधान शामिल है। वर्ष 2022 में सम्पन्न पंचायत आम निर्वाचन में कुल लगभग 3,95,564 जनप्रतिनिधि चुने गए, जिनमें लगभग 1,97,782 महिलाएं चुनी गई हैं। इन चुनावों में समूहों से जुड़ी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की है और स्वयं सहायता समूह की लगभग 17,000 सदस्य पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुई है। इनमें से 14,378 महिलाएं पंच के पद पर, 429 महिलाएं उप-सरपंच एवं 1,907 महिलाएं सरपंच तथा 46 महिलाएं जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं। इसके अतिरिक्त 381 समूह सदस्य जनपद सदस्य के पद पर भी निर्वाचित हुई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश में नगरीय निकायों के वर्ष 2022 में चुनाव हुए जिनमें 16 नगर निगम, 98 नगर पालिकाएं और 298 नगर परिषदों के कुल स्थान एवं पदों में से 50 प्रतिशत प्रातनिधि महिलाएँ हैं।

महिला सुरक्षा

महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास इस प्रकार हैं:

- समस्त प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता जैसे कि पुलिस सहायता, विधिक सहायता, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा-सहायता एवं काउंसिलिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजना शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं, जो प्रदेश में वर्ष 2016-17 से संचालित है। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेन्टर संचालित किए जा रहे हैं।
- "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत शासन द्वारा घरेलू हिंसा के प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी/ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षक) नियुक्त किए गये हैं।

- 01 मार्च 2020 से प्रदेश में भोपाल में महिला हेल्प लाइन 181 प्रारम्भ की गई है, जिसमें सभी दिन 24x7 घंटे महिलाओं से सम्बंधित समस्याएं सुनी जाती हैं जिसमें उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाता है। 31 जनवरी 2023 तक हेल्पलाइन के माध्यम से 46,821 प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया है।

कठिन परिस्थितयों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय

कठिन परिस्थितयों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनके पुनर्वास की व्यवस्था हेतु महिला बाल विकास द्वारा स्वाधार आश्रय गृह योजना संचालित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत निराश्रित, विधवाएं, जेल से छूटी हुई महिला कैदी, प्राकृतिक विपदाओं से निराश्रित हुई महिलाएं, अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएं, हिंसा से पीड़ित मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं आदि आश्रय गृह में आवास सुविधा सहित पोषण एवं पुनर्वास का लाभ पाती हैं। योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाता है। वर्ष 2020-21 में योजना पर राशि रुपये 121.68 लाख व्यय किए गये थे।

महिलाओं की स्थिति में प्रगति राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के निष्कर्ष

चित्र क्रमांक-8.2: मध्यप्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात

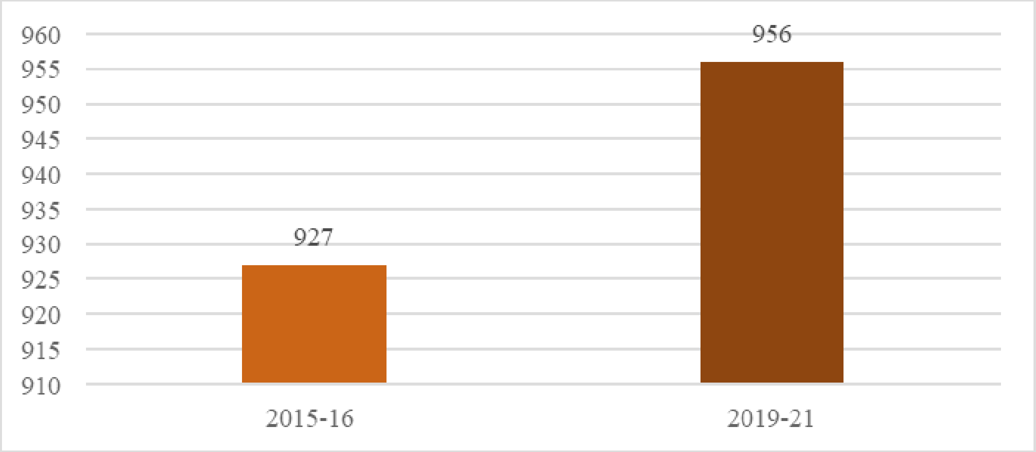

स्रोत: एन. एफ. एच. एस. 4 एवं 5

लाड़ली लक्ष्मी, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं के परिणामों का प्रभाव भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे – 5 वर्ष 2019-21 के प्रतिवेदन में परिलक्षित हुए है। चित्र क्रमांक 8.2 में प्रस्तुत जानकारी यह स्पष्ट करती हैं कि मध्यप्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2019-21 में सकारात्मक सुधार हुआ है।

वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2019-21 के बीच में समाज में महिलाओं से जुड़ी अनेकों परंपराओं में सकारात्मक बदलाव आया है जो बाल विवाह, लड़कियों की स्कूल तक पहुँच और न्यूनतम शिक्षा जारी रखने तथा साक्षरता में हुई वृद्धि के आंकड़ों से स्पष्ट होता है जिसे नीचे चित्र क्रमांक क्रमांक 8.3 में प्रस्तुत किया गया है:-

चित्र क्रमांक – 8.3: महिलाओं की सामाजिक स्थिति मे सकारात्मक बदलाव

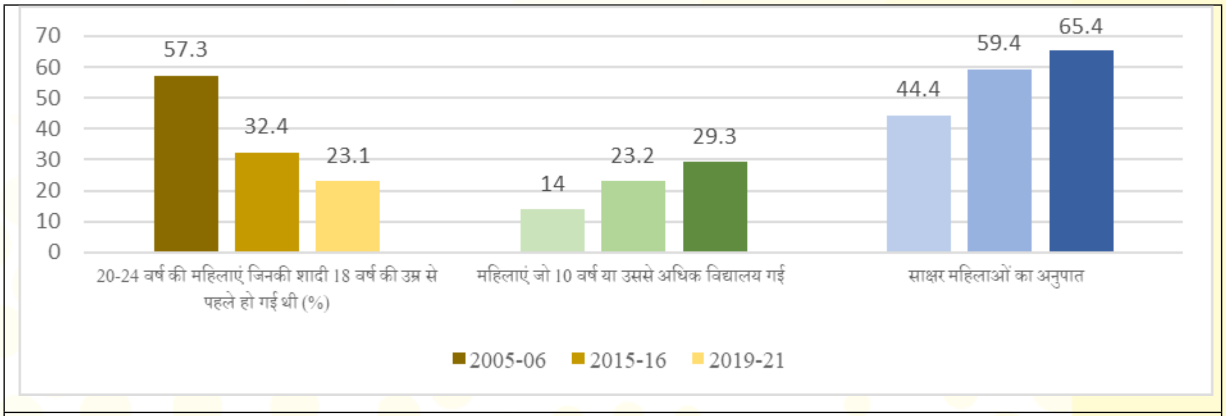

स्रोत: एन. एफ. एच. एस. 4 एवं 5

8.3 बच्चों का विकास एवं संरक्षण

मध्यप्रदेश में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए स्वच्छ, स्वस्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण मिले इसके लिए राज्य ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया है। इन प्रयासों में सर्वप्रथम है आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी, टीकाकरण और पोषक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके अलावा राज्य सरकार ने बच्चों के संरक्षण के लिए पहले समेकित बाल संरक्षण योजना और वर्तमान में मिशन वात्सल्य के द्वारा गाँव और नगरों में बच्चों के संरक्षण के समन्वित प्रयास शुरू किए हैं। बच्चों के लिए काम करने वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभाग क्रमशः स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग के साथ-साथ पंचायतें और नगरपालिकाएं आपस में समन्वय के साथ जमीनी स्तर पर बच्चों के संरक्षण और विकास के कार्य में संलग्न हैं।

बाल बजट

मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में (भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार) 0-14 वर्ष के बच्चों की आबादी 33.5 प्रतिशत है। बच्चे ही आगे चलकर मध्यप्रदेश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। पिछले डेढ़ दशक में सरकार ने लगातार यह प्रयास किया है कि बच्चों को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण मिले जिसमें सभी बच्चे गरिमा और सम्मान के साथ बड़े हों और कल के मध्यप्रदेश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकें। वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश, बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश में पहला राज्य है। बाल बजट में योजनाओं के बजटीय प्रावधानों में बच्चों के लिए आरक्षित प्रावधानों को दर्शाया गया है जिसे चित्र क्रमांक–8.4 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

चित्र क्रमांक – 8.4: बाल बजट आवंटन

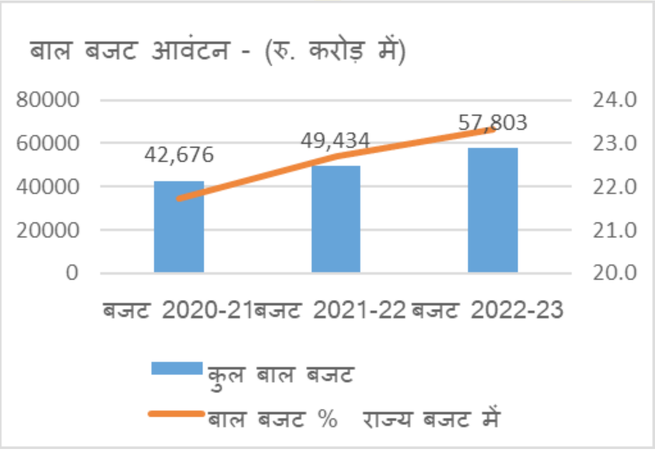

स्रोत: म.प्र. बजट वर्ष 2022-23 वित्त विभाग

मध्यप्रदेश सरकार ने आउटकम ओरिएंटेड चाइल्ड बजटिंग (Outcome Oriented Child Budgeting) मॉडल अपनाया है। बाल बजट प्रावधान के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि बाल अधिकार और बाल विकास के सभी क्षेत्रों में एकीकृत, समन्वित, साक्ष्य-आधारित निवेश किया जाए।

राज्य में वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) में बच्चों पर कुल आवंटन राशि रुपये 57,803 करोड़ था। इसमें 220 कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए आवंटन शामिल है। वर्ष 2021-22 (पुनरीक्षित अनुमान) में बच्चों के लिए आवंटन में 17% वृद्धि हुई है और वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 42,676 करोड़ के वास्तविक व्यय से 35% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल बजट का लगभग 23% बजट बाल बजट के रूप में आवंटित किया गया है। अधिकतम आवंटन (46%) स्कूल शिक्षा विभाग में है, इसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (11%) और महिला एवं बाल विकास (9.4%) का स्थान है। खेल और युवा कल्याण, श्रम, जनजातीय कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति और पर्यटन विभागों में बच्चों के लिए आवंटन में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। अभी राज्य के कुल 17 विभाग बाल बजट तैयार करते हैं।

पोषण हेतु प्रयास

बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने पूरक पोषण आहार और आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष पोषण कार्यक्रम के साथ-साथ सुपोषण सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का संचालन नियमित रूप से किया है। विभाग द्वारा सुपोषित मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में राज्य की पोषण नीति 2020-2030 जारी की गयी है। राज्य की पोषण नीति 2020-2030 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है:-

तालिका 8.7 : पोषण के प्रमुख संकेतांकों पर प्रदेश की स्थिति

क्र.	निगरानी योग्य निष्कर्ष संकेतक	वर्तमान स्थिति %	स्रोत	लक्ष्य		
				अल्पाविधि के लक्ष्य	मध्यावधि के लक्ष्य	दीर्घकालिक लक्ष्य
				पोषण अभियान (2022)	डब्ल्यू एच ए 2025	एस डी जी 2030
1	कम वजन वाले बच्चे (आयु के मान से कम वजन – कम वजन)	42.8	एन. एफ. एच. एस. 4 (2015-16)	36	25.70%	वर्ष 2030 तक हर प्रकार के कुपोषण का अंत
2	ठिगनेपन से प्रभावित बच्चे (आयु के मान से कम ऊंचाई – ठिगनापन)	42.0		36	25.20%	
3	दुबलेपन से प्रभावित बच्चे (ऊंचाई के मान से कम वजन – दुबलापन)	25.8		NA	<5%	

स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रदत्त जानकारी

मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्द्धन कार्यक्रम, राज्य पोषण नीति वर्ष 2020-2030 अंतर्गत सम्मिलित एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रदेश में बच्चों के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजना संचालित की जा रही है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं कुपोषण से मुक्त कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए 73 शहरी बाल विकास परियोजनाओं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 84,465 ऑगनवाड़ी केन्द्र एवं 12,670 मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन

अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के माध्यम से प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा पॉच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार करने के उद्देश्य से मिशन प्रारंभ किया गया है, ताकि वर्तमान में प्रदाय की जा रही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं और उनके सभी घटकों जैसे कि वित्तीय संसाधनों का सही और उचित समय पर उपयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने आदि के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया जा सके। सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि में कुल 9.57 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों का पंजीयन किया जाकर 8.31 लाख बच्चों को सामान्य पोषण स्तर में लाया गया है।

मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना

योजना का उद्देश्य योजना का उद्देश्य कोविड के दौरान अनाथ हुये अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता, शिक्षा सहायता एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा जारी रख सकें;

योजना अंतर्गत सहायता योजना अंतर्गत प्रदेश में 1,410 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। योजना अंतर्गत राशि रुपये 5000 प्रति माह की आर्थिक सहायता, निःशुल्क खाद्यान्न सहायता एवं शिक्षा सहायता बाल हितग्राहियों के लिए अत्यंत सामयिक और अमूल्य रही एवं शिक्षा सहायता से उनकी शिक्षा निर्बाधित रही।

टेक होम राशन (टीएचआर)

चयनित जिलों में गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-3 साल के बच्चों के लिए स्व-सहायता समूहों के संघों द्वारा तैयार टेक होम राशन की आपूर्ति की जाती हैं।

8.4 युवा और सामाजिक बदलाव

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, उन्हें अधिक कौशलों से परिपूर्ण करने के उद्देश्य से तथा उन्हें सशक्त करने का रास्ता चुना है ताकि युवा अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सके और राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में प्रभावी योगदान दें। राज्य सरकार ने युवाओं की सामाजिक जीवन में भागीदारी बढ़ाने के लिए जिन क्षेत्रों की प्रारम्भिक पहचान की है - शिक्षा एवं कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य, युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य, खेल, समावेशन एवं न्याय, पर्यावरण सुरक्षा हेतु जागरूकता और प्रदेश के गौरव में वृद्धि। इन बिंदुओं के संदर्भ में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में एक युवा को प्रशासकीय संरचना के साथ काम करने, शासन की नीतियों को समझने और उससे जुड़े सुझावों को राज्य सरकार के साथ साझा करने हेतु चयन किया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम लेते हुए युवाओं को काम के दौरान सीखने और ज्यादा कुशल बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू

किया है, एवं कुल 4695 युवाओं को प्रदेश के 313 विकास खंडों में चयनित किया गया है। यह युवा स्नातक या परास्नातक हैं और प्रत्येक विकासखंड में 15 युवाओं का चयन किया गया है। मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए आवंटित बजट में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कुल बजट आवंटन में 139 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

8.5 रोजगार एवं श्रम

मध्यप्रदेश सरकार ने काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर गंभीर प्रयास किया है। उनमें प्रमुख रूप से 'राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दर में निरंतर संशोधन और वृद्धि' तथा 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना' का उपयोग कर गांवों में न्यूनतम मजदूरी की दर को प्रभावी बनाए रखना। परिणामतः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की प्रभावी दर सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दर से अधिक है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने काम की परिस्थिति को प्रभावित करने वाले कानूनों में भी लगातार बदलाव किया है। मध्यप्रदेश में रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार के अनेक विभाग प्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं। इन विभागों में कुछ विभाग प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं और लगभग सभी विभाग तृतीयक क्षेत्र यानि सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। मध्यप्रदेश में रोजगार सृजन के लिए सरकारी क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, वन विभाग और कृषि विभाग हैं। प्रदेश ने 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है और अब तक 81 हज़ार से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार की स्थिति और रोजगार के प्रयास: मध्यप्रदेश में वर्ष 2022 में निजी क्षेत्र में 49,759 आवेदकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्राप्त कराया गया | जिनमें 7,368 महिलाएं, 10,411 अनुसूचित जाति एवं 4,976 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल है। वर्ष 2021 में निजी क्षेत्र में 83,119 आवेदकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्राप्त कराएं गए। जिसमें 10,963 महिलाएं, 16,572 अनुसूचित जाति एवं 8,789 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल थे।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के माध्यम से रोजगार

वर्ष 20-21 से प्रदेश में उद्यम पंजीयन की व्यवस्था प्रारंभ की गई और उसे जीएसटी से जोड़ा गया इस व्यवस्था के अनुरूप भारत सरकार के पोर्टल पर एमएसएमई में जो पंजीयन हुए उनकी संख्या और उपलब्ध रोजगार इस प्रकार है :

- वर्ष 2020-21 में 1 जुलाई से 31 मार्च तक 1,55,450 इकाइयां पंजीकृत हुई और इनके द्वारा 1308923 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।
- वर्ष 2021-22 में 186876 इकाइयों का पंजीकरण हुआ और इन के माध्यम से 1499642 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ।
- वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 के अंत तक 212898 इकाइयों का पंजीयन हुआ और इन के माध्यम से 1129865 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य सरकार वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है जिसके अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 392.45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता और चालू वित्तीय वर्ष 2022-23

में नवंबर 2022 के अंत तक 181.63 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता इन इकाइयों को प्रदान की गई। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए उचित वातावरण बनाने हेतु राज्य सरकार ने जरूरी अधोसंरचना विकास पर भी ध्यान दिया है। इस हेतु नवंबर 2022 तक प्रदेश में राशि रुपये 6313.27 लाख स्वीकृत कर संबंधित निर्माण एजेंसियों को स्थानांतरित किए गए।

ग्रामीण रोजगार

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से मध्यप्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कराने का वार्षिक लक्ष्य 70,000 था जिसके सापेक्ष मार्च 2022 तक 83,687 युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2022-23 में 90,000 युवाओं को रोजगार दिए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष नवंबर 2022 तक 50,241 युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022-23 में 38.36 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इसमें से 51,122 परिवारों को 100 दिवस का कार्य उपलब्ध करवाया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष में 16.70 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने का एक और प्रयास है जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,18,442 लोगों को लाभ दिया गया। वर्ष 2020-21 से मार्च 2022 तक कुल 3,14,487 पथ विक्रेता को लाभान्वित किया गया है।

उपरोक्त प्रयास ई.पी.एफ.ओ. के डाटा से परिलक्षित हैं, जिसमें वर्ष-प्रतिवर्ष में ई.पी.एफ.ओ. सब्सक्राइबर की संख्या में वृद्धि हुई है।

चित्र क्रमांक – 8.5: मध्यप्रदेश के लिए रोजगार संबंधित औपचारिक आँकड़े

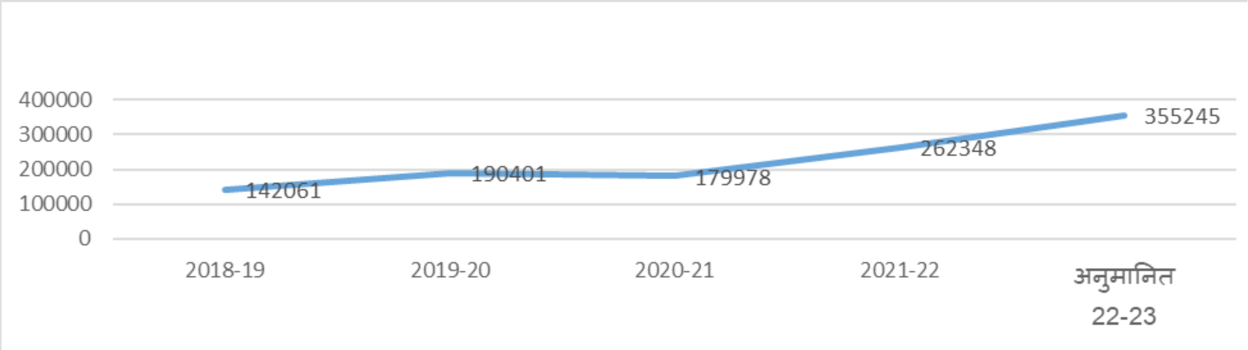

स्रोत: मध्यप्रदेश के लिए ईपीएफओ के तहत पंजीकृत नए पीएफ सब्सक्राइबर से संबंधित आँकड़े

श्रम

श्रम के क्षेत्र में राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि श्रमिकों के अधिकारों और न्यूनतम मजदूरी दर में इस प्रकार वृद्धि हो ताकि वह सतत विकास के लक्ष्य–8 के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। राज्य ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं उन्हें और उनके परिणामों को इस खंड में प्रस्तुत किया गया है।

बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन बंधक श्रम पुनर्वास योजना, मई 2021 से लागू की गई है। जो 27.1.2022 से प्रभावशील है। इस योजना में शत-प्रतिशत अंश भारत शासन द्वारा वहन किया जाता है।

- पुनर्वास सहायता राशि वयस्क पुरूष हितग्राहियों हेतु राशि रुपये 1.00 लाख है।
- स्पेशल कैटेगरी के हितग्राहियों यथा अनाथ बच्चे एवं महिलाओं हेतु पुनर्वास सहायता राशि रुपये 2.00 लाख होगी।
- ऐसे बंधक श्रमिक जिनका शारीरिक शोषण अथवा मानव तस्करी से मुक्त कराया गया हो उनके लिए पुनर्वास सहायता राशि रुपये 3.00 लाख होगी।
- प्रत्येक 3 साल में ऐसे जिले जो बंधक श्रमिकों के नियोजन की दृष्टि से संवेदनशील हैं वहां सर्वेक्षण कराये जाने हेतु प्रत्येक जिला 4.50 लाख भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।
- राज्य शासन द्वारा बंधक श्रमिक प्रथा के उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान चलाये जाने की स्थिति में भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकतम राशि रुपये 10.00 लाख प्रदाय की जायेगी जिसमें 50 प्रतिशत राशि अग्रिम के तौर पर देय होगी।

8.6 सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण

सामाजिक एवं निःशक्तजन कल्याण क्षेत्र में कतिपय विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने और सामाजिक योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की है। विभाग द्वारा मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता, दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं अन्य क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में प्रमुख रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि, मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, बहुविकलांग एवं मानसिक रुप से दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना शामिल हैं। मध्यप्रदेश बजट वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में सामाजिक सुरक्षा का बजटीय आवंटन कुल 3,122 करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 2022-23 में बढ़कर कुल 3,744 करोड़ रुपये हो गया है।

8.7 मध्यप्रदेश में हुए बदलाव को परिलक्षित करते संकेतांक

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पिछले डेढ़ दशकों के दौरान किए गए प्रयासों से जो बदलाव आया है उसके परिणाम राष्ट्रीय रिपोर्टों के माध्यम से भी उभर कर सामने आ रहे हैं। इस अध्याय में, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास इंडेक्स की रिपोर्ट में सतत् विकास के विभिन्न लक्ष्यों के संदर्भ में मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के बीच जो परिवर्तन हुआ है उसे प्रस्तुत किया गया है।

8.7.1 मध्यप्रदेश और सतत् विकास लक्ष्य

नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन से जुड़ी विश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तय 17 लक्ष्यों के अनुरूप देश के समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का ऑंकलन करती है। वर्ष 2030 के लिए तय सतत् विकास लक्ष्य पृथ्वी पर निवास करने

वाले प्राणियों की गरिमा, शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने का एक ढांचा प्रस्तुत करते है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी संकल्पना है कि अगर दुनिया के सभी राष्ट्र और समाज इन निर्धारित 17 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गंभीरता से प्रयास करें तो इस धरती पर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समानता, शांति और समृद्धि के साथ विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में यह तथ्य दृष्टिगत हुआ है कि किस प्रकार सरकार, निजी क्षेत्र एवं स्वैच्छिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं ने एक साथ आकर इन 17 लक्ष्यों को आधार बना कर स्थानीय एवं राष्ट्रीय नियोजन को गति देना प्रारंभ किया है।

चित्र - 8.6: विगत तीन वर्षों का सतत विकास लक्ष्य स्कोर

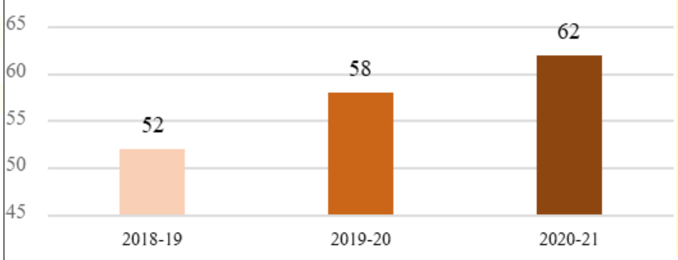

स्रोत - एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21; नीति आयोग, भारत सरकार

सतत् विकास के लक्ष्यों का उद्देश्य सभी रूपों और आयामों में गरीबी को समाप्त करना है। अक्सर गरीबी को आय के आधार पर ही परिभाषित किया जाता है, परंतु अपने दैनिक जीवन में जिन अभावों का लोग सामना करते हैं उस संदर्भ में भी गरीबी को परिभाषित किया जा सकता है। 1990 के दशक में विकसित मानव विकास की अवधारणा इस बात को स्थापित करती है कि आय के साथ-साथ जीवन स्तर में बदलाव को सुनिश्चित किए बिना सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। पिछले डेढ़ दशक में सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनेकों योजनाएं जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में क्रियान्वित है के साथ – साथ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सिंचाई के विस्तार हेतु गंभीर प्रयास तथा कार्य किए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आया है जो मध्यप्रदेश के सकारात्मक सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास के सूचकांकों से भी परिलक्षित होता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए संचालित योजनाओं से परिस्थितियों में व्यापक बदलाव परिलक्षित हुआ है। सतत विकास के लक्ष्यों के विभिन्न सूचकांकों की वर्षवार स्थिति को देखने से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश की सामाजिक परिस्थिति और अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक (SDGs Index) वर्ष 2021 के रिपोर्ट क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर हुए बदलाव को रेखांकित करती है।

उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों में मध्यप्रदेश ने (वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21) के बीच सतत् विकास सूचकांकों में 10 अंकों की प्रगति की है। इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। सतत विकास के संदर्भ में मध्यप्रदेश में हो रहे सकारात्मक बदलाव की स्थिति को सतत् विकास स्कोर आधारित चित्र क्रमांक क्रमांक – 8.6 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

8.7.2 मध्यप्रदेश और सतत विकास: सकारात्मक बदलाव

मध्यप्रदेश ने वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के बीच तीन वर्षों में कुल 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव और प्रगति को बनाए रखा है जिसे नीचे चित्र क्रमांक– 8.7 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये लक्ष्य हैं 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13 और 16 हैं। ये सभी लक्ष्य मध्यप्रदेश की सामाजिक संरचना में हो रहे सकारात्मक बदलावों को रेखांकित करते हैं।

चित्र - 8.7: सतत विकास लक्ष्य: राज्य की स्थिति में सकारात्मक बदलाव

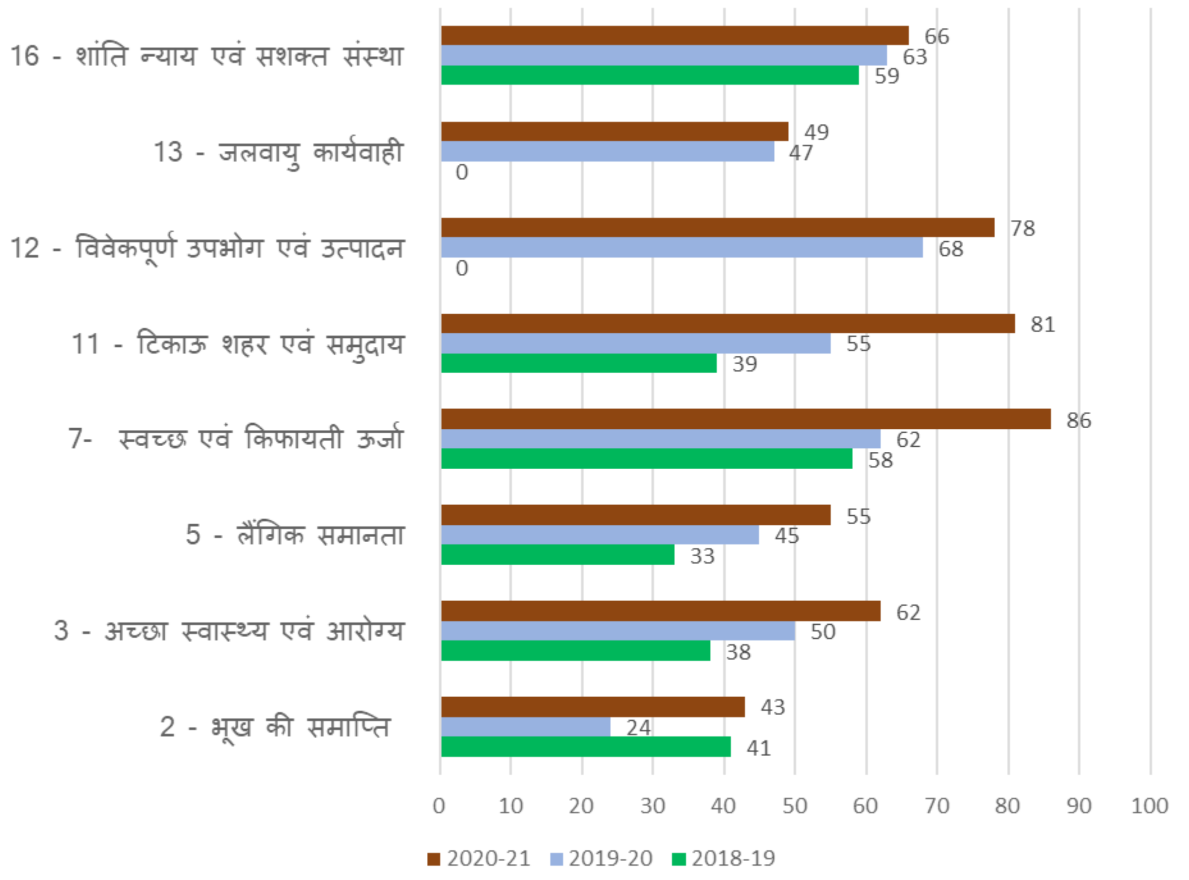

स्रोत - एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020 ;।१-नीति आयोगराकरस तराभ ,

एसडीजी–1: मध्यप्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक दीर्घकालीन रणनीति अपनाई है। इसमें सबसे प्रमुख रणनीति है कि कृषि के बुनियादी ढांचे और सहायक सेवाओं को विकसित करके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाए और इसे लक्षित करके राज्य सरकार ने कई कार्यक्रमों का विकास और उनका क्रियान्वयन किया है। इन कार्यक्रमों और रणनीति के बारे में कृषि के अध्याय में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है।

एसडीजी-2: यह लक्ष्य भूख की समाप्ति से जुड़ा है जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य की जनता के बीच भूख को मिटाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की आबादी के एक बड़े हिस्से को भीषण गरीबी से ऊपर उठाने और उनका नियोजित विकास सुनिश्चित करने के सघन प्रयास पिछले डेढ़ दशक में किए है। मध्यप्रदेश सरकार के इस दिशा में किए गए कार्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वितरण और आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार और आयरन टेबलेट के वितरण प्रमुख है। राज्य सरकार के इन प्रयासों का परिणाम राज्य के एसडीजी इंडेक्स स्कोर में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के बीच आए बदलावों से स्पष्ट होता है। वर्ष 2018-19 में राज्य का एसडीजी-2 का इंडेक्स स्कोर 41 था जो वर्ष 2020-21 में 43 हो गया।

एसडीजी–3: अच्छा स्वास्थ्य एवं आरोग्य के क्षेत्र में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है और मध्यप्रदेश लक्ष्य 3 में वर्ष 2018-19 की आकांक्षी की श्रेणी से वर्ष 2020-21 में 62 अंकों के साथ प्रदर्शक/परफार्मर वाले राज्य की श्रेणी में पहुँच गया है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कार्यों और हस्तक्षेपों का उल्लेख स्वास्थ्य के अध्याय में किया गया है।

एसडीजी-4: समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ मे मध्यप्रदेश सरकार ने अनेकों प्रयास किए हैं जिसका असर राज्य की शिक्षा पर पड़ा है। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु विशेष रूप से सीएम राइज़ स्कूल और सुपर 100 स्कालरशिप जैसी योजनाए लागू की है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों का विस्तृत विवरण शिक्षा के अध्याय में विस्तार से किया गया है।

एसडीजी: 5 लैंगिक समानता में प्रदेश ने विगत तीन वर्षों में निरंतर प्रगति बनाए रखी है और तीन वर्षों की समयावधि में 22 अंकों की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2018-19 के एसडीजी इंडेक्स स्कोर में राज्य के अंक 33 थे जो वर्ष 2020-21 में 55 हो गए हैं। इस दिशा में राज्य सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के साथ–साथ पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद और स्थान आरक्षित किया है। इसके परिणाम स्वरूप जमीनी स्तर पर पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के हितों से जुड़े निर्णय होने शुरू हुए हैं।

एसडीजी-7: सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता के संदर्भ में प्रदेश ने विगत तीन वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। वर्ष 2018-19 में लक्ष्य 7 के संदर्भ में राज्य का स्कोर 58 था जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 86 हो गया। प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित गैस कनेक्शन ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एसडीजी-9: प्रदेश विनिर्माण क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और निवेश (एसडीजी 9) को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्व सुधार एजेंडा लागू कर रहा है। नवाचार और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना मे बेहतर प्रदर्शन किया है।

एसडीजी-11: मध्यप्रदेश ने टिकाऊ शहर एवं समुदाय से जुड़े लक्ष्य 11 के संदर्भ में वर्ष 2018 से 2020-21 के बीच उतकृष्ट प्रगति की है। वर्ष 2018-19 में राज्य का स्कोर 39 था जो वर्ष 2020-21 में अच्छा सुधार करते हुए 81 पहुँच गया और परिणाम स्वरूप राज्य आकांक्षी राज्यों की श्रेणी से फ्रंट रनर/प्रदर्शक की श्रेणी में पहुँच गया है।

एसडीजी-12: लक्ष्य 12 विवेकपूर्ण उपभोग और उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लक्ष्य संसाधन और ऊर्जा दक्षता, स्थायी बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने, हरित और गरिमापूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़ा हुआ है। इसमें भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन शामिल है। वायु, जहरीले कचरे और प्रदूषकों के उत्पादन और उनके सुरक्षित निपटान को सीमित करना, और सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्रों में स्थायी उपभोग रीतियों/प्रथाओं को अपनाना। इस प्रकार, उद्योग, व्यवसाय और उपभोक्ता जैसे हितधारक सतत विकास लक्ष्य 12 को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लक्ष्य 12 के संदर्भ में वर्ष 2018-19 में राज्य का स्कोर 58 था जो वर्ष 2020-21 में 78 हो गया।

एसडीजी-13: लक्ष्य 13 जलवायु कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। अपनी विशाल भौगोलिक विविधता के साथ-साथ मध्यप्रदेश में विभिन्न जलवायु क्षेत्र और मौसमी परिस्थितियाँ हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य ने अपनी नीतियों, रणनीतियों और योजना में जलवायु कार्रवाई को एकीकृत किया है। लक्ष्य 13 के संदर्भ में वर्ष 2019-20 में राज्य का स्कोर 47 था जो वर्ष 2020-21 में 49 हो गया।

एसडीजी-16: राज्य ने शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में अपनी पहुँच सुनिश्चित की है। लक्ष्य 16 में राज्य का इंडेक्स स्कोर 2018-19 में 59 था जो वर्ष 2020-21 में 66 हो गया है, जो राज्य के प्रदर्शन में महती सुधार को रेखांकित करता है।

सारगर्भित रूप में मध्यप्रदेश ने सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए जो प्रयास किए हैं उनके परिणामस्वरूप राज्य ने आम जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित किया है और सतत विकास के लक्ष्यों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।

संदर्भ

- नीति आयोग, (2021) भारत सरकार, सतत विकास इंडेक्स 3.0 (2020-21), नीति आयोग, भारत सरकार.
- ए.आई.जी.जी.पी.ए., (2022), मध्यप्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022. भोपाल. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान.
- मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, (2023). आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रदत्त जानकारी. भोपाल. पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- महिला एवं बाल विकास विभाग, (2023). आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रदत्त जानकारी. भोपाल. महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम, (2023). आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रदत्त जानकारी. भोपाल. महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- श्रम विभाग, (2023). आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रदत्त जानकारी. भोपाल. श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- लघु, सूक्ष्म एवं माध्यम उद्योग विभाग, (2023). आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रदत्त जानकारी. भोपाल. लघु, सूक्ष्म एवं माध्यम उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, (2023). आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रदत्त जानकारी. भोपाल. पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- सामाजिक न्याय विभाग, (2023). आर्थिक सर्वेक्षण के लिए प्रदत्त जानकारी. भोपाल. सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- वित्त विभाग, (2021). बजट 2020-21. भोपाल. वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- वित्त विभाग, (2022). बजट 2021-22. भोपाल. वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- वित्त विभाग, (2023). बजट 2022-23. भोपाल. वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, (2020). मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20), श्रम एवं रोजगार का अध्याय. भोपाल. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, (2021). मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण (2020-21), श्रम एवं रोजगार का अध्याय. भोपाल. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, (2022). मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22), श्रम एवं रोजगार का अध्याय. भोपाल. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (2023). मध्यप्रदेश के लिए ईपीएफओ के तहत पंजीकृत नए पीएफ सब्सक्राइबर्स से संबंधित आंकड़े. श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार.
- भारतीय रिज़र्व बैंक, (2022). राज्य-वार बेरोज़गारी दर, सामान्य स्थिति (समायोजित) (ग्रामीण). मुंबई. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार.
- भारतीय रिज़र्व बैंक, (2022). ग्रामीण भारत में राज्यवार औसत दैनिक मजदूरी दर (पुरुष- सामान्य खेतिहर मजदूर). मुंबई. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार.

अध्याय -9

स्वास्थ्य

अध्याय - 9

स्वास्थ्य

यत्रोषधि: समग्मत राजान:समिताविव।
विप्र स उच्यते भिषग् रक्षोहामीवचातन:।।

राज्य सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम के अंतर्गत अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुच दूरस्थ क्षेत्रों तक बढ़ा कर स्वास्थ्य सेवाओं में और भी गुणवत्तापूर्ण सुधार प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाएँ के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष ध्यान देने के साथ - साथ स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को बढ़ावा देना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकताएं है। राज्य में टेलीमेडिसिन और लैब टेस्टिंग के लिए 'हब एंड स्पोक' मॉडल साक्ष्य-आधारित तकनीक और नवाचार की कुछ प्रमुख पहल हैं।

राज्य ने उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पतालों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों सहित प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार किया है। प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा का भी विस्तार हुआ है। आयुष सुविधाओं के साथ राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति शामिल है। राज्य ने आयुष्मान भारत के चार स्तंभों में भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवा, पैथोलॉजी में नि:शुल्क परीक्षण, सीटी स्कैन, आपातकालीन सेवाएं, 108 एम्बुलेंस, जननी एक्सप्रेस सेवा को पीपीपी के माध्यम से सुनिश्चित करत हुए स्वास्थ्य कवरेज में उत्तरोत्तर प्रगति बनाई हुई है। राज्य शासन द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के कार्य निरंतर किये जा रहे है क्योंकि यह सतत् विकास के लिए महत्वपूर्ण है। RMNCH+A (Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health) के अलावा, राज्य शासन संचारी और असंचारी रोग के रोकथाम हेतु सुचारु रूप से प्रयास कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए महिलाओं, बच्चों और राज्य की वृद्ध आबादी पर विशेष ध्यान देते हुए अपने वार्षिक बजट का विस्तार किया हैं।

तालिका क्रमांक 9.1 : वित्त वर्षो का बजट

(राशि रुपये करोड़ में)

प्रमुख विभाग	2020-21	2021-22	2022-23
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	76,755.20	78,861.15	1,07,634.34
चिकित्सा शिक्षा	2,061.42	2,071.82	2,561.38
आयुष	563.00	639.99	626.08

स्रोत: संबंधित विभाग, मध्यप्रदेश शासन

9.1 स्वास्थ्य अधोसंरचना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरंतर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उदेश्य से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कार्य सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवा संचालनालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 10,111 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 1415 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 353 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 135 सिविल अस्पताल और 52 जिला अस्पताल मध्यप्रदेश की जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रथम चरण के अर्न्तगत 7 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, दतिया, खण्डवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी एवं छिंदवाड़ा में एम.बी.बी.एस तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में वर्तमान में 12 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। जिनमें एम. बी.बी.एस की 2055 एवं स्नातकोत्तर की 957 सीट उपलब्ध है। शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में 63 सीट उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के द्वितीय चरण में सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है एवं निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवं इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा 150 सीटों पर प्रवेश हेतु LOI प्राप्त हो गया है। चिकित्सा महाविद्यालय मे अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के प्रशिक्षण हेतु जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी संलग्नीकरण किया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तृतीय चरण के अर्न्तगत नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु जिला बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, गुना, महेश्वर, मण्डला, मंदसौर, राजगढ़, श्योपुर, सिंगरौली, नीमच, दमोह, मुरैना, कटनी एवं सिवनी में प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति उपरांत जिला राजगढ़, मण्डला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली में शासकीय चिकि
है। राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देते हुए निजी क्षेत्र के 11 चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 1900 एम.बी.बी.एस सीटें हैं तथा स्नातकोत्तर की 776 सीटें है।

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशन दिनांक 06.05.2011) के अंतगर्त मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा

महाविद्यालय, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध सह-चिकित्सा तथा अन्य सहबद्ध विषयों में उपाधि स्तर पर व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा विज्ञान तथा शैक्षणिक परीक्षाओं में एकरूपता है। चिकित्सा आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय से चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, सह चिकित्सकीय एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम नियमित रूप से संचालित किये जा रहे है। समस्त चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा महविद्यालय, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालय के एक ही छत के नीचे आने से उनकी गुणवत्ता में निरंतन सुधार हो रहा है।

प्रदेश में 13 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही निजी क्षेत्र के 5 चिकित्सा महाविद्यालय, 1 शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, निजी क्षेत्र में 8 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय 35, निजी क्षेत्र मे नर्सिंग महाविद्यालय 551, शासकीय जी.एन.एम. 19 एवं निजी क्षेत्र के 574 जी.एन. एम. तथा शासकीय ए.एन.एम. स्कूल 22 एवं निजी क्षेत्र के 79 ए.एन.एम. स्कूल मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान के क्षेत्राधिकार में स्थापित है।

केन्द्र सरकार मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु मानव अंग प्रतिरोपण नियम, 1995 के अंतर्गत मानव अंग और उत्तक प्रतिरोपण नियम, 2014 के तहत् प्रदेश में प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने और संस्थाओं को पंजीकृत करने के लिए राज्य में संचालक चिकित्सा शिक्षा के साथ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को भी पदाधिकारी बनाया गया है। लीवर के लिये 9 संस्थाएं, किडनी के लिये 21, हृदय के लिये 4 एवं नेत्र के लिये 31 संस्थाएं राज्य में प्रत्यारापेण हेतु पंजीकृत है| राज्य में 1 चर्म (skin) बैंक, 1 अस्थि (bone) बैंक, 14 नेत्र (eye) बैंक पंजीकृत है।

प्रदेश में आयुष विभाग द्वारा निवारक, उपचारात्मक एवं स्वास्थ्य संवर्धन सेवाएं प्रदान की जा रही है। आयुष विभाग से संबंधित जानकारी एवं पहल इस अध्याय में आगे वर्णित है।

9.2 आयुष्मान भारत

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनसामान्य को आधुनिक उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) को प्राप्त करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के चार प्रमुख स्तम्भों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

'आरोग्यम' केंद्र, – हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर (AB-HWC) प्रदेश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें प्रदाय करने की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स के रूप में विकसित किया जा रहा हैं। मध्यप्रदेश में इन केन्द्रों को ‘आरोग्यम केंद्र’ नाम दिया गया है। प्रदेश में कुल 11.14 हजार केन्द्रों को ‘आरोग्यम केंद्र’ के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया हैं, जिसमें कुल 10.88 हजार केन्द्र क्रियाशील हैं। इस वित्त वर्ष में उपलब्धि निम्नलिखित है।

- कुल 1.85 करोड़ लोगो ने निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ लिया है जिनमे कुल 1.65 करोड़ रोगियो को निःशुल्क दवा वितरण की गयी है। टी बी मुक्त अभियान के अंतर्गत इन केंद्रों के माध्यम से कुल 2.92 लाख लोगों की टी बी की जांच की गई।
- कुल 93.25 लाख व्यक्तियों का उच्च रक्तचाप का परीक्षण किया गया, जिसमें से 6.77 लाख व्यक्ति उपचार करा रहे हैं। डायबिटीज के कुल 92.5 लाख व्यक्तियों का परीक्षण किया गया है, जिसमें से 3.74 लाख व्यक्ति उपचारित हैं।

- हब एण्ड स्पोक मॉडल के अंतर्गत 324 हब एवं 1610 स्पोक चिन्हित (लैब जांच सुविधा संबंधित) किये गये हैं। इन हब एण्ड स्पोक मॉडल में लैब जांच सुविधा के माध्यम से माह फरवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक 15.76 लाख व्यक्तियों की 62.82 लाख निःशुल्क जांच की गई।
- जन समुदाय को निरोग रहने एवं स्वस्थ्य रहने की सलाह दी जाती है जिसके अंतर्गत इस वित्त वर्ष में कुल 5.75 लाख व्यक्तियों को लाभ दिया जा चुका है।

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य में 3.50 करोड़ हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किये जा चुके हैं। इस योजना मे अंतर्गत राज्य में कुल 494 शासकीय तथा 540 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किये गए हैं। इस वित्त वर्ष में, इस योजना अंतर्गत कुल 3,22,746 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं तथा माह जनवरी 2023 तक कुल 996.75 करोड़ रुपये राशि का भुगतान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों को किया जा चुका है।

आयुष्मान भारत - डिजिटल मिशन (AB-DM) इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा कुल 2,36,68,763 आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA IDs) बनाए जा चुके है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) भारत सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) अंतर्गत राज्य शासन को 35 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 17 जिला अस्पताल में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, 11 जिला अस्पताल में 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर ब्लॉक एवं 5 चिकित्सा महाविद्यालय में 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) भारत सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) के अंतर्गत राज्य शासन को कुल रु 117.76 करोड़ अंतरित किये गए तथा अंतरित राशि से राशि से माह जनवरी 2023 तक रुपये 90.15 करोड़ का व्यय किया गया।

9.3 सार्वजानिक एवं निजी सहभागिता

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अभिनव प्रयास किये जा रहे है। निजी भागीदारो के साथ प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं जन सामान्य को उपलब्ध करायी जा रही है।

बॉक्स क्रमांक 9.1

सार्वजानिक एवं निजी सहभागिता मॉडल

बाह्य रोगी स्वास्थ्य सुविधाएं	लैब टेस्ट	आपातकालीन परिवहन सेवाएं
ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा डायलिसिस सेवा	लैब सेवाए सीटी स्कैन	संजीवनी 108 नेशनल एम्बुलेंस जननी एक्सप्रेस

बाह्य रोगी (OPD) स्वास्थ्य सुविधा को सुगम बनाने के लिए प्रदेश में रोगियों को अस्पताल से संपर्क करने में निजी सेवादाताओ के सहयोग से टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिनमे ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा, विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा एवं डायलिसिस सेवा महत्वपूर्ण है |

ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा जिलों में ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से सभी हितग्राहियों को टेलीमेडिसिन सेवायें 'हब एवं स्पोक' मॉडल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। ई-संजीवनी पोर्टल पर 8,946 सक्रिय HWC-आरोग्यम केन्द्रों – उप स्वास्थ्य/शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्पोक (टेलीमेडिसिन सेवा संबंधित) के रूप में कार्य कर रहे है। माह नवम्बर 2022 तक मध्यप्रदेश द्वारा ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से कुल 30,81,240 टेली-कंसल्टेशन कॉल पूर्ण कर लिये गये है। विभाग द्वारा छः माह अवधि की संचयी प्रगति निम्नानुसार है:-

चित्र क्रमांक 9.1: टेली कन्सल्टेशन प्रगति (6 माह की संचयी)

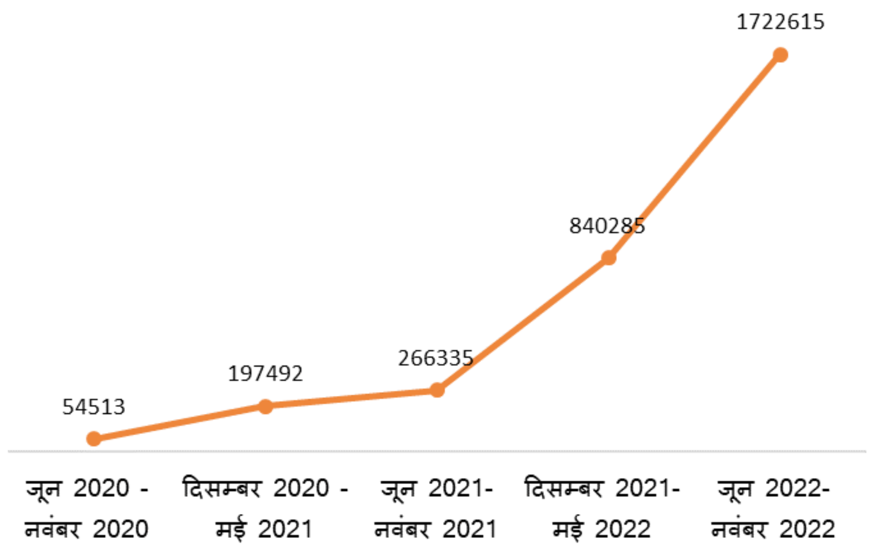

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा राज्य की समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रारंभ करने हेतु राज्य द्वारा निविदा जारी की गई थी। सफल निविदाकार द्वारा प्रथम चरण में - रीवा, सागर एवं जबलपुर संभाग के 20 जिलों के संबंधित 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तीन प्रकार के विशेषज्ञों के माध्यम से टेली मेडीसिन की स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदाय की जा रही हैं। इस वित्त वर्ष में नवम्बर 2022 तक गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स एवं जनरल मेडिसिन विधाओं में कुल 14,05,674 टेली-कंसलटेशन पूर्ण कर लिये गया है। द्वितीय चरण में भोपाल, इंदौर, उज्जैन एवं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 31 जिलों के शेष 652 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टेलीमेडिसीन की सुविधा प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया गया है। माह नवम्बर 2022 तक गायनेकोलॉजी (स्त्री एवं प्रसूति रोग), पीडियाट्रिक्स (बालरोग) एवं जनरल मेडिसिन विधाओं में कुल 1,56,864 टेली-कंसलटेशन पूर्ण कर लिये गये है। प्रदेश में नवम्बर 2022 तक कुल 46,43,778 टेली-कंसलटेशन कॉल पूर्ण कर लिये गये है जिनमे ई-संजीवनी के 30,81,240 टेली-कंसलटेशन एवं विशेषज्ञ टेली-कंसलटेशन द्वारा 15,62,538 लोगो को लाभ मिला है|

डायलिसिस सेवाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत् सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में डायलिसिस सेवाएं लागू की गयी हैं। इस डायलिसिस सेवा में, प्रत्येक जिला अस्पताल में कम से कम 5 मशीनें प्रदान की गयी हैं और कम से कम 3 मशीनें राज्य के सिविल अस्पतालों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदान की गयी हैं। कुल 7063 पंजीकृत मरीज और 4.58 लाख डायलिसिस पूरे किए जा चुके हैं।

नि:शुल्क जाँच परीक्षण (पैथोलॉजी) सार्वजानिक एवं निजी सहयोग से लैब टेस्ट से प्रदेश में मदद मिल रही हैं। प्रदेश में प्रमुख रूप से दो सुविधाएं दी जा रही है जो निम्नलिखित हैं:-

वेट लीज मॉडल- इस मॉडल परियोजना में 132 से अधिक प्रकार की कुंजियों (key) का प्रदर्शन किया गया है। इस परियोजना में 48.6 लाख रोगियों को सेवा दी है और 1.02 करोड़ जांचे की गई हैं।

सीटी स्कैन प्रदेश में वर्ष 2016 से पीपीपी (PPP) मॉडल के माध्यम से सीटी स्कैन सेवाएं जिला अस्पतालों एवं सिविल अस्पतालों में प्रदान की जा रही हैं। राज्य में कुल 54 सी.टी. स्कैन केंद्रों को मंजूरी दी गयी हैं। 50 जिला अस्पताल और 4 सिविल अस्पतालों में सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं। इस वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक कुल 2.5 लाख सी.टी. स्कैन किए जा चुके हैं। बीपीएल एवं आयुष्मान कार्ड धारको के लिए सीटी स्कैन निःशुल्क है तथा एपीएल रोगियों के लिए प्रति स्कैन औसत लागत राशि रुपये 751.08 है|

आपातकालीन सेवाए - ट्रांसपोर्ट सेवाएं आपातकाल तथा महिला एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधा लिए के प्रदेश में निजी सहयोग से आपातकालीन परिवहन सेवायैं दी जा रही है, विवरण निम्नलिखित है:-

संजीवनी 108 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अंतर्गत राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त कुल 1,002 संजीवनी (108-एम्बुलेंस) वाहन प्रदेश में संचालित है| जिनमे कुल 167 वाहन ए.एल.एस. (Advanced Life Support) एवं कुल 835 वाहन बी.एल.एस. (Basic Life Support) है। इन वाहनों का संचालन केन्द्रीकृत 108 कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 7.10 लाख तथा इस वित्त वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक कुल 4.75 लाख मरीजों को सेवा दी गयी हैं।

जननी एक्सप्रेस सेवा प्रदेश में गर्भवती महिलाओं तथा बीमार बच्चो के परिवहन हेतु योजना के अन्तर्गत कुल 1,050 जननी एम्बुलेंस वाहन संचालित है। इस सेवा के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 1 वर्ष तक के बीमार बच्चो को निःशुल्क परिवहन सुविधा (घर से अस्पताल एवं अस्पताल से घर) प्रदाय की जाती हैं। वित्त वर्ष 2021-2022 में कुल 13.71 लाख तथा इस वित्त वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक कुल 8.33 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया हैं|

9.4 प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम

9.4.1 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। SRS के विशेष बुलेटिन (नवंबर 2022) के अनुसार वर्ष 2018-2020 के दौरान मध्यप्रदेश की मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 173 है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर आधारित प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों का संचालन गंभीरता पूर्वक किया जा रहा है। निम्नलिखित प्रमुख घटक पर विशेष बल दिया जा रहा है:-

बॉक्स क्रमांक 9.2

प्रमुख रणनीति - मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच सेवाओं को सुदृढ करना	गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) की रोकथाम एवं उपचार	संस्थागत प्रसव प्रोत्साहन हेतु प्रसव केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं गुणवत्ता मानक
प्रशिक्षण/दक्षता लैब द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का कौशल उन्नयन	प्रसव पूर्व जाँच एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न योजनाये	मातृ एवं शिशु मृत्यु समीक्षा

गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच सेवाओं को सुदृढ करना - भारत सरकार द्वारा निर्मित ''अनमोल एप'' में आवश्यक संशोधन कर विभाग द्वारा नवीन एप्लीकेशन 'एम. पी. अनमोल' बनाया गया जिसकी सहायता से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग की जा रही है। साथ ही कम से कम एक चेकअप चिकित्सक/सीएचओ द्वारा किया जाता है। माह अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022 तक 10.61 लाख गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत किया गया है। प्रदेश आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत शत प्रतिशत प्रसव पूर्व जांच के लिए संकल्पित है।

गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) की रोकथाम एवं उपचार - एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर इन्जेक्शन आयरन सुक्रोज तथा अधिक प्रसव संख्या वाली संस्थाओं में इन्जेक्शन एफसीएम प्रसवोत्तर एनीमिया प्रबंधन हेतु उपयोग किया जा रहा है। गंभीर एनीमिया के प्रबंधन हेतु 64 ब्लड बैंक एवं 112 ब्लड स्टोरेज यूनिट क्रियाशील है। गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच हेतु जिलों को 19,424 डिजीटल हीमोग्लोबिनोमीटर प्रदाय किये गये है। चिन्हांकित एनीमिक गर्भवती महिलाओं की आरसीएच पोर्टल एवं सुमन हेल्प डेस्क के माध्यम से नियमित ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। 23 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में गर्भवती महिलाओं को फेरस एसकोरबेट टेबलेट प्रदान की जा रही है।

संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु प्रसव केन्द्रों का सुदृढीकरण (डिलेवरी पॉइंट) - प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य संस्था जहां प्रसव सुविधा प्रदान की जाती है उन स्वास्थ्य संस्था का चिन्हांकन 'डिलेवरी पॉइंट के रूप में किया गया है। इन डिलीवरी पॉइंट्स के अंतर्गत 1600 संस्थाओं को स्टेट ऑफ द आर्ट डिलेवरी सेंटर के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को पूर्ण करते हुए माह अगस्त 2022 में 1741 संस्थाओं को डिलेवरी पॉइंट के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रसूति गहन चिकित्सा इकाई: प्रदेश में 30 जिला चिकित्सालयो एवं 5 मेडिकल कॉलेजो में प्रसूति गहन चिकित्सा इकाईयां (ऑब्सटेट्रिक आईसीयू) प्रसव संबधित जटिलताओं के प्रबंधन हेतु स्थापित की गई है। प्रदेश के 8 जिलों में संचालित कोविड-गहन चिकित्सा इकाईयों (कोविड-आईसीयू) को प्रसूति-गहन चिकित्सा इकाईयों (आब्स्टेट्रिक आईसीयू) के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

प्रशिक्षण - दक्ष लैब स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल में वृद्धि एवं उन्नयन करने हेतु दक्ष लैब (स्किल लैब) प्रदेश के सात संभागो में संचालित है। माह अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक कुल 128 बैच में 1,477 चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स एवं ए.एन.एम. को प्रशिक्षित किया गया है।

गुणवत्ता आश्वासन (क्वालिटी एश्योरेन्स) - के तहत~ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हेतु राज्य शासन द्वारा सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा विकसित 'कायाकल्प' एवं 'राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) मापदण्ड के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में निम्न गुणवत्ता मापक मापदण्ड प्राप्त किये जा चुके हैं:-

- कायाकल्प मापदण्ड - कुल 49 जिला चिकित्सालय, 163 सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 347 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प मापदण्ड के अनुरूप विकसित किया गया है।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक (NQAS- नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैण्डर्ड) कुल 25 स्वास्थ्य संस्थानों ने राष्ट्रीय मानक, नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैण्डर्ड (NQAS) प्रमाणीकरण प्राप्त किया है।
- लक्ष्य कार्यक्रम (LaQshya - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूव्मेंन्ट इनिशिएटिव) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 41 स्वास्थ्य संस्थाओं का राष्ट्रीय प्रमाणीकरण किया गया है।

मातृत्व सहायता योजनाएं के अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK), जननी सुरक्षा योजना (JSY) में 6.86 लाख हितग्राहियों को माह अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक लाभांवित किया गया है। योजनाओं का भुगतान हितग्राही को आरसीएच पोर्टल में ई-वित्त के माध्यम से किया जा रहा है। सुमन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय 'इंटीग्रेटेड कंमाड कंट्रोल सेंटर' तथा जिला स्तर पर 6 मेडिकल कॉलेज तथा 51 जिला चिकित्सालय में 'सुमन हेल्प डेस्क' का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रतिमाह राज्य स्तर से लगभग 70,000 कॉल हितग्राहियों को किये जा रहे है। शिकायत एवं सुझाव संबंधी इनकमिंग कॉल्स माह जनवरी 2022 से प्रारंभ किये गये है जिसके तहत् हितग्राहियों की शिकायतों का निराकरण राज्य एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है।

बॉक्स क्रमांक 9.3
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना
(अप्रैल-नवंबर 2022)
2.91 लाख लाभार्थी लाभान्वित

(प्रतिशत में)

चित्र क्रमांक 9.2: संस्थागत जन्म

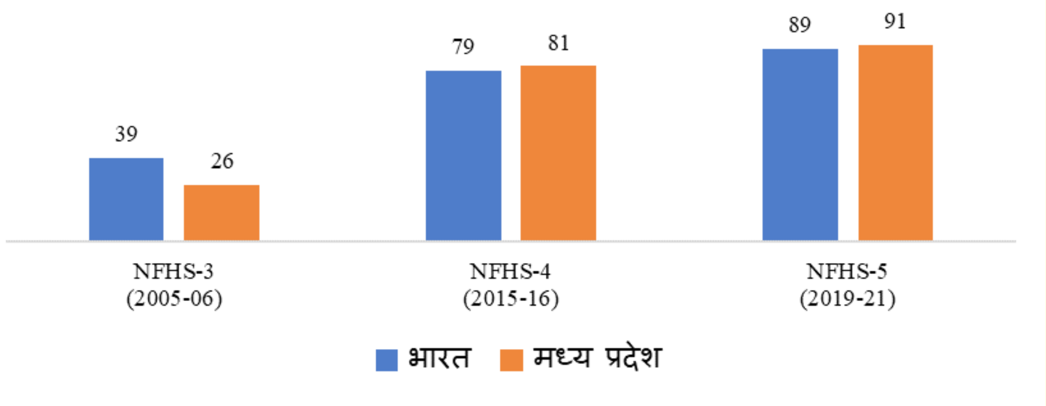

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS

परिवार कल्याण कार्यक्रम इस वित्त वर्ष में माह नवम्बर 2022 तक की उपलब्धि निम्नलिखित है:-

कुल 1,10,223 नसबंदी ऑपरेशन, कुल 2,46,461 IUCD लगायी गयी है, जिसमें 1,55,462 प्रसव पश्चात, 90,999 जन्म अंतराल के दौरान लगायी गई है| कुल 81,253 महिलाओं को गर्भनिरोधक इंजेक्शन अंतरा की सेवायें दी गई है | कुल 3,91,126 साप्ताहिक ओरल पिल्स (छाया) का तथा कुल 32,40,530 ओरल पिल्स (माला- एन) का वितरण सुनिश्चित किया गया है।

शिशु स्वास्थ्य- प्रदेश में शिशु मृत्यु दर (IMR) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 3 (वर्ष 2005-2006) में प्रतिवेदित 70 से घट कर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (वर्ष 2019-2021) में 41.3 प्रति हजार जीवित जन्म प्रतिवेदित हुई है। प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं:-

शिशु चिकित्सा इकाईयाँ

- प्रदेश में 61 विशेष नवजात शिशु चिकित्सा इकाईयाँ (SNCU) संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से गंभीर रूप से बीमार, कम वज़न एवं समय पूर्व जन्म के नवजात शिशुओं को उपचारित किया जाता है। इन इकाईयों के माध्यम से वर्ष 2022-23 (अप्रैल से नवम्बर 2022 तक) में 1,04,457 नवजात शिशुओं को उपचार किया गया।
- उप जिला स्तर पर 186 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाईयाँ (NBSU) संचालित हैं। इन इकाईयों के माध्यम से वर्ष 2022-23 (अप्रैल से नवम्बर 2022 तक) में 26,942 नवजात शिशुओं को लाभान्वित किया गया।
- गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन हेतु बाल्य गहन चिकित्सा इकाईयाँ (PICU) संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में 58 इकाईयाँ संचालित हैं। इनके माध्यम से वर्ष 2022-23 (अप्रैल से नवम्बर 2022 तक) में 73,095 बच्चों को उपचारित किया गया।
- प्रदेश के समस्त चिन्हित प्रसव केन्द्रों में न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर स्थापित (NBCC) हैं, जिनमें आवश्यक नवजात शिशु देखभाल हेतु समस्त उपकरण, सामग्री तथा प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।
- नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जाने हेतु प्रदेश के चिन्हित संस्थाओं में नियोनेटल-हाई डिपेंडेंसी यूनिट (NHDU) की स्थापना की जा रही है।

बाल टीकाकरण

- इंद्रधनुष 4.0 - 10 जिलों में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के तीन चरणों का आयोजन माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2022 में किया गया। जिनमें 18 हजार से अधिक सत्र आयोजित कर, 71 हजार बच्चों (0 से 2 वर्ष) एवं 21.3 हजार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।
- विशेष टीकाकरण –माह अप्रैल, मई एवं जून 2022 में विशेष टीकाकरण चरणों का आयोजन किया गया। जिनमें 22 हजार से अधिक सत्र आयोजित कर, 85.5 हजार बच्चों (0 से 2 साल) एवं 30,600 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।
- पोलियो अभियान - प्रदेश के चयनित 16 जिलों में 18 से 20 सितंबर 2022 आयोजित किया गया। जिसमें 37.55 लाख बच्चों (0 से 5 वर्ष) को पोलियो की खुराक पिलाई गयी।
- अडल्ट डिप्थीरिया एवं टिटेनस - प्रदेश में 5 वर्ष, 10 वर्ष एवं 16 वर्ष उम्र के बच्चों को अडल्ट डिप्थीरिया

एवं टिटेनस से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान दिनांक 16 अगस्त 2022 से 12 सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया। जिसके अन्तर्गत उपरोक्त आयुवर्ग के लक्षित लगभग 55 लाख बालक/बालिकाओं के सापेक्ष 35.67 लाख बालक/बालिकाओं को टीकाकरण किया गया।

बाल टीकाकरण में मध्यप्रदेश निरंतर अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है| इस वित्त वर्ष में माह अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक, HMIS रिपोर्ट अनुसार प्रदेश की पूर्ण टीकाकरण की अनुपातिक उपलब्धि 93 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर बी.एस.के) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत बाल हृदय उपचार योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2013-14 से किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाईल हेल्थ टीम द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर (जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों का) वर्ष में दो बार एवं स्कूलों मे (06 से 18 वर्ष तक के बच्चों का) वर्ष में एक बार 4D आधारित (Defects at Birth, Deficiencies, Childhood Diseases, Developmental delays and Disabilities) परीक्षण एवं उपचार किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार उपचार हेतु उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था में रेफर किया जाता है।

बॉक्स क्रमांक 9.4
बाल शल्यक्रिया विवरण
(अप्रैल - जनवरी 2023 तक)

- न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट - 185
- कटे फटे होंठ एवं तालू- 1016
- क्लब फुट – 1436
- डी.डी.एच. - 43

वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 में माह जनवरी 2023 तक कुल 114.09 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें कुल 12.78 लाख बच्चें को विशेष जांच एवं उपचार सुविधा (पाजिटिव) की जरुरत थी, इनमे से कुल 8.88 लाख बच्चों को उपचारित किया गया तथा कुल 18,007 बच्चों की शल्यक्रिया (Major and Minor) कराई जा चुकी है। इन बच्चों को जिला चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क उपचारित किया गया। इस अवधि में जन्मजात हृदय रोग के 1435 गंभीर बच्चों का उपचार मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराया जा चुका है। कार्यक्रम अंतर्गत परीक्षण उपरांत चिन्हित बीमारियों का शीघ्र पता लगाने एवं त्वरित प्रबंधन कर उनका समय पर उपचार होने से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा रहा है।

शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम मध्यप्रदेश में बच्चों में एनीमिया एवं कुपोषण के उन्मूलन हेतु विभाग द्वारा विभिन्न साक्ष्य आधारित संस्थागत व सामुदायिक गतिविधियों का निरंतर प्रभावी संचालन किया जा रहा है। राज्य शासन बाल स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को बेहतर बनाने एवं इसके अधिकतम आच्छादन हेतु प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा विभिन्न साक्ष्य आधारित तथ्यों के आधार पर संस्थागत एवं सामुदायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनके अच्छे परिणाम परिलक्षित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2019-2021) अनुसार, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण की दर वर्ष 2005-2006 में 12.6% से अवनत होकर 6.5% तथा बाल मृत्यु दर (U5MR) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 3 वर्ष 2005-2006 में 94 प्रति हजार जीवित जन्म से अवनत होकर 49.2 प्रति हजार जीवित जन्म (2019-2021) प्रतिवेदित हुई है।

दस्तक अभियान (गृह भेंट आधारित संयुक्त रणनीति) प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल मृत्युदर के प्रमुख कारणों को दृष्टिगत रखते हुये स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के सामुदायिक विस्तार हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा दस्तक अभियान का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में दस्तक अभियान का आयोजन माह जुलाई 2022 से अगस्त 2022 के मध्य किया गया। इस दौरान ए.एन.एम. आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संयुक्त दल द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण, गंभीर एनीमिया तथा बाल्यकालीन आम बीमारियों की घर-घर जाकर मानक अनुसार प्रमुख सेवाएं प्रदान की गई।

इस वित्तीय वर्ष में दस्तक अभियान के प्रथम चरण में कुल 83.31 लाख बच्चों की जानकारी डिजिटलाईज़ की गई एवं लगभग 80.63 लाख बच्चों को स्क्रीन किया गया। स्क्रीनिंग में कुल 47,585 बच्चों में गंभीर कुपोषण की पहचान करते हुये कुल 13,919 बच्चों को पोषण पुर्नवास केंद्रों में भर्ती कराया गया। अभियान के दौरान 8,430 बच्चों में जन्मजात विकृति की पहचान कर यथोचित उपचार की प्रक्रिया की गई, डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से कुल 62.07 लाख बच्चों में एनिमिया की जांच की गई एवं अल्प व मध्यम एनीमिया वाले कुल 29.16 लाख बच्चों को आयरन फोलिक एसिड प्रदाय किया गया तथा 4,300 गंभीर एनीमिक बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया गया। अभियान में 9 माह से 6 वर्ष तक के कुल 71.09 लाख बच्चों को विटामिन ए सीरप का अनुपूरण कराया गया।

बाल कुपोषण उपचार रणनीति - बाल कुपोषण उपचार रणनीति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से एकीकृत प्रबंधन रणनीति लागू हैं। इस रणनीति के तहत समुदाय आधारित सी-एसएएम (C-SAM) कार्यक्रम में गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों को विशेष पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से सामान्य पोषण स्थिति में लाने का कार्य किया जा रहा है। बीमार एवं चिकित्सकीय रूप से जटिल गंभीर कुपोषित बच्चों के संस्थागत प्रबंधन के लिए राज्य में जिला एवं खंड स्तर पर 315 पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित है, जहां गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों की चिकित्सकीय जटिलताओं का मानकों के अनुसार उपचार किया जाता है| उक्त केन्द्रों में भर्ती नॉन-रेस्पोंडर या क्रिटिकल को-मॉर्बिड बच्चों को उच्च स्तरीय क्लिनिकल जांच एवं प्रबंधन के लिए एसएमटीयू/एनआरसी/स्मार्ट यूनिट (एम्स भोपाल) एवं मेडिकल कॉलेजों में भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन केन्द्रों में अब तक गंभीर रूप से कुपोषित लगभग 49,800 बीमार बच्चों का उपचार किया जा चुका है।

एनीमिया मुक्त भारत/निपी कार्यक्रम - कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिमजाति कल्याण विभाग के समन्वय से किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से 82,734 प्राथमिक, 39,104 माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं एवं 96,882 आगनवाड़ी केन्द्रो में पंजीकृत लाभार्थियों में आयरन फोलिक एसिड की प्रदायगी की जाती है।

9.4.2 शहरी स्वास्थ्य

शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः मलिन बस्तियो में रहने वाले समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उदेश्य से प्रदेश में 924 शहरी स्वास्थ्य संस्थाएं स्वीकृत की गयी है| जिसमे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत् 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 15वें वित्त आयोग के तहत 783 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक या पालीक्लीनिक (अर्बन एच.डब्ल्यू.सी./U-HWC) की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। कुल 141 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 179 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक या पालीक्लीनिक (U-HWC) को हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र के रूप में उन्नयन कर संचालित किए जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में इन केन्द्रों में कुल 27,22,720 ओपीडी, कुल 3,96,683 लैब टेस्ट, डायबिटीज के 1,00,770 एव हाइपरटेंशन के 1,44,248 लोगो को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई है। भोपाल जिले की 4 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा NQAS प्रामाणित किया गया है।

9.4.3 जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य

प्रदेश में मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम अंतर्गत गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम में विभागीय स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता निर्माण विशेषकर मॉनिटरिंग एवं सर्विलेंस द्वारा जलवायु अनुकूल

स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना, जलवायु परिवर्तन के मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों एवं विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु जनजागरुकता सुनिश्चित कर स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में सहायता करना है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किये जाने हेतु प्राईवेट सेक्टर के साथ सहभागिता, सिविल सोसायटी एवं अन्य सरकारी विभागों जैसे मौसम विभाग, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा, कृषि, पुलिस, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आपदा प्रबंधन आदि के साथ समन्वय किया जाता रहा है। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है:-

- कार्यक्रम अंतर्गत जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, शीतघात, तापघात, मौसमी बीमारियाँ, बाढ़, सूखा आदि से होने वाले रोगों से बचाव एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार की गतिविधियां की जा रही है। उक्त अंतर्गत विश्व पृथ्वी दिवस, अंतराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, अंर्तराष्ट्रीय दिवस Clean Air for Blue skies का आयोजन किया गया हैं।
- राज्य में 10 स्वास्थ्य संस्थाओं को Green and Climate Resilient Health Centre के रूप में विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया हैं। मध्यप्रदेश उर्जा बीमारियाँ निगम के समन्वय से यह कार्य प्रगति में हैं।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कुल 4,680 स्वास्थ्य कर्मचारियों (एएनएम, सीएचओ, स्टॉफ नर्स एवं BEE) एवं 1,560 अन्य विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया हैं। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगति में है।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण आदि से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दूष्प्रभावों पर शोध कार्य स्वीकृत किये गए है।

9.4.4 अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारत सरकार के सहयोग से विभिन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश में क्रियान्वित किये जा रहे है।

असंचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम – कर्क रोग मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में जिला कैंसर नोडल अधिकारियों द्वारा डे-केयर कैंसर कीमोथेरेपी सेवायें हितग्राहियों को प्रदान की जा रही है। डे-केयर कैंसर कीमोथेरेपी सेवाओं हेतु 19 प्रकार की एंटी कैंसर औषधियॉ जिलों में उपलब्ध है। इस वर्ष एंटी कैंसर औषधियों की सूची में विस्तार कर 24 नवीन एंटी कैंसर औषधियों को सम्मिलित किया गया है। समस्त जिलों के सर्वाधिक ओपीडी वाले चिन्हित सिविल अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी को डे-केयर कैसर कीमोथेरेपी मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया है, जिनके माध्यम से कैसर कीमोथेरेपी सेवायें हितग्राहियों को प्रदान की जा रही है। जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग कार्यक्रम अंतर्गत तीनों सामान्य कैंसर (ब्रेस्ट. सरर्वाइकल एवं ओरल कैंसर) की जॉच की जा रही है। समस्त संभागों के संभागीय मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है।

तालिका क्रमांक 9.2: असंचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम – कैंसर स्क्रीन केस विवरण

विवरण	ओरल कैंसर	ब्रेस्ट कैंसर	सवाईकल कैंसर
स्क्रीनिंग (अप्रैल-नवंबर 22)	29,13,268	12,92,193	3,46,729
स्क्रीनिंग (संचयी)	90,78,559	41,90,006	18,95,692

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

असंचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम:- हृदय रोग, मधुमेह एवं स्ट्रोक कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश में 52 जिला नोडल अधिकारी एवं 52 सहायक नोडल अधिकारी नामित हैं। सितंबर 2022 में उच्च रक्तचाप के 55 प्रतिशत रोगियों के रक्तचाप को नियंत्रित करने के मध्यप्रदेश के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र ने पुरस्कृत किया है। मध्यप्रदेश में, 2.5 करोड़ व्यक्तियों को कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। जिनमें से 93,90,778 लोगों की उच्च रक्तचाप की जांच की गई, 7,02,458 लोगों की उच्च रक्तचाप के रोगियों की पहचान की गई और 93,20,479 लोगों की मधुमेह की जांच की गई हैं तथा 384051 मधुमेह के मरिज नैदानिक है। मध्यप्रदेश के सभी 52 जिला अस्पतालों, 119 सिविल अस्पतालों और 356 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गैर-संचारी रोग नियंत्रण क्लीनिक का उद्देश्य भविष्य में रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित संभावित कठिन जटिलताओं के प्रसार को भी नियंत्रित किया जा सके।

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियत्रंण कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 14 जिलों की पहचान की गई है। जिसके लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं और आयोडीनयुक्त नमक की खपत बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग आयोडीन अल्पता विकार मुक्त जिलों के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के तहत् अब तक कुल 1,51,80,704 परीक्षण किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के तहत् भारत सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में आयोडीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियत्रंण एवं रोकथाम कार्यक्रम राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियत्रंण एवं रोकथाम कार्यक्रम अंतर्गत 15 जिलें चिन्हांकिंत हैं, जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों को स्वच्छ पेय जल प्रदाय किया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत फ्लोरोसिस लैब के सुचारू संचालन हेतु 15 लैब टेक्नीशियन को पदस्थ कर अभी तक 47,616 डेन्टल फ्लोरोसिस एवं 239 स्केलेटल फ्लोरोसिस का उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 (अप्रैल से नवम्बर 2022 तक) में 6,034 नये कुष्ठ रोगी खोजे गये। वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुष्ठ प्रभाव दर 0.86 प्रति 10 हजार जनसंख्या, विकृति ग्रेड 2 की संख्या 177, प्रतिशत 2.10 प्रति 10 लाख जनसंख्या एवं बाल विकृति ग्रेड 2 रोगियों की संख्या 6 हैं। कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभाव खत्म करने एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोडने के उददेश्य से मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 को विलोपित किया जाकर मध्यप्रदेश गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम - वित्त वर्ष में कार्यक्रम की उपलब्धि निम्नलिखित है:

- कुल 7,29,366 गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस- बी हेतु स्क्रिनिंग की गई, जिनमे कुल 3,485 गर्भवती महिलायें पॉजिटिव पाई गयी।
- 6,92,441 व्यक्तियों की हेपेटाइटिस बी की जाँच की गयी, 6,19,509 व्यक्तियों की हेपेटाइटिस सी की जाँच की गयी।
- प्रदेश की समस्त जेलों में 18384 कैदियों की हेपेटाइटिस B एवं 15071 हेपेटाइटिस C की जांच की गई जिसमे से पाज़िटिव कैदियों के वायरल लोड अनुसार उपचार योग्य व्यक्तियों में 64 हेपेटाइटिस B एवं 19 हेपेटाइटिस C व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया गया।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों को हेपेटाइटिस B के तीनों डोज हेतु टीकाकरण किया जा रहा है।
- PLHIV, ड्रग अडिक्ट, गोदना वाले, डायलीसिस, थेलासिमिया वाले रोगियों की स्क्रीनिंग एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम - राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में क्षय मरीजों के उपचार एवं निदान हेतु वर्तमान में 443 टी.बी.यूनिट, 902 डी.एम.सी. (माईक्रोस्कोपिक सेन्टर) तथा कुल 30,595 डॉट सेंटर स्थापित है। वर्ष 2022 में (जनवरी से दिसम्बर) कुल लक्ष्य 2.45 लाख के सापेक्ष 1.78 लाख (73 प्रतिशत) क्षय मरीजों को खोज कर उपचार प्रारंभ कर दिया गया है। क्षय मरीजों हेतु उपचार राशि रुपये 500 प्रतिमाह, निदान तथा पोषण आहार हेतु दिये जाने का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022 तक कुल राशि रू. 42.09 करोड का भुगतान क्षय रोगियों को किया गया है। अति संवेदनशील DRTB/MDR/XDR क्षय रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने हेतु 09 नोडल DRTB केंद्र (भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छिन्दवाड़ा, खरगौन, ग्वालियर, एवं जबलपुर) एवं 52 जिला DRTB केंद्रों के माध्यम से चिकित्सा सुविधायेँ उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2022-23 में Sub National Certification हेतु प्रदेश के 30 जिलों को नामांकित किया गया है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित नियंत्रण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में अंधेपन की दर को 0.3 प्रतिशत तक कम करना है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण वर्ष 2022-23 में कार्यक्रम की भौतिक उपलब्धि की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका क्रमांक 9.3 : राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धि

(वर्ष 2022-23 में माह अक्टूबर तक)

मोतियांबिंद आपरेशन की संख्या	स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदाय	बुजुर्ग नेत्र रोगियों को निःशुल्क चश्मा प्रदाय
2,76,796	6,687	74,214

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (नेशनल डिवार्मिंग डे) - भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार फिक्स डे रणनीति के तहत् 51 जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं समेकित बाल विकास सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। निजी स्कूल संगठनों, केंद्रीय विद्यालयों, मदरसों आदि को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2022-23 में कुल 2,76,13,072 हितग्राहियों को एल्बेंडाजोल की गोलियों का सेवन कराया गया।

कोविड-19 टीकाकरण- कोविड टीकाकरण में प्रदेश की उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। जनवरी 2023 तक, 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 13.39 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 6.07 करोड़ नागरिकों (97 प्रतिशत) को टीके की पहली खुराक और 5.92 करोड़ नागरिकों (94 प्रतिशत) को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। भारत सरकार (GoI) के निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को निवारक (बूस्टर खुराक) टीका दिया जा रहा है। जनवरी 2023 तक, कुल 5.40 करोड़ वयस्कों को 1.39 करोड़ (25 प्रतिशत) कोविड निवारक (बूस्टर खुराक) टीके लगाए जा चुके है।

9.5 आयुष - प्रमुख उपलब्धियां

आयुष हेल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर - आयुष-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 30 जनवरी, 2019 को, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत् पूरे भारत में 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (आयुष-एचडब्ल्यूसी/ HWC) विकसित करने का निर्णय लिया था। मध्यप्रदेश को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 तक 562 एचडब्ल्यूसी विकसित करने की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 362 प्रारंभ कर दिए गए हैं। आयुष- एचडब्ल्यूसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आयुष सिद्धान्तों और अभ्यास के आधार पर एक समग्र मॉडल स्थापित करना है, ताकि बीमारी का बोझ तथा उपचार का खर्च कम करने हेतु, लोगों को 'आत्म देखभाल' के लिए सशक्त बनाया जा सके और जरूरत मंद लोगों को सूचित विकल्प प्रदान किया जा सके। इन एचडब्ल्यूसी में सीएचओ, योग प्रशिक्षक और योग सहायकों की पदस्थापना की प्रक्रिया जारी है। आने वाले समय में शेष 1211 आयुष औषधालयों को एचडब्ल्यूसी में बदलने की भी योजना है। एचडब्ल्यूसी ग्रामीण लोगों की स्वयं की देखभाल के साथ-साथ योग, आहार परामर्श और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं, पंचकर्म, स्वास्थ्य संवर्धन और उपचार सेवाएं प्रदान करता है।

आयुष ग्राम - मध्यप्रदेश को आयुष ग्राम योजना के तहत् राज्य में 75 आयुष ग्राम कार्यरत हैं। 37 हजार परिवारों के 1 लाख 87 हजार व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया है। आयुष ग्राम में आयुष जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे रोग अधिभार को कम किया जा सके। इसके साथ ही औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, सवंर्धन, उपयोग एवं उनकी खेती किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

वैद्य आपके द्वार - 'आयुष क्योर एप' - (आयुष टेलीमेडिसिन) आज के दौर में चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग का एकीकृत रूप है। आम जनता को घर बैठे आयुष स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष विभाग ने वैद्य आपके द्वार योजना के तहत 'आयुषक्यूर एप' विकसित किया है। AyushQure ऐप' पर, नागरिक घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी सुविधा के अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी चिकित्सा पद्धति का चयन कर सकते हैं और ऐप से जुड़े 100 विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस (SMS) के जरिए मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन भेजा जाता है। डॉक्टर और रोगी के बीच एक्स-रे और निदान का आदान-प्रदान भी संभव है। 'आयुषक्यूर ऐप' को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के 'स्कॉच अवार्ड' से भी नवाजा जा चुका है। इस योजना के शुरू होने से जनवरी 2023 तक कुल 57,776 ऐप डाउनलोड किए गए हैं।

अतिविशिष्ट पंचकर्म एवं सुखायु केंद्र - आयुष विभाग, मध्यप्रदेश सरकार ने 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' के सहयोग से पंडित खुशीलाल शर्मा राजकीय आयुर्वेद संस्थान, भोपाल में 'स्टेट द आर्ट' पंचकर्म सुपर-स्पेशियलिटी एंड वेलनेस सेंटर' की स्थापना की है। इन केन्द्रों को एक अस्पताल के रूप में प्रदर्शित ना कर, एक रिज़ॉर्ट की तरह वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, ताकि ना केवल रोगी बल्कि स्वस्थ्य व्यक्ति भी अतिथि के तरह रह सकें।

- केंद्र में सभी प्रकार की पंचकर्म सुविधायें उत्कृष्ट स्तर की प्रदान की जा रही है।
- योग, Customized Dietetics एवं फिजियोथैरेपी की सुविधा है।
- केंद्र में 03 सुपर डीलक्स रूम (सुइट) के साथ 17 डीलक्स रूम, इस प्रकार 20 प्राइवेट रूम तथा 30 सेमी प्राइवेट बेड की सुविधायें उपलब्ध है। इस प्रकार 50 शैय्या पंचकर्म सुपर स्पेशयलिटी एवं वेलनेस केंद्र संचालित किया जा रहा है।
- आहार एवं हाउसकीपिंग सुविधा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदान की जा रही है।

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन राज्य शासन द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शोध को बढ़ावा देने तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आमजन के उपयोग हेतु दिशा देने के लिए तथा आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्रों के बीच संचार और सहयोग के लिए एक साझा मंच का निर्माण करने के उद्देश्य से फ़रवरी 2022 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की अपेक्षा है।

राज्य की प्रथम आयुर्वेदिक – प्रथम संदर्भन इकाई (FRU) राजकीय (स्वायत्त) धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज, उज्जैन राज्य का पहला आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा प्रथम संदर्भन इकाई/फर्स्ट रेफरल यूनिट (FRU) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

आयुष मेले का आयोजन - दिनांक 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त जिलों मुख्यालय पर आयुष मेले का आयोजन किया गया।

ए. सी. आर. ऑनलाइन पोर्टल (2022) - विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ए. सी. आर. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नामांकित एवं संकलित की गई। विभागीय वेबसाइट को अपग्रेड किया गया।

देवारण्य योजना आयुष विभाग, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में देवारण्य योजना लागू कर रही है। यह राज्य सरकार की अभिसरण-आधारित योजना है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से जनजाति और सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करने की दृष्टि से आयुष औषधि उद्योगों में उपयोग के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों को बढ़ावा देने के लिए समाधान प्रदान करना है।

संदर्भ

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जी.ओ. (2017). राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017. नई दिल्ली: MoHFW
- भारत की जनगणना, (2022). सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) - भारत में मातृ मृत्यु दर 2018-20 पर विशेष बुलेटिन https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/44379 से लिया गया
- भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, (2006). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत से पुनर्प्राप्त: http://rchiips.org/nfhs/factsheet.shtml
- आयुष विभाग. (2022). वार्षिक रिपोर्ट 2021-22. भोपाल: आयुष विभाग, मध्यप्रदेश सरकार.
- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय. (2022). स्वास्थ्य सेवा निदेशालय। भोपाल : लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय। (2023). स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय. नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन. (2023). नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र. (2023). स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय. नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल. (2023). नई दिल्ली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.
- आयुष विभाग। (2023). नई दिल्ली: आयुष विभाग, भारत सरकार.

अध्याय -10

शिक्षा एवं कौशल विकास

अध्याय - 10

शिक्षा एवं कौशल विकास

नई शिक्षा नीति मात्र सर्कुलर नहीं, नये भारत को तैयार करने की नींव है।

- माननीय श्री नरेंद्र मोदी

सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप मध्यप्रदेश ने हाल के वर्षों में सभी के लिए विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। शासन ने राज्य में युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल पहल को प्राथमिकता के साथ उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और दो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों जैसे 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों' की उपस्थिति के साथ राज्य देश में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में भी उभरा है।राज्य तीन मुख्य विभागों के माध्यम से काम करता है - स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है, उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास करना और तकनीकी शिक्षा युवाओं को एक सक्षम कार्यबल बनाने के लिए सभी तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पहल पर ध्यान केंद्रित करती है।

10.1 स्कूल शिक्षा

प्रारंभिक स्तर पर पूर्व वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सीएम राइज स्कूलों की स्थापना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में की गई पहल शामिल हैं। इसका एक उदाहरण राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में राज्य का प्रदर्शन है, जिसमें मध्यप्रदेश प्राथमिक कक्षाओं की शैक्षिक उपलब्धियों में पूरे देश में पांचवें स्थान पर है। यूडीआईएसई+ 2021-22 डेटा राज्य के सभी क्षेत्रों में स्कूल सुविधाओं की उपलब्धता को भी दर्शाता है, जिसमें स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा में पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए हैं।

यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मध्यप्रदेश में लगभग 160 लाख बच्चे 1,25,582 स्कूलों में नामांकित हैं, जिनमें 62413 प्राथमिक, 45106 उच्च प्राथमिक, 8306 माध्यमिक और 9757 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शामिल हैं। राज्य में कुल 9258 शासकीय उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। UDISE+ 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल 38.46 लाख छात्र उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकित हैं। इस संदर्भ में, विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करके 2018 में स्कूली शिक्षा, समग्र शिक्षा के लिए एकीकृत योजना शुरू की। यह योजना शिक्षा के लिए सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी -4) के अनुसार है और अब इसे समावेशी और न्यायसंगत, गुणवत्ता और समग्र स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ जोड़ दिया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा के लिए 6067.1 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को वर्ष

2022-23 के लिए मंजूरी दी गई है (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)। राज्य शिक्षा केंद्र से संबंधित योजनाओं के वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय उपलब्धि का विवरण नीचे तालिका में दिखाया गया है -

तालिका 10. 1: समग्र शिक्षा वित्तीय प्रगति 2021-22

घटक	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि (करोड़ रुपए में)
प्रारंभिक शिक्षा	4308.37	4293.46	3709.6
माध्यमिक शिक्षा	993.71	1173.99	523.78
शिक्षक शिक्षा	44.63	55.01	22.71
योग	5346.71	5522.46	4256.1

स्त्रोत: स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

तालिका 10.2: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में नामांकन

(राशि रुपये लाख में)

स्तर	वर्ष 2020-21 (लाख में)			वर्ष 2021-22 (लाख में)		
	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
प्राथमिक (कक्षाClass 1 to 5)	38.83	35.74	74.57	38.21	35.01	73.21
उच्च प्राथमिक (Class 6 to 8)	22.28	20.47	42.75	21.86	20.15	42.00
माध्यमिक (Class 1 to 8)	61.11	56.21	117.32	60.06	55.15	115.21

स्त्रोत: स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

10.2 पिछले वित्तीय वर्ष में प्रमुख पहल

10.2.1 सीएम राइज स्कूल

राज्य में प्रति स्कूल औसतन 100 छात्र पंजीकृत हैं। प्रति छात्र उच्च व्यय के साथ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो, यह इस योजना का उदेश्य है। इन स्कूलों को एकीकृत तरीके से (केजी ड़से कक्षा 10 वीं या 12 वीं तक) स्थापित करके, अध्ययन और शिक्षण तथा बुनियादी ढांचे में सुधार का कार्य किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और परिवर्तन की दर में वृद्धि होगी। योजना का उद्देश्य प्रत्येक बस्ती के लगभग 15 किमी दायरे में एक उच्च गुणवत्ता वाला स्कूल प्रदान करना है, ताकि शैक्षिक वातावरण में सुधार कर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।

प्रदेश में कुल 9200 स्कूलों को सभी साधन संपन्न स्कूलों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री सीएम राइज योजना की उपलब्धियां (2022-23)

- प्रदेश में 370 सी.एम. राइज स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। इन स्कूलों को सर्वसुविधा संपन्न बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 6300 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है।
- इन स्कूलों को सभी संसाधनों से लैस करने के लिए लैब और लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया गया है। फर्नीचर और टी.एल.एम की आपूर्ति की गई है। स्कूलों में सुरक्षा और साफ-सफाई की व्यवस्था बाहरी स्रोत (आउटसोर्स) से की गई है।
- सभी सीएम राइज स्कूलों में सह-शैक्षिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले साल की तुलना में बच्चों की उपस्थिति में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रधानाचार्यों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया गया है और प्राथमिक-माध्यमिक विंग के उप प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया गया है। चयनित प्रिंसिपलों और उप-प्रिंसिपलों के क्षमता निर्माण के लिए आईआईएम इंदौर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अच्छे सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में एक्सपोजर विजिट कराया गया है।
- राज्य स्तर पर नेतृत्व विकास पर 1068 स्कूल लीडर्स, 1543 विज्ञान विषय शिक्षक और 422 खेल शिक्षकों को संभागीय स्तर पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- सीएम राइज योजना के लक्ष्य, दृष्टि और मूल्यों पर कुल 2962 शिक्षकों को 14 जिलों के सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ किया गया है। साथ ही विभाग के राज्य, संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों की एक दिवसीय कल्पनाशीलता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

10.2.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित किये गए कार्य

पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों को लागू करने को प्राथमिकता दी है और माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के गठन जैसी कई पहल की हैं। एनईपी के तहत एक राज्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा अप्रैल, 2022 में एनसीईआरटी को प्रस्तुत की गई है और एनईपी पर अधिकारियों, प्राचार्यों, शिक्षकों के ऑनलाइन उन्मुखीकरण के प्रयास जारी हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से शिक्षा सत्र 2019-20 से राज्य के 5 जिलों में पायलट के रूप में 'एक विद्यालय एक परिसर' विद्यालयों के साथ 1500 केजी कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं (भोपाल, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर और शहडोल)। उपरोक्त कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जबकि स्थानीय खेलों, गीतों, कविताओं, कहानियों और पहेलियों पर स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा/बोली में शैक्षिक सामग्री तैयार की गई है। इसके अलावा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (एफएलएन) स्टेट कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तकें, शिक्षक गाइड और शिक्षक प्रशिक्षण शुरू किया गया है।

इसके अलावा स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति के विकास के संबंध में कदम उठाए गए हैं, जिसमें गोंडी, भीली, कोरकू आदि जैसी स्थानीय/जनजातीय बोलियों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए प्राइमरों का विकास शामिल है। समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) और विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लड़कों और लड़कियों के लिए प्रयास किए गए हैं (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

10.3 विभाग की अन्य प्रमुख योजनाएँ

इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, छात्रवृत्ति और अन्य सहायता प्रदान करने पर ध्यान देने के साथ कई प्रमुख योजनाएं चला रहा है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

उत्कृष्टता (एक्सीलेंस) स्कूल

सरकारी स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्टता स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में 43 जिला मुख्यालयों और 196 ब्लॉकों में उत्कृष्टता स्कूल चालू हैं (शेष उत्कृष्टता स्कूल सीएम राइज स्कूल हैं)। वर्तमान में जिला स्तर के उत्कृष्टता विद्यालयों से 45280 छात्र लाभान्वित हुए हैं, जबकि ब्लॉक स्तर के विद्यालयों में 1 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। जिला स्तरीय उत्कृष्टता विद्यालयों के साथ-साथ छात्रावासों के निर्माण और संचालन की योजना भी शुरु की गई है। वर्तमान में 45 छात्रावासों का अपना भवन बनाया गया है जिसमें छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्कृष्टता स्कूलों के अनुदान के लिए 11.49 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। तीसरी तिमाही तक 7.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और 6.13 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। छात्रावास संचालन योजना के तहत 11.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 8.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 7.35 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल):

भारत सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए वर्ष 2011-12 में एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरु की। इन स्कूलों को मानक के रूप में विकसित करने की योजना थी। वर्ष 2015-16 से यह योजना राज्य योजना के रूप में संचालित है। वर्ष 2016-17 से प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। मॉडल स्कूलों की कक्षा 9वीं में प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। राज्य के सभी 201 शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में मॉडल स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को उपयुक्त अध्ययन सुविधाएं प्रदान करने में सफल रहे हैं। वर्तमान में इन मॉडल स्कूलों में 54,795 छात्र पढ़ रहे हैं। वर्ष 2020-21 से इन मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 शुरु की गई है ताकि छात्र कक्षा 6 से 12 तक एक परिसर में ही शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सीएम राइज योजना के तहत वर्ष 2022-23 से 55 मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। शेष 146 स्कूलों में से 144 स्थानों पर मॉडल स्कूल निर्मित किये गए हैं। बाक़ी दो स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस वित्त वर्ष 2022-23 में योजना के लिए 12.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, तीसरी तिमाही तक 8.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 8.00 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय

यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों से संबंधित वंचित समूहों की बालिकाओं तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है, जो छठवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करने की इच्छुक हैं और जहां भी संभव हो, प्रारम्भिक से माध्यमिक और बारहवीं कक्षा तक लड़कियों के सफलतापूर्वक शिक्षण को सुनिश्चित करती है। यह योजना समग्र शिक्षा के तहत चलती है जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना है। केजीबीवी प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबीएस) में छठवीं-बारहवीं कक्षा की लड़कियों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश में, 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय और अतिरिक्त 324 कन्या छात्रावास स्थापित किए गए, जिनमें 56 हजार लड़कियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन छात्रावासों और स्कूलों में लड़कियों के लिए यूनिसेफ के सहयोग से स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम लागू की जा रही है (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

एक परिसर एक शाला:

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक ही परिसर में विभिन्न स्तरों के स्कूलों को पृथक पृथक इकाइयों के रूप में संचालित किया गया था, जिसके कारण एक ही परिसर में स्थित विभिन्न स्कूलों में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों का छात्रों के हित में अधिकतम उपयोग नहीं किया जा रहा था। एक ही परिसर में स्थित विभिन्न स्कूलों के एकीकरण से, कक्षावार और विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता में वृद्धि होगी। लगभग 35 हजार स्कूलों में स्थित लगभग 16 हजार परिसरों की पहचान की गई है और एक परिसर एक शाला के रूप में विलय कर दिया गया है (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

सुपर 100 योजना:

इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्र जो 10 वीं की राज्य बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें एक चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। चयनित छात्र सुभाष एक्सीलेंस हायर सेकंडरी स्कूल, भोपाल और शासकीय मल्हाराश्रम हायर सेकंडरी स्कूल, इंदौर में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आवश्यक कोचिंग प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर 608 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

मेधावी (प्रतिभावान) छात्र संवर्धन योजना:

यह योजना राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। पिछले 12 वर्षों में यह योजना छात्रों के बीच इतनी प्रभावी हो गई है कि वे बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। जिसके परिणामस्वरूप, शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राज्य के 91,498 छात्रों ने कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के पहले प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अर्जित किये। रुपये 228 करोड़ के बजट के साथ योजना के तहत लैपटॉप की खरीद के लिए प्रति छात्र 25 हजार रुपये की राशि वितरित की गई और इन पात्र छात्रों को लाभान्वित किया गया। विभाग की इस प्रभावी योजना के साथ, कक्षा 12 वीं के छात्रों के परिणामों में आशातीत वृद्धि दिखाई दी, जो योजना की सफलता को दर्शाता है (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

छात्रवृत्ति योजनाएं:

वर्ष 2013-14 से स्कूल शिक्षा विभाग समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत एकीकृत (समेकित) छात्रवृत्ति योजना संचालित कर रहा है (पहले से चल रही कई योजनाओं को शामिल करते हुए)। एकीकृत छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार के 06 विभागों की लगभग 27 प्रकार की छात्रवृत्ति शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत की जा रही है और सीधे छात्रों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2020-21 में लगभग रु. 724 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि लगभग 77 लाख छात्रों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

निःशुल्क साइकिल वितरण योजना:

इस वर्ष 2022-23 में अब तक कक्षा 6 वीं और 9 वीं के लगभग 1,00,000 छात्रों को साइकिल वितरित की जा चुकी हैं। शेष हितग्राहियों को साइकिल वितरण की प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष पायलट के रूप में पात्र छात्रों को इंदौर और भोपाल जिलों में ई-वाउचर के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

नि: शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना

सरकारी स्कूलों, पंजीकृत मदरसों और संस्कृत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को दो जोड़ी ड्रेस के लिए 600 रुपये का प्रावधान है।

हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें भी प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट में 102.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले लगभग 24,34,316 छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान करके लाभान्वित किया गया है (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

गुणवत्ता सुधार योजना:

मध्यप्रदेश के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/ परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और पूरे देश में एक सामान्य विषय को पढ़ाने के उद्देश्य से, एनसीईआरटी की किताबें राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई हैं। राज्य के स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 12 तक एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों (सभी माध्यम), पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के कुल 271 का अधिग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर (एससीईआरटी द्वारा) पहले से मौजूद कक्षा 1 से 8 तक, कुल 67 (हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी माध्यम) पाठ्यपुस्तकों को शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए संशोधित और वितरित किया गया है (स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

10.4 उच्च शिक्षा

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2023 के तहत, राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे की पहुंच और मजबूती में सुधार, नए दूरस्थ शिक्षा केंद्रों की स्थापना, गुणवत्ता उन्नयन, उद्यमिता की स्थापना और संवर्धन और मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एमपी नॉलेज कॉर्पोरेशन की स्थापना को महत्व दिया है (मध्यप्रदेश शासन, 2020)।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2020-2021 के अनुसार, मध्यप्रदेश 2610 कॉलेजों और प्रति लाख आबादी पर 29 कॉलेजों के साथ छठे स्थान पर है। उच्चतम कुल छात्र नामांकन के मामले में मध्यप्रदेश

भी शीर्ष 6 राज्यों में है। निजी और सरकारी कॉलेजों में 17,37,685 छात्र नामांकित हैं। मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रति कॉलेज औसत नामांकन 666 है जबकि प्रति कॉलेज राष्ट्रीय औसत नामांकन 646 है। राज्य में कुल 74 विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 22 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 39 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 9 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 1 डीम्ड सरकारी विश्वविद्यालय हैं (शिक्षा मंत्रालय, 2020-21)। विश्वविद्यालयों की संख्या का विशेषज्ञता-वार विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाया गया है:

चित्र 10.1: विशेषज्ञता वार-विश्वविद्यालयों की संख्या

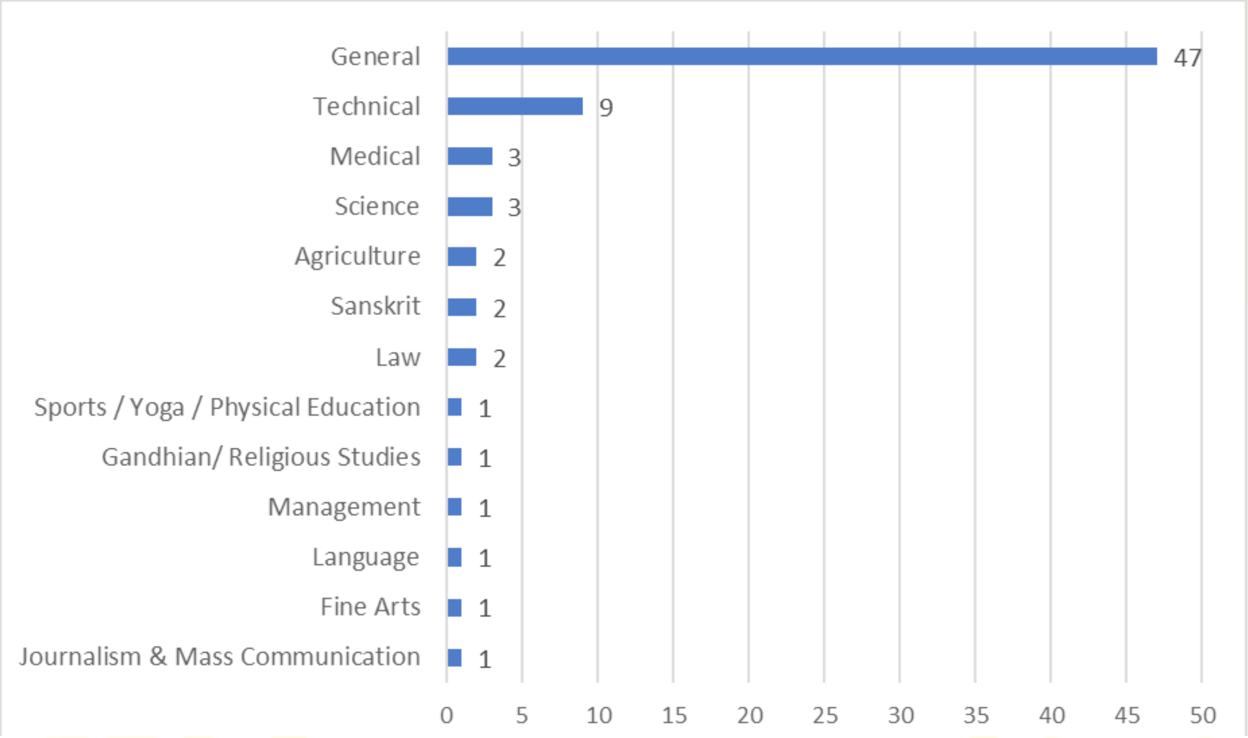

स्रोत : अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट, 2020-2021

वर्ष 2020-21 में, मध्यप्रदेश की उच्च शिक्षा (18-23 वर्ष) के लिए जीईआर 27.1 है जबकि भारत के लिए 27.3 है। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों की तुलना में जब प्रदेश का जीईआर 20.1 रहा तो उच्च शिक्षा में जीईआर का रुझान बढ़ा है।

10.4.1 उच्च शिक्षा में योजनाएं और पहल

उच्च शिक्षा की भूमिका व्यक्तियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान किए जा सकें। उच्च शिक्षा को बनाए रखने में समकालीन चुनौतियों और परिवर्तनों को समेटना विभाग की कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

कंप्यूटर और प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु विकलांग छात्रों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता और परिवहन भत्ता:

यह योजना मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के दृष्टिगत प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत, सरकारी कॉलेजों में कंप्यूटर और प्रबंधन का अध्ययन करने वाले विकलांग छात्रों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए ली जाने वाली फीस पर प्रति माह 1,500/- रुपये का जीवित भत्ता दिया जाएगा। इसी प्रकार, स्नातक होने के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले विकलांग छात्रों को नगर निगम क्षेत्र में 500 / - रुपये प्रति माह व नगर पालिका क्षेत्र में रु 300 / - प्रति माह का परिवहन भत्ता प्रदान किया जाना है। इस योजना के तहत कुल 66 लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30.00 लाख रुपये का प्रावधान करके वित्तीय सहायता प्रदान की गई है (उच्च शिक्षा विभाग, 2022)।

गाँव की बेटी योजना:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना में चयनित छात्रा को स्नातक पाठ्यक्रम के लिए रु 500/- प्रति माह (अधिकतम 10 महीने के लिए) दिया जाता है एवं चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा में अध्यनरत छात्राओं को रुपये 750/- प्रतिमाह 10 माह के लिए राशि रुपये 7500/- दिए जाने का प्रावधान है। नगरीय अथवा शहरी क्षेत्र की छात्राओं को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। योजना वर्ष 2013-14 से ग्लोबल बजट के अंतर्गत लागू की गई है। यह राशि एक प्रोत्साहन राशि है,इसलिए इसके साथ ही छात्रा को अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। यह योजना सभी सरकारी और गैर-सरकारी कॉलेजों में लागू है। (उच्च शिक्षा विभाग, 2022)।

प्रतिभा किरण योजना:

इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को उनकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए चयनित छात्राओं को रु 500/- प्रति माह (अधिकतम 10 महीने के लिए) एवं चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा में अध्यनरत छात्राओं को रुपये 750/- प्रतिमाह 10 माह के लिए राशि रुपये 7500/- दिए जाने का प्रावधान है। यह राशि एक प्रोत्साहन राशि है, इसलिए इसके साथ ही छात्र को अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत, रुपये का प्रावधान रूपए 325.00 लाख का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रावधान किया गया है और कुल राशि रु 100.57 लाख का आवंटन किया गया है। (उच्च शिक्षा विभाग, 2022)।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पुस्तकों और स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति:

योजना का उद्देश्य राज्य के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मदद करना है। इस योजना के तहत, रु 1500/ - मूल्य की पुस्तकें और 500/ - रुपये मूल्य स्टेशनरी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए, रुपये 5160.00 लाख का प्रावधान किया गया (उच्च शिक्षा विभाग, 2022)।

प्रयोगशाला उन्नयन और पुस्तकालय विकास योजना:

वर्तमान परिदृश्य में, विज्ञान के क्षेत्र में राज्य के गौरव को स्थापित करने के उद्देश्य से, सरकारी कॉलेजों में प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए, 16.00 करोड़ रुपये की आवंटित राशी मिली थी। इस प्रकार, प्रदेश के कुल 75 सरकारी कॉलेजों को धनराशि आवंटित की गई है।

सरकारी कॉलेजों में पुस्तकालयों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, इस योजना के तहत ई-पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सरकारी कॉलेजों को अनुदान प्रदान किया गया था। इस अनुदान से कॉलेज कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण खरीद सकता है। वर्ष 2022-23 में, 1,43,20,000.00 रुपये का प्रावधान करके राज्य के सभी 50 सरकारी कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है (उच्च शिक्षा विभाग, 2022)।

भवन निर्माण योजना:

मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेजों के भवनों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्माण एजेंसियों को 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। पुन: विनियोग में रुपये 50.00 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ, जो निर्माण एजेंसियों को आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18 नए भवनों और 31 अन्य निर्माण कार्यों के लिए इस तरह सरकारी कॉलेजों के लिए कुल 17,399.40 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है (उच्च शिक्षा विभाग, 2022)।

प्रगातिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन:

योजना का उद्देश्य विदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पीएचडी पाठ्यक्रमों में अनारक्षित श्रेणी के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए वास्तविक अधिकतम 40,000 अमेरिकी डॉलर तक उपलब्ध करना है। योजना के लिए आवेदन करने वाला विद्यार्थी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए छात्र के पास मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री में न्यूनतम 60 प्रतिशत होना चाहिए। स्नातकोत्तर के प्रवेश के लिए आवेदक की आयु 25 वर्ष और पीएचडी शोध के लिए 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक को जीआरई/जीमैट/टीओएफईएल/ आईईएलटीएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा विदेश में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आमंत्रण पत्र होना चाहिए। आवेदनकर्ता की समस्त श्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय राशि रु. 8.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को लाभांवित किये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2022-23 में उक्त योजना के लिए 240.00 लाख रुपये का बजट आवंटन किया गया है। इस वर्ष 04 पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है।

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गों के दिव्यांगजनों के लिए पी.एच.डी. शोध छात्रवृत्ति

उक्त योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं सभी वर्गों के दिव्यांगजनों के शोधार्थियों को पी.एच.डी. शोध के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह छात्रवृत्ति अधिकतम 100 अनुसूचित जाति और 56 अनुसूचित जनजाति एवं 10 सभी वर्गो के दिव्यांगजन शोधार्थियों को रू. 16,000 प्रति माह या समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिवर्ष अधिकतम 03 वर्ष के लिए देय है।

पात्र आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, संबधित शोधार्थी को पीएचडी उपाधि हेतु विश्वविधालय में पंजीकृत होना चााहिए। माता-पिता/ अविभावक की वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए राशि रुपये 3.00 लाख रुपये एवं दिव्यांग शोधार्थी के लिए 1.00 लाख रुपये होनी चाहिए। यूजीसी के नियमों के अनुंसार न्युनतम योग्यता होनी चाहिए व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 350.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

एकीकृत/ संस्कृत छात्रवृत्ति योजना : उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान कर आर्थिक सहायता पहुँचाने की विभिन्न एकीकृत योजनाए संचालित है। इस छात्रवृत्ति में विद्यार्थियों के अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय 54000/- निर्धारित है तथा उन्हें नई दरों के अनुसार 10 माह की छात्रवृत्ती प्रदान की जाती है वर्तमान में संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृति और उनका निर्धारित कोटा एवं सत्र 2022-23 के लिए बजट प्रावधान राशि रुपए 30.00 लाख है जिसमें एकीकृत योजना में 508 एवं संस्कृत छात्रवृत्ती के लिए 200 कोटा निर्धारित है। उक्त योजना के अंतर्गत राशि रुपये 17.50 लाख व्यय की जा चुकी है जिसमें 66 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रूसा):

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना और समान अवसर सुनिश्चित करना है। आरयूएसए का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षाविदों की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके साथ ही कमजोर वर्गों और महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है।

आरयूएसए विभिन्न घटकों के तहत कुल 102 लाभार्थी संगठनों को अनुदान प्रदान करके निर्माण / उन्नयन / खरीद द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है (उच्च शिक्षा विभाग, 2022)।

स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत छात्रों को उनके समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए स्व-मूल्यांकन के माध्यम से उनके करियर के लिए प्रेरित करना और उन्हें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करना है और उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग की दो प्रमुख योजनाएं – स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना और युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना प्रचलन में है। इन योजनाओं के संचालन के लिए 30.00 लाख रुपये और 66.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया है (उच्च शिक्षा विभाग, 2022)।

10.4.2 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना:

1. 50 कॉलेजों के नए भवनों का निर्माण कार्य पूरा। 193 कॉलेजों में से 48 कॉलेजों का बुनियादी ढांचा उन्नयन कार्य पूरा हो चुका है और शेष 145 कॉलेजों का कार्य प्रगति पर है।
2. छात्रों के बैठने की व्यवस्था में सुधार के लिए 247 कॉलेजों को फर्नीचर उपलब्ध कराया गया।
3. परियोजना के तहत 247 कॉलेजों को भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं।
4. उत्कृष्टता केंद्र (सीईओ)- उद्देश्य विभिन्न विषयों, प्रकाशनों, औद्योगिक सहयोग, ऊष्मायन, आदि में बेहतर अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है। मूल रूप से, उद्योग टाई-अप, अनुसंधान परियोजना, राज्य स्तरीय कार्यशाला, अनुसंधान प्रकाशन और परियोजना और एमओयू की गतिविधियां केंद्रित हैं। वर्तमान में स्थापित सीईओ इन सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
5. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत 03 विश्वविद्यालयों (बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में 06 विभाग, देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इंदौर में 02 विभाग और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में 07

विभाग) का चयन किया गया है, जिसके लिए कुल रु. 29.37 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।

6. विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
7. 200 कॉलेजों में वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना के लिए निविदाएं जारी की जा रही हैं, स्थापना के बाद शिक्षण और शिक्षण ई-सामग्री और विशेषज्ञ संकाय के माध्यम से किया जाएगा।
8. 225 महाविद्यालयों में 937 स्मार्ट कक्षाएं और 123 कॉलेजों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।
9. इसके अलावा 10 संभागीय मुख्यालयों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ई-कंटेंट बनाया जाएगा।
10. 527 महाविद्यालयों एवं 16 विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी हेतु ई- ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन किया गया है। उक्त कार्य हेतु राशि 1.15 करोड़ स्वीकृत है।
11. 247 महाविद्यालयों को ई- ग्रंथालय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हार्डवेयर के क्रय हेतु कुल राशि 7.37 करोड़ स्वीकृत हुए है।
12. 196 महाविद्यालयों को अकादमिक उत्कृष्टता गतिविधियों हेतु कुल राशि 7.71 करोड़ का आवंटन किया गया है।
13. डिजिटल रिपॉजिटरी की स्थापना के लिए, एमएपीआईटी द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का काम पूरा कर लिया गया है। एकीकृत पोर्टल के तहत लर्निंग मैनेजमेंट बनाया गया था। एकीकृत पोर्टल के तहत एमएपीआईटी द्वारा पहले चरण में प्रस्तावित 06 मॉड्यूल का निर्माण पूरा हो गया है और शेष 12 मॉड्यूल पर काम प्रगति पर है।
14. कॉलेजों को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
15. स्नातक प्रथम वर्ष के लिए 800 विषयों में प्रमुख 21 विषयों की ई-सामग्री और स्नातक द्वितीय वर्ष के 350 विषयों में प्रथम दो इकाइयों के लिए 16 ई-सामग्री राज्य के शिक्षकों द्वारा एलएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है।
16. ई-सामग्री निर्माण के लिए आयुक्त कार्यालय द्वारा संकाय विकास कार्यक्रम के माध्यम से 2500 प्रोफेसरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशासन अकादमी के माध्यम से 2100 शिक्षकों को 25 व्यावसायिक विषयों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है।
17. एसएलएनसी - राज्य स्तरीय एनएएसी सेल की स्थापना और राज्य के 120 कॉलेजों में एनएएसी के लिए प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
18. 527 शासकीय महाविद्यालयों व 16 विश्वविद्यालाओं ई- ग्रंथालय cloud based सॉफ्टवेयर NIC के सहयोग से प्रदान किया गया।
19. 2018 में परियोजना कार्यालय में पीएमयू स्थापित किया गया है, जिसकी अवधि 2024 तक है। परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन पीएमयू द्वारा किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा विभाग और विश्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप के चार्ट में राज्य के 200 कॉलेजों में लेखा सॉफ्टवेयर के माध्यम से खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षण किया जाता है (उच्च शिक्षा विभाग, 2022)।

10.5 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास मध्यप्रदेश के लिए अपने कार्यबल विशेष रूप से युवाओं की क्षमता को साकार करने और अपने उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो राज्य के सतत् आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2023 में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें इस क्षेत्र के लिए कई समयबद्ध परिणाम और आउटपुट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, विशेष रूप से उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने, प्रशिक्षण वितरण के लिए प्रौद्योगिकी की तैनाती, प्लेसमेंट और उद्यमिता को प्राथमिकता और ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, इस क्षेत्र के लिए नोडल विभाग है और वर्षों से इसके लगातार प्रयासों के कारण, राज्य में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 2022-23 तक, विभाग के तहत 1,300 तकनीकी शैक्षणिक संस्थान (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्वायत्त सहित) हैं, जिनकी कुल क्षमता 1,94,478 है। राज्य में 1020 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हैं, जिनमें 262 सरकारी आईटीआई और 758 निजी आईटीआई हैं। वर्ष 2022-23 के लिए इस क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन 91603.60 लाख रुपये रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक के लिए सबसे अधिक आवंटन, स्वायत्त तकनीकी संस्थानों के लिए सहायता और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है (तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, 2022 23)।

इसके अलावा, विभाग ने वर्ष 1997 में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (CRISP) की स्थापना की है। CRISP का उद्देश्य इच्छित लक्ष्य समूहों की तकनीकी दक्षताओं को बढ़ाना है, उदाहरण पॉलिटेक्निक के छात्र और कर्मचारी, डिप्लोमा धारकों और अन्य तकनीकी कर्मियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए परामर्श और सूचना संसाधन प्रदान करना। क्रिस्प छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने व उनकी चुनौतियों से निपटने के लिए जॉब वर्क और मशीनिंग के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र चला रहा है (तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, 2021)।

तालिका 10. 3: मध्यप्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थान

संस्थान का प्रकार	2021-2022		2022-23	
	नंबर	इंटेक क्षमता	नंबर	इंटेक क्षमता
इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर	151	55158	147	54998
एम.सी.ए.	45	2980	44	3130
एम.बी.ए.	211	38469	265	53556
बी फार्मा / डी फार्मा	157	18600	159	20000
डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	136	28901	134	28699

स्रोत: तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।

10.5.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहल और उपलब्धियां

- राज्य में विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में उपलब्ध 194478 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध, 137406 प्रवेश ऑनलाइन ऑफ-कैंपस काउंसलिंग के माध्यम से किए गए हैं।
- तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है। वर्ष 2017 में शुरू की गई, यह योजना राज्य के उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिनके माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं होने के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इस योजना के तहत, सरकार उन छात्रों की उच्च शिक्षा शुल्क का भुगतान करती है जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य बोर्ड से 12वीं कक्षा में 70% या उससे अधिक प्रतिशत या सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 12वीं कक्षा 85% या उससे अधिक प्राप्त किया है। 31 जनवरी 2023 तक, योजना के तहत 161.16 करोड़ रुपये की राशि 54402 मेधावी छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में (31 जनवरी, 2023) तक 3712 छात्रों को 3.61 करोड़ रुपये की लागत से लाभान्वित किया गया है।
- तकनीकी कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, जैसा कि आत्म निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप में उल्लिखित है, विभाग ने क्रिस्प भोपाल और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर (इंडो जर्मन टूल रूम) और एमपीकॉन के माध्यम से विदेशी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के लिए ऑन-जॉब प्रशिक्षण का आयोजन किया।
- एक प्रमुख उपलब्धि तकनीकी शिक्षा निदेशालय और आईआईटी इंदौर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना है, जिसके तहत आठ राज्य संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र आईआईटी इंदौर में प्रयोगशाला सुविधाओं और शिक्षण संसाधन केंद्रों का दौरा कर सकते हैं और मुफ्त इंटर्नशिप सुरक्षित कर सकते हैं।
- एक और उल्लेखनीय उपलब्धि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से राज्य के पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों और छह पॉलिटेक्निक में तकनीकी पाठ्यक्रमों में हिंदी माध्यम में शिक्षण की शुरुआत की गई है (तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, 2022 23)।

10.5.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रोडमैप और प्राथमिकताएं

आत्म निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2023 में इस क्षेत्र के लिए व्यक्त की गई प्राथमिकताओं के अनुरूप विशेष रूप से उत्कृष्टता और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के केंद्र स्थापित करना, ज्ञान साझेदारी और परामर्श के लिए सहयोग, शिक्षकों का प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और कैरियर सेल का विकास आदि। विभाग अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप के अनुरूप, राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में दो इंजीनियरिंग कॉलेजों और पांच पॉलीटेक्निक में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करे।
- सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आसानी से पहुचने योग्य बनाने के उद्देश्य से, विभाग सभी सरकारी/स्वायत्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के आधार पर ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन में चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। विषय विशेषज्ञों के वीडियो व्याख्यान और अन्य पठन सामग्री राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

- इसके अतिरिक्त, सभी सरकारी/स्वायत्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ई-लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने का चल रहा काम पूरा किया जाना है।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2023-24 के लिए रुपये 450 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आत्म निर्भर मध्यप्रदेश 2023 रोडमैप में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप, ऑनलाइन कक्षाओं के प्रभावी संचालन और निरंतर मूल्यांकन और छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/प्रौद्योगिकियों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संचालनलय तकनीकी शिक्षा के ट्रैनिंग कैलंडर के अनुसार क्रिस्प भोपाल, इंडो जर्मन टूल रूम इंदौर, एमएसएमइ तकनीकी सेंटर, भोपाल, आईआईटी इंदौर/आईआईएम इंदौर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।
- राज्य के छात्रों की बेहतर रोजगार संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय में एक कैरियर और प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है (तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, 2022 23)।

10.5.3 कौशल विकास पहल

ग्लोबल स्किल्स पार्क- सिटी कैंपस एक आधुनिकतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जुलाई 2019 में भोपाल के गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना मध्यप्रदेश शासन के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक व सिंगापुर के सहयोग से मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत हुई तथा यह संस्था भारतीय तकनीकी शिक्षा के जगत में नवाचार की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को कुशल बनाकर इस राज्य, देश एवं इस विश्व की प्रगति में सहायक बनाना है। इस संस्था में प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को एडवांस सर्टिफिकेट इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग का एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है (तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, 2022)।

संदर्भ

- उच्च शिक्षा विभाग. (2022). भोपाल : उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय. (2022). प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना . कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार.
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग. (2021). सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉरमेंस. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग. (2021-22). वार्षिक प्रतिवेदन. भोपाल: तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- मध्यप्रदेश शासन. (2020). आत्म निर्भर मध्यप्रदेश 2023. भोपाल: मध्यप्रदेश शासन.
- वित्त विभाग. (2022). वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- शिक्षा मंत्रालय . (2020-21). अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण. नई दिल्ली: उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार.
- स्कूल शिक्षा विभाग. (2022). स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

अध्याय - 11

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

अध्याय - 11

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

"हम एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं जहां पर्यावरण के साथ पूर्ण सद्भाव में रहना हमारे लोकाचार का केंद्र है।

- माननीय श्री नरेंद्र मोदी

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

मध्यप्रदेश वनों, वन्यजीवों, जल संसाधनों और खनिज संसाधनों की व्यापक विविधता के साथ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। राज्य के प्राकृतिक संसाधन इसकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सतत् संसाधन प्रबंधन राज्य सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के व्यापक उद्देश्यों, विशेष रूप से, 'भूमि पर जीवन' के लक्ष्य 15 के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 (2020-21) में राज्य के प्रदर्शन में अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है, जहां मध्यप्रदेश लक्ष्य 15 में 84 (100 में से) अंकों के साथ देश में दूसरे स्थान पर है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के इस अध्याय में मध्यप्रदेश के वनों एवं वन संसाधनों, जल संसाधनों एवं खनिज संसाधनों की स्थिति, राज्य के राजस्व एवं अर्थव्यवस्था में उनके योगदान तथा शासन की प्रमुख योजनाओं की चर्चा की गयी है।

11.1 वन

मध्यप्रदेश में अधिसूचित वन क्षेत्र (94.69 हजार वर्ग किमी) और वनावरण (77.49 हजार वर्ग किमी) की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य है। (भारतीय वन सर्वेक्षण, 2021) प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका और जीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर है। इससे राज्य के लिए वनों और उनके संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अति आवश्यक हो जाता है।

मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों में कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। लक्षित सरकारी योजनाओं और हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के साथ, पिछले डेढ़ दशक में वनों के लिए बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। राज्य संयुक्त वन प्रबंधन को अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। यह पेसा अधिनियम को अधिसूचित करने वाले कुछ राज्यों में से एक बन गया है, जो जनजाति समुदाय को वन संसाधनों का स्वामित्व प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण में भी अग्रणी राज्य है, जिसके दो सबसे बड़े उदाहरण प्रदेश में देश की सबसे अधिक बाघों की संख्या और चीतों की आबादी वाला देश का अकेला राज्य है।

11.1.1 महत्वपूर्ण नीतियां और पहल

मध्यप्रदेश ने संरक्षण, वन-आधारित आजीविका, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार-आधारित प्रबंधन, सहभागी वन शासन, जलवायु परिवर्तन शमन, वन्यजीव प्रबंधन और पर्यावरण-पर्यटन में सक्रिय कदम उठाए हैं। पिछले कुछ

वर्षों में, राज्य ने कई पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं। राज्य में की गई कुछ प्रमुख पहलों पर नीचे चर्चा की गई है।

मध्यप्रदेश पेसा (PESA) नियम अधिसूचित

मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर, 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेसा (PESA) नियमों को अधिसूचित किया है। यह नियम पेसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत बनाए गए हैं। पेसा नियम अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने के लिये ग्राम सभाओं को सशक्त करता है। इससे जनजातीय समुदाय को अन्य अधिकारों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2023)।

सतत् वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय एवं राज्य की वन नीति के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करके, स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं को केन्द्र में रखकर प्रदेश के वनों का सतत् प्रबंधन (Sustainable Forest Management) सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वनमंडल की दस वर्षीय कार्य योजना तैयार की जाती है। कार्य आयोजना का क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल एवं मृदा के संरक्षण के उद्देश्य से प्रबंधित पुनरूत्पादन समूह में कुल 1.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में एवं बिगड़े वनों के सुधार हेतु पुर्नस्थापना समूह में कुल 3.5 हजार हेक्टेयर में उपचार कार्य किया गया। योजना में दिसम्बर 2021 तक राशि रुपये 15418.39 लाख का व्यय किया गया तथा वर्ष 2021 की वर्षा ऋतु में कुल 4.11 करोड़ पौधों का रोपण किया गया (मध्यप्रदेश वन विभाग, 2022)।

ग्रीन इंडिया मिशन

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत लागू किए गए 8 मिशनों में से एक के रूप में ग्रीन इंडिया मिशन वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। मिशन का प्रमुख उद्देश्य वनों की स्थिति में सुधार लाकर "कार्बन संचयन" में अभिवृद्धि करना, जलागम क्षेत्रों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविकाओं को सुदृढ़ करना है। मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी काउंसिल द्वारा मध्यप्रदेश की कार्य योजना वर्ष 2022-23 के लिए 32538 हेक्टेयर वनक्षेत्र का उपचार करने के लिए राशि रुपये 67.27 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2022-23 हेतु 5000 हेक्टेयर क्षेत्र कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत 26389 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित कर कुल 16,03,843 पौधों का रोपण किया गया है (मध्यप्रदेश वन विभाग, 2023)।

बांस मिशन

बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिये गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2013 में मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन किया गया। बांस मिशन का प्रमुख उददेश्य प्रदेश में बांस आधारित उद्योगो एवं परम्परागत बांस कारीगरों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये कृषि एवं सामूदायिक भूमियो पर बांस रोपण को बढावा देना, बांस उत्पादकता में वृद्धि हेतु नवीन तकनीकी को प्रोत्साहित करना, बांस प्रसंस्करण एवं उत्पाद निर्माण को प्रोत्साहित करना, बांस क्षेत्र में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देना तथा बांस के मूल्य संवर्धन हेतु अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियो को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 667.21 लाख की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। बांस मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कुल 7909 हेक्टेयर

कृषि क्षेत्र में बांस रोपण कराया गया है। इसी वर्ष मनरेगा योजना अंतर्गत वन क्षेत्र में स्व सहायता समूहो के माध्यम से प्रदेश में कुल 4511 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण भी कराया गया है। (मध्यप्रदेश वन विभाग, 2023)

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अन्तर्गत बांस की गुणवत्ता में सुधार और मूल्य संवर्धन हेतु 20 बांस क्लस्टरों को चिह्नांकित कर उनके व्यवस्थित विकास हेतु विभिन्न प्रजातियों का रोपण, बांस प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना और बांस कृषकों एवं बांस शिल्पकारों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण जैसे कदम उठाये हैं।

तालिका 11.1: मध्यप्रदेश में बाँस का वर्धमान निधि

मध्यप्रदेश में बाँस का वर्धमान निधि		
वर्धमान निधि (व.नि.)		देश में बाँस की वर्धमान निधि का %
अभिलिखित वन क्षेत्र/ ग्रीन वॉश के भीतर बाँस धारित क्षेत्र (वर्ग किमी में)	18,394	12.31
कुल कल्मों की संख्या (करोड़ में)	476.2	8.93
कुल समतुल्य हरित भार (000’ टन में)	22,284	5.54

स्रोत: भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत सरकार

11.1.2 वन विभाग हेतु बजट आवंटन

वन विभाग के लिए राज्य द्वारा बजट आवंटन में वित्तीय वर्ष 2005-06 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के बीच लगभग 389 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विगत वर्षों में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे कि केम्पा, ग्रीन इंडिया, बांस मिशन, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ-साथ वनों और वनों से जुड़े मुद्दों के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वन विभाग के बजट अनुमान में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई गई है। (चित्र 11.1).

वन विभाग का सर्वाधिक व्यय कार्यपालक नियोजन संगठन एवं कार्यपालक वन मण्डलों की स्थापना में है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान 33.98 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह घटकर कुल अनुमानित बजट का 32 प्रतिशत होने का अनुमान है। दूसरी ओर केम्पा का वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुमानित बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित अनुमान के मुक़ाबले लगभग दोगुना (राशि रुपये 856.04 करोड़) होने का अनुमान है। (मध्यप्रदेश वित्त विभाग, 2023)

चित्र 11.1 वित्तीय वर्ष 2005-06, 2010-11, 2015-16 एवं 2020-21 के बजट लेख के आँकड़े

स्रोतः अनुदानों की माँगें माँग संख्या 010—वन (उपरोक्त वित्तीय वर्षों के लिए), मध्यप्रदेश शासन

*वित्तीय वर्ष 2021-22 के वन विभाग के बजट का संशोधित अनुमान।

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के वन विभाग का बजट अनुमान।

जन भागीदारी की वन संरक्षण में आवश्यक भूमिका को ध्यान में रखते हुए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय लाभांश को राशि रुपये 15 करोड़ (पुनरीक्षित अनुमान 2021-22) से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 55 करोड़ (अनुमानित) किया गया है। कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के अन्तर्गत संरक्षण समूहों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राशि रुपये 402.36 करोड़ का बजट प्रावधान अनुमानित है। इसके अतिरिक्त इमारती लकड़ी के उत्पादन में राशि रुपये 124.90 करोड़, राष्ट्रीय उद्यान स्थापना के अन्तर्गत राशि रुपये 146.13 करोड़, वन्यजीव पर्यवास के समन्वित विकास में राशि रुपये 76.07 करोड़, नर्सरियों में पौधा तैयारी के लिए राशि रुपये 34.86 करोड़, समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केंद्रीय प्रवर्तित) में राशि रुपये 14.88 करोड़, और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया) के लिए रू. 37.10 करोड़ अनुमानित है।

11.1.3 आर्थिक गतिविधियां

राजस्व

मध्यप्रदेश वन विभाग को वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 1500.00 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध राशि रुपये 1262.24 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है (दिसंबर 2022 तक)। स्थिर भावों (वित्तीय वर्ष 2011-12) पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.22 प्रतिशत है। वन विभाग द्वारा विभागीय रूप से काष्ठ एवं बांस के उत्पादन तथा विभाग द्वारा कुल प्राप्त राजस्व की जानकारी तालिका 11.2 में दी गई है। (मध्यप्रदेश वित्त विभाग, 2023)

तालिका 11.2: काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी (घनमीटर)	जलाऊ चटटे (नग)	बांस (टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)
2018-19	2,70,732	1,60,542	34,256	1116.29
2019-20	2,09,210	1,26,811	27,106	1036.83
2020-21	1,76,472	1,01,861	37,218	1294.68
2021-22	1,76,790	1,09,302	35,621	1444.12
2022-23*	1,49,426	81,434	18,712	1262.24

स्रोत: मध्यप्रदेश वन विभाग

टीप- * इमारती लकड़ी जलाऊ चट्टे एवं बांस की जानकारी माह जनवरी 2023 तक की है।
राजस्व की जानकारी माह दिसम्बर 2022 तक की है। इमारती लकडी, जलाऊ चट्टे तथा बांस का उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 1,76,000 घ.मी., 1,10,000 चटटे, तथा 30,000 टन है। राजस्व लक्ष्य 1500 करोड रुपये है।

म.प्र. राज्य वन विकास निगम

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1975 में निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ाने वाली बहुमूल्य तथा बहुपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। निगम स्थापना वर्ष से ही लाभ में चल रहा है और वर्ष 2021-22 तक कुल संचित लाभ रुपये 625.05 करोड़ है। वर्षवार उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका 11.3 में दिया गया है। (मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, 2022)

तालिका 11.3: मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी (घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (नग)	बांस (टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)
2018-19	89,340	88,518	2,360	241.04
2019-20	84,186	64,358	2,977	223.36
2020-21	68,309	57,259	3,748	181.88
2021-22	60,023	32,938	2,689	199.18

स्रोत: मध्यप्रदेश वन विकास निगम

नोट - वर्ष 2020-21 एव 2021-22 के आंकड़े सांविधिक अंकेक्षण के पूर्व के हैं।

लघु वनोपज

वनोपज का संग्रहण वनवासियों की उत्तरजिविता (Survival) की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर समाज के अतिनिर्धन एवं भूमिहीन परिवार, विशेषकर महिलायें रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के लिये अकाष्ठीय वनोपज के संग्रहण पर निर्भर रहते है। अतएवं संग्राहकों की आजीविकाओं को सुदृढ़ करने के लिये अकाष्ठीय वनोपजों के प्रबंधन को संगठित करने के लिये प्रदेश में संग्राहकों के त्रिस्तरीय सहकारी संघ का गठन किया गया है। प्राथमिक स्तर पर 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय (ट्रायफेड) द्वारा MFP-MSP योजना लागू किये जाने के पश्चात प्रथमतः 14 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया। वर्ष 2020 माह नवम्बर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपजों के संग्रहण करने हेतु द्वितीय चरण में 18 प्रजातियों के लिए दर निर्धारित कि गई है। इस प्रकार कुल 32 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूतम मूल्य निर्धारित किया गया है। ट्राईफेड द्वारा संचालित परियोजना "प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना" के अंतर्गत 107 वनधन केंद्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश के वनोपज का 'मध्यप्रदेश उत्पाद' के तौर पर जी.आई. टैगिंग करवाने एवं इसके व्यापक बाजार विस्तार के लिये आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अन्तर्गत योजना बनाई गई है। इस संबंध में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त कर विशिष्ट गुणवाली लघु वनोपजों एवं उनके क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें तामिया शहद और पन्ना का आँवला जैसे लघु वनोपजों की जी.आई. टैगिंग के लिये वैज्ञानिक अध्ययन एवं आंकडों का संकलन कर प्रस्ताव तैयार कर जी.आई. टैगिंग की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। इसके अतिरिक्त वनोपज उत्पाद गुणवत्ता, उत्पाद को ट्रेस करने एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का दोहन करने वनोपज जैविक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल को अपनाने की प्रक्रिया जारी है।

तेंदूपत्ता: मध्यप्रदेश तेंदुपत्ता (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1964 के माध्यम से तेंदूपत्ते के व्यापार का विनियम करने एवं व्यापार में राज्य का एकाधिकार स्थापित करने के प्रावधान किये गये है। व्यापार से हुए लाभ की अधिकतम राशि संग्राहकों को बोनस के रूप में प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों में प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण एवं निवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है। (तालिका 11.4) (मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, 2023)

तालिका 11.4: तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन

संग्रहण वर्ष	कुल संग्रहित मात्रा (लाख/मा.बो.)	विक्रित मात्रा (लाख/मा.बो.)	विक्रय मूल्य (रुपये करोड़ में)
2020	15.88	15.44	606.65
2021	16.59	16.34	843.65
2022	18.09	17.22	1001.49

स्त्रोत: मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज "व्यापार एवं विकास" सहकारी संघ मर्यादित

नोट : मा.बो. - मानक बोरों

11.1.4. संरक्षण और आजीविका

वन्यप्राणी संरक्षण

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने एवं परिस्थितिकीय सेवाओं का सतत् संचालन सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 अभ्यारण्य है जिसमें 6 टाईगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल (अन्य जलजीव) अभ्यारण्य, तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 11.00 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें सेवन क्षेत्र 9.46 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वनक्षेत्र है। संक्षरण के लिए मानवीय गतिविधियों को समाप्त करने एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाले परिवारों को सामाजिक-आर्थिक विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर पुर्नस्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 15.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया हैं। (मध्यप्रदेश वन विभाग, 2023)

वन्य प्राणी गणना: अखिल भारतीय बाघ का आंकलन वर्ष 2018 के अनुसार जूलाई 2019 को घोषित बाघों की संख्या प्रदेश में 526 है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में पहली बार वर्ष 2016 में की गयी प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना में कुल 7000 गिद्ध पाये गये। द्वितीय गिद्ध गणना वर्ष 2019 में गिद्धों की संख्या बढ़कर 8300 हो गई। वर्ष 2021 में गिद्ध गणना मे कुल 9448 गिद्ध पाये गये है। बीते वर्ष 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश देश की चीता की आबादी वाला एकमात्र राज्य बन गया है। (मध्यप्रदेश वन विभाग, 2023)

बॉक्स 11.1 अंकुर वृक्षारोपण अभियान

मध्यप्रदेश पर्यावरण विभाग के अधीन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा अंकुर वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु जन-भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है। कार्यक्रम अंतर्गत तकनीक का उपयोग कर वायुदूत मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीयन करना होता है। प्रतिभागियों को योजना की अवधि में कम से कम एक पौधे का रोपण तथा रोपित पौधे का जीआई -टैगिंग के साथ फ़ोटोग्राफ़ एप पर अपलोड करना है।

प्रतिभागियों द्वारा रोपित पौधे की देखभाल रोपण एवं पौधे की व्यवस्था स्वयं की जाती है। पौधरोपण के 30 दिवस उपरांत प्रतिभागियों द्वारा दोबारा उसी पौधे का नवीन फ़ोटोग्राफ़ अपलोड कर वायुदूत ऐप से सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

वन प्रबंधन में जन भागीदारी

संयुक्त वन प्रबंधन समितियां: राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना वर्ष 2001 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। मध्यप्रदेश संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) के कार्यान्वयन में अग्रणी राज्य है। राज्य में 15,228 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का एक मजबूत JFM नेटवर्क है जो 66,874 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है। (भारतीय वन सर्वेक्षण, 2019)

जैव विविधता प्रबंधन समितियां: जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत, देश के स्थानीय निकायों में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने और इसके प्रलेखन के लिए राज्य में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के दायरे में राज्य में कुल 23,557 जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ(बीएमसी) गठित की गई हैं। बीएमसी की स्थापना से विभागों और स्थानीय निकायों से प्राप्त माध्यमिक डेटा के आधार पर वर्ष 2020-21 तक प्रत्येक बीएमसी के जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) की तैयारी और डिजिटलीकरण में मदद मिली है। (अटल बिहारी वजपायी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, 2022)

ईको पर्यटन

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र एवं अभ्यारण राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के आगमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुडा, संजय एवं बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में ऑनलाईन बुकिंग की व्यवस्था की गयी है। भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के शुल्क को एक समान करने से पर्यटन वर्ष 2021-22 में 24.00 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ। ईको पर्यटन गतिविधियों को विस्तारित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम 1974 में संशोधन करके नवीन वन्यप्राणी अनुभव एवं मनोरंजन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा रहा है। (मध्यप्रदेश वित्त विभाग, 2023)

अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य को बढावा देने के लिए 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों के अन्तर्गत उच्च तकनीकी रोपणियाँ संचालित की जा रही हैं।

वर्षा ऋतु में माह सितम्बर 2022 तक विभिन्न प्रजाति के 4.42 करोड़ पौधों की आपूर्ति रोपणियों से की गई। वर्ष 2021 में गैर वन क्षेत्रों में पौधों के विक्रय से राशि रुपये 4.06 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ हैं। कृषि वानिकी कार्यक्रम के तहत कृषको को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 4.42 लाख पौधे की ऑनलाईन जानकारी हेतु नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में "अध्ययन एंव अनुसंधान योजना" अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से 2 एवं ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान के माध्यम से 3 अनुसंधान परियोजना संचालित है। वर्ष 2022 की वर्षा ऋतु में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रजाति के 9.16 लाख पौधों का रोपण किया गया है। (राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर , 2023)

11.2 जल संसाधन

मध्यप्रदेश जल संसाधनों से सम्पन्न राज्य है। जल एक सीमित संसाधन है जिसकी लगातार मांग बढ़ रही है, अतः जल के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 81.5 लाख हेक्टेयर मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है, जिसका 56.8 लाख हेक्टेयर मीटर प्रदेश द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रदेश में नर्मदा, चम्बल, बेतवा, सोन, ताप्ती एवं माही आदि वर्षा पोषित नदियों का उद्गम हुआ है। प्रदेश में भूगर्भीय जल की मात्रा 34,159 मिलियन घन मीटर आंकलित है (जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश)। नदियों के अतिरिक्त, प्रदेश की झीलें, तालाब और वेटलैंड्स (wetlands) भी जल संसाधन तंत्र में शामिल हैं।

बॉक्स 11.2 राज्य की जल नीति में पारंपरिक एवं आधुनिक ज्ञान का सामंजस्य

प्रदेश की बदलती परिस्थितियों तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये प्रदेश के जल संसाधनों के संरक्षण, भंडारण, प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य जल नीति, 2003 में आवश्यक संशोधन कर मध्यप्रदेश राज्य जल नीति, 2022 (ड्राफ्ट) तैयार की गयी है, जो राज्य की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं एवं जल चुनौतियों के लिये समाधानकारी साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में उक्त जल नीति (ड्राफ्ट) पर विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से देश-प्रदेश के विख्यात विषय विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम 30 सितंबर, 2022 को आयोजित किया गया।

जल एक सार्वजनिक संपदा है अतः जल के उपभोग, वितरण, संरक्षण एवं संवर्धन में शासन, नागरिक संस्थाएँ एवं जन साधारण की सक्रीय सहभागिता आवश्यक है। घरेलू, कृषि, उद्योग क्षेत्रों में उपयोग के साथ ही जल सांसाधन पारिस्थिकी तंत्र बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। प्रदेश की नवीन जल नीति में इन सभी हितधारकों का ख्याल रखते हुये पारंपरिक और संस्कृतिक ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा दिया गया है। मध्यप्रदेश राज्य जल नीति, 2022 (ड्राफ्ट) में राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के विभिन्न पहलुओं को भी समाहित किया गया है।

प्रदेश में जल संसाधनों के विकास, संरक्षण एवं प्रबंधन में विभिन्न विभागों का योगदान रहता है, जिनमें से जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग प्रमुख हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास तथा अमृत सरोवर योजना आदि के माध्यम से भी जल संसाधनों के विकास एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य किये जाते हैं। जल संसाधन विभाग के लिये विभिन्न सब स्कीमों अंतर्गत वर्ष 2022-23 का कुल बजट अनुमान राशि रुपये 6863.99 करोड़ रहा। वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान राशि रुपये 6760.95 करोड़ रहा। इसी प्रकार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिये विभिन्न सब स्कीमों अंतर्गत वर्ष 2022-23 का कुल बजट अनुमान राशि रुपये 3263.29 करोड़ रहा। वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान राशि रुपये 4723.86 करोड़ रहा (वित्त विभाग, मध्यप्रदेश, 2022-23)।

11.2.1 वेटलैण्ड्स संरक्षण एवं प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जलाशयों, सरोवरों, तालाबों, वेटलैण्ड्स का पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यप्रदेश में तालाबों को बचाने एवं बनाने की एक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं समृद्ध परंपरा विद्यमान है।

वेटलैण्ड्स ईको-सिस्टम सर्विसेस की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण जलीय संपदा हैं। वनों एवं वृक्षों के समान वेटलैण्ड्स कार्बन संचयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, साथ ही प्राकृतिक रूप से जल शुद्धिकरण का कार्य भी करते हैं। वेटलैण्ड्स पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आजीविका के लिये भी महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा पेयजल आपूर्ति, मछली पालन, नौकायन एवं सिंघाड़े की खेती आदि के लिए वेटलैंड्स पर निर्भर है।

भारत शासन के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत वर्ष 2017 में वेटलैण्ड (संरक्षण एंव प्रबंधन) नियम बनाए गए हैं, जिसके पालन में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण का गठन किया गया है। हमारे प्रदेश में भी मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण क्रियाशील है। वेटलैण्ड नियम 2017 में उल्लेखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के अनुसार राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 2.25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 15152 तालाबों का एक डिजिटल प्रलेख तैयार किया गया है। प्रदेश के 2.25 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के तालाबों की जानकारी एकत्र की जा रही है। प्रदेश में पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण तालाबों / वेटलैण्ड्स को रामसर संधि के अंतर्गत नामित (Designate) करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वेटलैण्ड नियम 2017 के पालन में राज्य के ऐसे सभी वेटलैंड्स जिन्हें संरक्षित करने के लिए भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा आर्थिक निवेश किया जा रहा है, उन्हें अधिसूचित करने का कार्य भी प्रक्रिया में है। रामसर साइट अथवा नियमों के अंतर्गत अधिसूचित होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इन वेटलैण्ड्स पर वेटलैण्ड नियम 2017 पूर्णतः लागू हो जाते हैं। राज्य के ऐसे सभी वेटलैण्ड्स जो पर्यावरण के साथ-साथ आजीविका, पेयजल एवं सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी वेटलैण्ड्स को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार से राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना' (National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems-NPCA) अंतर्गत राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

बॉक्स 11.3 मध्यप्रदेश में रामसर साइट्स

रामसर कन्वेन्शन द्वारा जुलाई 2022 में, मध्यप्रदेश के तीन वेटलैण्ड को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये तीन वेटलैण्ड हैं– इंदौर का सिरपुर वेटलैण्ड और यशवंत सागर, तथा शिवपुरी जिले का साख्य सागर। इससे पहले, मध्यप्रदेश में रामसर नियमों के अंतर्गत मात्र एक वेटलैण्ड (भोज वेटलैण्ड, भोपाल) साइट थी जिसे दिनांक 19.08.2002 को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ था। वर्तमान में देश में 75 रामसर साइट्स हैं जिनमें प्रदेश के 04 रामसर साइट सम्मिलित हैं और इस दृष्टि से देश में हिमाचल प्रदेश के साथ मध्यइप्रदेश छटवें स्थान पर है। दुनिया भर में वेटलैंड्स कन्वेंशन (रामसर, 1971) के तहत, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की सूची में वर्ष 2022 तक कुल 2471 रामसर साइट शामिल हैं (रामसर कन्वेंशन सचिवालय, 2023)। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुसार मध्यप्रदेश में 120 वेटलैण्ड चिन्हित हैं।

11.2.2 मध्यप्रदेश में भूजल की स्थिति

केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकलन अनुसार वर्ष 2022 में मध्यप्रदेश का कुल वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 35.24 बिलियन घन मीटर (BCM) है, जिसमें वर्ष 2013 (35.98 BCM) की तुलना में मामूली गिरावट देखी गयी है। हालांकि, वर्ष 2017 (36.42 BCM) एवं 2020 (36.16 BCM) के आंकलन में वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन में मामूली वृद्धि देखी गई थी। प्रदेश में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता में भी वर्ष 2013 की तुलना मे लगातार गिरावट हुई है। वर्ष 2013 में प्रदेश में 34.16 BCM शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्ध था, जो वर्ष 2020 में घटकर 33.38 BCM एवं वर्ष 2022 में पुनः घटकर 32.58 BCM हो गया।

वार्षिक भूजल ड्राफ्ट विभिन्न उपयोगों के लिए प्रतिवर्ष निकाले गए भूजल की मात्रा को कहा जाता है, वर्ष 2022 में प्रदेश का कुल वार्षिक भूजल ड्राफ्ट 19.25 BCM था, जिसमें से सिंचाई हेतु 17.39 BCM (90.34 प्रतिशत), औद्योगिक उपयोग के लिये 0.17 BCM (0.88 प्रतिशत) एवं घरेलू उपयोग में 1.69 BCM (8.77 प्रतिशत) रहा (केन्द्रीय भूजल बोर्ड, 2022)। तालिका 11.5 में प्रदेश के भूजल संसाधन का वर्षवार विवरण उपलब्ध है।

तालिका 11.5: मध्यप्रदेश में भूजल संसाधन का सारांश

विवरण	2013	2017	2020	2022
कुल वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (BCM में)	35.98	36.42	36.16	35.24
शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता (BCM में)	34.16	34.47	33.38	32.58
वार्षिक भूजल ड्राफ्ट (BCM में)	19.36	18.88	18.97	19.25

स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड

स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट, शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता एवं वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल का अनुपात है, जिसे प्रतिशत में आंका जाता है। मध्यप्रदेश में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1995 के आंकलन में प्रदेश में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट 16.67 प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्ष 2017, 2020 एवं 2022 में क्रमशः 55 प्रतिशत, 56.82 प्रतिशत एवं 59.10 प्रतिशत हो गया। हालांकि, यह इसी अवधि में देश के स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट आंकड़ों से कम है, लेकिन मध्यप्रदेश एवं देश के बीच स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट आंकड़ों का फासला लगातार कम हो रहा है। वर्ष 1995, 2017, 2020 एवं 2022 में भारत में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट क्रमशः 30.04 प्रतिशत, 63.33 प्रतिशत, 61.60 प्रतिशत एवं 60.08 प्रतिशत रहा (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 1995, 2013, 2017, 2020, 2022) (चित्र 11.2)।

चित्र 11.2 मध्यप्रदेश एवं भारत में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट की तुलना

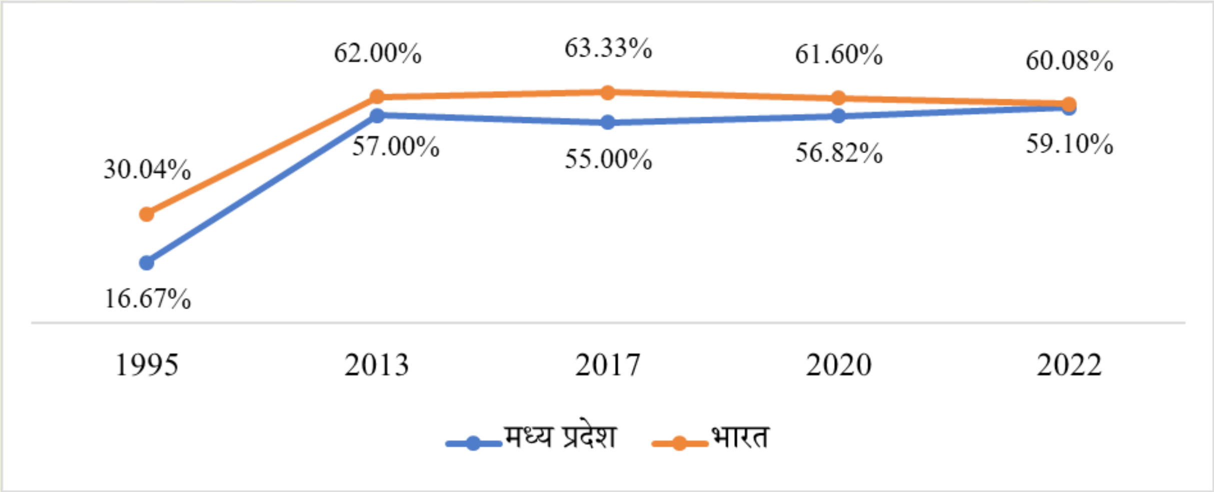

स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट, 1995, 2013, 2017, 2020, 2022

भूजल विकास के आधार पर आँकलित इकाइयों / विकासखंडों को पांच श्रेणियों नामतः सुरक्षित (Safe), सेमी-क्रिटिकल (Semi-Critical) , क्रिटिकल (Critical), अति-शोषित (Over-Exploited) एवं खारा (Saline) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2004 में मध्यप्रदेश में सुरक्षित विकासखंडों की संख्या 264 थी, जो वर्ष 2022 में घटकर 226 (71% विकासखंड/इकाइयां) हो गयी। यह भूजल संसाधनों पर लगातार बढ़ रहे दबाव की ओर इशारा करती है। इसी अवधी में, सेमी-क्रिटिकल विकासखंडों/ इकाइयों की संख्या 19 से बढ़कर 60 (19% विकासखंड/इकाइयां) तथा एवं अति-शोषित विकासखंडों की संख्या 24 से बढ़कर 26 (8% विकासखंड/इकाइयां) हो गयी है। वर्ष 2022 के आंकलन अनुसार देश की कुल 7089 आंकलन इकाइयों / विकासखंडों में से 4780 सुरक्षित (67% विकासखंड/ इकाइयां), 885 सेमी-क्रिटिकल (12% विकासखंड/ इकाइयां) , 260 क्रिटिकल (4% विकासखंड/इकाइयां), 1006 अति-शोषित (14% विकासखंड/ इकाइयां) एवं 158 खारा (2% विकासखंड/ इकाइयां) श्रेणी में वर्गीकृत हैं। भूजल विकास के आधार पर प्रदेश के विकासखंड/ इकाइयां के रुझानों को नीचे चित्र 11.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 11.3 भूजल विकास के आधार पर म.प्र. के विकासखंडों का वर्गीकरण

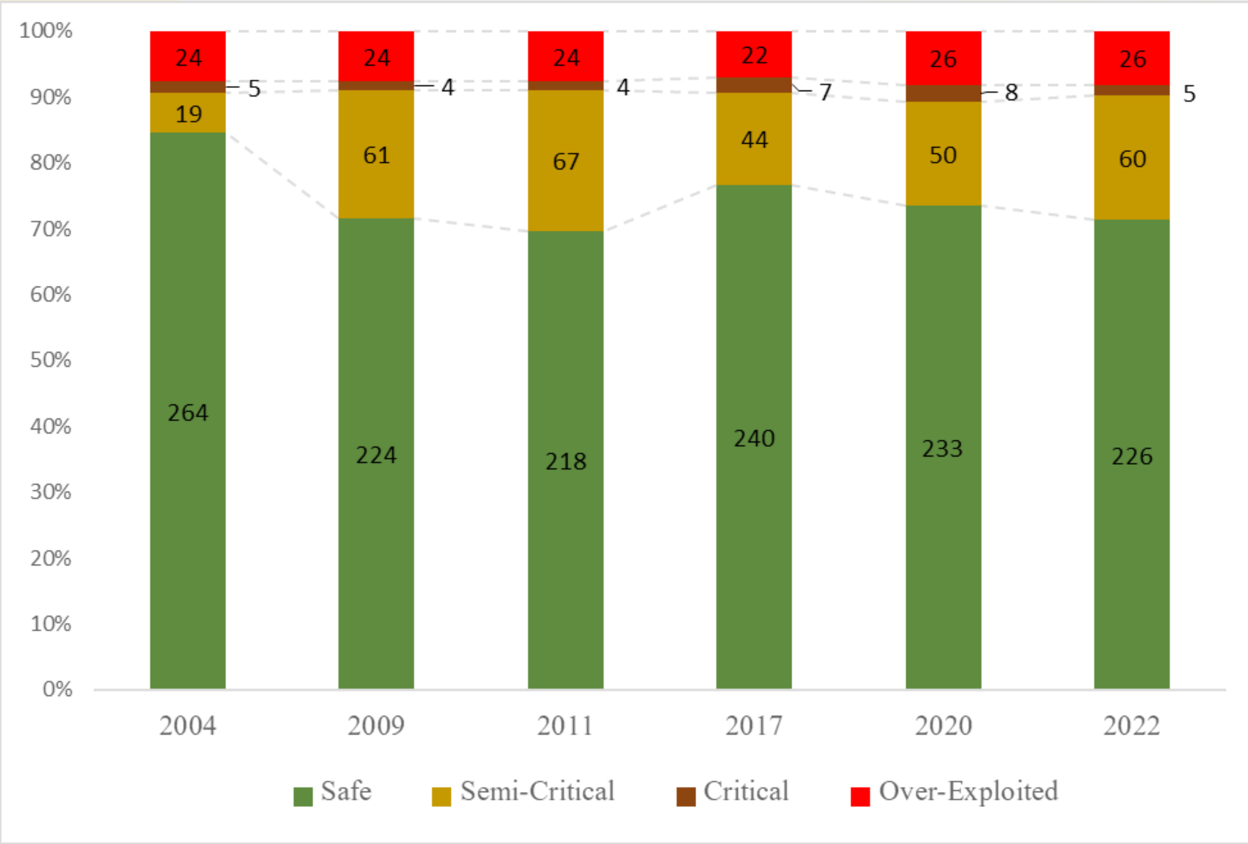

स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट, 2013, 2017, 2020, 2022

मूल्यांकन वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में प्रदेश की चार आंकलन इकाइयों/विकासखंडों के भूजल में सुधार देखा गया है। जिसमें इंदौर जिले की 'इंदौर शहरी' आंकलन इकाई अति-शोषित श्रेणी से क्रिटिकल श्रेणी में आ गयी है। इसी प्रकार, तीन अन्य आंकलन इकाइयों नामतः भानपुरा तथा मल्हारगढ़ (जिला-मंदसौर) एवं जबलपुर शहरी (जिला-जबलपुर) के भूजल स्तर में सुधार आया है, जो अब क्रिटिकल श्रेणी से सेमी-क्रिटिकल श्रेणी में आ

गयी हैं। इसके अलावा, इसी अवधि में प्रदेश की आठ आंकलन इकाइयों / विकासखंडों में भूजल स्तर में गिरावट आयी है तथा 305 आंकलन इकाइयों / विकासखंडों में कोई बदलाव नहीं देखा गया (केन्द्रीय भूजल बोर्ड, 2022)।

इसके अलावा, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि मध्यप्रदेश में मई माह के दौरान, जो मानसून से पूर्व की स्थिति दर्शाता है, में भूजल जमीनी स्तर से लगभग 40 मीटर से भी नीचे तक गिरता है। नीचे अंकित चित्र 11.4 एवं चित्र 11.5 में मानसून से पूर्व और मानसून के पश्चात जलस्तर की गहराई दर्शायी गयी है।

चित्र 11.4 मई माह में भूजल स्तर की गहराई (mbgl)

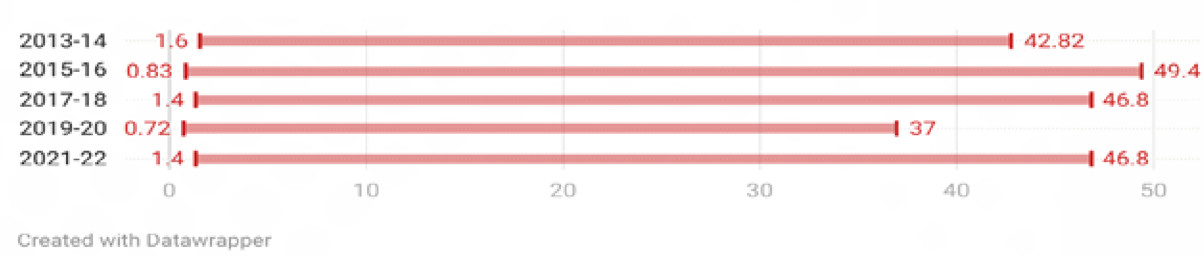

स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड एवं जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश

चित्र 11.5 नवम्बर माह में भूजल स्तर की गहराई (mbgl)

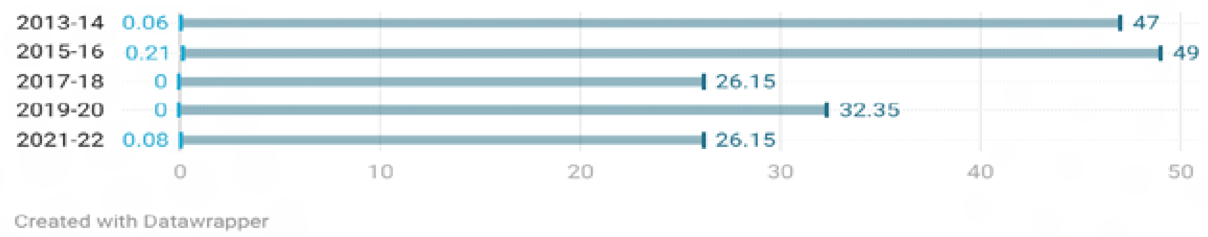

स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड एवं जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश

मानसून के बाद के स्थिति के लिए माह नवंबर का जलस्तर देखा जाता है, नवंबर में भूजल की गहराई, जमीनी स्तर से लगभग 26-49 मीटर की सीमा में देखी गई है।

नीचे अंकित तालिका 11.6 अनुसार, मध्यप्रदेश में सामान्य वर्षा 1073-1088 mm की सीमा में आंकी गयी है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि प्रदेश में सामान्य वर्षा की तुलना में मानसून वर्षा अनियमित हो है।

तालिका 11.6: मध्यप्रदेश में मानसून वर्षा का सारांश

मूल्यांकन वर्ष	सामान्य वर्षा (mm)	मानसून वर्षा (mm)	रिमार्क
2013-14	1073	1274.2	34.3% अधिक वर्षा
2015-16	1073	829.0	10.0% कम वर्षा
2017-18	1073	653.9	25.0% कम वर्षा
2019-20	1088	1351.1	44% अधिक वर्षा
2021-22	1088	991.7	8.9% कम वर्षा

स्रोत: जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश

चित्र 11.6 में प्रदेश के जिलों में वर्षा का पैटर्न दर्शाया गया है। वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2020 में अधिक वर्षा वाले जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। मानसून में सामान्य वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जबकि कम वर्षा वाले जिलों की संख्या में कमी आई है।

चित्र 11.6 मध्यप्रदेश के जिलों में मानसून वर्षा

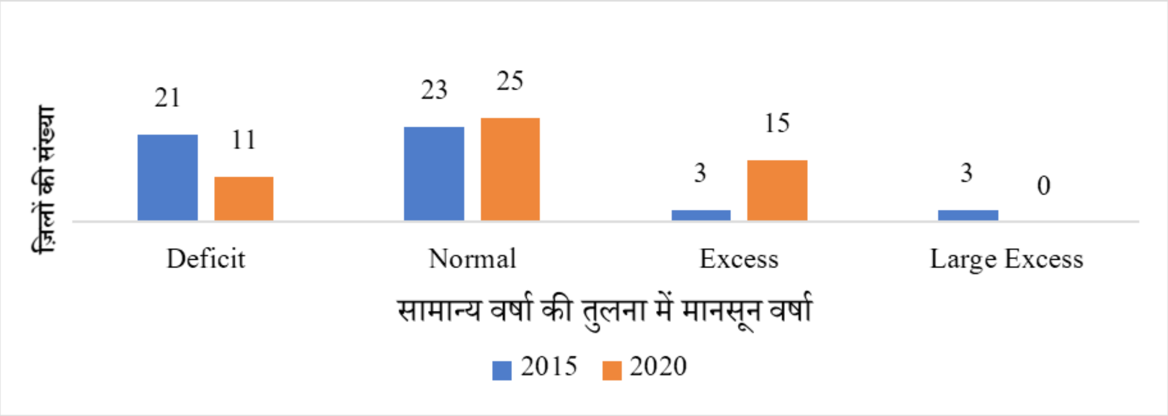

स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2017, 2020

वर्षा के क्षेत्रीय पैटर्न में, प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों में के जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। मध्य और पूर्वी मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य वर्षा हुई। जबकि, उत्तरी मध्यप्रदेश के जिलों विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा की कमी दर्ज हुई (चित्र 11.7)।

चित्र 11.7 सामान्य वर्षा की तुलना में मानसून वर्षा, वर्ष 2020

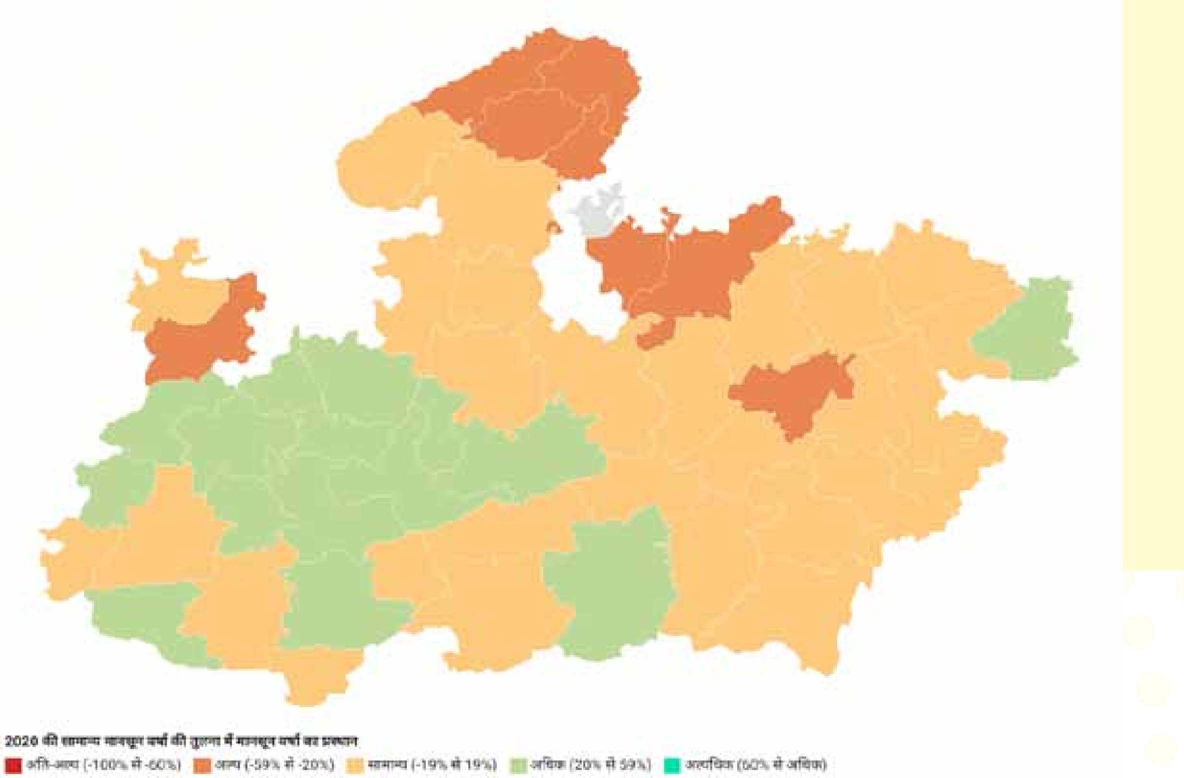

चित्र 11.8 में वर्ष 2020 में मानसून और पोस्ट-मानसून वर्षा को सामान्य वर्षा से प्रस्थान की तुलना की गयी है, जिसमें देखा गया है कि कम और अत्यधिक कम पोस्ट-मानसून वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों की संख्या ज्यादा है। सामान्य पोस्ट-मानसून वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों की संख्या मानसून काल वर्षा की तुलना में कम है। यह अनियमित वर्षा के रुझान को दर्शाता है।

चित्र 11.8 प्रदेश में वर्षा का सामान्य वर्षा से प्रस्थान (वर्ष 2020)

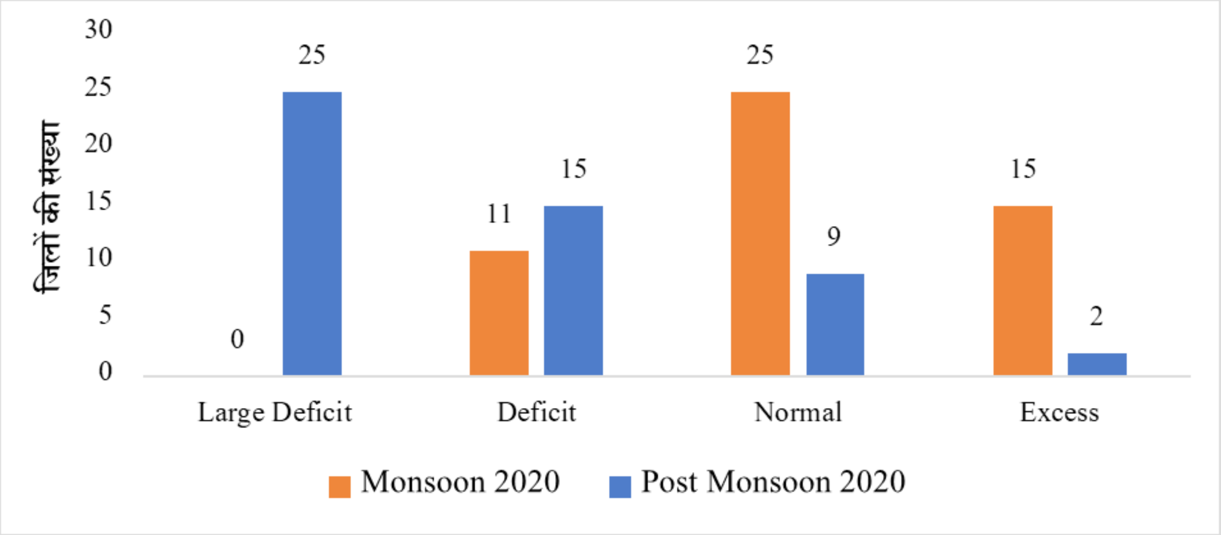

स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2020

बॉक्स 11.4 जलाभिषेक अभियान

जल प्रबंधन में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में जल संसद, जल सम्मेलन और जल यात्राएँ आयोजित की जाति हैं। जलाभिषेक अभियान में बड़ी संख्या में बोरी बंधान, चेक डैम, स्टॉप डैम तथा अन्य जल संरचनाओं का निर्माण हुआ है तथा प्रदेश में नदी पुनर्जीवन के कार्य को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। नर्मदा सेवा यात्रा में नदी के दोनों ओर वृक्षारोपण को अभियान के रूप में लिया गया। जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत गांव का पानी गांव में रोकने, खेत का पानी खेत में रोकने जैसे प्रयासों में जन सहयोग से लगभग 4.5 लाख जल संरचनायें बनाईं गयी हैं।

11.2.3 नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन

वर्ष 2018 की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index) में गैर-हिमालयी राज्यों की रैंकिंग में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान के साथ उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य की सूची में रहा, जिसमें प्रदेश ने 'स्त्रोत वृद्धि और जल संरचनाओं के पुनरूद्धार' और 'वृहद और मध्यम सिंचाई-आपूर्ति पक्ष प्रबंधन' विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वर्ष 2016 और 2017 में मध्यप्रदेश की रैंकिंग क्रमश: तीसरी एवं दूसरी रही (नीति आयोग, 2018)।

11.2.4 मध्यप्रदेश के जलाशय

केंद्रीय जल आयोग देश के 143 बड़े जलाशयों की निगरानी करता है। इनमें से 11 जलाशय मध्यप्रदेश के हैं। दिनांक 19 जनवरी, 2023 तक इन जलाशयों के आंकडों से पता चलता है कि कुल 11 जलाशयों में से 4 जलाशयों में पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) पर उनकी लाइव स्टोरेज क्षमता 80 प्रतिशत से अधिक है। मध्यप्रदेश में प्रमुख जलाशयों के जलस्तर का विवरण तालिका 11.7 में उल्लेखित है (केंद्रीय जल आयोग)।

तालिका 11.7 मध्यप्रदेश के प्रमुख जलाशयों का सारांश

क्र.	जलाशय का नाम	FRL (m)	वर्तमान जलाशय स्तर (m)	FRL पर लाइव क्षमता (BCM)	मौजूदा लाइव स्टोरेज (BCM)	FRL पर लाइव क्षमता (%) के रूप में स्टोरेज		
						वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	विगत 10 वर्षों का औसत
1	गांधी सागर	399.9	397.97	6.827	5.465	80	82	72
2	तवा	355.4	350.93	1.944	1.283	66	66	52
3	बरगी	422.76	421.38	3.18	2.835	89	85	74
4	बाणसागर	341.64	339.84	5.166	4.358	84	73	75
5	इन्द्रासागर	262.13	258.88	9.745	6.791	70	54	58
6	बरना बांध	348.55	347.13	0.456	0.363	80	64	58
7	ओंकारेश्वर	196.6	194.18	0.299	0.057	19	17	18
8	संजय सरोवर	519.38	514.95	0.508	0.22	43	42	30

क्र.	जलाशय का नाम	FRL (m)	वर्तमान जलाशय स्तर (m)	FRL पर लाइव क्षमता (BCM)	मौजूदा लाइव स्टोरेज (BCM)	FRL पर लाइव क्षमता (%) के रूप में स्टोरेज		
						वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	विगत 10 वर्षों का औसत
9	राजघाट बांध	370.89	368.3	1.945	1.433	74	92	56
10	कोलार बांध	462.2	456.71	0.27	0.171	63	47	37
11	अटल सागर	346.25	341.35	0.835	0.561	67	99	52

स्रोत- केंद्रीय जल आयोग. (दि.न.). जलाशय स्तर भंडारण बुलेटिन. 19 जनवरी 2023 की स्थिति में

चित्र 11.9 FRL पर लाइव क्षमता (%) के रूप में स्टोरेज

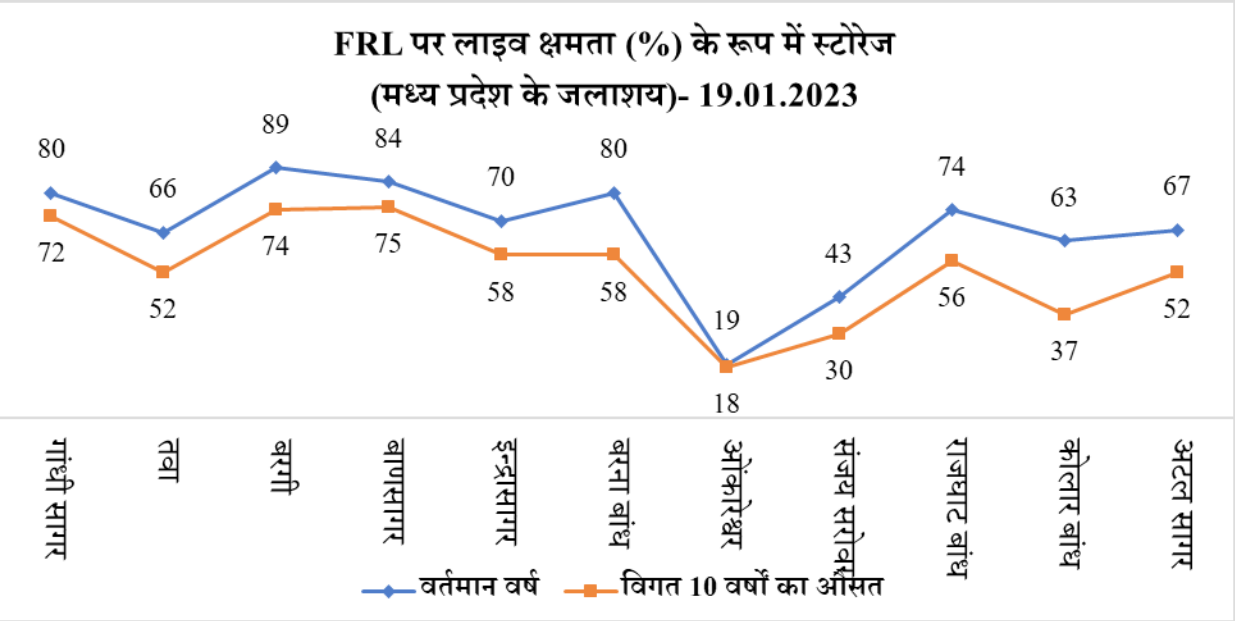

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग जलाशय स्तर भंडारण बुलेटिन. 19 जनवरी 2023 की स्थिति में

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास : -** परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु नोडल संस्था "राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन" है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश के अधीन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास के मुख्य उद्देश्य हैं - (1) पारिस्थिक तंत्र पुर्नजनन और उत्पादन प्रणालियों के उन्नयन के वाटरशेड पर आधारित समुदाय का आर्थिक विकास करना (2) समुदाय के स्तर से सतत् क्रियाकलाप द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करना (3) अल्प संसाधन वाले तथा परिसम्पति विहीन परिवारों, दिव्यान्गजनों तथा महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास के लिये वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान राशि रुपये 200 करोड़ था। योजना का वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान राशि रुपये 80 करोड़ रहा (वित्त विभाग, मध्यप्रदेश, 2022-23)।

- इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्तमान में राशि रुपये 1088.27 करोड़ की लागत से प्रदेश के 36 जिलों में 4.95 लाख हेक्टयर क्षेत्र में 82 नवीन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत राशि रुपये 22000 प्रति हेक्टयर के मान से परियोजना राशि आवंटित की जाती है। जिसमें वित्त पोषण हेतु 60: केन्द्रांश तथा 40: राज्याश का प्रावधान किया गया है।
- योजनांतर्गत प्रारंभ से अब तक में कुल राशि रुपये 225.97 करोड़ उपलब्ध हुए जिसके विरुद्ध राशि रुपये 170.56 करोड़ व्यय किये जाकर 75.47% वित्तीय प्रगति अर्जित की गई है।
- योजनांतर्गत प्रारंभ से अब तक में 2373 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिणामतः 5182 हेक्टयर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- **अटल भूजल योजना:** परियोजना अवधि वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक है, जिसका उद्देश्य जल संवर्धन एवं भूजल स्तर में सुधार लाना है। परियोजना की कुल लागत राशि रुपये 314.54 करोड़ है जो भारत सरकार एवं विश्व बैंक से 100 प्रतिशत अनुदान है। परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के छः जिलों (सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी) के नौ विकासखंडों (सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, अजयगढ़, पलेरा, बल्देवगढ़ एवं निवाड़ी) में किया जा रहा है, जिससे 678 ग्राम पंचायतों के 8319 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लाभ होगा (जल संसाधन विभाग, 2021)। अटल भूजल योजना देश के सात राज्यों (मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश) में क्रियान्वित हो रही है, जिसकी कुल लागत राशि रुपये 6000 करोड़ है।

  वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के बीच अटल भूजल योजना अंतर्गत राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर क्रमशः कुल प्रशिक्षण लक्ष्यों 5, 30, 54 एवं 7,616 के विरुद्ध 10, 24, 60 एवं 7,988 प्रशिक्षण लक्ष्यों को पूर्ण किया गया (अटल भूजल योजना पोर्टल, 2023)।

- **मिशन अमृत सरोवर:** जल संरक्षण के उद्देश्य से आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत, 15 अगस्त, 2023 तक देश के समस्त ग्रामीण जिलों में कम से कम 75 अमृत सरोवर (तालाबों) एवं कुल 50,000 तालाबों का निर्माण किया जाना लक्षित है, जिनकी जल धारण क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर तथा न्यूनतम एक एकड़ (0.4 हेक्टेयर) का तालाब क्षेत्र हो। उक्त मिशन अंतर्गत देश भर में अमृत सरोवर के निर्माण हेतु दिसंबर, 2022 कि स्थिति में कुल 93,670 स्थलों की पहचान की गयी, जिसमें से शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या 54215 है तथा प्रारंभ किए गए कार्यों में से 27318 (50.39 प्रतिशत) अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2023)।

  मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश द्वितीय स्थान पर है। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 3900 अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। जिसके विरुद्ध, मध्यप्रदेश में कुल 7,311 स्थलों की पहचान की गयी, जिसमें से 5,372 कार्य शुरू किए गये तथा प्रारंभ किए गए कार्यों में से 2,648 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदाय लक्ष्यों का 62.59 प्रतिशत है।

  आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत निर्मित किये जा रहे अमृत सरोवर जल संग्रहण के साथ-साथ स्थल विशेष से जुड़ी गौरव गाथाओं, इतिहास, विरासत, महान विभूतियों, धरोहरों, सामाजिक व धार्मिक आन्दोलन, वैचारिक, संस्कृति व क्षेत्र की अन्य विशेषताओं को चिर स्थायी बनाने के लिये भी बनाए जा रहे हैं। अमृत सरोवर रोजगार मूलक, ऐतिहासिक जानकारी मूलक एवं पर्यटन स्थल के रूप में बहू-उपयोगी जल संरचनायें हैं। इन सरोवरों के निर्माण में सक्रिय जन भागीदारी एवं जन स्वामित्व, बेहतर अभियंत्रिकी

ज्ञान एवं विभागीय अभिसरण के प्रयोग दिखाई देते हैं जो जल संग्रहण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार सुदृढ़ीकरण को बल दे रहे है। अमृत सरोवरों के कैचमेंट एरिया में ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट कार्य तथा स्थानीय परिवारों को सीधे आजीविका गतिविधियों तथा पर्यटन, मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन अथवा अन्य गतिविधियों आदि से जोड़ने के लगातार प्रयास किये जाकर आदर्श अमृत सरोवर बनाने के प्रयास जारी हैं। श्रमदान और सामग्री के सहयोग के साथ-साथ जनभागीदारी के माध्यम से रुपये 30.87 करोड़ से अधिक राशि का मशीनी सहयोग एवं रुपये 2.08 करोड़ से अधिक राशि के अन्य सहयोग (भूमि दान सहित) प्राप्त हुआ है।

11.3 खनिज

राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। खनिज संसाधनों में प्रचुरता की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। छठवें नेशनल माईन्स एण्ड मिनरल कॉन्क्लेव, नई दिल्ली, जुलाई 2022 में मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दो विभिन्न श्रेणियों में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिनकी पुरस्कार राशि क्रमश: रुपये 3 करोड़ एवं 2 करोड़ रुपये प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 में एक स्मृति चिह्न और खनिज ब्लॉक्स की सफल नीलामी के प्रोत्साहन स्वरूप एवं 2 करोड़ रुपये की राशि भी भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

11.3.1 महत्वपूर्ण नीतियाँ एवं पहल

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996

राज्य के खनिज साधन विभाग द्वारा विधि द्वारा मान्य नियमों के अन्तर्गत खनिजों के दोहन, संरक्षण, अन्वेषण एवं सतत अनुश्रवण के माध्यम से निरन्तर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 प्रभावशील है। इस नियम की अनुसूची-एक और अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट खनिज (रेत एवं बजरी) को छोडकर शेष खनिजों की खदानें शासकीय व निजी भूमि पर खनिजपट्टा/उत्खननपट्टे पर स्वीकृत की जाती है। 31 मुख्य खनिजों को भारत सरकार द्वारा गौण खनिज घोषित किए जाने से इन 31 खनिजों को अनुसूची-पांच के रूप में दिनांक 13 फरवरी 2018 से अधिसूचना प्रकाशित कर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में शामिल किया गया है। इस संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 22 जनवरी 2021 से पूर्व इन खनिजों की जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियाँ स्वीकृत थी, उन सुरक्षित प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा अनेकों प्रकरण में 30 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टे स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अनुसूची-पांच के 31 गौण खनिजों के विषय में खदानों के आवंटन में गति लाने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं स्वीकृत खदानों में स्थानीय मजदूरों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उददेश्य से म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन किया गया है। म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में अनुसूची-एक और अनुसूची-दो एवं अनुसूची पांच में देय रॉयल्टी के अलावा देय रायल्टी की 10 प्रतिशत समतुल्य राशि पर जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में लिए जाने का प्रस्ताव है। कुछ खनिजों का दोहन खनिज संसाधन विभाग के अधीन गठित मध्यप्रदेश खनिज निगम द्वारा भी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश रेत नियम

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम वर्ष 2019 से लागू किए गए है जिसके फलस्वरूप प्रदेश के रेत उपलब्धता वाले जिलों में खदानों को समूह के रूप में ई-निविदा से ठेके से आवंटन करने की कार्यवाही

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा की जाती थी, अब ई-निविदा आवंटन की कार्यवाही जिला कलेक्टरर्स द्वारा की जा रही है एवं यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में सीमावर्ती राज्यों से परिवहन होकर आने वाले गौण खनिज के वाहनो पर राशि रुपये 25 प्रति घनमीटर की दर से विनियमन शुल्क प्रावधानित किया गया है।

पर्यावरण प्रबंधन / पर्यावरण मंजूरी

खदानों में पर्यावरण प्रबंधन हेतु आवश्यक पर्यावरण मंजूरी (EC) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित करने के लिए सहमति / संचालित करने के लिए सहमति एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन का आश्वासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राज्य में सभी खदानों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिस्ट स्प्रे, फॉगर्स, धूल दमन व्यवस्था, मिनरल क्रशिंग और साइजिंग के दौरान आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण तैनात किये जाते है। रेत खनन, विशेष रूप से नदियों और प्राकृतिक जल निकाय से रेत का अवैध खनन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष वर्षों से पर्यावरणीय चिंता का विषय रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में सख्त नियंत्रण किया जा रहा है (मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिसंबर 2021)|

प्रदेश में पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रियाओं का सरलीकरण

मध्यप्रदेश सरकार ने व्यापार में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई हस्तक्षेप किए हैं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यान्वयन दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:- बी-1 एवं बी-2 श्रेणी के प्रकरणों की पर्यावरण स्वीकृति हेतु निर्धारित समयावधि एवं परिपालन, ई.आई.ए (EIA) अधिसूचना 2006 के अनुसार भारत सरकार द्वारा बी श्रेणी के प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यूनतम समय-सीमा 105 दिवस निर्धारित है। मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग के आदेशानुसार बी-2 श्रेणी के प्रकरणों की समय-सीमा 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई हैं तथा बी-1 श्रेणी के प्रकरणों की समय सीमा 60 कार्य दिवस निर्धारित की गई हैं। SEIAA एवं SEAC द्वारा पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित समस्त कार्यवाही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने से पर्यावरण स्वीकृति जारी करने तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन ही सुनिश्चित की गई है। परियोजना प्रस्तावकों की सुविधा हेतु उनके प्रकरणों की जानकारी की अद्यतन स्थिति MP-SEIAA की बेवसाईट पर भी दर्शित है।

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण

मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरणीय अनुमति/सम्मति से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है, जो निम्नलिखित है :-

- सम्मति/प्राधिकार प्राप्ति हेतु भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रथा समाप्त तथा प्राप्त आवेदनों की फेसलेस स्क्रूटनी की व्यवस्था।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर ऑनलाईन (Transparent Consent Management System) सम्मति/प्राधिकार आधारित ई-सिग्नेचर व्यवस्था लागू।

- बोर्ड के जल/वायु सम्मति/पंजीयन सुविधायें 30 कार्य दिवस में प्रदाय किये जाने की व्यवस्था।
- 30 कार्य दिवस में प्रकरण का निराकरण नहीं होने की स्थिति में कम्प्यूटर द्वारा स्वत: जनित प्रावधानिक अनुमति का प्रावधान।
- सम्मति/प्राधिकार को रजिस्टर्ड मोबाइल पर व्हाट्स ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने की सुविधा।
- नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों की सम्मति के स्वयं प्रमाणीकरण के आधार पर आटो रिन्युअल की सुविधा।
- 744 उद्योगों को श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत कर सम्मति से छूट प्रदान। दिनांक 01.04.2022 से बोर्ड के जल एवं वायु सम्मति शुल्क तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्राधिकार, लोक सुनवाई शुल्क इत्यादि के प्रशासनिक शुल्क का युक्तिकरण कर शुल्क में कमी।
- बिना सम्मति प्राप्त उद्योगों/संस्थानों को सुविधा देने की दृष्टि से 'विवाद से विश्वास' योजना लागू।
- लघु, मध्यम श्रेणी एवं रुपये 50 करोड़ तक निवेश वाले उद्योगों को न्यूनतम 05 वर्ष हेतु जल/वायु सम्मति जारी किये जाने की व्यवस्था लागू।
- उद्योगों/संस्थानों से संवाद हेतु ई-टॉक की सुविधा लागू।
- प्रक्रियारत् प्रकरणों की ट्रेकिंग हेतु रियल टाइम डेश-बोर्ड की सुविधा।

खनन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग

वर्तमान परिदृश्य में प्रौद्योगिकी का उपयोग खनिज अन्वेषण में बढ़ रहा है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और भारतीय प्रौधोगिकी संस्थान खड़गपुर खनन के लिए ड्रोन का उपयोग करके अन्वेषण के लिए स्पेक्ट्रल तरीके, उत्पाद और एल्गोरिदम (algorithm) विकसित करेंगे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और भारतीय प्रौधोगिकी संस्थान खड़गपुर के बीच सहयोग से खनिज उत्खनन और खनन प्रौद्योगिकी पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रल उपकरणों का विकास होगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा खनिज अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भूभौतिकीय सर्वेक्षण और हाइपरस्पेक्ट्रल अध्ययन देश में पहली बार मध्यप्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा विभिन्न खनिजों की खोज और हीरे के लिए अन्वेषण किया जा रहा है (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, 2022)।

11.3.2 खनिज अन्वेषण

खनिज भण्डार का आंकलन प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयोगी होता है। खनिज भण्डार के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण उपरान्त खनिज ब्लाकों के चिन्हांकन एवं नीलामी द्वारा निर्वतन उपरान्त खनिज राजस्व अर्जित किया जाता है। राज्य में प्रमुख खनिज की विभिन्न श्रेणियों के भण्डार आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध है। वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक खनिज भण्डारों की स्थिति का विवरण तालिका 11.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 11.8: प्रदेश के खनिज भंडार

खनिज	वर्ष 2015 से 2018 कुल भण्डार*
हीरा	28.70

खनिज	वर्ष 2015 से 2018 कुल भण्डार*
पायरोफिलाइट	28.55
डोलोमाइट	2311.39
मैंगनीज अयस्क	57.71
कोयला	29284.95
चूनापत्थर	9341.85
रॉकफास्फेट	58.05
डायस्पोर	7.56
कॉपर ओर	283.42
बॉक्साइट	173.38

***नोट:-** हीरे की इकाई मिलियन कैरेट में है और सभी खनिज का मिलियन टन में है।

वर्ष 2017 से नवबंर 2022 तक क्षेत्रीय सत्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कुछ जिलों में चूनापत्थर, बाक्साइट, रॉकफास्फेट, लेटराइट भण्डारों का आंकलन किया गया है। आंकलन में क्रमश: चूनापत्थर – 838.99, बाक्साइट - 7.99, रॉकफास्फेट - 3.6 एवं लेटराइ - 1.87 मिलियन टन है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश के जिला सतना में चूनापत्थर के 02 क्षेत्रों धार में 01 क्षेत्र, जिला दमोह में चूनापत्थर के 01 क्षेत्र, जिला डिन्डोरी में बाक्साइट के 01 क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य किया गया है। वर्ष 2022-23 में जिला सतना में 02 क्षेत्र, धार में 01 क्षेत्र एवं जिला दमोह में 01 क्षेत्र, चूनापत्थर खनिज हेतु जिला डिन्डोरी में बाक्साइट 01 क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त क्षेत्रों में पूर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही खनिज भण्डारों का आंकलन किया जायेगा।

11.3.3 महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के उत्पादन के आंकडों के अनुसार मध्यप्रदेश हीरा, ताम्र अयस्क एव मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में प्रथम, रॉक फॉस्फेट एवं चूना पत्थर के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयला के उत्पादन में राष्ट्र में तृतीय स्थान पर है। लौह अयस्क एवं बॉक्साइट के उत्पादन में क्रमश: पंचम् एवं षष्टम् स्थान पर है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 21213.23 करोड़ रुपयें (अंतिम) हुआ, जो गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्पादित मुख्य खनिज के उत्पादन मूल्य 20123.63 करोड़ रुपये से 5.41 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश में विगत वर्षो में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हुई वृद्धि/कमी का विवरण तालिका 11.9 में दर्शाया गया हैं।

तालिका 11.9: प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन (लाख टन में)

क्र.	खनिज	2019-20 (संशोधित)	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2020-21 (प्रावधिक)	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2021-22 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2022-23 दिस. तक (प्रा.)
1	कोयला	1257.26	5.95	1325.31	5.41	1379.53	5.03	961.72

क्र.	खनिज	2019-20 (संशोधित)	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2020-21 (प्रावधिक)	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2021-22 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2022-23 दिस. तक (प्रा.)
2	बाक्साइट	6.86	(-)8.54	6.32	(-)7.86	6.08	(-)3.79	4.24
3	ताम्र अयस्क	25.44	0.10	22.39	(-)12.00	24.42	9.07	14.31
4	लौह अयस्क	33.43	19.31	40.94	22.46	73.99	80.73	32.41
5	मैगनीज अयस्क	9.63	2.08	9.34	(-)2.96	8.49	(-)9.10	5.32
6	रॉक फास्फेट	1.00	0.97	0.98	(-)2.08	1.13	15.45	2.37
7	हीरा (कैरेट)	28816	(-)25.03	13916	(-)51.70	266.00	(-)98.08	326.72
8	चूना पत्थर	471.18	(-)5.95	460.99	(-)2.16	501.40	8.77	322.15

नोटः-

(1) 2019-20 के संशोधित आंकड़े आई.बी.एम., नागपुर के प्रकाशन मार्च 2021 तथा 2020-21 के संशोधित तथा 2021-22 के प्रावधिक के आंकड़े आई.बी.एम. के प्रकाशन मार्च 2022 (अग्रिम) से उद्धरित हैं।

(2) आई.बी.एम. के मार्च 2022 (अग्रिम) प्रकाशन में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोयले के उत्पादन के आंकड़े 474.35 लाख टन दर्शित हैं, जिसमें मानवीय चूक प्रतीत होती है, जिसे अंतिम आंकड़ों में आई.बी.एम. द्वारा संशोधन अवश्यमभावी हैं, इसलिए उक्त आंकड़े के स्थान पर मार्च 2021 के प्रकाशन अनुसार कोयला उत्पादन के प्रावधिक आंकड़े 1325.31 लाख टन को ही लिया गया हैं, जिसे संशोधित आंकड़े प्राप्त होने पर संशोधित किया जायेंगा।

(3) अनुच्छेद 11.3.3 में विभिन्न मुख्य खनिजों के उत्पादन के सम्बन्ध में भारत में मध्यप्रदेश का स्थान निर्धारित करने में के लिए आई.बी.एम. के प्रकाशन मार्च 2022 (अग्रिम) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के उत्पादन के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आकंडे जिला कार्यालयों से प्राप्त अनुसार है।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों यथा कोयला, ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, रॉक फॉस्फेट एवं चूना पत्थर के उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रतिशत के रूप में वृद्धि क्रमशः 5.03, 9.07, 80.73, 15.45 एवं 8.77 प्रतिशत दर्ज की गयी। इसी अवधि में बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क एवं हीरा के उत्पादन में कमी परिलक्षित हुई। प्रतिशत के रूप में कमी क्रमशः 3.79, 9.10 एवं 98.08 प्रतिशत दर्ज की गयी (भारतीय खान ब्यूरो, 2019, 2020, 2021, 2022)।

प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य लाख रुपए में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिसम्बर तक तालिका 11.10 में प्रदर्शित है।

तालिका 11.10: प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य (रु. लाख में)

क्र.	खनिज	वित्तीय वर्ष 2019-20 (सं.)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (प्रा.)	वित्तीय वर्ष 2021-22 (प्रा.)	वित्तीय वर्ष 2022-23 दिसम्बर तक (प्रा.)
1	कोयला	1497874.42	1758686.37	1808301.72	1260637.92
2	बाक्साइट	5469.53	4798.18	4935.90	3434.19
3	ताम्र अयस्क	39254.59	39372.13	43966.22	25754.81
4	लौह अयस्क	17290.68	21468.70	46679.40	20444.69
5	मैगनीज अयस्क	62208.12	56844.83	68319.64	42790.33
6	रॉक फास्फेट	943.04	920.07	1113.98	2318.95
7	हीरा (कैरेट)	3525	1476.96	180.51	221.72
8	चूना पत्थर	123323.60	128796.09	147825.52	94978.42

स्रोत – इंडियन मिनरल इयरबुक, मार्च 2021, भारतीय खान ब्यूरो।

नोट:- (1) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में खनिजों का उत्पादन आई.बी.एम. का प्रकाशन मार्च 2021 के अनुसार है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की जानकारी तत्समय उपलब्ध अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक के 11 माह के औसत मूल्य कों जिले से प्राप्त उत्पादन के आकड़ों से गुणा कर परिकलित है।

(2) ताम्र अयस्क का मूल्य हिंदुस्तान कॉपर लिमि. की वार्षिक विवरणी अनुसार तथा कोयला का मूल्य रॉयल्टी के अनुसार परिकलित है।

(3) कोयले का ग्रेडवार प्रति टन मूल्य कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा g1 से g17 तक जारी है, जो भिन्न-भिन्न होती है। इस जानकारी में दर्शित मूल्य उक्त ग्रेडों में से प्रदेश में उत्पादित समस्त ग्रेड के कोयले का सरल औसत मूल्य है।

(सं.) – संशोधित

(प्रा.) – प्रावधिक

11.3.4 बजटीय प्रावधान एवं राजस्व

बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार योजना 5453 में जिला खनिज निधि के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य एवं अन्य प्रभार पर कुल 200 करोड़ एवं वृहद निर्माण कार्य एवं उप वृहद निर्माण कार्य पर कुल 300 करोड़ आवंटित किया गया है। इस प्रकार 500 करोड़ प्रवधानित किये गए (तालिका 11.11)।

तालिका 11.11: योजनावार (सब स्कीम) प्रावधानों का विवरण (राशि करोड़ में)

क्र.	योजनावार (सब स्कीम)	वित्तीय वर्ष 2020-21 लेखा	वित्तीय वर्ष 2021-22 पुनरीक्षित अनुमान	वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट अनुमान
1	0182 खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना	13.79	16.53	21.06
2	2294 संचालनालय की स्थापना	26.21	31.08	46.64

क्र.	योजनावार (सब स्कीम)	वित्तीय वर्ष 2020-21 लेखा	वित्तीय वर्ष 2021-22 पुनरीक्षित अनुमान	वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट अनुमान
3	2713 प्रयोगशाला स्थापना	1.13	1.35	2.37
4	5453 जिला माइनिंग फण्ड	0	0	500.00
5	6606 खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण	719.44	738.44	700.00
6	अन्य	0	0	2.33
वृहद योग		**760.55**	**787.40**	**1272.40**

स्रोत :- अनुदानों की मांगें 2022-23, मांग संख्या 025 – खनिज साधन विभाग

वित्तीय वर्ष 2021-22 में खनिज राजस्व का संशोधित लक्ष्य 7000.00 करोड़ रुपये रखा गया था, जिसके विरुद्ध राजकोष में 7122.71 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई। इसी तरह वर्ष 2022-23 में राजस्व लक्ष्य 8000.00 करोड़ रुपये रखा गया हैं, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 2022 तक 5899.32 करोड़ रुपये प्राप्त हुए है।

संदर्भ

- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान. (2022). मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट. भोपाल : अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान.
- अटल भूजल योजना पोर्टल. (18 जनवरी 2023). https://ataljal.mowr.gov.in
- केंद्रीय जल आयोग. जलाशय स्तर भंडारण बुलेटिन. 19 जनवरी 2023
- केंद्रीय भूजल बोर्ड. (1995, 2013, 2017, 2020, 2022). Dynamic Ground Water Resources of India. Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.
- केन्द्रीय भूजल बोर्ड. (2022). गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट.
- ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2023). मिशन अमृत सरोवर. https://ataljal.mowr.gov.in
- नीति आयोग. (2018). समग्र जल प्रबंधन सूचकांक. नई दिल्ली .
- भारतीय खान ब्यूरो. (2019, 2020, 2021, 2022). इंडियन मिनरल इयरबुक. नागपूर : खान मंत्रालय, भारत सरकार.
- भारतीय वन सर्वेक्षण. (2019). नई दिल्ली : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय वन सर्वेक्षण. (2021). भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021. नई दिल्ली : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार .
- मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम. (2022). मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम. वन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार .
- मध्यप्रदेश वन विभाग. (2022). वन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार .

- मध्यप्रदेश वन विभाग. (2023). भोपाल: वन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार .
- मध्यप्रदेश वित्त विभाग. (2023). भोपाल: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश सरकार.
- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. (दिसंबर 2021). राज्य पर्यावरण योजना मध्यप्रदेश. भोपाल : पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश .
- मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित. (2023). मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित. भोपाल : वन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार .
- राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर . (2023). जबलपुर : राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर .
- रामसर कन्वेंशन सचिवालय. (16 February 2023). रामसर साइट सूचना सेवा. https://rsis.ramsar.org/
- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम. (2022). प्रेस विज्ञप्ति. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम खान मंत्रालय, भारत सरकार.

अध्याय - 12

सामाजिक समावेशन-अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास

अध्याय - 12

सामाजिक समावेशन-अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास

12.1 अनुसूचित जनजाति कल्याण

12.1.1 अनुसूचित जनजातियों के लिए नई नीतियों की पहल

मध्य प्रदेश की राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश ने कई नीति-स्तरीय पहलें की हैं। प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर, 2022 को मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 (PESA) के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों की घोषणा की। वर्ष 2020 में, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के सम्मान में 'जनजाति गौरव दिवस' के रूप में घोषित किया गया था। जनजाति नेताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए 4 दिसंबर को 'बलिदान दिवस' के रूप में भी घोषित किया गया है, जिसका नाम टंट्या मामा के बलिदान पर रखा गया है। पेसा अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है। यह 5,212 पंचायतों में 2,350 गांवों में लागू होते हुए, राज्य के 89 जनजाति ब्लॉकों में ग्राम सभाओं को स्व-शासन की अनुमति देगा। इस पहल से प्रदेश में कुल 1.5 करोड़ (जनगणना, 2011) की जनजातिय आबादी को लाभ पहुँचेगा। PESA अनुसूचित क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी पर अंकुश लगाने, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रवासी मजदूरों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के साथ-साथ लघु वन उपज, भूमि और छोटे जल निकायों से संबंधित मामलों को तय करने की अनुमति देता है। नियमों के अनुसार, पेसा यह भी अनिवार्य करता है कि पुलिस को किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण के बाद समिति को सूचित करना होगा।

प्रदेश की अन्य एक बड़ी पहल, देवारण्य योजना आयुष को अनुसूचित जनजातियों की आजीविका से जोड़ती है। यह योजना, जो अब कार्यान्वयन के अधीन है, आयुष दवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए एक पूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाती है। जनजातीय क्षेत्रों में जनजाति किसानों को दवा उद्योग से सीधे संपर्क में जोड़ा जाएगा। यह देखते हुए कि बहुसंख्यक अनुसूचित जनजाति अपने जीवन यापन और आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर है, राज्य की पहल आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण और साथ ही आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करगी। इसके अतिरिक्त, 'आहार अनुदान योजना' जैसी योजनाएं विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए एक पहल है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित रोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगापुर सरकार के सहभागिता से 'संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क' की स्थापना की है, जो हर साल 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति युवाओं को टंट्या मामा आर्थिक कल्याण (आर्थिक कल्याण), डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण, भगवान बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा (जनसंपर्क विभाग, मध्य प्रदेश सरकार)।

12.1.2. अनुसूचित जनजाति उप योजना- सामाजिक क्षेत्र के व्यय में रुझान

अनुसूचित जनजाति उप योजना (टीएसपी) शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, आदि क्षेत्रों के लिए योगात्मक सहायता प्रदान करती है। टीएसपी रणनीति के निष्पादन के लिए, मध्य प्रदेश ने 31 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी), 30 संशोधित क्षेत्र विकास एजेंसियों (एमएडीए) और 6 समूहों (क्लस्टर) को चिन्हित 89 जनजातीय ब्लॉकों में किया है। प्रदेश को उप योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता भी प्राप्त होती है। पिछले 5 वर्षों में, प्रदेश को औसतन रु 200 करोड़ प्रति वर्ष प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2021-22 में केंद्र से रु 228 करोड़ का अनुदान मिला है। केंद्रीय सहायता जनजातीय मंत्रालय की स्वीकृति एवं राज्य द्वारा प्रेषित भावी प्रोजेक्ट प्लान पर निधारित किया जाता है। टीएसपी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए एक अनिवार्य उपकरण है। यह जानकारी वित्तीय वर्ष 2004-05, 2009-10, 2014-15, 2020-21, 2021-22 एवं 22-23 के लिए नीचे तालिका 13.1 में दी गई है।

तालिका 12.1: अनुसूचित जनजाति उप योजना का कुल बजट आवंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र	वर्ष	कुल TSP बजट आवंटन
1	2004-05 (पुनरीक्षित अनुमान)	1,662.01
2	2009-10 (पुनरीक्षित अनुमान)	4,242.96
3	2014-15 (पुनरीक्षित अनुमान)	12,115.71
4	2020-21 (बजट अनुमान	24,261.28
5	2021-22 (बजट अनुमान)	24,910.99
6	2022-23 (बजट अनुमान)	26,940.68

स्रोत: वॉल्यूम 9, वार्षिक बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार

माँग संख्या 41, वार्षिक बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार

राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग अपने कुल वार्षिक बजट का 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए आरक्षित करता है। परंतु, वर्ष 2022-23 (ब. अ.) में ऊर्जा विभाग उप योजना में लगभग रु 4,714 करोड़ का आवंटन कर, इस वित्तीय वर्ष का लगभग 16 प्रतिशत का भागीदार है। सर्वाधिक उप-योजना बजट आवंटन में ग्रामीण विकास विभाग द्वितीय स्थान पर है तथा इसका उप योजना का आवंटन रु 4,000 करोड़ है (कुल उप योजना का लगभग 15 प्रतिशत)। यह ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण विकास के लिए 2022-23 में राज्य द्वारा की गई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालता है। अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग का उप योजना में लगभग रु 3,700 करोड़ का आवंटन है एवं इसकी अगले खंड में संक्षिप्त में चर्चा की गई है।

टीएसपी के प्रमुख आवंटन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में हैं। वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल टीएसपी आवंटन लगभग रु. 3,000 करोड़, जिसमें से आधा स्कूल शिक्षा विभाग (लगभग 48 प्रतिशत) ने आवंटित किया है। लगभग 25 प्रतिशत उच्च शिक्षा विभाग ने आवंटित किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल टीएसपी आवंटन रु 3,000 करोड़ है, जिसमें से लगभग 65 प्रतिशत लोक स्वास्थ्य

और परिवार कल्याण विभाग का है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि योजनाएं जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा प्रबंधित जनजातीय स्वास्थ्य योजनाओं के लिए योगात्मक हैं। वर्ष 2022-23 के लिए आजीविका के लिए कुल टीएसपी आवंटन लगभग रु. 4,000 करोड़ है और इसमें से 77 प्रतिशत से अधिक किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने आवंटित किया है, शेष राशि बागवानी विभाग, वन विभाग, मत्स्य पालन, और पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए ग्रामीण विकास पर कुल टीएसपी आवंटन लगभग रु 7,800 करोड़ है और 53 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा विभाग द्वारा आवंटित है।

12.1.3. अनुसूचित जनजाति विभाग का बजट आवंटन

तालिका 12.2 : क्षेत्र-वार बजट आवंटन- अनुसूचित जनजाति विभाग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	शिक्षा	5,863.60 (78.26)	7,418.52 (82.78)	8,186.90 (83.57)	8,731.12 (84.33)
2	स्वास्थ	200.00 (2.67)	218.00 (2.43)	270.00 (2.76)	300.00 (2.90)
3	कौशल और रोजगार	51.09 (0.68)	25.60 (0.29)	29.55 (0.30)	84.35 (0.81)
4	बुनियादी ढांचा	100.00 (1.33)	50.00 (0.56)	60.00 (0.61)	60.00 (0.58)
5	विभागीय बजट	7,492.3	8,961.83	9,796.74	10,353.84

स्रोत: (अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग- वार्षिक बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार)

नोट: सेक्टर (अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग के कुल बजट का प्रतिशत)

जनजातीय कार्य विभाग इन सभी विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं चलाता है (जैसा कि ऊपर उल्लेख है)। प्रत्येक योजना के लिए प्रमुख योजनाएं और संबंधित उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध हैं।

12.1.3.1. शिक्षा

वर्तमान में जनजातीय कार्य विभाग राज्य में कुल 22,913 प्राथमिक, 6,788 मध्य या उच्च प्राथमिक, 1,109 उच्च विद्यालय (707 विभागीय और 402 आरएमएसए) का प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य में विभाग द्वारा 898 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन भी किया जा रहा है। राज्य में 8 मॉडल आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 84 कन्या शिक्षा परिसर, 63 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 26 खेल परिसर और 1083 आश्रम विद्यालय संचालित हैं। राज्य में वर्तमान में 198 जूनियर छात्रावास, 980 वरिष्ठ छात्रावास, 216 उत्कृष्ट वरिष्ठ छात्रावास और 167 विश्वविद्यालय छात्रावास हैं।

- राज्य अनुसूचित जनजातीय बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं भी प्रदान करता है, जो पूरी तरह से डीबीटी के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं के विकलांग छात्रों (80 प्रतिशत से अधिक शारीरिक अक्षमता) के लिए 1600/- रुपये की अतिरिक्त वाहन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। मानसिक रूप से दिव्यांग (एमआर) छात्रों के लिए 2400/- रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का कक्षा 10वी एवं 12वी बोर्ड में प्रतिभा के आधार पर प्रावीण्यता लाने पर मेधावी पुरस्कार प्रदान किये जाने में योजनान्तर्गत जिला स्तर पर 52-52 बालक/बालिकाओं को 1000/- एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को रूपये 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी, किन्तु केवल पूर्ण शुल्क की पात्रता हो। अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी। रूपये 2.50 लाख से 6.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित से शिक्षण शुल्क सहित नान रिफन्डेबल अनिवार्य शुल्क की आधी राशि का भुगतान किया जावेगा।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 50 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित है।वर्ष 2020-21 में 02 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाकर राशि रूपये 101.32 लाख व्यय किये। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 220.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 06 विद्यार्थियों को विदेश प्रस्थान कर राशि रूपये 160.96 व्यय किया गया है। वर्ष 2022-23 में राशि रूपये 220.00 लाख का प्रावधान कर राशि रूपये 121.56 माह नवम्बर तक व्यय किया गया है।
- जनजाति बच्चों के खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये प्रदेश में 100 सीटर कुल 26 आवासीय क्रीड़ा परिसर संचालित हैं। इनमें से 19 बालकों के लिए तथा 07 बालिकाओं के लिए हैं। इंदौर में विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित है जिसमें 200 सीट स्वीकृत है। राज्य मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।
- योजनांतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वी के जिन जनजाति बालिकाओं को सायकिल प्रदाय नहीं की गई है तथा जिन्हें कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 2 किमी से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है, ऐसी बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है।वर्ष 2021-22 में 10.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जो कोविड के कारण यथास्थ्ति में है। वर्ष 2022-23 में 10.00 लाख का प्रावधान माह नवम्बर 2022 तक राशि रूपये 4.37 लाख व्यय किये गये है।
- अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को आकस्मिक आपदा, विशेष बीमारी में उपचार एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं विशेष रूचि में भाग लेने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2021-22 में 1.16 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। वर्ष 2022-23 में रु 15.00 लाख का प्रावधान है। माह नवम्बर 2022 तक वर्ष 2022-23 में 9.57 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

- संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन का प्रावधान करती है। भारतीय लोक सेवा आयोग परीक्षा हेतु प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु रु 40.00 हजार; मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रु 60.00 हजार एवं साक्षात्कार उपरान्त चयन होने पर रु 50.00 हजार दिया जाता है। इस योजना के लिए पात्रता के लिए कोई आय सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए, (इस योजना के लिए पात्रता परिवार आय सीमा 8.00 लाख रुपये तक है) दूसरे प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को केवल 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वर्ष 2021-22 में 217 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 79.80 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 2022-23 में रू. 100 लाख का प्रावधान किया गया था और नवंबर 2022 के महीने तक 95.70 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।
- राज्य में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दिल्ली में स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग की सुविधा प्राप्त करने का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 में 100 अभ्यर्थियों को लाभान्वित कर 67.32 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी तथा वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर 2022 तक 35.71 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी।

12.1.3.2. स्वास्थ्य

- **आहार अनुदान योजनाः** विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय (पीवीटीजी) में कुपोषण से निजात दिलाने के उद्देश्य से योजना वर्ष 2017 से लागू की जा रही है। यह योजना वर्तमान में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 15 आबाद जिलों में लागू की जा रही है। आहार अनुदान योजना के माध्यम से बैगा, सहरिया, धारिया जनजाति की महिलाओं को प्रतिवर्ष 285 करोड़ रुपये से अधिक के हितलाभ दिए जा रहे हैं।
- ज़िला शिवपुरी अशोक नगर एवं गुना में विशेष पिछड़ी जनजातियों को टी.बी. की रोकथाम एवं उपचार हेतु कार्ययोजना राशि 1636.00 लाख रुपए सी.सी.डी. प्लान अन्तर्गत संचालित है, जिससे टी.बी. के ख़तरे को कम किया जा सके।
- "सिकल सेल विकार से पीड़ित पीवीटीजी के लिए एक सहायक चिकित्सा के रूप में होम्योपैथी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन" के लिए 358.74 लाख रुपये की एक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में यह योजना आयुष विभाग द्वारा छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, मण्डला एवं शहडोल जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

12.1.3.3. आजीविका

- राज्य जनजाति वित्तीय एवं विकास निगम भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना) संचालित कर रहा है, जो केवल नवीन उद्यमों की स्थापना पर देय होगी। जनजाति वर्ग के आवेदकों को पात्रता एवं वित्तीय सहायता से संबंधित प्रावधान रू. 1 लाख से 50 लाख तक है।
- टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नई योजना): इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी (ग़रीबी रेखा से नीचे) के लाभार्थियों को कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी प्रदान करना है। योजना का लाभ नवीन उद्योग/व्यवसाय आदि की स्थापना हेतु दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु 270.00 करोड़ की राशि व्यय कर 2,30,242 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय

वर्ष 2022-23 में रु 300.00 करोड़ का प्रावधान है, जिसके विरुद्ध रु 185.12 करोड़ व्यय कर 2,43,253 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

- संभागीय स्तर पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक संगठन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24 सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण की कार्ययोजना को स्वीकृत किया गया था तथा वर्तमान में क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वीकृत राशि रु 2,150.00 लाख के विरुद्ध कार्ययोजना हेतु रु 1,550.00 लाख की राशि जारी कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के अन्तर्गत 10 विकासखण्डों (चन्देरी तामिया, मोहगांव, भितरवार परसवाड़ा, करैरा, दतिया, पहाड़गढ़, कराहल एवं पाली-2) में प्रखण्ड स्तर पर कुल रु 50.00 लाख प्रति इकाई है। भारत सरकार द्वारा रु 500.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- सामुदायिक केन्द्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 4,521.60 लाख की स्वीकृति दी गई और इस राशि के विरुद्ध आंगनबाड़ी भवन सह शिक्षा केन्द्रों के निर्माण के लिए रु. 2,888.69 लाख रुपये जारी किए गए।
- जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संभाग/जिला/विकासखण्ड/जन शिक्षा केन्द्रों पर स्थाई आधार पंजीयन एवं अद्यतन केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन की कार्यवाही राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड भोपाल एवं सीएससी के सहयोग से किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 1,010 स्वीकृत आधार केंद्रों में से 757 आधार किट जिला ई-गवर्नेंस अधिकारी द्वारा खरीदे जा चुके हैं, जिनमें से 344 आधार केंद्र संचालित हैं।
- जिला मण्डला में बैगा समुदाय की महिलाओं के आजीविका कार्यक्रम हेतु 47.10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। 05 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केन्द्रों के लिये 246.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
- छिंदवाड़ा, श्योपुर, शहडोल, डिंडोरी और मंडला जिलों में, एफआरए एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए 491.60 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
- श्योपुर, डिंडोरी एवं छिंदवाड़ा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए बैगा, भारिया एवं सहरिया समुदाय के लिए 3 सांस्कृतिक केन्द्र, भोपाल में सांस्कृतिक सह-प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण संयुक्त रूप से रु.1,850.00 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है।
- विशेष पिछड़े बहुसंख्यक क्षेत्रों में विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केन्द्रों के लिए (प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर रु. 596 लाख) रु 2984.00 लाख की कार्ययोजना से 100 विद्यार्थियों का कौशल विकास एवं आजीविका सुनिश्चित की जायेगी।
- विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 4,400.00 लाख रुपये की लागत से 50 सीट प्रति छात्रावास की दर से 20 छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे 1000 छात्र लाभान्वित होंगे।

12.1.3.4. भौतिक संरचना

- अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वर्ष 2021-22 में रु 6,000.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु 5,520.46 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2022-23 में रु 6,000.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रु 1,263.81 लाख की राशि नवम्बर 2022 तक व्यय की जा चुकी है।

12.1.4. अन्य बड़ी योजनाएँ

शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना

योजना के तहत कक्षा 10 वीं और 12 वीं के तीन योग्यता प्राप्त छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मेरिट श्रेणी के तहत तीनों में शीर्ष पर रहने वाले छात्र को प्रथम पुरस्कार रु. 51,000/-प्रदान किया जाता है, तदनुसार, रु.40,000 / - और रु. 30,000 / - से दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे छात्रों को सम्मानित किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना

विज्ञान विषय में मेरिट स्थान प्राप्त करने के लिए 12 वीं कक्षा की दस छात्राओं को पुरस्कार देने का प्रावधान है। यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए लागू है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नवंबर 2021 तक 60 बालिकाओं को 9.60 लाख खर्च कर पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 2022-23 में, 12.00 लाख का प्रावधान किया गया था, एवं नवंबर 2022 के महीने तक 1.00 लाख रुपये की राशि खर्च हो चुकी है।

सीएम राइज़ योजना (नई योजना)

सीएम राइज स्कूलों को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य संसाधन संपन्न स्कूलों की स्थापना के लिए नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के लिए किए गए सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। सीएम राइज स्कूलों का उद्देश्य बच्चों की उपस्थिति दर में वृद्धि करना और बच्चों के समग्र विकास के लिए आधुनिक उपकरणों, तकनीकों और प्रौद्योगिकी, खेल, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के साथ स्कूलों को लैस करके KG से कक्षा 12 वीं तक समग्र/एकीकृत स्कूल चलाकर ड्रॉपआउट दरों को कम करना है। अंग्रेजी कक्षाएं KG से कक्षा 12 वीं तक आयोजित की जाती हैं और विषयों को हिंदी माध्यम में भी पढ़ाया जाता है। सीएम राइज स्कूल का वैचारिक और नैतिक मूल्य राज्य को सम्मान, अखंडता, साहस और उत्कृष्टता के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करना है। प्रत्येक स्कूल के निर्माण और इसे पूरी तरह से सुसज्जित बनाने की अनुमानित लागत रु. 35-40 करोड़ है। मुख्यमंत्री RISE योजना के तहत 23 कार्यों के लिए वर्ष 2022-23 में 35 भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है (कुल लागत रु. 33,580.00)।

बैगा महिला आजीविका हथकरघा संवर्धन कार्यक्रम

मंडला जिले में बैगा समुदाय (पीवीटीजी) की महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक इकाई की लागत 56,072/- रुपये के साथ, वर्ष 2020 -21 में 84 इकाइयों के लिए कुल 47.10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। मंडला जिले के मवई, बिछिया, मोहगांव और बिजादंडी विकास खंडों के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी गई है।

वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थियों के आजीविका संवर्धन का कार्यक्रम

इस योजना के लिए, रु. 983.20 लाख स्वीकृत हुए हैं। इस राशि के विरूद्ध 491.60 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित की गई है और शेष 491.60 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल को दी गई है।

12.2 अनुसूचित जाति विकास

12.2.1 आर्थिक सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस समुदाय को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अनु. जाति समुदाय के युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2022 में संत रविदास जयंती पर 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना' प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित वर्ग के नागरिकों को पूर्व में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार सिंगापुर के साथ मिलकर संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण कर रही है, जहां हर साल करीब 10 हजार युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार की अन्य पहल के अंतर्गत अनु.जाति/जनजाति वर्ग के लिए उद्योग लगाने हेतु 20 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित होंगे।

सरकार अपनी सामाजिक आर्थिक और वित्तीय समावेशन रणनीति के हिस्से के रूप में, विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लोग लाभान्वित हों, इसके लिए सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु इस मामले से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न योजनाओं के लिए एक निश्चित प्रतिशत के निर्धारण के माध्यम से राशि आवंटन करती है, जिससे अनुसूचित जातियों को लक्षित वित्तीय और भौतिक लाभ प्राप्त हो सकें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या (7.27 करोड़) का 15.6 प्रतिशत (113.42 लाख) है (जनगणना, वर्ष 2011)। अत: इसी अनुपात में राज्य की कुल आयोजन का 15.00 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन वर्गों के कल्याण के लिये निर्धारित किया जाता है।

(**स्रोत:** अनु. जाति विकास विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22)

12.2.2 सामाजिक सशक्तिकरण

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण हेतु किये गये प्रयासों में सामुदायिक पुलिसिंग नीति पत्रक अंतर्गत प्रस्तावित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र तथा जन चेतना शिविर शामिल हैं।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र : इन केन्द्रों में अनु.जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यको में विश्वास पैदा करने, उनमें सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी देने एवं उनके संवैधानिक अधिकारों से उन्हें अवगत कराने का कार्य पुलिस थानों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में यह केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से संपादित कराये जाने वाले कार्यों में भूमि विवादों का निपटारा, शासन द्वारा आवंटित कृषि भूमि पर खेती करने की सुविधा, ऋणग्रस्तता का समाधान, अनु.जा./जनजाति के सदस्यों की समस्याओं का समाधान, लम्बित प्रकरणों की पहचान एवं सहायता करना इत्यादि है। इस केंद्र के अन्य कार्यों में शासन द्वारा अनु.जा./जनजाति के

सदस्यों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, अनु.जा./जनजाति के सदस्यों में आत्मविश्वास जागृत करना एवं ऐसे अपराधिक प्रकरण, जो पंजीबद्ध किए जाने हों, पर ध्यान देना शामिल है।

जन चेतना शिविर- इन शिविरों के माध्यम से अनु.जा./ जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना मजबूत कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें शासन की लाभकारी योजनाओं एवं उनसे सम्बंधित क़ानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाती है।

12.2.3 अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनु.जाति समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियां

इस विभाग को अनुसूचित जाति के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। विभाग इस दायित्व के निर्वहन हेतु शैक्षणिक विकास की योजनाओं के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाएं संचालित कर रहा है। अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट/ आयोजना के नियंत्रण के लिए अनुसूचित जाति विभाग नोडल विभाग है।

- **अत्याचार निवारण :** अनुसूचित जाति/ जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियंत्रण हेतु लागू अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए यह विभाग नोडल विभाग है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना स्थापित किया गया है एवं प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। शेष जिलों में जिला न्यायालयों को ही अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों को सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2021-22 में 10 हजार से अधिक उत्पीड़ित मामलों का निराकरण कर 135 करोड़ रुपये से अधिक राहत राशि प्रदाय की गई। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में, सितम्बर 2022 तक 8000 से अधिक पीड़ितों को राहत राशि स्वीकृत की गई है। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)
- **शिक्षा के क्षेत्र में संचालित योजनाएं एवं गतिविधियां**

छात्रावास एवं शिष्यवृत्ति: विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु 571 जूनियर छात्रावास तथा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु 1153 (सीनियर छात्रावास) संचालित किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त संभाग स्तरीय 10 ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 189 छात्रावास संचालित हैं। इन समस्त छात्रावासों में लगभग एक लाख विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। छात्रावासी विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि/ दरों का निर्धारण प्रति वर्ष जुलाई माह में होता है। वर्ष 2022-23 में यह राशि बढ़ाकर बालकों हेतु राशि रुपये 1,460/- प्रतिमाह एवं बालिकाओं हेतु राशि रुपये 1,500/- प्रतिमाह हो गयी है। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक के बालक एवं बालिकाओं को 10 माह हेतु प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को रू. 250/-, कक्षा 6 से 8वीं तक के बालकों को रू. 200/- एवं बालिकाओं को रू. 600/- तथा कक्षा 9 से 10वीं तक के बालकों को रू. 600/- एवं बालिकाओं को रू. 1,200/-उनके खाते में प्रदाय किये जाते हैं। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा 11वीं से लेकर महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क, व्यावसायिक पाठयक्रमों में AFRC/ PURC की दरों पर एवं अन्य पाठयक्रमों में शासकीय शिक्षण संस्थाओं की दरों पर प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में 5,41,314 विद्यार्थियों को राशि रुपये 480.59 करोड की छात्रवृत्ति एवं वर्ष 2022-23 में, दिसम्बर 2022 तक 328.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति: वर्ष 2021-22 में 48 विद्यार्थी विभिन्न देशों के शिक्षण संस्थाओं से लाभान्वित हुये, जिन पर राशि रुपये 811.66 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2022-23 में 11 विद्यार्थियों का चयन किया जाकर नवम्बर 2022 तक राशि रुपये 569.38 लाख व्यय किया गया है। वर्तमान में विदेशों में 44 विद्यार्थी अध्ययनरत है। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र: सात संभागीय मुख्यालय- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर तथा उज्जैन में अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवक/ युवतियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के अतिरिक्त बैंक, रेल्वे, पुलिस सेवा, जीवन बीमा निगम आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने की योजना: अनुसूचित जाति वर्ग के 100 अभ्यर्थियों को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा/ मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयार हेतु नई दिल्ली स्थित चार प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में कोचिंग दी जाती है। परीक्षा की तैयारी हेतु अभ्यर्थियों को एकमुश्त राशि प्रदाय की जाती है।

विद्यार्थी आवास सहायता योजना: महाविद्यालयीन विद्यार्थियों हेतु आवास भत्ता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 1,01,365 आवेदन प्राप्त हुये, जिसमें से 78,154 विद्यार्थियों को लाभान्वित कर राशि रुपये 9,017.80 लाख का भुगतान किया गया है। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

अनुसूचित जाति छात्रावास/ आश्रम भवनों का निर्माण: वर्तमान में कुल 1933 छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं। बाबू जगजीवन राम योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 15 छात्रावास भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कराये गये, इनमे से दो पूर्ण हो चुके हैं एवं 13 भवन निमार्णाधीन हैं। वर्ष 2022-23 में 109 छात्रावास भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कराये गये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर तक भवन निर्माण में राशि रू. 10.00 करोड़, छात्रावास भवनों के रख-रखाव, मरम्मत कार्य एवं रंगाई पुताई हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ व्यय किया गया। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन: अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं में व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु राजधानी मुख्यालय, भोपाल में 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पांच दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में प्रत्येक जिले से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एक मेघावी छात्र तथा एक छात्रा को चयनित कर शिविर में बुलाया जाता है। उक्त शिविर में उन्हें जीवन उपयोगी विभिन्न विधाओं एवं कैरियर गाइड लाइन्स संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। शिविर के प्रतिभागियों को माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस से भेंट कराई जाती है एवं महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण भी कराया जाता है। वर्ष 2019-20 में 102 छात्र-छात्राओं को भारत दर्शन योजना अंतर्गत नई दिल्ली एवं आगरा शहरों के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक केन्द्र प्रयोग शालायें, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया गया है।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास: प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु ऐसी अनुसूचित जाति बस्तियों, ग्रामों/वार्डों/मोहल्लों/ मजरे/टोले/पारे जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40% एवं उससे अधिक हो, वहाँ सी.सी.रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, छात्रावासों से मुख्य सड़क तक पहुँच मार्ग आदि निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 210.10 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2022-23 में, माह नवम्बर 2022 तक राशि रू.151.80 लाख का व्यय किया गया। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना: वित्तीय वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मेपसेट) के माध्यम से 9,650 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने हेतु राशि रू. 29.45 करोड़ व्यय किया गया। नवम्बर, 2022 तक 4257 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर 777 प्रशिक्षणार्थियों का एसेसमेंट पूर्ण कर किया गया। इनमे से 328 प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट प्राप्त हुआ। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना: इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति की 5 से 10 महिलाओं का समूह बनाकर बैंक के माध्यम से लघु कुटीर उद्योग, पशुपालन एवं हस्तशिल्प व्यवसायों में रू. 2.00 लाख तक बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना का क्रियान्वयन म.प्र. राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही राशि रू. 10,000/- के मान से सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में अन्य विभिन्न विभागों (म.प्र.राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, पशु पालन एवं डेयरी विभाग, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, म.प्र.रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्-मेपसेट) के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त जानकारी)

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना: अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में कम से कम 500 की आबादी वाले ग्राम जिसमें अनुसूचित जाति की 50% जनसंख्या निवासरत है, के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार द्वारा योजना संचालित है। वर्तमान में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। प्रत्येक ग्राम हेतु राशि रुपये 20.00 लाख विकास कार्य हेतु प्रदाय की जाती है। भारत सरकार द्वारा 1074 चयनित ग्रामों में विकास कार्य कराये जा रहे है। गांव विकास योजना (VDP) तैयार कर, इन ग्रामों में अंतर पाटन निधि (Gap filling fund) एवं अभिसरण से 15825 विकास कार्य स्वीकृत कर वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 106.09 करोड़ का व्यय किया गया है। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना: इस योजनांतर्गत विवाह करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के आदर्श दम्पत्ति को राशि रुपये 2.00 लाख दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 में 1015 दम्पत्तियों को लाभांवित कर राशि रुपये 2030.00 लाख का भुगतान किया गया। वर्ष 2022-23 में, माह दिसम्बर 2022 तक 407 दम्पतियों को लाभांवित कर राशि रुपये 814.00 लाख भुगतान किया गया है। इस योजनान्तर्गत इस दशक में बजट एवं व्यय में शनै:शनै हुई वृद्धि सामाजिक समरसता को प्रदर्शित करती है। (स्त्रोत: अनु. जाति विकास विभाग से प्राप्त आंकड़े)

अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015: अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 1979 योजनांतर्गत ऐसे निःशक्तजन जो जीविकोपार्जन में असमर्थ है, निराश्रित वृद्ध, ऐसा बीमार जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो, दैनिक मजदूर, खेतीहर मजदूर, छोटा रोजगार करने वाला व्यक्ति जो किसी दुर्घटना अथवा दैवीय प्रकोप के कारण काम करने में असमर्थ हो अथवा परिवार के मुखिया का निधन हो जाने के कारण परिवार के भरण पोषण की तत्काल कोई व्यवस्था न होने, चल सम्पति, पशु आदि का नुकसान व टयूब-वेल, बिजली मोटर, फलदार वृक्ष एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का नुकसान हो जाने पर पात्रानुसार राहत राशि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर प्रदाय की जाती है। इस हेतु राशि स्वीकृति की पात्रता- संभागीय आयुक्त/आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास- रू.15,000/-, जिला कलेक्टर- रू.10,000/- एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को राशि रू. 5,000/- है। वर्ष 2021-22 में 326 हितग्राहियों को राशि रुपये 16.90 लाख राहत राशि का एवं वर्ष 2022-23 में 241 हितग्राहियों को लाभांवित कर राशि रुपये 12.48 लाख राहत राशि का भुगतान किया गया है।

(स्त्रोत: अनु. जाति विभाग से प्राप्त आंकड़े)

संदर्भ

- भारत की जनगणना. (2011). भारत की जनगणना. भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार.
- जनसंपर्क विभाग, (2023). भोपाल : जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन. jansampark.mp.gov.in से लिया गया.
- वित्त विभाग, (2023). वार्षिक बजट पुस्तिका. भोपाल: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश सरकार.
- जनसंपर्क विभाग. (2023). भोपाल : जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन.
- म.प्र. पुलिस, (2023). सामुदायिक पुलिसिंग नीति पत्रक-मध्यप्रदेश. भोपाल: मध्यप्रदेश पुलिस विभाग, मध्यप्रदेश सरकार

अध्याय - 13

सुशासन

अध्याय 13

सुशासन

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं प्रियं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं प्रियम्॥

(अर्थशास्त्र 1/19)

सुशासन का तात्पर्य किसी देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन से है। सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताएं- भागीदारी, सर्वसम्मति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी और कानून का शासन है (यूएनईएससीएपी)। इन विशेषताओं को व्यापक रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन का द्योतक माना गया है।

मध्यप्रदेश सरकार अपने विभिन्न प्रयासों से प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लोक कल्याण, विकास और सुराज राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 18 से अधिक वर्षों की अवधि में, सरकार ने सुशासन में कई नवीन पहल, जिनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम, मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, लोक सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र की स्थापना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 181, मुख्यमंत्री जन सेवा, मुख्यमंत्री डैश बोर्ड, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम इत्यादि सम्मिलित हैं।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक अनूठी पहल के रूप में सराहा गया है। समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिवस, सीएम हेल्पलाइन, सीएम जनसेवा, ई-ऑफिस से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए किए गए प्रयासों से योजनाओं के बारे में स्पष्ट और सही जानकारी प्रदान करने में, जवाबदेही के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने में, मज़बूत क़ानून व्यवस्था बनाए रखने में और सेवाओं के डिजिटलीकरण व सरलीकरण के माध्यम से नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने में सहायता मिल रही है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को और भी जमीनी स्तर पर ले जाते हुए, वर्ष 2018 में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है। साथ ही सरकारी कार्यप्रणालियों व निर्णय लेने की प्रक्रियाँ में अधिक से अधिक जनभागीदारी हो, इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2021 को सुशासन सूचकांक जारी किया गया। सुशासन सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार, मध्यप्रदेश ग्रुप बी राज्यों में पहले स्थान पर है (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, 2020-21)।

13.1 सुशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य

13.1.1 लोक सेवा वितरण में सुधार

राज्य में लोक सेवा वितरण में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सुधार करने में मध्यप्रदेश की सरकार अग्रणी रही है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 को पारित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश इस अधिनियम को पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के माध्यम से लोक सेवाओं को एक निश्चित समय सीमा में प्रदान करने का कानूनी

अधिकार बनाया गया। अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्यप्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की अवधारणा के आधार पर एक सुशासन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की आदर्शवादी महत्वाकांक्षा का पालन करते हुए, लोक सेवा सुधारों के अंतर्गत राज्य में निम्नलिखित कदम उठाए गए (लोक सेवा प्रबंधन विभाग , 2023)।

क) मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट

मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2012 में राज्य मिशन मोड परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (एनईजीपी 2.0) के तहत जिला/ उप-जिला स्तर की सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए की गई। पोर्टल का उद्देश्य लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिक सेवाओं का आवेदन एवं वितरण सुनिश्चित करना है। इस हेतु प्रदेश के कोर ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे केंद्रीकृत डेटाबेस, SWAN, एसडीसी (SDC), सीएससी (CSC) का उपयोग करते हुए सुदृढ़ व्यवस्था तैयार की गई है। जनवरी 2023 तक, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदाय की जा रही हैं। इसके साथ ही नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में 'समाधान एक दिवस' व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत 42 सेवायें नागरिकों को एक दिवस में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रहीं हैं (लोक सेवा प्रबंधन विभाग, 2023)।

ख) लोक सेवा केंद्र और उप लोक सेवा केंद्र

मध्यप्रदेश सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ लोक सेवा केंद्रों का एक मजबूत और विश्वसनीय नेटवर्क स्थापित करने में अग्रणी रही है। केंद्रीय प्रबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोक सेवा केंद्र के संचालन एवं निगरानी को सुगम बनाया गया है।

वर्तमान में, मध्यप्रदेश में 430 लोक सेवा केंद्र का नेटवर्क है, जिसमें राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक लोक सेवा केंद्र है। इसके अलावा, राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार के लिए 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में उप लोक सेवा केंद्र की अवधारणा विकसित की है। जनवरी 2023 तक कुल 730 मे से 194 उप लोक सेवा केंद्र प्रारम्भ किये गए हैं जो ग्राम और पंचायत स्तरों पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एमपी ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार, जनवरी 2023 तक लगभग 8.92 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है और 'समाधान एक दिवस' व्यवस्था के माध्यम से लगभग 2 करोड़ आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है (लोक सेवा प्रबंधन विभाग, 2023)

ग) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर (181)

मध्यप्रदेश सरकार ने जुलाई 2014 में अपने नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और नागरिक सुविधा संपर्क प्रणाली शुरू की जिसे "सीएम हेल्पलाइन नंबर (181)" के रूप में जाना जाता है। इस हेल्पलाइन नंबर पर वर्ष 2014 से जनवरी 2023 के बीच कुल 2,05,06,037 शिकायतें दर्ज़ की गयीं, जिनमें से 2,02,61,553 (98.80%) शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। नागरिक कहीं से भी और किसी भी समय कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और निवारण की मांग कर सकते हैं, योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या राज्य के विकास के लिए सुझाव और इनपुट प्रदान कर सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन में सभी विभागों के 1,500 से अधिक प्रारूपों में शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। विभिन्न विभागों के लगभग 18,000 अधिकारियों को अपने संबंधित विभागों के बारे में किसी भी शिकायत को संभालने और योजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सीएम हेल्पलाइन प्रणाली में जोड़ा गया है।

यह एक पेपरलेस प्रक्रिया है जो एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन का उदाहरण है। मुख्यमंत्री नियमित आधार पर हेल्पलाइन की निगरानी करते हैं ताकि संबंधित विभाग के परामर्श से नागरिकों की किसी भी समस्या या शिकायत का समाधान किया जा सके। शिकायतकर्ताओं के संतुष्ट होने तक शिकायतों को बंद नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह प्राथमिकता से निराकरण के लिये Trending एवं Current Issues के आधार पर पांच विषयों का चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा शिकायतकर्ताओं से चर्चा कर उनकी संतुष्टि के अनुसार मामले का निराकरण किया जाता है। जिलों और विभागों की समीक्षा करके प्रतिमाह ग्रेडिंग बनाई जाती है तथा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रमाणपत्र दिए जाते हैं (लोक सेवा प्रबंधन विभाग, 2023)।

घ) मुख्यमंत्री (सीएम) जन-सेवा (कॉल पर सेवा)

लोकसेवा गारंटी एक्ट के अंतर्गत सीएम जन सेवा एक अभिनव सार्वजनिक सेवा प्रणाली है, जिसमें 181 पर कॉल के माध्यम से सेवा प्राप्त की जा सकती है। सीएम जन सेवा एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं वेब GIS पोर्टल के साथ एकीकृत एक विशेष और केंद्रीयकृत निपटान तंत्र का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करता है। इसका लक्ष्य नागरिकों को कहीं से भी और किसी भी समय सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए एक ऐसा चैनल उपलब्ध कराना है जिसमें MP-eDistrict के माध्यम से नागरिकों के आवेदन (किसी भी सेवा के लिए) की स्थिति की की जानकारी, व्हाट्सएप पर ई-प्रमाण पत्र प्राप्त करना, पेपरलेस और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया, चौबीसों घंटे अभिगम्यता (Accessibility) और लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, खसरा की प्रमाणित प्रति, खतौनी (बी-1) की प्रमाणित प्रति, नक्शा की प्रमाणित प्रति, भू अधिकार पुस्तिका तथा खसरा, खतौनी (बी-1) एवं नक्शा की नमूना प्रति सहित सात सेवाएँ सीएम जनसेवा पोर्टल के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।

दिसंबर 2020 में स्थापना के बाद से, जनवरी 2023 तक लगभग 2,68,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,65,000 (लगभग 99%) आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। नागरिकों के संतुष्टि परिक्षण से सेवाओं के एक दिन में निपटान एवं उच्च स्तर की संतुष्टि ज्ञात हुई है (लोक सेवा प्रबंधन विभाग, 2023)।

च) मुख्यमंत्री (सीएम) डैशबोर्ड

मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं, सार्वजनिक सेवा वितरण, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और राज्य के विभागों को सौंपी गई गतिविधियों की प्रगति को ट्रैक करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड बनाए गए हैं। जनवरी 2023 तक, 33 विभागों के लगभग 200 डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं और सीएम डैशबोर्ड पर होस्ट किए गए हैं। तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने और उसका लाभ नागरिकों को मिले यह सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य नेतृत्व के उच्चतम स्तर से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। डैशबोर्ड के माध्यम से लगभग वास्तविक समय में निगरानी, गुणवत्ता डेटा इनपुट और डेटा एनालिटिक्स टूल के माध्यम से राज्य की सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली के सुधार में सहायता हुई है जो त्वरित निर्णय लेने और समाधान में सहायता करती है। परिणामस्वरूप, शासन प्रणाली अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और कुशल बन जाती है (लोक सेवा प्रबंधन विभाग, 2023)।

13.1.2 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल

शासन द्वारा आत्मानिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2023 में चार प्रमुख स्तंभों नामतः बुनियादी ढांचा, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा, और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, के लिए निर्दिष्ट परिणामों की प्राप्ति के लिए संचालित की जाने वाली गतिविधियों और उप-गतिविधियों की सतत निगरानी के लिए आत्मानिर्भर पोर्टल को लॉन्च किया गया। विभागीय गतिविधियों की सतत निगरानी व तय सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह व्यवस्था सुशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विकास कार्यों को गति देने हेतु, वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रोडमैप के तहत चिन्हित सभी आउटपुट को आठ मिशनों नामतः मिशन अर्थ, मिशन दक्ष, मिशन ग्रामोदय, मिशन जन-गन, मिशन नगरोदय, मिशन निरामय, मिशन बोधि, और मिशन निर्माण के साथ मैप किया गया। साथ ही विकास के महत्वपूर्णों क्षेत्रों जैसे सुशासन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, कृषि, राजस्व, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण में विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित नौ मंत्री समूहों द्वारा की गई अनुशंसाओं को पोर्टल पर चिन्हित आउटपुट के साथ मैप किया गया है।

सीएम वाराणसी कॉन्क्लेव और सीएम रिव्यू के लिए दो अन्य मॉड्यूल भी पोर्टल पर विकसित किये गए है। शासन द्वारा समीक्षा बैठकों में विभागों की गतिविधियों की निगरानी पोर्टल पर डेटा अपडेट के आधार पर की जाती है। वर्तमान में 113 आउटकम , 547 आउटपुट, 1104 कुल गतिविधियां, और 3163 कुल उप गतिविधियाँ इस पोर्टल में सम्मलित है (मध्यप्रदेश शासन, 2021)

13.1.3 क़ानून व्यवस्था और विधि एवं विधायी सुधार

सतत विकास के लिए समाज में शांति और व्यवस्था का बने रहना सुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी जनमानस तक न्याय एवं कानून व्यवस्था सुगम और प्रभावी रूप से पहुंच सके, इसके लिए क़ानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। गृह विभाग, राज्य में कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और समग्र शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। गृह विभाग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रयासों के माध्यम से नागरिकों की आवश्यकतानुसार विभिन्न सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। डॉयल-100 का अग्निशमन एवं 108 (एम्बुलेंस) से इंटीग्रेशन किया गया है। e-FIR प्रणाली विकसित की गई, जिसके अंतर्गत आम नागरिक घर बैठे मोबाईल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। अनुसंधान में पारदर्शिता एवं विवेचकों की सहायता हेतु ई-विवेचना ऐप विकसित की गई है।

वर्ष 2022 में कुल 3,196 बंदियों को विभिन्न विधाओं में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जेलों को संबंधित न्यायालयों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़कर उनकी लगभग 90 प्रतिशत सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई। बंदियों को ई-मुलाकात एवं इनकमिंग टेलीफोन मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के सभी जेलों में सी.सी.टी.व्ही की स्थापना की गयी है। साथ ही प्रदेश के सभी जेलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

ईज़ आफ डूइंग बिजनेस के तहत मुक्त व्यापार को बढावा देने के लिये वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निराकरण हेतु वाणिज्यिक न्यायालयों एवं अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया।

रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (ROIP) का प्रदेश भर में क्रियान्वयन, सायबर फोरेंसिक लैब का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन, आपातकालीन सेवाओं जैसे डायल 100, 108 आदि में बच्चों एवं बुजुर्गों हेतु नया फीचर लाना आदि भी महत्वपूर्ण हैं।

राज्य विधि आयोग की सलाह पर तथा गठित अंतर्विभागीय समिति की सिफ़ारिश पर निरसन विधेयकों के माध्यम से अनुपयोगी तथा निष्प्रभावी कानूनों को निरासित किया गया तथा इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। निष्प्रभावी तथा अनुपयोगी कानूनों को चिन्हित करने, मौजूदा अधिनियमों तथा नियमों के सरलीकरण, निर्धारित

अंतराल में कानूनों की अनिवार्य समीक्षा तथा तदनुसार आवश्यक कार्यवाही महत्वपूर्ण है।

आधुनिकीकरण के क्रम में प्रदेश की समस्त पुलिस इकाइयों में उद्यम संसाधन योजना (ERP-Enterprise Resource Planning) / मानव संसाधन प्रबंधन तंत्र (HRMS-Human Resource Management System) विकसित एवं क्रियान्वित करना, दुर्घटनाओं के संदर्भ में ब्लैक स्पॉटस का चिन्हाँकन, पर्यटन पुलिस, ई-कोर्ट ताकि सभी न्यायालयों पूर्णत डिजिटलाईज हो सकें आदि सुशासन तंत्र को मजबूती देने हेतु क्रियान्वित किया जाना महत्वपूर्ण है।

13.1.4 प्रश्नोत्तर की ऑनलाइन प्रक्रिया (विधान सभा सचिवालय)

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रश्नोत्तर प्रबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मान. सदस्यों हेतु प्रश्न पूछना सरल एवं सुविधाजनक बनाया गया है। इस प्रक्रिया में समय एवं कागज व अन्य सामग्रियों के कम उपयोग से धन की बचत हुई है। कोरोनाकाल में भ़ी विधान सभा सत्रों का संचालन किया जा सका। ऑनलाइन प्रक्रिया शासन के विभागों हेतु भ़ी सुविधाजनक है। बजट सत्र 2022 में 230 में से 86 सदस्यों ने ऑनलाइन प्रश्न पूछे है।

सूचना प्रौद्योगिकी को अपनी कार्य प्रणाली में शामिल करते हुए, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रश्नोत्तर प्रबंधन प्रक्रिया अंतर्गत विभागों को प्रश्नों का ऑनलाइन प्रेषण वर्ष 2010 से प्रारम्भ किया गया। माननीय सदस्यों से ऑनलाइन प्रश्न प्राप्त करने एवं विभागीय उत्तर प्राप्त करने के लिए पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया जून 2014 से प्रारंभ की गई थी (अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, 2022)।

13.1.5 राजस्व के क्षेत्र में सुशासन के प्रयोग

पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्व संबधित सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया गया है। इससे जनमानस को कम समय में गुणवत्तापरक सुविधाएं मिल रही हैं।

अ) भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण

प्रदेश में भू अभिलेखों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस तैयार किया गया है | अभी तक प्रदेश के समस्त 56761 ग्रामों के लगभग 1.51 करोड़ भूमि स्वामियों के 3.97 करोड़ खसरा नंबरों का इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस तैयार किया जा चुका है | उक्त डाटा बेस का निरंतर अद्यतन तहसील स्थित डाटा सेन्टर पर तहसीलदारों के पर्यवेक्षण एवं जिला कलेक्टर के नियंत्रण में किया जा रहा है (राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2020-2021)।

ब) कम्प्यूटरीकृत प्रतियों का वितरण

कम्प्यूटरीकृत खसरा प्रतिलिपि का वितरण अनिवार्य किए जाने से प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। मार्च, 2019 से Diverted भूमि और फरवरी, 2020 से कृषि भूमि के मांग एवं भुगतान संबंधी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। अगस्त, 2020 से राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं अभिलेखागारों के पुराने राजस्व अभिलेखों की प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा रही हैं (राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2020-2021)।

स) भूमि के नक्शों का डीजिटाइजेशन

प्रदेश के 52 जिलों में उपलब्ध करायी गई 1,37,084 मैपशीटों का डिजीटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी जिलों के नक्शों का डाटा खसरा डाटा से लिंक करा लिया गया है, तथा खसरा के साथ नक्शा भी विभागीय वेबसाइट www.landrecords.mp.gov.in पर उपलब्ध है (राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2020-2021)।

द) राजस्व विभाग की सेवाएँ एम. पी. ऑनलाइन द्वारा

नागरिक सेवाओं का प्रभावशाली ढंग से नागरिकों तक पहुँचाया जा सके, इस हेतु राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने हेतु एम. पी. ऑनलाइन एवं लोक सेवा केन्द्रों को जोड़ा गया जिससे कि ऑनलाइन कियोस्क की मदद से भी आसानी से राजस्व विभाग की सेवाओं को प्रदाय किया जा रहा है (राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2020-2021)।

13.2 सुशासन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

पर्यावरण अनुकूल सतत् विकास	प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क निर्माण मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग कर मार्गों का निर्माण किया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश में लगभग 5320 मेट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करते हुए 10,685 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की अवधि में 1220 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2023)।
खाद्यान्न उपार्जन और वितरण वर्ष 2022-23	आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था (AePDS) प्रदेश की सम्पूर्ण 26,284 उचित मूल्य दुकानों पर सेवा प्रदाता के माध्यम से पीओएस मशीन लगाकर राशन सामग्री का वितरण करवाया जा रहा है। माह अक्टूबर, 2019 से प्रदेश में (AePDS) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों का सत्यापन बायोमेट्रिक के आधार पर कर राशन का वितरण किया जा रहा है (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2022)।
वन नेशन-वन राशनकार्ड	प्रदेश में वन नेशन-वन राशनकार्ड व्यवस्था लागू की गयी है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सम्मिलित समस्त पात्र परिवार प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों एवं 26 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपने अर्हता का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। दिसम्बर 2022 तक के आँकड़ों के अनुसार लगभग 7.30 लाख परिवार प्रतिमाह अंतर्जिला पोर्टबिलिटी के माध्यम से अन्य दुकान पर राशन प्राप्त कर रहे हैं (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2022)।
समतामूलक और समावेशी शिक्षा	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN) की पहचान, नामांकन हेतु शिक्षकों का ऑनलाइन उन्मुखीकरण एवं विशेष शिक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक में सभी सुविधाओं युक्त संसाधन कक्ष की स्थापना। दिसम्बर 2022 तक के आँकड़ों के अनुसार सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों और बालिकाओं के लिए राज्य में 797 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं (राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग, 2022)।

समेकित छात्रवृत्ति (पोर्टल)	शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि, शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर, विद्यार्थी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जा रहा है।
जन-भागीदारी	प्रदेश में 97135 आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों , गर्भवती एवं धात्री माताओं को स्वास्थ एवं पोषण सेवाएँ तथा 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। जनवरी 2022 में, मध्यप्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जनभागीदारी में सुधार के उद्देश्य से एडॉप्ट ए आंगनवाड़ी योजना शुरू की (महिला एवं बाल विकास विभाग, 2021-22)।
विकेंद्रीकरण और पेसा (PESA) अधिनियम	मध्यप्रदेश ने 15 नवंबर, 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेसा (PESA) नियमों को अधिसूचित किया है। यह नियम पेसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत बनाए गए हैं। पेसा नियम अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने के लिये ग्राम सभाओं को सशक्त करता है। इससे जनजातीय समुदाय को अन्य अधिकारों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2023)।

13.3 सुशासन हेतु संस्थागत प्रयास

सुशासन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संस्थागत प्रयास भी किए गए हैं। प्रदेश में विभाग अपने स्तर पर सुशासन की स्थापना कर ही रहे हैं किन्तु प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सुशासन के पारिस्थिकी (eco-system) का निर्माण किया गया है। इन संस्थाओं द्वारा तथ्यपरक शोध और नीति आधारित तंत्र का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

13.3.1 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान

सुशासन के क्षेत्र में संस्थागत प्रयासों में से सबसे प्रमुख प्रयास मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में सुशासन एवं नीति विश्लेषण हेतु एक संस्थान की स्थापना है। इस संस्थान का नाम वर्ष 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान रखा गया। अपने नाम के अनुरुप इस संस्थान द्वारा, मध्यप्रदेश में शासन प्रणाली और नीति संबंधित सुधारों के लिए राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का संबंधित लक्षित समूहों पर प्रभाव तथा योजना वितरण प्रणाली का विश्लेषण, नवाचार, सुप्रथायें, सरकार और नागरिक समाज की साझेदारी आदि विषयों पर अद्वितीय कार्य किया जा रहा है। विगत वर्ष में संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश में ज्ञान, शोध और आंकड़ों पर आधारित नीतियों के निर्माण तथा प्रगतिरत् योजनाओं के इन्हीं पक्षों पर विश्लेषण द्वारा प्रदेश के प्रशासन को सुशासन की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। सुशासन संस्थान एवं राज्य नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के घटकों एवं अमृतकाल@2047 के लक्ष्यों का संरेखण एवं अभिसरण करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

विगत वर्षों में संस्थान द्वारा सुशासन के क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्य -

अ) चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीएमवाईपीडीपी) 2.0

विकास कार्यों में जनता की भागीदारी विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित करना सुशासन की प्रमुख विशेषताओं मे से एक है। ऐसा ही एक प्रयास शासन द्वारा इस प्रोग्राम को जिला, विकासखंड एवं ग्राम स्तर के योग्य युवा पेशेवरों को मध्यप्रदेश के विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रोग्राम जमीनी स्तर पर शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रोग्राम के 2.0 वर्ज़न का शुभारंभ वर्ष 2021 में किया गया।

इस कार्यक्रम के तहत् वर्तमान में प्रदेश के 52 जिलों में कुल 52 सीएम फैलो कार्यरत हैं। यह सीएम फैलो विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इन सीएम फैलो को भारत सरकार के नीति आयोग व भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर द्वारा इनके क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में प्रदेश के विभिन जिलों में स्थानीय मुद्दों व सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना भी सम्मिलित है।

कार्यक्रम के प्रथम चरण में लोक सेवा केंद्र, पोषण अभियान व मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना का प्रभाव मूल्यांकन किया जा चुका है। इसी क्रम में प्रोग्राम के द्वितीय चरण में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व तृतीय चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव मूल्यांकन किया गया। इसके अतिरिक सभी 52 जिलों की प्रोफाइलिंग कर लोकल स्तर की समस्याओं की पहचान करने का कार्य भी किया गया है।

ब) मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना

मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम (CMYIP) मध्यप्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे मध्यप्रदेश के युवाओं को विकास में भागीदार होने का अवसर प्रदान कर, उनके रोजगार कौशल में उन्नयन के उद्देश्य से छः महीने की इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विश्व स्तर पर कार्यान्वित सबसे बड़े लोक क्षेत्र के इंटर्नशिप कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम विशिष्ट रूप से व्यावसायिक कौशल से परे विकास के क्षेत्र में फिनिशिंग स्कूल की अवधारणा के माध्यम से स्नातक युवाओं का कौशल उन्नयन करने के लिए क्रियान्वित किया गया है। ये इंटर्न राज्य में विकास प्रक्रियाओं के सुगम संचालन में अपना योगदान देंगे। इस प्रकार ये सकारात्मक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने में अपना योगदान देंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा वर्ष 2022 में तैयार की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 52 जिलों के प्रत्येक विकास खंड में 15 इंटर्न का चयन किया गया है, जिसमें अधिकतम 4,695 इंटर्न होंगे। इंटर्नशिप अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। जिसमें प्रत्येक इंटर्न के लिए रु. 8,000/- प्रति माह का स्टाइपंड (वृत्ति) दिया जाना है।

कार्यक्रम के तीन मुख्य फोकस क्षेत्र हैं पहला, सरकार की प्रमुख योजनाओं को और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोक सेवा वितरण को मजबूत करना। दूसरा, विकेंद्रीकृत शासन के लिए जमीनी स्तर की संस्थाओं का क्षमता संवर्धन करना और तीसरा ग्राम स्तर पर सूक्ष्म संचार की पहुँच को सुनिश्चित करना।

स) मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट

"मध्यप्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट (एमपीएसडीआर) 2022" के पहले संस्करण का विमोचन 4 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटैट सेंटर में किया गया। मध्यप्रदेश अपनी योजनाओं और समग्र शासन संरचना में बेहतर प्रक्रियाओं, संरचनाओं और जवाबदेही तंत्र को स्थापित करके सुशासन

को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य रहा है। प्रगतिशील दृष्टिकोण और अपने नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने के संकल्प के साथ, राज्य 'सुराज' को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रिपोर्ट पिछले 15 वर्षों में सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों का वर्णन करती है एवं मध्यप्रदेश में विकास तथा विकास के प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक विश्लेषण भी देती है। इस रिपोर्ट के प्रकाशन का उद्देश्य मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सुधार, सुप्रथाओं को उभरना तथा संदर्भ विशिष्ट कार्यवाही बिंदुओं को स्पष्ट करना है (अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, 2022)।

द) ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

इस पोर्टल को राज्य में शासन के विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन की बेस्ट प्रैक्टिसेस और नवाचार को प्रदर्शित हेतु विकसित किया गया है। मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर रोडमैप- 2023 के अंतर्गत तय किए गए आउटपुट, 'सरकार की पारदर्शिता में वृद्धि' को इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस पोर्टल पर बेस्ट प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज और नवाचारों का यह संकलन जिलों, विभागों और अन्य हितधारकों के लिए ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य कर सकेगा। विभागों एवं ज़िलों से प्राप्त बेस्ट प्रैक्टिसेस को आवश्यकतानुसार फ़ील्ड विज़िट कर सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

ई) टास्क फोर्स

प्रदेश में विकास के कार्यों को गति देने व सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर साक्ष्य आधारित अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण टास्क फोर्स जैसे GSDP टास्क फोर्स, सांख्यिकी टास्क फोर्स, IMR-MMR टास्क फोर्स व सेमी कन्डक्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन टास्क फोर्स के माध्यम से महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे मध्यप्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन का योगदान, राज्य के आंकड़ों को पुनः सशक्त करना, मप्र में आईएमआर-एमएमआर परिदृश्य में सुधार करना व मप्र में सेमी-कंडक्टर और ईएसडीएम निर्माण को बढ़ावा देना आदि पर कार्य किया जा रहा है।

13.3.2 मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लिए नीति एवं योजना सलाहकार की भूमिका निभाती है। राज्य के उज्ज्वल भविष्य के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य नीति एवं योजना आयोग मध्यप्रदेश सरकार के बौद्धिक संवर्ग के रूप में सुशासन के अभिनव तौर-तरीकों की पहचान कर संबन्धित विभागों में इन तौर-तरीकों के क्रियान्वयन एवं प्रसार हेतु रणनीतिक सलाह देने की भूमिका का निर्वहन करती है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग बतौर नोडल संस्था राज्य का प्रतिनिधित्व करती है एवं प्रदेश में केंद्रीय नीति आयोग की क्रियान्वयन संस्था के तौर पर कार्य करती है। टीम नीति, प्रदेश एवं केंद्र के साथ साझी रणनीति विकसित कर, विविध परियोजनाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के लिए वित्तीय प्रबंधन एवं लक्षित तकनीकी सहायता प्रदान कर रही हैं।

विगत वर्षों में नीति द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

अ) आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम

प्रदेश में 2018 में प्रारम्भ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में आकांक्षी विकासखंडों का व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी अधोसंरचना, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों से जुड़े 75 संकेतकों के आधार पर सभी 50 विकासखंडों में विकास का एक उच्च मापदंड प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। विकासखंड स्तर पर क्रियान्वित की जा रही यह सूक्ष्म

स्तरीय विकास पहल, सहयोग और समावेश के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त 313 विकासखंड का मई, 2018 में सर्वेक्षण कर सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा अधोसंरचना की उपलब्धता के आधार पर श्रेणीकरण किया गया तथा निर्धारित मापदंडों एवं संयुक्त सूचकांक के आधार पर 50 आकांक्षी विकासखंडों का चयन किया गया।

चिन्हांकित विकासखंडों की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में निर्धारित सांकेतकों की प्रविष्टी विकासखंड स्तर पर की जाती है। आकांक्षी विकासखंड की सतत् अनुश्रवण एवं डाटा की शुद्धता हेतु जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय समिति बनाई गई है। आकांक्षी विकासखण्डों के समग्र विकास में प्रगति हेतु योजनाओं के सतत् अनुश्रवण एवं उनके क्रियान्वयन में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के 28 अधिकारियों को "प्रभारी अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

ब) सीएम प्रगति पोर्टल

प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विकास संबन्धित परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा करने की अभिनव पहल है – "प्रगति"। इन समीक्षा बैठकों में 5 करोड़ रुपए से अधिक बजट की विविध परियोजनाओं का चुनाव किया जाता है और प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के आधार पर इन कार्यों के भौतिक प्रगति की समीक्षा कर संबन्धित चुनौतियों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था बनाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परियोजनाओं की जिलेवार समीक्षा की जाती है जिससे अंतर्विभागीय समन्वयन सुगम होता है और परियोजनाओं की प्रगति में तेजी आती है। विविध विभागों से इन परियोजनाओं की प्रगति संबन्धित जानकारियों के एकत्रण, समन्वयन, प्रमाणीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की ज़िम्मेदारी मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग (MPSPPC) की टीम निभाती है।

स) सतत् विकास लक्ष्य (SDGs)

मध्यप्रदेश सामाजिक और आर्थिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है। राज्य नीति एवं योजना आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स (सतत् विकास लक्ष्य) रिपोर्ट का विभागवार, क्षेत्रवार और संकेतकवार विश्लेषण कर एक समेकित रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट को सभी विभागों के साथ साझा किया गया है।

राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ एक साधिकार समिति का गठन किया गया है।

द) अन्य कार्य

विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2022, मध्यप्रदेश राज्य जल नीति 2022, सहकारिता नीति, आदि पर तथ्यपरक शोध के आधार पर नीति निर्माण में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा विभिन्न विभागों को नीति निर्माण में विभिन्न प्रकार से सहयोग किया जा रहा है यथा जल संसाधन विभाग के साथ मिलकर वॉटर कांक्लेव का आयोजन, CSO सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन में सहयोग किया गया।

13.4 सुशासन के लिए क्षमता संवर्धन

अ) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (MPSeDC) ने कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और सभी शासकीय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक

विशिष्ट प्रशिक्षण समन्वय इकाई (TCU) की स्थापना की है। MPSeDC द्वारा ई-गवर्नेंस और विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, सभी विभागों के सरकारी अधिकारियों हेतु, ज़िला स्तर पर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्रों (ई-दक्ष केंद्रों) के माध्यम से विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य के 51 जिलों में ई-दक्ष केंद्र स्थापित किए गए हैं। जनवरी, 2023 तक मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों के लगभग 5.8 लाख कर्मचारी ई-दक्ष केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं।

MPSeDC ने एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) भी विकसित किया है। यह एक वर्चुअल लर्निंग-आधारित ई-लर्निंग (वीएलई) प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग प्रशिक्षण और नए कौशल प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। जनवरी 2023 तक, कुल 12 विभागों द्वारा इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को संचालित किया जा रहा है। विभाग अपने स्वयं के पाठ्यक्रम बना सकते हैं और पाठ्यक्रम सामग्री अपलोड कर सकते हैं, जो वीडियो, पीडीएफ फाइलों, डॉक फाइलों आदि के रूप में हो सकती है। जनवरी 2023 तक, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) के 12 लाख से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को इस ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से शासकीय अधिकारियों और नागरिकों जोड़ा जा चुका है। मानव संसाधन क्षमता बढ़ाने के लिए इस तरह की पहल प्रभावी राज्य शासन की नींव रखती है (मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश शासन , 2023)।

ब) आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी मध्यप्रदेश शासन की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में मूलतः लालबहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में हुई थी। वर्ष 1975 में इसका नाम मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी रखा गया। 23 अप्रैल 2015 में प्रशासन अकादमी द्वारा ISO 9001:2008 प्रमाण पत्र आगामी 3 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया।

प्रशासन अकादमी राज्य सरकार एवं भारत सरकार के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ स्थानीय सरकारी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। अकादमी इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था के रुप में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में राज्य सरकार के लिये सलाहकार, प्रदेश में स्थित प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये समन्वय के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का संचालन करती रही है। यह विभिन्न प्रकार के अकादमिक विचार विमर्श, चर्चाऐं एवं लोकक्षेत्र में सहयोग स्थापित करने का कार्य भी करती है।

ब) पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (EPCO)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की स्थापना वर्ष 1981 में म.प्र. शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत एक स्वशासी संस्था के रूप में की गई थी। वर्तमान में यह नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। विगत वर्षों में एप्को पर्यावरण से संबंधित परामर्शी कार्यों में राज्य सरकार की प्रमुख संस्था है। एप्को विभिन्न परियोजनाओं में राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) दूरदर्शिता के कारण एक अनूठा संगठन है, जिसने पिछले चार दशकों वर्षों में पर्यावरण के क्षेत्र में तेजी से विकास एवं पर्यावरण समस्याओं एवं उसके निदान व पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर ध्यान केन्द्रित किया है।

स) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), जबलपुर

1987 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) अस्तित्व में आया। एक स्वायत्त आत्मनिर्भर संस्थान के रूप में, ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ पंचायत राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभी उभरती हुई

प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका विश्लेषण, डिजाइन और पूरा करने की भूमिका है।

मध्यप्रदेश राज्य में सुशासन के मानकों को बेहतर बनाने की सोच के साथ अभूतपूर्व सुधार कर रहा है। सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में सुधार सुशासन के सिद्धांतों के उद्देश्य से किए गए। चूंकि लगातार बढ़ते शासन की दिशा में अभियान हमेशा के लिए जारी रहेगा, क्षमता निर्माण पर निरंतर जोर, और नियमित निगरानी और मूल्यांकन के साथ कार्यान्वयन तंत्र में और सुधार राज्य में नीति का मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे।

संदर्भ

- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान. (2022). मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट. भोपाल : अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान.
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान. (2022). ज्ञान प्रबंधन पोर्टल. Retrieved 2023 , from अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान: https://aiggpa.mp.gov.in/knowledgemanagement
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन. (2022). मध्यप्रदेश शासन.
- गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन. (2020-21). वार्षिक प्रतिवेदन. भोपाल: मध्यप्रदेश शासन.
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन. (2023). मध्यप्रदेश शासन.
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग. (2020-21). सुशासन सूचकांक. भारत सरकार.
- मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश शासन . (2023). मध्यप्रदेश शासन.
- मध्यप्रदेश शासन. (2021). आत्म निर्भर मध्यप्रदेश. Retrieved 2023 , from आत्म निर्भर मध्यप्रदेश: https://atmanirbhar.mp.gov.in/
- महिला एवं बाल विकास विभाग. (2021-22). मध्यप्रदेश शासन.
- राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन. (2020-2021). वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन. भोपाल : मध्यप्रदेश शासन.
- राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग. (2022). मध्यप्रदेश शासन.
- लोक सेवा प्रबंधन विभाग . (2023). मध्यप्रदेश शासन.

अध्याय - 14

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अध्याय - 14

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

"आज का नया भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है।"

- माननीय श्री नरेंद्र मोदी

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आर्थिक विकास के प्रमुख संचालक हैं। जिस तरह से राज्य तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, उसे ज्ञान के उपभोक्ता से उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों के उद्भव के साथ साथ, राज्य शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट मोबिलिटी, सस्ती ऊर्जा और ग्रामीण विकास आदि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों के अंगीकरण हेतु परिवर्तन की अपनी यात्रा पथ पर अग्रसर है। साथ ही "मेक इन इंडिया" एवं "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" जैसे कदम आर्थिक विकास के लिए तकनीकी के उपयोग पर जोर देती है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक तकनीक में सरकारी दक्षता और उत्तरदायित्व में सुधार करने की क्षमता है। प्रौद्योगिकी एक बहुआयामी विचार प्रदान करती है जो भ्रष्टाचार नियंत्रण, सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी और समय सीमा में आधिकारिक प्रतिक्रिया प्रदान करती है। अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन आवेदन और प्रसंस्करण, ई-जिला पोर्टल आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्य ने सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी का अंगीकरण शुरू कर दिया है।

मध्यप्रदेश राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जून 1981 में हुई जिसका मुख्य उद्देश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से विभिन्न राज्य-स्तरीय विभागों को नवीनतम तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना हैं, ताकि मजबूत अधोसंरचना विकसित हो सके, नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं में सुधार लाया जा सके और सतत् आजीविका सुनिश्चित की जा सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (MPSEDC) और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) जैसी संस्थाएं कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम (MPSEDC) राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (IT)/आईटी इनेबिल्ड सर्विसेज (ITeS) एवं इलेक्ट्रानिक्स (EHM/ESDM) की राज्य की नीति के तहत उद्योगों की स्थापना, उन्हें प्रोत्साहन देने और उनका विकास करने का कार्य कर रहा है। वर्तमान में एमपीएसईडीसी (MPSEDC) को राज्य की नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है, जिसका दायित्व मध्यप्रदेश में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न प्रतिष्ठित प्रगतिरत आईटी परियोजनाओं जैसे आईटी पार्कों का विकास, ईएमसी (EMC), एसडब्लूएएन (SWAN), एसडीसी (SDC), परिचय, ई-आफिस, आधार इत्यादि के क्रियान्वयन का है। इसके साथ ही, यह आईटी इनपुट प्रदान करता है जिसमें विभागों/सरकारी एजेंसियों को कम्प्यूटरीकरण, नेटवर्किंग और आईटी परामर्श सेवाओं में तकनीकी सहायता शामिल है। निगम, राज्य ई-मिशन टीम (SEMT), प्रोजेक्ट ई-मिशन टीम (PEMT), सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE), डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (DeGS), प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU), प्रशिक्षण सहयोग इकाई (TCU), और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आदि के सहयोग से काम कर रहा है।

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST), अक्टूबर 1981 में मध्यप्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत राज्य की वैज्ञानिक और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने और आवश्यक नीतियों

और उपायों पर शासन को परामर्श देने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन देते हुए राज्य के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के मुख्य उद्देश्य के साथ पंजीकृत किया गया था।

14.1 नीतिगत रूपरेखा

राज्य में एक सशक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी तंत्र के निर्माण और संधारण के लिए एक सुदृढ़ नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है। राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नागरिक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह बुनियादी तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नीतियों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला के माध्यम से इस बुनियादी तंत्र के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण विज्ञान-प्रौद्योगिकी घटकों (बिल्डिंग ब्लॉक्स) का सृजन करने में सफलता पाई है। वर्ष 2022 में इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एकीकृत कर एक प्रभावी विज्ञान-प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

14.1.1 मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2022 का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है। यह मध्यप्रदेश की पहली नीति हैं जो समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता और नागरिक सेवाओं को प्रोत्साहन देने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित-संवर्धित करने तथा अनुसंधान और नवाचार की प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर जनभागीदारी बढाकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तंत्र को समावेशी बनाने की कल्पना करती है। यह नीति मुख्यतः निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है -

- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना।
- इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ब्लॉक चेन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि जैसी उभरती हुई तकनीकियों का अंगीकरण।
- डाटा का सदुपयोग।
- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का सशक्तिकरण।
- कौशल संवर्धन एवं क्षमता विकास।
- अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट संस्थानों के साथ समन्वय।

इस नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत तंत्र के रूप में एक संचालनालय की स्थापना की जाएगी तथा त्वरित प्रभाव से एक विभाग स्तरीय रणनीतिक टीम का गठन किया जाएगा। (स्त्रोत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

14.1.2 अन्य नीतियाँ

प्रदेश के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तंत्र का लाभ उठाने के लिए मध्यप्रदेश शासन के द्वारा म.प्र. डेटा शेयरिंग एण्ड एक्सेसिबिलिटी नीति 2014, मध्यप्रदेश स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति 2014, मध्यप्रदेश शासन

की ई मेल नीति 2014, टॉवर पॉलिसी 2019 जैसी विभिन्न नीतियाँ लागू की गई हैं। टावर पॉलिसी 2019, संशोधन की प्रक्रिया में है जिसमें दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2022 में जारी किए गए आरओडब्ल्यू नियम शामिल हैं। साथ ही राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना, 2016 भी लागू है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों को क्लाउड पर अपने चिन्हित सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन को होस्ट करने की एक मानक प्रक्रिया को समझने और उसका पालन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। (स्त्रोत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

14.2 मध्यप्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बजट आवंटन

वित्तीय वर्ष 2022-23 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को राज्य बजट 2,47,715.44 करोड़ रुपये से 341.12 करोड़ रुपये की बजट राशि आवंटित हुई है। पिछले 20 वर्षों की प्रवृति से यह स्पष्ट है कि विभाग के बजट आवंटन में लगभग 95 गुना की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथा राज्य के बजट ने इस समयावधि में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रमुख बजट उपयोग अनुसंधान योजना और विकास गतिविधियों, राज्य डेटा केंद्र संचालन, उन्नयन और रखरखाव, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) की स्थापना, आईटी पार्कों की स्थापना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्रों, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, और NIC केंद्र आदि के संचालन के लिए अनुदान के क्षेत्रों में है।

चित्र 14.1: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बजट आवंटन की प्रवृति

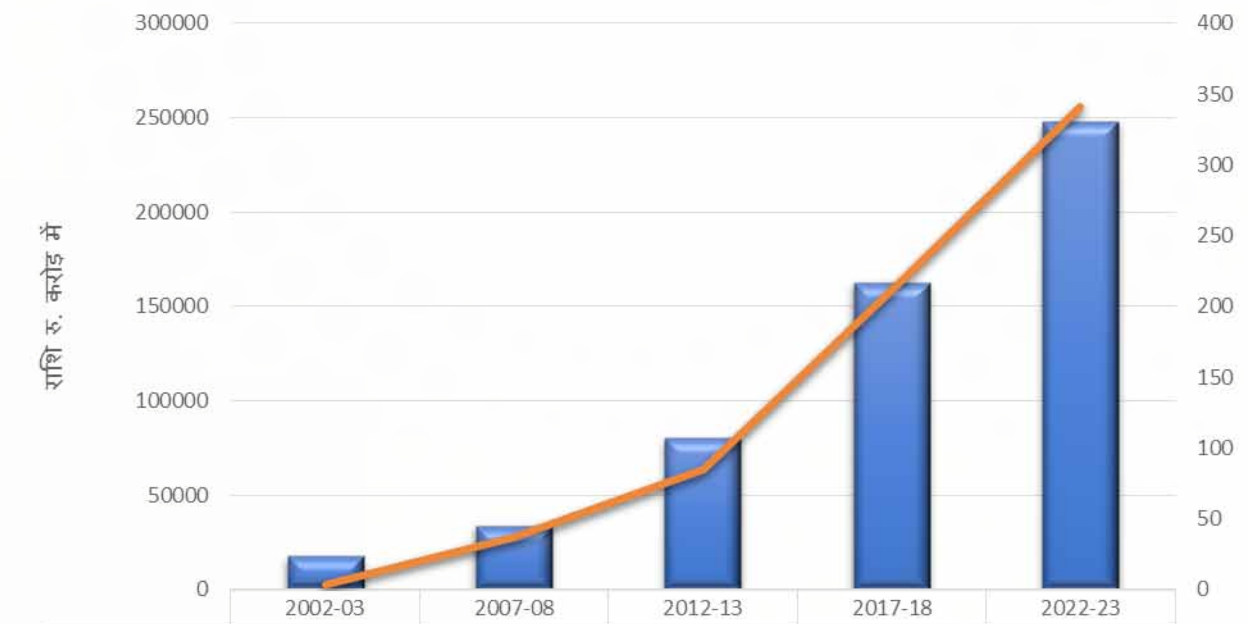

	2002-03	2007-08	2012-13	2017-18	2022-23
MP Budget	17495.4	33590.75	79920.69	162709.5	247715.44
S&T Budget	3.6	36.8	84.6	211.53	341.12

स्त्रोत : वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, https://finance.mp.gov.in दिनांक 05.02.2023 के अनुसार

1. वित्त वर्ष का बजट 2002-03, 2007-08 और 2012-13 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त आंकड़े शामिल है।
2. दिनांक 28.07.2014 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का विलय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में हो गया था।
3. वित्तीय वर्ष 2002-03, 2007-08, 2012-13 और 2017-18 की राशि बजट पुस्तकों के अनुसार वास्तविक (लेखा) आंकड़े हैं।
4. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मप्र राज्य का बजट अनुमान (ब.अ.) है, और उसी वर्ष के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का पुनरीक्षित अनुमान (पु.अ.) है, जैसा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया गया है।

14.3 मध्यप्रदेश में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र

14.3.1 अनुसंधान एवं विकास में केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों का योगदान

एसटीआई (STI) पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, राज्य में 29 केंद्र सरकार के संस्थान हैं, जिनमें सीएसआईआर (CSIR)- एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टिट्यूट (AMPRI), भोपाल, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER), भोपाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), भोपाल आदि हैं। अनुसंधान और विकास में योगदान करते हुए, सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल ने "आधुनिक आवास और संरचनाओं के लिए बांस सम्मिश्र" बनाने की जानकारी विकसित की है, तथा बांस सम्मिश्र पर भारतीय पेटेंट दायर किया गया है। आईआईएसईआर, भोपाल ने भी अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पिछले 10 वर्षों के दौरान अन्य संस्थानों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि जीव विज्ञान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान आदि में 24 पेटेंट प्राप्त हुए हैं। इसी तरह, आईआईटी, इंदौर को पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बायोसाइंसेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आदि में 23 पेटेंट प्राप्त हुए हैं। (स्त्रोत: कॉमपेंडीयम ऑन स्टेट लेवल इकोसिस्टम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, वर्ष 2022, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, सीएसआईआर – एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टिट्यूट (एएमपीआरआई), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल, वेबसाइट दिनांक 19.02.2023 के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर वेबसाइट, दिनांक 19.02.2023 के अनुसार)

आईसीएआर - राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल एक्सोटिक/ इमर्जिंग पैथोजन्स (Exotic/ Emerging Pathogens) हेतु रिपॉजिटरी और डेटा-बैंक के निर्माण और निरंतर अपडेट का कार्य तथा एक्सोटिक, इमर्जिंग एवं रीइमर्जिंग वाले पशु रोगों पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करता है। (स्त्रोत: राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल वेबसाइट, 20.02.2023 के अनुसार) आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ (एनआईआरटीएच), जबलपुर जनजातीय जनसंख्या स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे पोषण संबंधी विकार, सामान्य संचारी और गैर-संचारी रोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य चुनौतियों आदि पर शोध करता है। (स्त्रोत: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ (एनआईआरटीएच), जबलपुर वेबसाइट, दिनांक 20.02.2023 के अनुसार)

14.3.2 मध्यप्रदेश में अटल टिंकरिंग लैब्स

अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला (ATL) की स्थापना की जा

रही है ताकि “भारत में दस लाख बच्चों को आधुनिक अन्वेषकों (Neoteric Innovators) के रूप में तैयार किया जा सके।” इस योजना का उद्देश्य युवाओं में जिज्ञासा, आविष्कार करने की प्रवृति और रचनात्मकता के साथ-साथ डिजाइन एवं कम्प्यूटेशनल सोच, अनुकूलनीय शिक्षा और फिजिकल कंप्यूटिंग जैसी क्षमताओं को विकसित करना है। भारत में स्थापित कुल 10,000 परिचालित ATL में से, मध्यप्रदेश में जुलाई 2022 तक 601 ATL स्थापित हो चुके हैं और राज्य के 601 ATL में से 145 ATL मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य जिलों में स्थित हैं। (स्त्रोत: अटल इनोवेशन मिशन, भारत सरकार वेबसाइट दिनांक 05.02.2023 के अनुसार)

चित्र 14.2: मध्यप्रदेश में अटल टिंकेरिंग लैब्स की संख्या

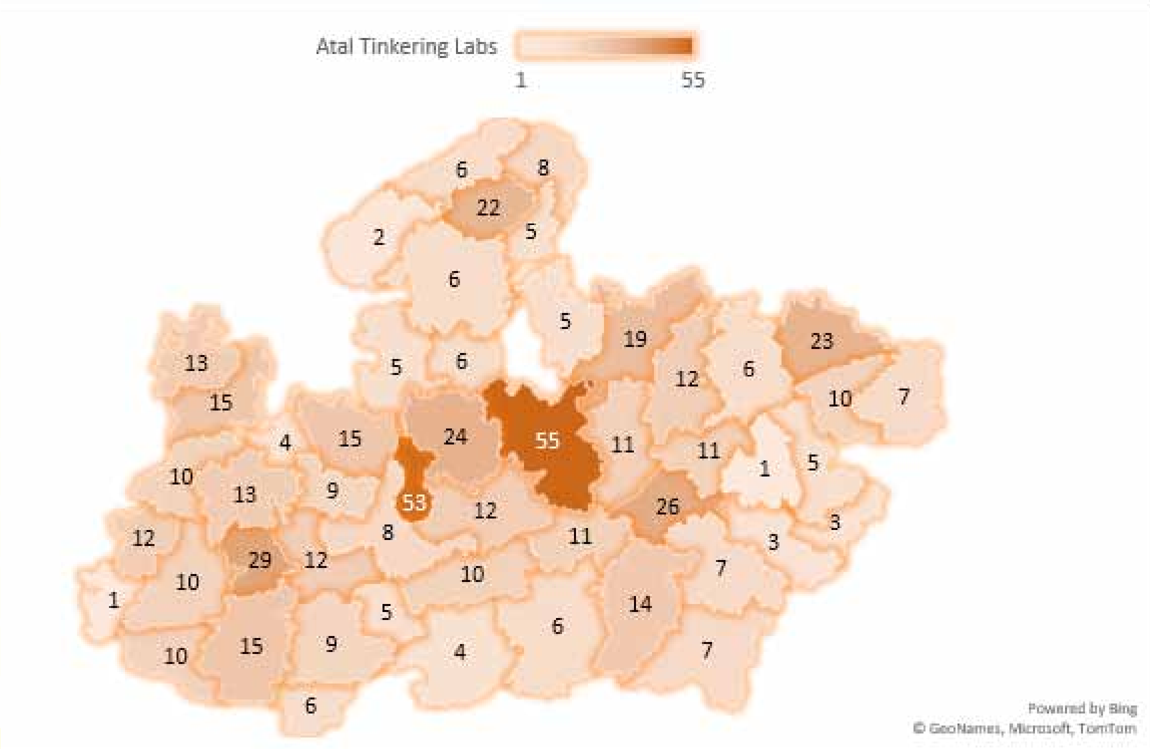

स्त्रोत: अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार, https://aim.gov.in/pdf/OperationalATLsInIndia.pdf 05.02.2023 के अनुसार

14.3.3 मध्यप्रदेश में इन्क्यूबेशन सेंटर्स

इन्क्यूबेशन सेंटर्स ऐसे संस्थान हैं जो स्टार्टअप्स के विकास और उन्नति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं और उनके शुरुआती चरण में एक संरक्षक के रूप में, स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य नए स्टार्टअप्स के अस्तित्व और विकास में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, उद्यमशीलता का वातावरण विकसित करना, नई तकनीकों का व्यावसायीकरण, व्यवसायों की स्थापना और रखरखाव करना, स्थानीय उद्योग में विकास का निर्माण कर गतिशीलता लाना एवं अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाना है।

मध्यप्रदेश में, जनवरी 2023 तक इन्क्यूबेशन सेंटर्स की कुल संख्या 32 है जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में उद्यमियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

32 इन्क्यूबेशन सेंटर्स में से, तीन इन्क्यूबेशन सेंटर एआईसी आरटेक सोलोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एआईसी आरएनटीयू फाउंडेशन और एआईसी प्रेस्टीज इंस्पायर फाउंडेशन, अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (AIC) का हिस्सा हैं।

(स्त्रोत: अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार वेबसाइट दिनांक 05.02.2023 के अनुसार, तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वेबसाइट दिनांक 06.02.2023 के अनुसार)

14.3.4 मध्यप्रदेश में स्टार्ट-अप

मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में धीरे-धीरे बढ़ी है। राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2018 में 289 से बढ़कर वर्ष 2022 में 409 से ज्यादा हो गई हैं। (स्त्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, वेबसाइट दिनांक 06.02.2023 के अनुसार)

तालिका 14.1: विगत पांच वर्षों में मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप की प्रवृत्ति

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022
मध्यप्रदेश	289	329	425	558	409*

स्त्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/state-startup-policies.html दिनांक 06.02.2023 के अनुसार एवं प्रेस सूचना ब्यूरो https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1843897 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार

*स्त्रोत में उपलब्ध डेटा 30 जून 2022 तक अपडेट किया गया है। इसलिए साल के अंत तक कुल आंकड़ा और अधिक होने की संभावना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कुल संख्या 2743 है।

14.3.5 मध्यप्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

मध्यप्रदेश ने पेटेंट एवं डिजाइन फाइलिंग में सकारात्मक सुधार किया है। भारत में, फाइल और स्वीकृत पेटेंट की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। भारत में फाइल पेटेंट की संख्या वर्ष 2017-18 में 47,854 से 22.25% बढ़कर वर्ष 2020-21 में 58,503 हो गई, जबकि वर्ष 2017-18 में मध्यप्रदेश में 190 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 398 हो गई है इसमें 109.47% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस आँकड़े के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश ने अपनी पेटेंट फाइलिंग दर में वृहद सुधार किया है, जो अब राष्ट्रीय वृद्धि दर से 87.22% अधिक है। भारत में दायर डिजाइनों की संख्या वर्ष 2017-18 में 11,838 से 20.29% बढ़कर वर्ष 2020-21 में 14,241 हो गई, जबकि वर्ष 2017-18 में मध्यप्रदेश में 61 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 214 हो गई, इसमें 250.82% की वृद्धि हुई है।

इस आँकड़ें से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश ने डिजाइन फाइलिंग में काफी सुधार किया है और यह राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 230.59% अधिक है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, पेटेंट और डिजाइन फाइलिंग की दर राष्ट्रीय स्तर पर लगभग स्थिर है, लेकिन मध्यप्रदेश की उत्प्रेरक रणनीति में अत्याधिक सुधार हुआ है। मध्यप्रदेश को विगत पांच वर्षों में तीन जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, जिसमे बालाघाट का चिन्नौर राइस, झाबुआ का कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट और महोबा का देसावरी पान (जिसे उत्तरप्रदेश के साथ साझा किया गया है) सम्मलित है।

तालिका 14.2: मध्यप्रदेश द्वारा फाइल किये गए आईपीआर की संख्या

(आंकड़े संख्या में)

क्रमांक संख्या	वित्तीय वर्ष	दायर किये गए पेटेंट		दायर किये गए डिजाइन	
		भारत	मध्यप्रदेश	भारत	मध्यप्रदेश
1	2017-18	47,854	190	11,838	61
2	2018-19	50,659	194	8,864	62
3	2019-20	56,267	285	9,706	127
4	2020-21	58,503	398	14,241	214

स्रोत : एमपीसीएसटी द्वारा भारतीय पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित

चित्र 14.3 : विगत 5 वर्षों में फाइल किये गए पेटेंट की प्रवृति

स्रोतः एमपीसीएसटी, भारतीय पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित

चित्र 14.4: विगत 5 वर्षों में दायर किये गए डिजाईन की प्रवृति

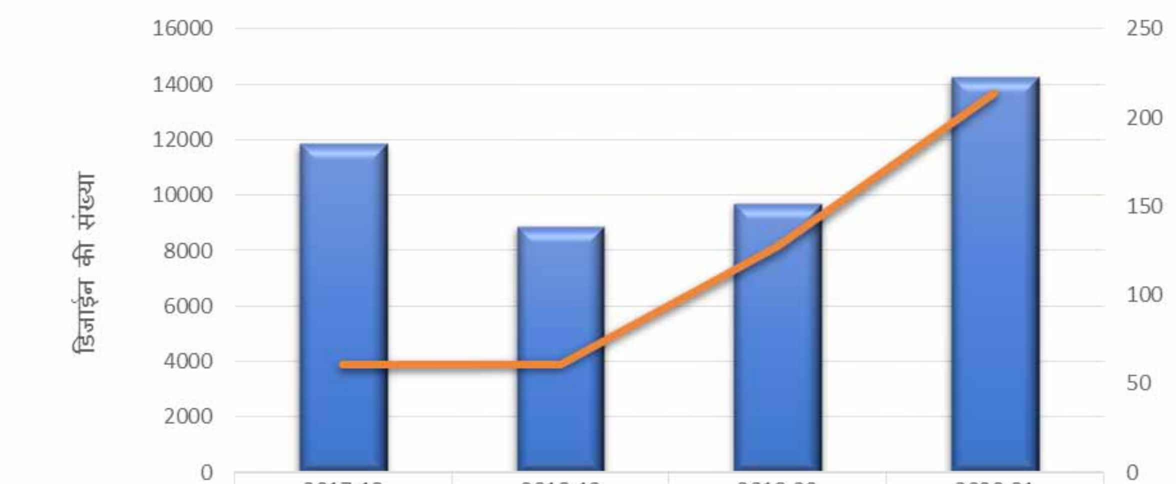

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Design Filed	11838	8864	9706	14241
Design Filed	61	62	127	214

स्रोतः एमपीसीएसटी, भारतीय पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार के आंकड़ों पर आधारित

14.3.6 मानव पूँजी

मध्यप्रदेश में पीएचडी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कुल छात्र नामांकन नीचे दी गई तालिकानुसार है। पिछले 5 वर्षों के आँकड़ों की प्रवृति से स्पष्ट है की मध्यप्रदेश में पीएचडी छात्रों के नामांकन में 88.05% और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 81.26% की वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में, पाठ्यक्रमों में समग्र महिला छात्रों का नामांकन पुरुष छात्रों की तुलना में अधिक था, अर्थात पीएचडी में पिछले 5 वर्षों में 92.91% महिला और 84.91% पुरुष छात्रों की वृद्धि हुई हैं तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 83.75% महिला और 78.46% पुरुष छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई हैं। मध्यप्रदेश, अब विभिन्न क्षेत्रों में शोधोन्मुखी छात्रों के महत्वाकांक्षी गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

तालिका 14.3: नामांकित पीएचडी और स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या

(आंकड़े संख्या में)

	पीएचडी			स्नातकोत्तर		
वित्तीय वर्ष	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2016-17	1988	1284	3272	89227	100343	189570
2017-18	2427	1558	3985	95923	110113	206036
2018-19	2383	1710	4093	100896	121265	222161
2019-20	3006	2441	5447	125638	159465	285103
2020-21	3676	2477	6153	159236	184377	343613

स्रोत : उच्च शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट (वर्ष 2016-2020)

14.4 विज्ञान लोकप्रियकरण के प्रयास

14.4.1 भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ)

मध्यप्रदेश शासन ने 21 से 24 जनवरी, 2023 तक 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) की मेजबानी प्रथम बार की, जिसमें मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद नोडल संस्थान था। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रेषित होना इस चार दिवसीय उत्सव का विषय था, जिसका उद्देश्य आमजन के बीच विज्ञान के प्रति आनंदमय और मनोरंजक तरीके से जागरूकता और प्रसार करना था जो स्वस्थ, समृद्ध और सार्थक जीवन के लिए आवश्यक हैं।

पूरे भारत से 2,500 से अधिक विद्यालयीन छात्रों ने इस महोत्सव में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, महोत्सव में बायोटेक और एग्री-टेक स्टार्ट-अप शामिल हुए थे। साथ ही, आईआईएसएफ में स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए स्मार्ट और ज्ञानवर्धक खिलौने भी प्रदर्शित किए गए।

14.4.2 12वां विज्ञान फिल्म महोत्सव भोपाल

सिनेमा के माध्यम से विज्ञान की आमजन तक पहुंच का उत्सव मनाने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने 22-26 अगस्त, 2022 के दौरान 12वें विज्ञान फिल्म महोत्सव की मेजबानी की, जहां नोडल संस्थान विज्ञान प्रसार और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) थे। इसके अंतर्गत विज्ञान फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ-साथ, विज्ञान संचार माध्यम को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हेतु मास्टर कार्यशालाओं और पैनल चर्चाओं में विशेषज्ञों ने भाग लिया।

14.5 विशिष्ट एवं नवीन पहल

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के एक पूल के साथ राज्य में अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में कार्यरत है।

राज्य एवं केंद्र प्रवर्तित योजनायें/परियोजनाएं

(स्त्रोत: प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2021-22, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

14.5.1 सुशासन हेतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI)

उत्कृष्टता केंद्र

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षताओं को विकसित करने और राज्य में नवाचार और विश्व स्तरीय आईटी समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम के अधीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट एवं मध्यप्रदेश स्पैटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) कार्यरत है, जो अब तक 400 से अधिक वेब साइट/पोर्टल/मोबाइल एप्लीकेशन आदि विकसित कर चुका है।

ई-गिरदावरी

मध्यप्रदेश, "ई-गिरदावरी" परियोजना विकसित करने वाला, देश का पहला राज्य है जिसने, MPSSDI द्वारा विकसित फसल "ई-गिरदावरी" परियोजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य AI/ML के माध्यम से गिरदावरी के

संचालन को बेहतर ढंग से लागू तथा प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस पहल में उपग्रह और अन्य नई तकनीकों को AI/ML प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कर फसल ई-गिरदावरी मॉडल का विकास किया गया हैं। फसल गिरदावरी परियोजना में मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपग्रह से प्राप्त सूचना और फसल सर्वेक्षण रिकॉर्ड का उपयोग करके फसल प्रकार की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल को प्रशिक्षित किया गया है। एमपी किसान एप के माध्यम से किसान अपनी फसल का पंजीकरण स्वयं करा सकते हैं, और तत्पश्चात बेमेल फसल (मशीन लर्निंग एवं किसान) की जानकारी पर पटवारी अंतिम गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करता है। फसल गिरदावरी प्रक्रिया में रबी मौसम के लिए ऑप्टिकल उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया हैं जबकि बादल की उपस्थिति के कारण खरीफ मौसम के लिए राडार (SAR) डेटा का उपयोग किया गया हैं। एमएल मॉडल को रबी मौसम के लिए गेहूं, चना, सरसों, कपास और मटर जबकि खरीफ मौसम के लिए धान और सोयाबीन की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया है। यह मॉडल वर्ष 2021, से रबी और खरीफ फसल मौसम में गिरदावरी के लिए राजस्व विभाग द्वारा अपनाई जा रही है।

चित्र 14.5: ई-गिरदावरी परियोजना का प्रक्रिया प्रवाह

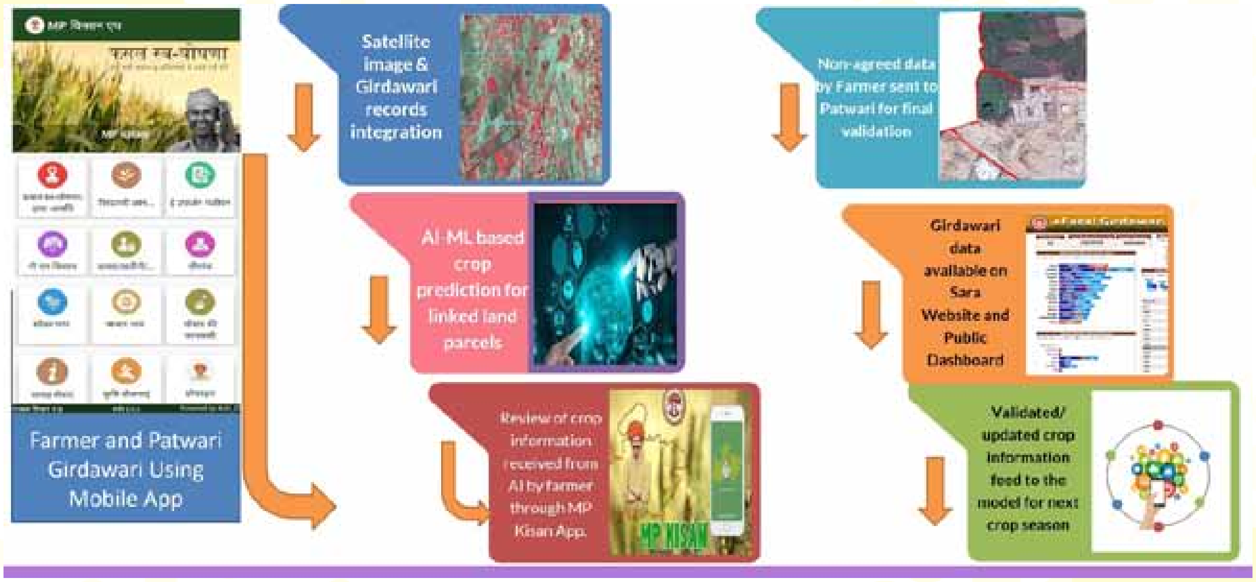

स्त्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम

आपदा चेतावनी प्रतिक्रिया प्रणाली (Disaster Warning Response System)

आपदा चेतावनी प्रतिक्रिया प्रणाली (DWRS) पोर्टल की संरचना त्रि-स्तरीय बनाई गयी है, अर्थात जिला स्तर मे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (DCCC), प्रदेश स्तर पर स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (SCCC) और मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन सिचुएशन रूम (VBSR) जो GIS तकनीक पर आधारित है, तथा वेब एप्लीकेशन (Web-application), मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile-application) एवं विभिन्न डिजिटल फीड (feed) एवं डैशबोर्ड (dashboard) की सुविधा से लैस है, जिससे संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों को देखने, अलर्ट भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, सभी 52 जिला मुख्यालयों में स्थित DCCC को SDERF मुख्यालय स्थित से, एवं सचिवालय स्थित VBSR को भी DWRS के माध्यम से एकीकृत किया गया है। यह प्रणाली मध्यप्रदेश क्षेत्र के नर्मदा बेसिन में नदी घाटियों, जल निकासी, सड़कों, रेलवे लाइन, बस्तियों, तथा अधोसंरचनाओं को दिखाती है। जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों/बस्तियों की भविष्यवाणी करने की सुविधा

प्रदान करना, संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट की गई घटना, बांध और नदी - जल स्तर के विवरण, मानचित्र पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखने और प्रतिक्रिया देने की सुविधा देता है तथा अधिकारियों द्वारा जमीनी डेटा जोड़ने की भी सुविधा देता है, ताकि वास्तविक जमीनी विवरण को देखा जा सके और उसके अनुसार योजना कार्यों का विश्लेषण किया जा सके।

चित्र 14.6: आपदा चेतावनी प्रतिक्रिया प्रणाली का स्क्रीनशॉट

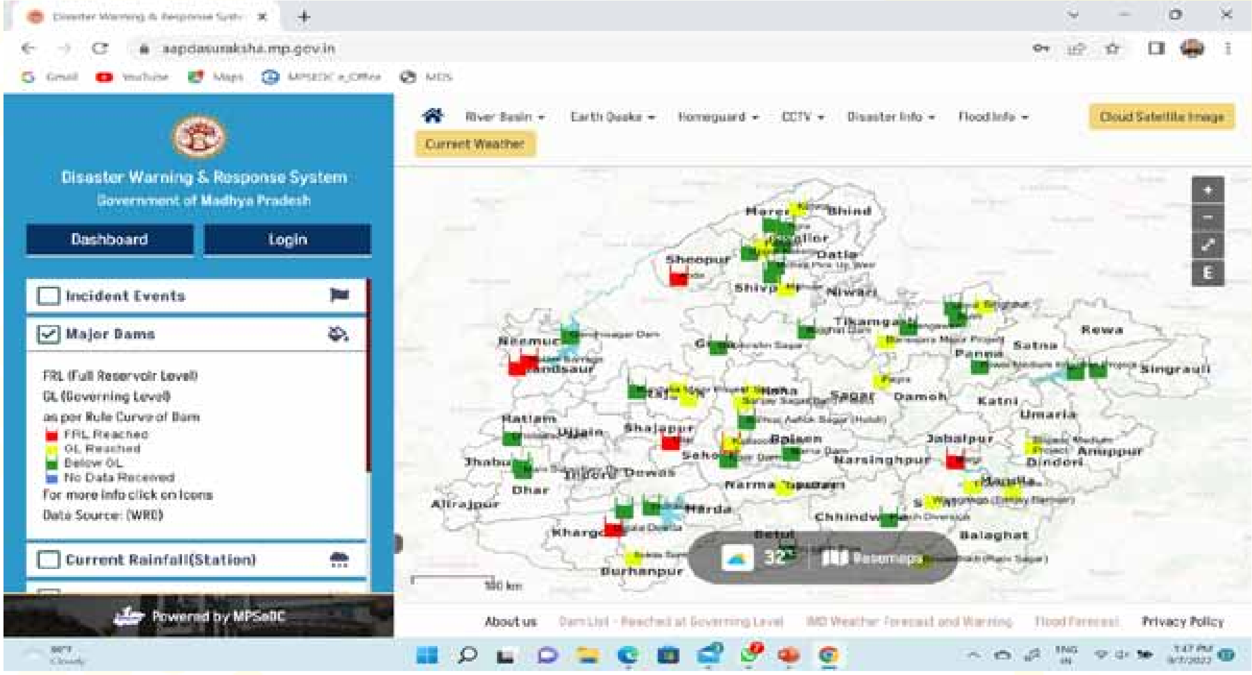

स्त्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम

ड्रोन

एमपीएसएसडीआई (MPSSDI) द्वारा ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का सुचारू रूप से उपयोग किया जा रहा है। 18 अप्रैल 2022 को मप्र शासन के आदेशानुसार एमपीएसईडीसी को राज्य में ड्रोन तकनीक के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। ड्रोन के अनुप्रयोगों और उपयोगकर्ताओं की चिन्हांकन के उद्देश्य से MPSEDC ने लगभग 15 से ज्यादा क्षेत्रों में 30 से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करके ड्रोन के उपयोग एवं मानक एवं प्रोटोकाल निर्धारित किए तथा सम्बंधित विभागों के साथ साझा किए गए है। जिला स्तर पर ड्रोन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में ड्रोन तकनीकी में नवाचार करने हेतु ₹10 लाख प्रतिवर्ष तक की राशि उपयोग करने हेतु प्रावधान किया गया है।

चित्र 14.7 : ड्रोन उपयोगकर्ता एवं अनुप्रयोग

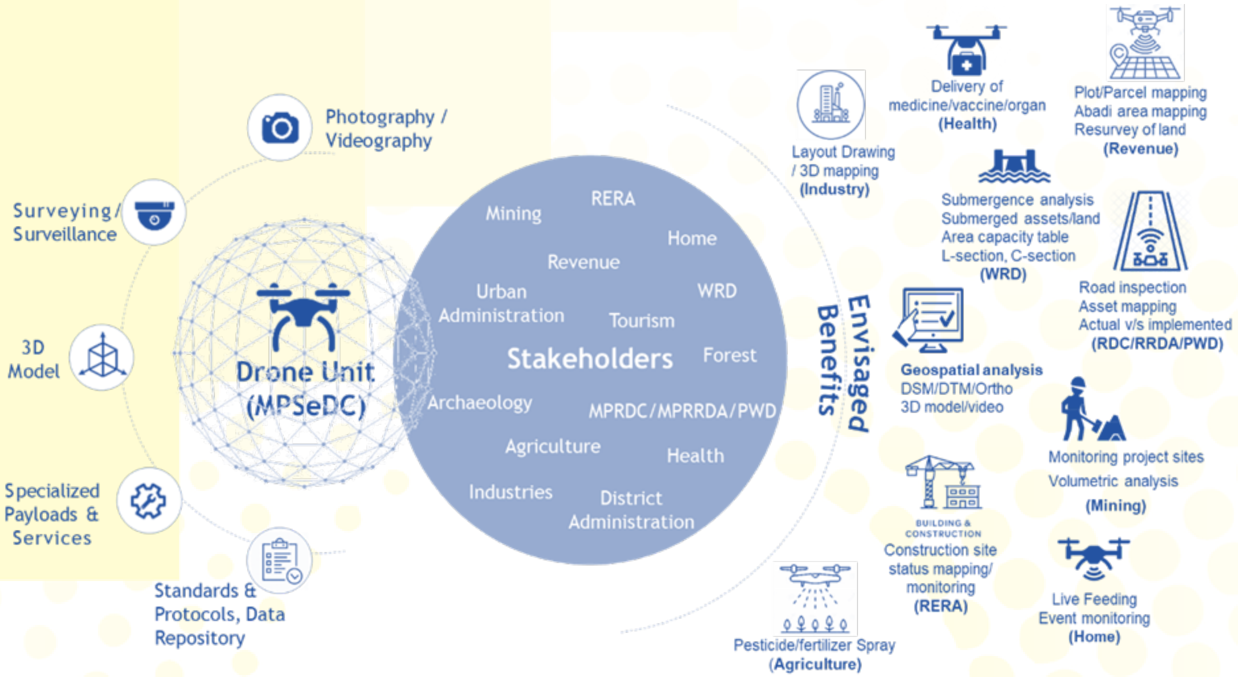

स्त्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम

साइबर तहसील

देश में पहली बार मध्यप्रदेश द्वारा रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ''साइबर तहसील'' की व्यवस्था की गई है, जिससे नामांतरण की प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है। इसमें राज्य के नागरिकों को क्रॉपलेस और कॉन्टैक्टलेस म्यूटेशन ऑफ लैंड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

एमपी परिचय (MP Parichai)

एमपी परिचय (पूर्व में MP SRDH के नाम से जाना जाता था) – यूआईडीएआई (UIDAI) "यूनीक आईडी" आधारित पहचान प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करने वाला एक व्यापक अनुप्रयोग है। एमपी परिचय के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों को आधार प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाती है।

एकल नागरिक डेटाबेस

एकल नागरिक डेटाबेस जिसे 'समग्र' के रूप में भी जाना जाता है, एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसकी अवधारणा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शासन से नागरिक (G2C) के बीच संपर्क में सुधार के लिए की गई है। समग्र के माध्यम से श्रमिक संवर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले, वृद्धावस्था, पुत्रियों, विधवाओं, परित्यक्त एवं निशक्तजनों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। इस डेटाबेस में 81 मिलियन सदस्यों वाले 20.6 मिलियन परिवारों का पंजीकरण है।

गतिशक्ति संचार पोर्टल

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने “गतिशक्ति संचार पोर्टल” बनाया है, जो एक एकल इंटरफेस के माध्यम से राइट ऑफ वे (RoW) आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार सहित सभी हितधारकों के बीच एक सहयोगी संस्थागत तंत्र है।

ई-टेंडरिंग

अधोसंरचना विभागों से संबंधित विभिन्न कार्यों के प्रकाशन, बिक्री और निविदा दस्तावेजों को खोलने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग एक बहुत ही विश्वसनीय तकनीक है। ई-निविदा परियोजना के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) का चयन किया गया है और ई-निविदा प्रणाली के लिए एनआईसी का पोर्टल (GEPNIC) उपयोग किया गया है। पोर्टल पर प्रकाशित कुल निविदाएं (नवंबर 2018 से जनवरी 2023 तक) 2,73,495 हैं, जिनका मूल्य रु. 5,77,553 करोड़ हैं, जिसमें से 1,19,073 निविदाएं प्रदान की गई हैं। इस प्रणाली के लाभों में निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति शामिल है।

राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन

MPSEDC की तकनीकी सहायता के साथ, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश, पूरे राज्य में मौजूद उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित कर रहा है। इस तकनीकी सहायता में प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) हार्डवेयर, एप्लिकेशन डेवलपमेंट और कस्टमाइजेशन, पीओएस हार्डवेयर का रखरखाव, प्रशिक्षण, हेल्पडेस्क सहायता, परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडल स्तरीय तकनीकी सहायता, प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि शामिल हैं। एमपीएसईडीसी के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्तमान में ऐसी 26457 उचित मूल्य की दुकानें हैं।

आधार नामांकन

राज्य में आधार नामांकन के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2022 तक अनुमानित आबादी के 99% लोगों का आधार पंजीकरण हो चुका है।

चुनाव के लिए राज्य स्तरीय एजेंसी (SLA)

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि. (एमपीएसईडीसी) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, भोपाल के लिए वर्ष 2002 से राज्य स्तरीय एजेंसी (SLA) के रूप में, तथा राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के लिए वर्ष 2015 से कार्य कर रहा है। वर्ष 2025 तक निगम ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसी (SLA) के रूप में नियुक्त किया गया है। एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, जून 2013 से फरवरी 2023 तक कुल 3.10 करोड़ पीवीसी ई.पी.आ.ई.सी. (वोटर आईडी कार्ड) प्रिंट किए गए।

एमपी कोड (M.P. Code) पोर्टल

यह पोर्टल MPSEDC द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल में राज्य के विधान, उनके अधीन बनाए गए नियम, स्वतंत्र रूप से बनाए गए राज्य के नियम, कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय कानूनी प्रावधान और उसमें किए गए राज्य संशोधन शामिल हैं। यह अद्यतन रूप में उपलब्ध है। अपेक्षाकृत है कि यह न केवल कानूनी क्षेत्र के लोगों अर्थात न्यायाधीशों, वकीलों, विधिक छात्रों और शोधार्थियों के लिए उपयोगी होगा बल्कि विधायिकाओं, जनप्रतिनिधियों और आम जन के कार्य में समय की बचत करेगा।

तालिका 14.4: एमपी कोड पोर्टल की वर्तमान स्थिति

(आँकड़ें संख्या में)

संख्या	दस्तावेज	कुल अभिलेख (हिंदी)	कुल अभिलेख (अंग्रेजी)	कुल योग
1	अधिनियम	497	645	1142
2	नियम	761	740	1501
3	विनियमन	48	58	106
4	अधिसूचना	147	316	463
5	निरस्त अधिनियम	6	11	17
6	परिपत्र	32	358	390
7	आदेश	51	234	285
कुल योग		1542	2362	3904

स्त्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

कंप्यूटर प्रोफीसियेंशी सर्टिफिकेशन टेस्ट (CPCT)

शासन ने सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों की कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग कौशल का आकलन करने के लिए राज्य में कंप्यूटर प्रोफीसियेंशी सर्टिफिकेशन टेस्ट अनिवार्य कर दी है, जिसके लिए नोडल संस्था MPSEDC हैं। उम्मीदवारों की प्रवीणता का मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और टाइपिंग टेस्ट (हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग) शामिल हैं। ऑपरेटर / सहायक ग्रेड -3 / स्टेनोग्राफर / स्टेनो टाइपिस्ट / डाटा एंट्री / आई.टी. ऑपरेटर तथा मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के ऑपरेटर और इसी तरह के पद जहां कंप्यूटर प्रवीणता और टाइपिंग कौशल प्राथमिक योग्यता है, कंप्यूटर प्रोफीसियेंशी सर्टिफिकेशन टेस्ट (CPCT) उत्तीर्ण करना एक आवश्यक योग्यता है। MPSEDC के अनुसार, सीपीसीटी में उपस्थित होने वाले कुल उम्मीदवार 500000 हैं, जिनमें से 236600 सीपीसीटी में उत्तीर्ण हुए हैं।

नागरिक सेवाओं के प्रभावी और कुशल वितरण के लिए, अन्य ई-गवर्नेंस पहलें जैसे सीएम डैशबोर्ड, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल और एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल मौजूद हैं और इन पहलों के विस्तृत विवरण के लिए, अध्याय - "मध्यप्रदेश में सुशासन" का सन्दर्भ लिया जा सकता हैं।

14.5.2 डिजिटल अधोसंरचना

मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI)

राज्य में जीआईएस तकनीक के सतत उपयोग हेतु MPSEDC में मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) की स्थापना की गई है। इसका प्राथमिक लक्ष्य जीआईएस का मानकीकृत डेटा की एकल स्थानिक डेटा रेपॉज़िटरी तैयार करना, रिमोट सेंसिंग डेटा का प्रदेश के फ्रेमवर्क अनुसार जियो रेक्टिफीकेशन (geo-rectification) कर डेटा रेपॉज़िटरी का निर्माण, विभिन्न शासकीय विभागों को जीआईएस प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करना हैं। इस अधोसंरचना में 150 से अधिक जीआईएसडेटा लेयर एवं 3.5 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ़ इंटरेस्ट (Point of interest) की डेटा रेपॉज़िटरी तैयार की गयी है। जिसका अद्यतन सतत रूप से किया जाता

है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न विभागों हेतु GIS आधारित वेब स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणालियों का निर्माण भी किया जा रहा है।

स्वान (SWAN) नेटवर्क कवरेज

एमपी (MP) स्वान (SWAN) को सभी 52 जिलों और 349 विकासखंड/तहसील के साथ-साथ सभी सरकारी कार्यालयों/संस्थानों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। यह नेटवर्क मध्यप्रदेश शासन के संबंधित विभाग को उनके कार्यालयों को एकीकृत करने के लिए एक सामान्य बुनियादी ढांचे के रूप में एमपी स्वान का उपयोग करने में मदद करेगा और इस प्रकार संचार के प्रभावी साधनों में सहायता प्रदान करेगा। यह संचार के साधनों में सुधार करेगा और नागरिक एवं शासन के बीच की दूरी को कम करेगा, जो निश्चित रूप से प्रभावी प्रशासन और लागत में कमी लाने में सहायक होगा। वर्तमान में, पूरे स्वान नेटवर्क का प्रबंधन MPSEDC टीम द्वारा किया जाता है और नेटवर्क स्पेशलिस्ट टीम भी एंड-लेवल सपोर्ट में शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 401 प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) साइट विकसित की गई है। MPSWAN आवश्यकताओं के मूल्यांकन और विश्लेषण के अनुसार, नेटवर्क उपकरण को SD-WAN (सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क) के साथ अपग्रेड किया गया है, जो समान नेटवर्क उपकरण को बदलकर MPSWAN आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। एसडी-स्वान काफी हद तक उपलब्ध डेटा परिवहन तंत्र से स्वतंत्र है और उच्च सुरक्षा मानक प्रदान करता है। स्वान नेटवर्क को राज्य सरकार द्वारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (CII) के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है।

आईटी पार्क

राज्य के चार सबसे बड़े शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर) में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर आईटी पार्क विकसित किए गए हैं। लगभग 400 एकड़ भूमि (भोपाल में 204 एकड़, ग्वालियर में 20.76 एकड़, जबलपुर में 63 एकड़ और इंदौर में 112 एकड़) आवंटित की गई है, जिसमें से 90 एकड़ (50 एकड़ भोपाल में और 40 एकड़ जबलपुर में) इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए अलग रखा गया है। पिछले 5 वर्षों में इन आईटी पार्कों में कुल 161.49 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इन आईटी पार्कों में स्थापित उद्योगों में पिछले 5 वर्षों में 14473 कर्मियों को रोजगार मिला है। सभी आईटी पार्कों में 220 इकाइयों के कुल 270 भूखंड आईटी/आईटीईएस निवेश के लिए आवंटित किए गए हैं।

राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर

राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की परियोजना (भारत सरकार द्वारा) जो राज्य के भोपाल एवं जबलपुर में प्रस्तावित है, में भारत सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा, राज्य सरकार का 25 प्रतिशत और औद्योगिक इकाइयों का 25 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है। परियोजना के संचालन के लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) का गठन किया गया है।

स्टेट डाटा सेंटर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत भोपाल में राज्य स्तरीय स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना की गयी है। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (MPSEDC) को सौंपा गया हैं। वर्तमान में, राज्य के डाटा सेंटर के प्रबंधन, उन्नयन, परिचालन एवं संधारण का दायित्व केवल राज्य शासन का हैं।

इंटरनेट कनेक्शन वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत

भारतनेट, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना, प्रबंधन और संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान किया है, जिसका उद्देश्य देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम 100 मेगाबिट्स प्रति सेकंड प्रदान करना है। मध्यप्रदेश में, अप्रैल-नवंबर 2022 तक, 78.51% ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हैं। भारत सरकार ने ग्राम स्तर पर सरकारी संस्थानों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाने के लिए बीएसएनएल को ₹185 करोड़ का अनुदान प्रदान किया।

14.5.3 शिक्षा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI)

एडुसैट हब

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) में स्थापित एडुसैट हब के माध्यम से विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए सेटेलाइट तकनीक, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से प्रायोगिक विज्ञान को विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों तक रोचक बनाकर प्रसारित किया जाता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून इसरो के भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परिषद के एडुसैट नेटवर्क पर आयोजित किए गए हैं। परिषद में स्थापित EDUSAT हब में IIRS, देहरादून और विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली से प्रसारित वैज्ञानिक कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस), देहरादून के सहयोग से आईआईआरएस आउटरीच कोर्स आयोजित करने के लिए MPCST के एडुसैट डिवीजन को नोडल संस्थान के रूप में नामांकित किया गया है। इसी कड़ी में परिषद का एडुसैट प्रभाग वर्ष 2022 में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए भोपाल में एडुसैट प्रभाग के माध्यम से इसरो के आउटरीच कोर्स आईआईआरएस का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2022 में, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस और संबंधित हाई-टेक विषयों पर नौ अत्याधुनिक आउटरीच पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं-

1. भू अवलोकन (EO) और जियोडेटा हैंडलिंग और प्रोसेसिंग हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) (Artificial Intelligence (AI) for Earth Observation (EO) and Geodata Handling and Processing)
2. सुदूर संवेदन और जीआईएस प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांत (Fundamentals of Remote Sensing and GIS Technology)
3. ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का अवलोकन (Overview of Global Navigation Satellite System)
4. भौगोलिक सूचना प्रणाली का अवलोकन (Overview of Geographical Information System)
5. जियो संगणना और जियो-वेब सेवाओं का अवलोकन (Overview of Geo computation and Geo-web Services)
6. पेलियोचैनल अध्ययन में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग: संभावित और भविष्य के रुझान (Applications of Geospatial Technology in Paleochannel Studies: Potential and Future Trends)

7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में RS और GIS अनुप्रयोग (RS & GIS Applications in Natural Resource Management)
8. यूएवी रिमोट सेंसिंग (UAV Remote Sensing)
9. भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया आधारित मॉडल का उपयोग करके हाइड्रो-मौसम संबंधी जोख़िम की निगरानी और मॉडलिंग में प्रगति (Advances in Monitoring and Modeling of Hydro-Meteorological Hazards using Geospatial Technology and Process based Models)

ISRO चिकित्सा शिक्षा नेटवर्क

चिकित्सा शिक्षा के तहत, इसरो से प्रसारित कार्यक्रम को कार्यात्मक टेलीमेडिसिन केंद्रों में प्रदर्शित करने के लिए समन्वित किया गया था। इसरो द्वारा स्थापित टेलीमेडिसिन नेटवर्क के माध्यम से, वर्तमान में कार्यरत 7 टेलीमेडिसिन केंद्रों ने इसरो, अहमदाबाद द्वारा आयोजित सतत् चिकित्सा शिक्षा में भाग लिया।

उक्त कार्यक्रम में राज्य में स्थापित 16 टेलीमेडिसिन केन्द्रों में से 7 कार्यरत टेलीमेडिसिन केन्द्र गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल, पाडर अस्पताल, बैतूल, जिला अस्पताल शाजापुर, जिला अस्पताल सीधी एवं गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर ने भागीदारी की।

14.5.4 ग्रामीण विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI)

रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधार पर एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत चयनित वाटरशेड क्षेत्रों की विकास योजना तैयार करना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 21.36 लाख हैक्टर क्षेत्र के चयनित जलग्रहण क्षेत्रों की 3डी उपग्रह आंकडों के आधार पर खसरा स्तर पर कार्य योजना तैयार की गयी है, जो कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायता करेगी।

नदी पुनर्जीवन परियोजना के अंतर्गत अलीराजपुर जिले के 50, बैतूल के 41 तथा मंडला के 138 जल ग्रहण क्षेत्रों के विषयवार मानचित्र तैयार कर सम्बंधित जिलों को सौंपे गए। भू क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सीधी जिले के जल ग्रहण क्षेत्रों के खसरा, कंटूर, ड्रेनेज, ऑर्थो रेक्टिफायड सैटेलाइट इमेज तथा जोमोर्फोलॉजी मानचित्र तैयार कर सौंपे गए। जिला हरदा के ग्राम बारंगा एवं हरदा खास में जीआईएस आधारित मानचित्र आदर्श गांव हेतु बनाये गए। बड़वानी जिले के ड्रेनेज, कंटूर, एवं आर्थो रेक्टीफाइड इमेज का प्रयोग करते हुए एक्शन प्लान बनाये गए।

विकेंद्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना समर्थन – अद्यतन (Space Based Information Support for Decentralized Planning - Update (SISDP & Update))

SISDP परियोजना इसरो द्वारा विकास योजनाओं के निष्पादन और निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को उपग्रह डेटा के आधार पर मौलिक योजना इनपुट प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। एसआईएसडीपी परियोजना का चरण-I वर्ष 2016-17 में सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था। SISDP चरण- I के परिणामों के आधार पर SISDP और अद्यतन पेश किया गया है।

इस परियोजना के तहत बनाए गए जियोडेटाबेस, उत्पादों और सेवाओं का भुवन जियो पोर्टल के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। यह डेटाबेस विज़ुअलाइज़ेशन और डेटा एनालिटिक्स ग्राम पंचायत सदस्यों और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करता है।

परियोजना के तहत 15 जिलों में 1:10000 के पैमाने पर जल निकासी, नहर और जल निकाय का निर्माण किया गया और 25 जिलों में 1:10000 के पैमाने पर सड़क और रेल की लेयर बनाई गई।

तालिका 14.5 : SISDP & Update के तहत कार्य की स्थिति

स. क्र.	मध्यप्रदेश की कुल पंचायतें		
1	रोड	पंचायतें-17158	75.20% कार्य किया गया
2	रेल	पंचायतें-17158	75.20% कार्य किया गया
3	ड्रेनेज	पंचायतें-16654	73% कार्य किया गया
4	वाटरबॉडी	पंचायतें-16654	73% कार्य किया गया
5	केनाल	पंचायतें-16654	73% कार्य किया गया

स्त्रोत: मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम (IWMP) भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर परियोजना निगरानी कार्य

मध्यप्रदेश के लिए स्वीकृत IWMP परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक "भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम IWMP परियोजना की निगरानी" परियोजना के तहत किया गया है।

नाबार्ड के डब्ल्यूडीएफ (इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम) के तहत 7 जिलों के 16 माइक्रोशेड की ग्राउंड चेंज रिपोर्ट तैयार कर अपडेट करने का काम किया गया।

मध्यप्रदेश के चयनित जिलों में मनरेगा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए योजना और निर्णय लेने में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए एक रूपरेखा का विकास

इसका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक सूचना और संबंधित भौगोलिक सेवाओं की खोज और उन तक पहुँचने के लिए एक वेब-सुलभ भू-पोर्टल विकसित करना हैं। निवारी ब्लॉक की पंचायतों का सर्वेक्षण किया गया और प्राप्त आंकड़ों से प्रत्येक पंचायत के जल बजट को मापा गया हैं। बड़वानी जिले के ठीकरी विकासखंड की सभी ग्राम पंचायतों का व्यापक सर्वेक्षण एवं डाटा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है। रायसेन जिले के गैरतगंज एवं रायसेन विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों का व्यापक सर्वेक्षण एवं डाटा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूसिंग स्पेस, एग्रोमीटीओरोलॉजी (Agro-meteorology) एंड लैंड बेस्ड ऑब्जरवेशन (फसल-MNCFC) ऑपरेशन फोरकास्ट

परियोजना के अंतर्गत फसल कटाई से पूर्व फसल क्षेत्र एवं उत्पादन आंकलन के लिए कपास, धान, गेहूँ एवं सरसों की फसलों के लिए क्षेत्र सत्यापन के आंकड़े एकत्र करने का कार्य MNCFC, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

फसल परियोजना के लिए फसल कटाई हेतु स्मार्ट सेंपलिंग के आंकड़े धान एवं गेहूँ फसल के लिए प्रदाय करने का कार्य पूर्ण किया। आंकलन से प्राप्त आंकड़े विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों को प्रेषित किये जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस परियोजना का मुख्य उददेश्य फसल कटाई के पूर्व चयनित फसलों के लिए फसल क्षेत्र एवं उत्पादन आंकलन करना है।

AGRI GIS परियोजना

कृषि एवं मृदा प्रभाग के अंतर्गत उक्त परियोजना का कार्य राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद के साथ मिलकर किया जा रहा हैं। यह परियोजना कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रायोजित हैं। परियोजना के अंतर्गत खरीफ मे सोयाबीन, धान एवं मक्का व उड़द के चयनित जिलों एवं रबी मे गेहूं, सरसों व चना फसल हेतु क्षेत्र एवं उपज आंकलन का कार्य किया जा रहा हैं। फसल कटाई से पूर्व फसल क्षेत्र एवं उत्पादन आंकलन के लिए खरीफ फसलों के लिए क्षेत्र सत्यापन के आंकड़े एकत्र करने का कार्य किया गया। माइक्रोवेव उपग्रह के अंकीय चित्रों के विश्लेषण का कार्य खरीफ वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2021-22 के लिए तथा वर्ष 2022-23 के लिए किया जा रहा है।

14.5.5 शहरी विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI)

स्वचालित लेआउट प्रक्रिया अनुमोदन और जांच प्रणाली (ALPASS)

भोपाल, इंदौर, तथा ग्वालियर समेत प्रदेश के 107 शहरों में कॉलोनी निर्माण, मैरिज गार्डन, पेट्रोल पंप, वेयरहाउस आदि समेत किसी भी तरह का विकास कार्य करने के लिए जीआईएस बेस्ड परमिशन जारी (GIS Based Development Permission) होना शुरू हो गया है।

MPSSDI-MPSEDC ने टीएंडसीपी (T&CP) के साथ ऑटोमैटिक लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्क्रूटनी सिस्टम (Automated Layout Process Approval & Scrutiny System - ALPASS) शुरू किया है। इसमें जिस जमीन पर विकास अनुमति चाहिए, वहीं पर जाकर जीआईएस लोकेशन लेकर आर्किटेक्ट को लेआउट नक्शा बनाना होगा और ऑनलाइन ही इसको अनुमति हेतु अपलोड करना होता है। सॉफ्टवेयर खुद ही मास्टर प्लान समेत सभी नियमों की जांच कर स्क्रूटिनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है।

यही नहीं, इसके बाद की सारी प्रोसेस फाइल या नोटशीट ऑनलाइन होती है। विभागीय अधिकारी द्वारा साइट सर्वे हेतु एक मोबाइल एप भी तैयार किया है जिसकी सहायता से सर्वे रिपोर्ट साइट पर जाकर ही तैयार करते है। यह मोबाइल एप ALPASS सॉफ्टवेयर से जुड़ी है और परमिशन लेटर तथा फाइनल लेआउट ऑनलाइन ही जारी किए जाते है।

इस प्रकार की जीआईएस बेस्ड नक्शे अनुमति प्रदाय करने मे मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस सिस्टम के आने से प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी हो गयी है। फाइल का मूवमेंट तेज हो गया है और विकास अनुमतियों में लगने वाला 60 दिन का समय बहुत कम हो गया है। उच्च अधिकारियो की सुविधा के लिए डैशबोर्ड (dashboard) तथा रिपोर्ट मॉडयुल (module) तैयार किया गया है जिससे फाइल की हर अपडेट तुरंत देखी जा सकती है।

इस सॉफ्टवेयर को अमृत योजना के तहत तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान, भू-अभिलेख (राजस्व विभाग), एबीपीएएस-भवन अनुमति और आईजीआरएस-संपत्ति पंजीकरण गाइडलाइन (संपदा-2) से भी जोड़ा गया है।

चित्र 14.8: स्वचालित लेआउट प्रक्रिया अनुमोदन और जांच प्रणाली का स्क्रीनशॉट

स्त्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम

मध्यप्रदेश के शहरों की मास्टर प्लान परियोजना और अमृत (AMRUT) परियोजना

भारत सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत 34 शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने की कार्यवाही की जानी है। परियोजना के अंतर्गत शहरों के 1:4000 मापक पर मास्टर प्लान बनाने हेतु उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों के आधार पर विषयवार मानचित्र एवं सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण कर विकास योजना तैयार की जा रही है। अभी तक 31 शहरों का विकास प्रारूप तैयार किया जा चुका है।

संदर्भ

- प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (एएमपीआरआई). (2020). वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20. भोपाल: उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान (एएमपीआरआई).
- भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड. (2023). दूरसंचार विभाग. नई दिल्ली: संचार मंत्रालय, भारत सरकार.
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग. (2022). वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22. भोपाल: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश सरकार.
- डीएसटी. (2022). कॉम्पेन्डियम ऑन स्टेट लेवल ईको सिस्टम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार.
- अटल इनोवेशन मिशन. (2022). भारत में कार्यरत अटल टिंकरिंग लैब्स की सूची. नई दिल्लीः नीति आयोग.
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग. (2023). उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग. नई दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार.

- एमपीसीएसटी. (2023). मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, मध्यप्रदेश सरकार.
- मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम. (2023). एमपीएसईडीसी. भोपाल: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश सरकार.
- एमएसएमई. (2023). सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश सरकार.
- पीआईबी. (2022). प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार. पीआईबी, भारत सरकार, वर्ष 2022. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार.
- वित्त विभाग. (2023). भोपाल : वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

अध्याय - 15

सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था एवं आध्यात्मिक परिवेश का विस्तार

अध्याय - 15

सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था एवं आध्यात्मिक परिवेश का विस्तार

"केवल भौतिक प्रगति व्यक्ति को सुख और आनंद नहीं दे सकती..."

- माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान

इस वर्ष मध्यप्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रकाशन को एक ऐसे अवसर के रूप में देखने का प्रयास किया जा रहा है जहां से मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमाओं की परिधि में हो रहे आर्थिक, औद्योगिक एवं किसी अन्य भौतिक प्रकार के विकास का सर्वे करने के अतिरिक्त उस खुशहाली और आनंद को भी अनुभव किया जाए जिसे लक्षित कर मध्यप्रदेश की विकास योजनाओं को बनाया गया, सामान्य और अंतिम पंक्ति के लोगों को लाभ दिलाने की योजनाएं बनाई गईं। इन योजनाओं के माध्यम से उन आधारभूत आवश्यकताओं को जन जन तक पहुँचने का कार्य किया गया जिन्हें पाकर एक सामान्य व्यक्ति सुख का अनुभव करता है।

व्यक्ति आनंद का अनुभव अपने परिवार के साथ, अपने अपने समूहों में या समाज के साथ करते हैं और इसके लिए समरसता और गौरव का भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। गौरव और समरसता तब और अधिक प्रगाढ़ होती है जबकि एक लंबे इतिहास के रूप में इनकी जानकारी होती है और विभिन्न अवसरों पर इन्हे हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। युगों-युगों से स्वतंत्रता संघर्ष तक और उसके बाद निरंतर हमारे जनजातीय समाज द्वारा अपने महान गौरव के अनुरूप भारत के स्वाभिमान, पारंपरिक ज्ञान और सरलता को अक्षुण्ण रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता रहा है। मध्यप्रदेश, जनजातीय गौरव क्रांतिवीर टंट्या भील की जन्म, कर्म और बलिदान की भूमि है। उनके महान गौरव ने पूरे जनजातीय समाज और विभिन्न वर्गों को आपस में एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। प्रदेश की युवा पीढ़ी उनके इस महान बलिदान को समझे और प्रेरणा लेती रहे इसके लिए अनेक रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों को उनके नाम के साथ जोड़ा गया और उस समाज की ओर मोड़ा गया जिसके उत्थान हेतु उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था।

क्रांतिवीर टंट्या भील की बलिदान भूमि पातालपानी में 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से नवतीर्थ स्थल बनाया जाएगा, यहाँ एक ध्यान केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा सुधारवादी, राष्ट्रवादी एवं आध्यात्मिक पक्ष को समाज के सम्मुख लाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोज़गार योजना' प्रारंभ की गई है जिसमें विनिर्माण गतिविधियों के लिये एक लाख से 50 लाख रुपए तक तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिये एक लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएँ स्वीकृत की जाएंगी।

मध्यप्रदेश के 89 जनजाति बहुल विकास खंडों में पेसा अधिनियम लागू किया गया है, जो जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और भूमि का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रयास समाज को उस ममत्व से जोड़ने हेतु किए गए हैं जिसके के कारण व्यक्ति सदैव अपनी भूमि और अपने समाज से जुड़ा रहता है, सुरक्षित अनुभव करता है और समाज में रहते हुए आनंद के अनुभव की ओर प्रवृत्त होता है। ग्राम गौरव दिवसों का आयोजन भी अपनी भूमि अपनी संस्कृति से प्रेम और अपनत्व स्थापित करने का प्रयास है।

मध्यप्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी भाषा मे प्रारम्भ की गई है। मध्यप्रदेश में 6 बोलियां हैं, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, भीली और गोंडी। इन छह बोलियों को बोलने वालों की लगभग संख्या करोड़ों में है जिन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य बहुभाषिक और सांस्कृतिक बहुलता का राज्य है, यही राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की पहचान भी है। मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्मों की मान्यताओं और उनकी आध्यात्मिक विचारधाराओं और उनके पवित्र स्थानों से बनी है। किसी विचारधारा के देवी-देवताओं की उपस्थिति और उसके आख्यान उस भूमि की संस्कृति का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए राज्य के ओरछा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के राजाराम के रूप में विद्यमान होने के कारण समूची बुन्देली भूमि राज-सम्पन्न हुई है। मालवा के संदर्भ में मृत्यु के देवता भगवान शिव की उपस्थिति से यहां की संस्कृति में वैराग्य से भरे जीवन का अनुभव किया जा सकता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आर्थिक – सामाजिक सिद्धांत एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद और अंत्योदय के विचारों से ओतप्रोत नीति निर्धारकों द्वारा आनंद और खुशहाली को अपने हृदय में रखते हुए इस अतुलित विकास रथ को आगे बढ़ाया। इस तथ्य का अनुभव किया गया कि भारत को चलाने के लिए भारतीय दर्शन ही अधिक कारगर वैचारिक उपकरण हो सकता है चाहे प्रश्न राजनीति का हो अथवा अर्थव्यवस्था का हमारी परंपरा और संस्कृति हमे यह बताती है कि मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं का पिंड नहीं है अपितु एक आध्यात्मिक तत्व है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एकात्म अर्थनीति का प्रतिपादन किया गया था। एकात्मक अर्थनीति से तात्पर्य ऐसी अर्थनीति से है, जो आर्थिक दृष्टिकोण तक सीमित ना होकर जीवन को समृद्ध एवं सुखी बनाने के लिए समग्र पहलुओं को दिशा निर्देशित करती है।

15.1 सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए संस्कृति एक प्रमुख इंजन

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह के संस्कृति मंत्री 30 जुलाई 2020 को इतिहास में पहली बार स्थायी सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए संस्कृति को एक प्रमुख इंजन के रूप में स्वीकार करने पर सहमत हुए एवं पांच प्रमुख प्राथमिकताएं तय की गईं: सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संस्कृति और जलवायु परिवर्तन, संस्कृति और शिक्षा, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग और डिजिटल परिवर्तन में संस्कृति। इसी क्रम में संस्कृति को स्थायी रूप से एकीकृत करने के लिए भी कदम उठाए, जिसमें सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए संस्कृति कार्य समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। इसके पूर्व सऊदी अरब द्वारा संस्कृति को G20 के एजेंडा में स्थान दिया गया एवं UNESCO ने भी इस विषय को स्थापित करने एवं गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संस्कृति का समावेश समकालीन सामाजिक मुद्दों के प्रगतिशील विस्तार को प्रतिध्वनित करते हुए यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा एवं G20 प्राथमिकताओं के बढ़ते संरेखण को भी प्रदर्शित करता है, यह संरेखण विशेष रूप से समावेशी और संतुलित विकास पैटर्न को प्राथमिकता देने के रूप में भी प्रदर्शित होता है.

सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र नौकरियों और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्लवन प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, प्लावन प्रभाव के उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक धरोहरों में निवेश द्वारा एक दूसरे अन्य सेक्टर पर्यटन के विकास को गति दी जा सकती है। यद्यपि सांकृतिक निवेश आर्थिक प्रभावों से परे है तथापि इसके द्वारा सामाजिक समावेशन और स्थानीय सामाजिक पूंजी का विकास, स्वास्थ्य और सुमंगलम प्राप्त करने के रूप में उनके महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव भी हैं। हालांकि, अभी ऐसे आंकड़ों की अनुपलब्धता है जो संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्र में निवेश के पूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को प्रकट करती हो, किन्तु इस दिशा में किए जा रहे कार्य में निरन्तरता लाकर शीघ्र ही इसके सामाजिक प्रभाव मापन हेतु पद्धति विकसित की जा सकती है। उस पद्धति के विकास के लिए कुछ प्रयोग होना चाहिए और वह प्रयोग मध्यप्रदेश द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर जैसे जनजातीय समाज, हमारे धार्मिक स्थलों का विकास, आध्यात्मिक उन्नति आदि प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

समय की आवश्यकता है कि:-

- संस्कृति को सामाजार्थिक निवेश के रूप में देखा जाए और इसे व्यय समझने की मानसिकता से ऊपर उठा जाए। नीतियों के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म निर्मित किया जाए जिसका प्रयोग रचनात्मक युवा एवं अन्य व्यवसायी अथवा पेशेवर लोग रोज़गार, नवाचार तथा व्यापार वृद्धि हेतु कर सकें।
- संस्कृति को सामाजिक सामंजस्य, नवाचार, स्वास्थ्य और सुमंगलम, पर्यावरण और सतत स्थानीय विकास के माध्यम से व्यापक नीति एजेंडे के अभिन्न अंग के रूप में मुख्यधारा में लाया जाए।
- संस्कृति एवं रचनात्मक क्षेत्र में निवेश आर्थिक विकास, सामाजिक एकजुटता तथा स्थायित्व को आगे ले जाने वाला कारक है इस सोच को स्थापित करने तथा तथ्यपरक निर्णयों हेतु इस क्षेत्र के लिए उचित सांख्यिकीय व्यवस्था विकसित की जाए।
- संस्कृति का व्यापक रूप से सामाजार्थिक विकास नीतियों से एकीकरण किया जाए जो सतत विकास के लक्ष्यों के साथ संरेखित हो।

15.2 मध्यप्रदेश का आध्यात्मिक विकासात्मक दर्शन

विगत एक दशक में प्रकाशित हुए साहित्य में जीडीपी के स्थान पर आनंद शब्द अधिक प्राथमिकता से प्रयुक्त हो रहा है। इसे हम समाज की एक ऐसी सोच के रूप में देख सकते हैं जो 'जीडीपी से परे' जाकर आनंद के विषय में स्वयं को स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील है। आज आनंद पर शोध की भरमार है और इस सागर में अनेकों शोधार्थी मोतियों का अनुसंधान करने हेतु गोते लगा रहे हैं।

भारतीय अध्यात्म के केंद्र में आनंद सदैव विद्यमान रहा है। आनंद प्राप्ति हेतु कर्मयुक्त वैराग्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते जैसे कई सिद्धांत स्वस्फूर्त ऊर्जा से भरे हुए हमें प्रेरित करने हेतु सज्ज खड़े हैं। ऐसे समय में मध्यप्रदेश में वर्ष 2016 में आनंद विभाग के अंतर्गत आनंद संस्थान का गठन किया गया जिसे भारतीय मनीषा की आनंद की अवधारणा पर केंद्रित किया गया। ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, मत्सर, लोभ, अहंकार आदि मानस रोग आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हैं। इन मानस रोगों से छुटकारा पाते ही मनुष्य के अंदर सहज ही सदा रहने वाले आनंद के स्रोत जागृत हो उठते हैं। इन मानसिक व्याधियों को दूर करने में योग, ध्यान, प्राणायाम, भक्ति, अध्ययन, संगीत, खेलकूद आदि सहायक होते हैं।

मध्यप्रदेश में आनंद का मॉडल

राज्य में संस्कृति विभाग, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, राज्य आनंद संस्थान द्वारा संस्कृति और आध्यात्मिकता के विकास और संवर्धन में योगदान देने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त, शहरी विकास और आवास जैसे विभागों ने भी राज्य में संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की हैं।

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के वर्ष 2019-20 में 55.08 करोड़ के बजट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह राशि 88.23 करोड़ हो गई है। संस्कृति विभाग हेतु वर्ष 2022-23 हेतु 670.64 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

तालिका 15.1 धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग और संस्कृति विभाग का बजटीय आवंटन

(करोड़ रुपये में)

विभाग	बजटीय आवंटन (करोड़ रुपये में)			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	55.08	39.21	84.73	88.23

विभाग	बजटीय आवंटन (करोड़ रुपये में)			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
संस्कृति	147.73	146.63	156.48	670.64

स्रोत - (वित्त विभाग, 2022)

15.2.1मध्यप्रदेश का आध्यात्मिक स्वर्ग – श्री महाकाल लोक, तीर्थाटन का आधुनिक अनुभव

पुरातन काल से ही जिस भूमि को ज्ञान और शोध की भूमि के रूप में देखा जाता रहा है, और जहां स्वयं राजाधिराज महाकाल ज्योतिर्लिंग रूप में विराजे हैं उस भूमि को चुना गया एक ऐसे शोध के लिए जो स्वयं में अद्भुत था, सोच से परे था, जिसका रूप आध्यात्मिक था किन्तु वह एक नई आर्थिक-आध्यात्मिक संस्कृति की तरफ संकेत कर रहा था। एक ऐसा निवेश जो जन जन की भौतिक नहीं अपितु आत्मिक आवश्यकता जिसे आनंद कहते हैं उसकी पूर्ति करता हो। यह शोध और कुछ नहीं अपितु श्री महाकाल लोक के निर्माण के रूप में देश और प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया गया है।

श्री महाकालेश्वर धाम यानी उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर कारीडोर विकास परियोजना के तहत यह विस्तार एवं कारीडोर विकास का कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की कैबिनेट द्वारा वर्ष 2018 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई एवं कोरोना महामारी से बाधित कार्य को तेजी से पूरा करते हुए इसके प्रथम चरण को पूर्ण किया गया। इस कुम्भ नगरी में कालचक्र के 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग हैं। यहां चार महावीर, छह विनायक, आठ भैरव एवं अष्टमातृकाएं हैं। इनके अतिरिक्त नवग्रह हैं, दस विष्णु, ग्यारह रुद्र हैं एवं बारह आदित्य और 24 देवियां हैं। 920 मीटर लंबे इस कॉरीडोर में इसमें एक थीम पार्क एवं एक हेरिटेज मॉल का भी निर्माण किया गया है, पवित्र रुद्र सागर झील का भी पुनरुद्धार किया गया है। इसका डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया गया है कि एक लाख लोग लगभग एक घंटे के समय में श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। यह व्यवस्था, धार्मिक स्थलों पर अधिक भीड़भाड़ और अव्यवस्था के कारण इन धर्मस्थलों और इनकी अनुपम धरोहर से दूर होती जा रही पीढ़ी को पुनः इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ने का कार्य करेगी। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों से यह विदित भी हुआ है कि किस प्रकार श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के पश्चात उज्जैन का धार्मिक पर्यटन कई गुना बढ़ गया है और इसकी चर्चा देश विदेश में स्वतः हो रही है।

स्पष्ट है की यह निवेश संस्कृति और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से किया गया था, किन्तु इसके परिणाम अर्थव्यवस्था सम्यक भी प्राप्त हो रहे हैं। संभवतः इसका आकलन भविष्य में किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ और उस निवेश से आनंद और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ कितने रोजगार और आर्थिक लाभ हुआ।

15.2.2 अद्वैत एवं एकात्म की प्रतिमा

भारत की पुरातन परंपरा एकात्मवाद से प्रभावित है, हम सब एक हैं, 'यह वसुंधरा हमारा परिवार है', हम इसी प्राचीन सिद्धांत का समावेश वर्तमान व्यवस्था में करना चाहते हैं। यह गर्व का विषय है कि एकात्मवाद और अद्वैत सिद्धांत की तपोभूमि मध्यप्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केरल से आकर तप किया और नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का कार्य किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बाँधा तथा समूचे विश्व को एकात्मता का संदेश दिया। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जड़, चेतन में आध्यात्मिक एकता है इस संदेश के माध्यम से उन्होंने बताया कि सारे प्राकृतिक

संसाधन भी मनुष्य के समान ही महत्वपूर्ण हैं, यह सह अस्तित्व है जो हमें बचाये रखना है।

इस एकात्मवाद और अद्वैत को आधुनिक समय में आतंकवाद, नक्सलवाद, और ऐसे अन्य तत्वों के विघटनात्मक विचारों को रोकने में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर में ही हमारी समस्याओं के हल छुपे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि एकात्मता की धरोहर मानवता का संदेश देकर समाज को एकीकृत रखने में सहयोगी सिद्ध होगी।

मध्यप्रदेश के ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची 198.25 करोड़ की लागत से बहु धातु की प्रतिमा का निर्माण किये जाने का अनुमोदन अक्टूबर 2022 में मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया गया है। यह एक और निवेश होगा जो अध्यात्म और एकात्म को तो संबल देगा ही साथ ही साथ देश के लोगों को इन सिद्धांतों से जोड़ेगा, पर्यटन को विकसित करते हुए रोजगार एवं अर्थव्यवस्था में वृद्धि का मूलक भी होगा।

आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अधीन "आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास" मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के पंजीकृत स्वायत्तशासी न्यास है। इस न्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा की ओंकारेश्वर में स्थापना।

- आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के लिए पूरे प्रदेश के गाँव-गाँव से धातु, दान स्वरूप प्राप्त करना।
- भारतीय संस्कृति एकता के प्रतीक के रूप में आदि शंकर की प्रतिमा का प्रस्तुतीकरण।
- प्रतिमा स्थल के आस-पास सुव्यवस्थित जन-सुविधाएँ विकसित करना ओंकारेश्वर पहुंचने वाले मार्गों के निर्माण और देख-रेख के लिए संबंधित विभागों से सतत् समन्वय करना।
- भारतीय अद्वैत ज्ञान और दर्शन से जुड़ी गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं विचारों के आदान-प्रदान के लिए कार्यशाला, सेमीनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि का आयोजन करना।
- शंकराचार्यजी के द्वारा प्रोन्नत भारतीय सांस्कृतिक एकता की प्रदर्शनी एवं इस का लेजर, प्रकाश एवं ध्वनि माध्यम से प्रदर्शन न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, गैर शासकीय संस्थाओं/संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकायों तथा व्यक्तियों से संपर्क, समन्वय तथा सहयोग स्थापित कर क्रियान्वयन।
- आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की स्थापना एवं संचालन।

15.2.3 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट) जो आयकर दाता नहीं है, को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या दो युग्म स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना परिकल्पित की गयी है। मध्यप्रदेश शासन ने जून 2012 में इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिको को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की नि:शुल्क यात्रा कराई जाती है। तीर्थ यात्रियों को विशेष रेल से यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं शुद्ध पेयजल, तीर्थ स्थान पर रुकने की व्यवस्था, जहाँ आवश्यक हो बस से यात्रा व अन्य सुविधाएँ धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन से अनुबंधित इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC), जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है (धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, 2021)।

लद्दाख में सिंधु दर्शन योजना

इस योजना का उददेश्य सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। मध्यप्रदेश के ऐसे व्यक्ति जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा चयनित व्यक्ति सूची में स्थान पाते हुए उनके द्वारा लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पूर्ण कर ली हो तो उन्हे यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये 10,000 प्रति तीर्थयात्री तक राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पर जाने वाले यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। मध्यप्रदेश के ऐसे व्यक्ति, जिन्होनें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा चयनित व्यक्ति की सूची में स्थान पाते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण कर ली हो तो उन्हें यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिषत की प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये 30,000 तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

अशासकीय संस्थाओं को सहायता

मध्यप्रदेश अशासकीय सांस्कृतिक संस्था सहायक अनुदान के अन्तर्गत साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण और विकास की दिशा में कार्यरत पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य आनंद संस्थान के प्रयास

सरकार द्वारा वर्ष 2016 में गठित किए गए आनंद विभाग के अंतर्गत गठित आनंद संस्थान द्वारा भौतिक प्रगति के पैमाने से आगे बढ़कर आनंद के मापकों को भी समझा जाए तथा उनको बढाने के लिए सुसंगत प्रयास किए जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यहाँ इस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके माध्यम से राज्य के नागरिकों की मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक उन्नति तथा प्रसन्नता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है (राज्य आनंद संस्थान, 2022)।

आनंद उत्सव

आनंद उत्सव' जीवंत सामुदायिक जीवन, नागरिकों के जीवन में आनंद का संचार करता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये प्रतिवर्ष दिनांक 14 से 28 जनवरी के मध्य मनाया जाता है।

आनंद उत्सव का उद्देश्य नागरिकों में सहभागिता एवं उत्साह को बढ़ाने के लिये समूह स्तर पर खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना है। आनंद उत्सव की मूल भावना प्रतिस्पर्धा नहीं अपितु तो खेल भावना है। आनंद उत्सव, नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आयोजित किए जाते है। आनंद उत्सव में प्रमुख रूप से स्थानीय तौर पर प्रचलित परम्परागत खेलकूद जैसे- कबड्डी, खोखो, बोरा रेस, रस्सा कसी, चेअर रेस, पिट्ठू, सितोलिया, नीबू चम्मच दौड़ आदि तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे लोक संगीत, नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन, नाटक आदि एवं स्थानीय स्तर पर तय अन्य कार्यक्रम किये जाते है।

आनंद उत्सव का आयोजन इस तरह से किया जाता है कि समारोह की गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों के यथा पुरुष, महिला, सभी आयु वर्ग के नागरिक, दिव्यांग आदि शामिल हो सकें। इस कार्यक्रम में 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला एवं पुरुषों, दिव्यांगों एवं बुजुर्गों की विशेष सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये आनंद उत्सव के कार्यक्रमों में उनके अनुकूल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022 तथा 2023 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए आनंद उत्सव के कार्यक्रमों में कुल पंजीयन संख्या क्रमशः 5186 तथा 10543 रही।

आनंदम

दूसरों की निस्वार्थ सहायता करना तथा उसके लिए आगे बढ़कर त्याग करने का भाव भारतीय संस्कृति का आधार है। सहायता करने के अनेक तरीके हो सकते हैं उदाहरणतः घरों में ऐसा बहुत सा समान होता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती ऐसे समान को संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए। यह मदद करने का प्रभावी तरीका हो सकता है। इसी बात को ध्यान में आनंदम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा घरेलू सामान, जिसकी आवश्यकता न हो, उसे व्यक्ति एक निश्चित स्थल पर रख दे तथा जिसे जरूरत हो वह वहां से बिना किसी से पूछे ले जा सके। आनंदम की यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में हर जिले में समाज सेवी तथा जन प्रतिनिधियों के सहयोग से आरंभ की गई है।

सभी जिलों में आनंदम कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं में, सहयोग से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस प्रकार के 172 आनंदम केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

आनंद सभा

इन सत्रों में विद्यार्थी किसी विषय वस्तु की पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि वह ऐसी गतिविधियां करेंगे जिनसे उनमें जीवन के कतिपय महत्वपूर्ण आयामों की समझ विकसित होगी। ऐसे सत्रों को आनंद सभा का नाम दिया गया है। क्षमा मांगने एवं क्षमा करने के महत्व को समझना, प्रकृति एवं समाज के प्रति उत्तरदायी बनना, दूसरों की सहायता करना, कृतज्ञता का अनुभव करना, संकल्प की शक्ति का उपयोग करना आदि ऐसे विषय हैं जिन्हें सकारात्मक प्रयोग के माध्यम से अनुभव में लाया जा सकता है। एक बार यह अनुभव में आ जाए तो विद्यार्थी का भीतरी रूपांतरण संभव है।

अल्प विराम

शासकीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। इसका लोक सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन तथा प्रदाय से सीधा संबंध है। भौतिक सुविधाएं तथा समृद्धि अकेले आनंदपूर्ण मनोस्थिति का कारक नहीं होती यह आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों का दृष्टिकोण जीवन की परिपूर्णता की मौलिक समझ पर आधारित हो राज्य आनंद संस्थान का यह प्रयास है कि ऐसे स्वयंसेवकों (आनंदकों) को तैयार किया जाए जो कार्यालय में उन्हें सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की आवश्यक विधियां उपलब्ध करा सकें। स्वयंसेवक निजी क्षेत्र से अथवा उसी कार्यालय के कर्मचारी हो सकते हैं। शासकीय सेवकों को उनके कार्यस्थल पर ही नियमित अंतराल पर ऐसे कार्यों तथा क्रियाओं में सम्मिलित किया जावे, जो उनके जीवन में आनंद का कारक बन सके। ऐसे कार्यक्रमों को "अल्प विराम" कहा जाता है। इस प्रयास के अंतर्गत अभी तक 109 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं।

आनंद क्लब

आनंद क्लब की पहल इस विचार पर आधारित है कि ऐसे व्यक्ति/आनंदक जो आनंदित रहना चाहते है पहले स्वयं आनंदमयी जीवन जीने का कौशल सीखे, उसका जीवन में अनुसरण करें एवं तत्पश्चात सामूहिक रूप से क्लब का गठन कर उसका अपने पड़ोस में प्रसार करें। 'आनंदमयी जीवन' के दर्शन पर गहन विचार विमर्श/ज्ञान प्राप्त किए बिना सामान्य समझ एवं जागरूकता के आधार पर छोटे-छोटे कार्य कर एवं आदतें विकसित कर आनंदित रह सकते है। अगर आप ऐसा करने के इच्छुक हैं तो आप आनंद क्लब गठित करने की योग्यता रखते हैं। इस प्रयास में राज्य आनंद संस्थान द्वारा सहयोग, प्रशिक्षण आदि दिया जाता है।

मध्यप्रदेश की संस्कृति का मूल तत्व उसकी उदारता, समस्त आध्यात्मिक विचारों से निर्मित नैतिकता, खान-पान और वेशभूषा की विविधता तथा एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। संस्कृति ही स्वराज का प्राण तत्व है संस्कृति विहीन समाज और राष्ट्र पतन शीलता को उन्मुख होता है ईश्वर का संस्कृति से घनिष्ठ संबंध रहता है।

स्वराज तभी साकार और सार्थक होगा जब वह अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन सकेगा एवं यही हमारा आनंद स्वराज होगा।

संदर्भ

- धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग. (2021). धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन. धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन: https://dharmasva.mp.gov.in/schemes/view/Z1cwQVVEeE5ZSEg1T3ZrTnV6S0FsZz09 से, 11 फरवरी 2023 को पुनर्प्राप्त
- राज्य आनंद संस्थान. (2022). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन. भोपाल: राज्य आनंद संस्थान. आनंद विभाग मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन.
- वित्त विभाग. (2022). वार्षिक बजट. भोपाल: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

परिशिष्ट - 1

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
जनसंख्या		जनगणना, 2011	जनगणना, 2011
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	236	382
पुरुष स्त्री अनुपात	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियां (संख्या)	931	943
जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)	प्रतिशत	20.3	17.7
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	72.4	68.9
कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या (मुख्य+सीमांत कार्यशील)	प्रतिशत	43.5	39.8
कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	32.6	25.5
कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक	प्रतिशत	31.2	19.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतिहर मजदूर	प्रतिशत	38.6	17.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी	प्रतिशत	3.0	2.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	15.6	16.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत	21.1	8.6
प्रति व्यक्ति आय		2022-23 (अ.)	2022-23 (अ.)
प्रचलित भावों पर	रुपये	140583	170620
स्थिर (2011-12) भावों पर	रुपये	65023	96522

परिशिष्ट - 1

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
साक्षरता		जनगणना, 2011	जनगणना, 2011
कुल	प्रतिशत	69.3	73.0
पुरुष	प्रतिशत	78.7	80.9
स्त्री	प्रतिशत	59.2	64.6
जीवनांक		सितंबर 2020	सितंबर 2020
अ. जीवनांक (a)			
जन्म दर	प्रति हजार व्यक्ति	24.1	19.5
मृत्यु दर	प्रति हजार व्यक्ति	6.5	6.0
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	43	28
बैंकिंग		मार्च 2021	मार्च, 2021
प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यालय	संख्या	10	12
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रुपये	70281	140492
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रुपये	47387	100997
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	67.4	71.9

(प्रा.) : प्रावधिक (अनु.) : अनुमानित

(त्व.) : त्वरित (अ.) : अग्रिम

(a) : न्यादर्श रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित।

टीप : मध्यप्रदेश एवं अखिल भारत के संकेतांक तैयार करने हेतु संबंधित वर्ष की अनुमानित जनसंख्या एवं 2011 की जनसंख्या का उपयोग किया गया है।

खनिज
प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2019-20 (सं.)	2020-21 (प्रा.)	2021-22 (प्रा.)	2022-23 नवम्बर 2022 तक (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	1255.82	1330.05	1388.59	929.62
बाक्साईट	6.86	7.19	3.11	3.24
ताम्र अयस्क	25.44	22.40	24.75	12.03
आयरन ऑर	33.33	39.73	70.16	26.47
मैंगनीज अयस्क	9.58	8.64	8.28	4.3
रॉक फास्फेट	1.00	1.02	0.89	2.3
हीरा (कैरेट में)	28816	13917	220.28	283.43
चूनापत्थर	469.69	470.45	469.36	284.15

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित।

(प्रा.) = प्राविधक।

खनिज
प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों का मूल्य

(राशि लाख रूपयों में)

खनिज	2019-20 (सं.)	2020-21 (प्रा.)	2021-22 (प्रा.)	2022-23 नवम्बर,2022 तक (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	1529701.09	1783268.96	1820182.85	1066233.96
बाक्साईट	5484.89	5399.07	2427.23	2212.34
ताम्र अयस्क	39254.59	39372.12	44557.85	18952.02
आयरन ऑर	17299.75	20094.54	45453.23	15003.23
मैंगनीज अयस्क	61607.35	54595.79	66278.97	30091.93
रॉक फास्फेट	944.22	957.61	8544.43	2064.22
हीरा (कैरेट में)	3980.7	2202.91	142.98	183.97
चूना पत्थर	113807.98	120203.01	137686.22	72936.79

नोट: वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 तक आंकड़े आई.बी.एम. की रिपोर्ट के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित।

(प्रा.) = प्रावधिक।

खनिज
प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य

(रूपयों में)

खनिज	2018-19 (सं)	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (प्रा.)
1	2	3	4
कोयला	1383.22	1191.38	1327.10
बाक्साईट	800	799.64	750.94
ताम्र अयस्क	1366.31	1542.74	1758.35
आयरन ओर	517	519.04	505.82
मैंगनीज अयस्क	7582	6429.73	6316.31
रॉक फास्फेट	898	944.6	936.47
हीरा (कैरेट में)	14025	13815	15829.07
चूनापत्थर	245	242.3	255.51

नोट: वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 तक आंकड़े आई.बी.एम. की रिपोर्ट के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित।

(प्रा.) = प्राविधिक।

श्रम एवं रोजगार
रोजगार समंक

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीयत आवेदकों की संख्या (हजार में)	वर्ष के अंत में चालू पंजी पर दर्ज आवेदकों की संख्या		नौकरी दिलाये गये आवेदकों की संख्या (वर्ष 2022 से 2022 में निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्राप्त आवेदको की संख्या)		
			समस्त आवेदक (हजार में)	शिक्षित आवेदक (हजार में)	कुल (हजार में)	अनुसूचित जाति (संख्या में)	अनुसूचित जनजाति (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2016	52	345	1411	1123	0.129	19	32
2017	52	1705	2385	2179	0.109	48	7
2018	52	747	2682	2434	0.054	33	0
2019	52	846	2933	2901	0.360	0	0
2020	52	611	2472	2308	3.605	0.731	0.342
2021	52	1236	3023	2874	83.119	16.572	8.789
2022	52	713	3064	2961	49.759	10.411	4.976

स्त्रोत : आयुक्त, रोजगार संचालनालय मध्यप्रदेश।

श्रम एवं रोजगार

मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

(31 मार्च की स्थिति)

नियोजन क्षेत्र	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
शासकीय विभाग (नियमित)	452439	472307	554991	572288	587425
राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थान	56869	47180	47028	45559	40058
नगरीय स्थानीय निकाय	88367	35284	34957	32933	32436
ग्रामीण स्थानीय निकाय	130291	5635	5290	4941	5557
विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1657	866	829	784	737
विश्वविद्यालय	5936	4568	4700	4496	4257
योग	735559	565840	647795	661001	670470

नोट :- वर्ष 2019 में कार्यभारित, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कोटवारों, संविदा के कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

स्त्रोत : आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल।

स्वच्छ भारत अभियान— स्वच्छ सर्वेक्षण (एसएस) रैंकिंग

क्र	प्रमुख नगरीय निकाय/मध्यप्रदेश	एसएस-2016	एसएस-2017	एसएस-2018	एसएस-2019	एसएस-2020	एसएस-2021	एसएस-2022
1.	इंदौर	25	1	1	1	1	1	1
2.	भोपाल	21	2	2	19	7	7	6
3.	ग्वालियर	30	27	28	59	13	15	18
4.	जबलपुर	63	21	25	25	17	20	22
5.	उज्जैन	-	12	17	4	12	5	10
6.	छिंदवाड़ा	-	53	42	26	16	36	8
7.	सतना	-	75	93	197	74	71	65
8.	सागर	-	23	46	48	43	26	13
मध्यप्रदेश (ऑल इंडिया रैंकिंग)		-	-	4	4	3	3	1

आर्थिक सर्वेक्षण सलाहकार समिति

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	प्रस्तावित पदनाम
1	प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी	उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग	अध्यक्ष
2	श्री प्रवीण श्रीवास्तव	अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सांख्यिकी आयोग	सदस्य
3	डॉ. दीपक सेठिया	सदस्य, म.प्र. राज्य सांख्यिकी आयोग	सदस्य
4	श्री प्रतीक हजेला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटलबिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	सदस्य
5	श्री मुकेश चंद गुप्ता	प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सदस्य
6	श्री अभिषेक सिंह	आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	सदस्य सचिव
7	डॉ. व्ही.एस. धपानी	संयुक्त संचालक एवं कार्यालय प्रमुख आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	सदस्य

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में भाग लेने वाले विशेषज्ञ

क्र.	विशेषज्ञ का नाम	वर्तमान पदनाम
1	डॉ. व्ही. के. मल्होत्रा	अध्यक्ष, म.प्र. खाद्य आयोग
2	प्रोफेसर गणेश कावड़िया	प्रोफेसर, से.नि. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
3	श्री दीपक खांडेकर	पूर्व अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन
4	सुश्री नंदा एस दवे फैलो	पूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.बी.आई.
5	श्री तसनीम हबीब	मैपकॉस्ट
6	प्रोफेसर अमय सप्रे	NIPFP

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दल के सदस्य :

श्रीमती शशि नागले, श्री राजकुमार कड़वे, श्रीमती संगीता बाथरी, सुश्री अदिति नेमा

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में भागीदारी करने वाले मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के सदस्य

शोध टीम	
1.	श्री कन्हैया समाधिया
2.	श्री कुमार रतन
3.	श्री अमिया शंकर
4.	डॉ. ईश गुप्ता
5.	श्री भानु बित्रा
6.	श्री विपुल सिंघल
7.	श्री अच्युत जोशी
8.	श्री अभ्युदय झा
9.	सुश्री सुमिता सोनी
10.	डॉ. नेहा गुप्ता
11.	श्रीमती प्रशंसा दीक्षित
12.	श्री अभिषेक भार्गव
13.	श्री असित प्रकाश
14.	श्री अभिषेक मालवीय
15.	श्री राजदीप सिंह
16.	श्री गौरव थापक
17.	श्री विवेकानंद झा
18.	डॉ. आकांक्षा चांद
19.	श्रीमती कोमल मिश्रा

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में भागीदारी करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के सदस्य

शोध टीम	
1.	डॉ. स्वाती चौहान
2.	श्री होरिल देव रजक
3.	डॉ. सुप्रवा पटनायक
4.	डॉ. इंद्राणी बरपुजारी
5.	सुश्री प्रीति बी. उपाध्याय
6.	श्री राहुल चौधरी
7.	श्री मनोज कुमार जैन
8.	श्री गौरव अग्रवाल
9.	सुश्री ऋचा मिश्रा
10.	डॉ. जलजा साजी
11.	श्री गौरव खरे
12.	श्री भागवत अहिरवार
13.	श्री अंशुल पुरिया
14.	डॉ. सुनील सूर्यवंशी
15.	सुश्री बीना श्रीवास्तव
16.	सुश्री जया कोस्टा
17.	सुश्री प्रियंका गजभिए
18.	सुश्री तनाया मोहंती
19.	सुश्री लीना सिंह
20.	श्री अमिताभ सिंह
21.	श्री आमिर मनन देवा
22.	डॉ. अभिषेक भगत
23.	श्री अमिताभ श्रीवास्तव

आर्थिक सर्वेक्षण के डिजाइनिंग और प्रकाशन से संबंधित तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले मप्र माध्यम के सदस्य

श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती रश्मि शुक्ला, श्री सुभाष जोशी, श्रीमती गौरी बंडलकर, श्री अनिल वर्मा, श्री भोजराज खंडाइत, श्री आलोक गुप्ता

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भूतल मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004
फोन : 0755-2551395
वेबसाइट : http://des.mp.gov.in, ई-मेल : des@mp.gov.in